त्रयोदश माला, खंड 4, अंक 7

गुरूवार, 2 मार्च, 2000
12 फाल्गुन, 1921 (शक)

NOT TO BE ISSUED

FOR REFERNCE ONLY.

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. ...60...
Date ...8/12/2K...

(खण्ड 4 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे॰ एस॰ वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खण्ड 4, तीसरा सत्र, 2000/1921 (शक)

[अंक 7, गुरुवार, 2 मार्च, 2000/12 फाल्गुन, 1921 (शक)]

विषय		कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	101 से 120	13-38
अतारांकित प्रश्न संख्या	1117 से 1294.....	38-308
सभा पटल पर रखे गए पत्र	.....	310-313
समिति के लिए निर्वाचन		
राजघाट समाधि समिति	.....	313-314

लोक सभा

गुरुवार, 2 मार्च, 2000/12 फाल्गुन 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 101, श्रीमती शीला गौतम।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम (अलीगढ़) : प्रश्न संख्या–101

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक गंभीर मामले पर बोल रहा हूं, शिवसेना प्रमुख श्री बालासाहेब ठाकरे की सुरक्षा वापस ले ली गई है ...*(व्यवधान)* महाराष्ट्र सरकार ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली है ...*(व्यवधान)* यह एक गंभीर मामला है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, आप क्वश्चन ऑवर के बाद बोलिये

(व्यवधान)

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : सर, महाराष्ट्र सरकार ने शिवसेना प्रमुख श्री बालासाहेब ठाकरे की सुरक्षा वापस ली है, यह एक गंभीर मामला है ...*(व्यवधान)* महाराष्ट्र सरकार को इस बारे में आदेश देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, प्रश्नकाल के पश्चात्।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सर, श्री बालासाहेब ठाकरे को सुरक्षा वापस मिलनी चाहिए, यह बहुत सीरियस मामला है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्वश्चन ऑवर के बाद बोलिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया समझिए कि यह प्रश्नकाल है। इस मामले को उठाने के लिए समय है। यह 'शून्यकाल' नहीं है। आप कितने दिनों तक प्रश्नकाल में बाधा उत्पन्न करते रहेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? अपना मुद्दा उठाने का यह समय नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : सर, दो मिनट बोलने दीजिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी आप बैठ जाइये, क्वश्चन ऑवर के बाद बोलिये।

श्री सुरेश रामराव जाधव : सर, यह बहुत सीरियस मामला है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, अभी आप बैठ जाइये, बाद में बोलिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि वे अपनी–अपनी सीट पर बैठें। कितनों दिनों तक हम प्रश्नकाल से वंचित रहेंगे ? आज छठा दिन है। कृपया समझने का प्रयत्न कीजिए।

(व्यवधान)

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप के पास जो भी मुद्दे हैं, आप प्रश्नकाल के बाद उन्हें उठा सकते हैं, अभी नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है सभा में आपको प्रश्नकाल की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अध्यक्ष महोदय, बाला साहेब ठाकरे को सुरक्षा मिलनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्नकाल के इच्छुक नहीं हैं ? कृपया मुझे बताइए कि आप प्रश्नकाल के इच्छुक हैं या नहीं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, हिन्दू नेता और शिव सेना प्रमुख, बाला साहेब ठाकरे को सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्नकाल के इच्छुक नहीं हैं ? यह क्या है ? प्रतिदिन आप यही कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको प्रश्नकाल के बाद ही अनुमति दूंगा। आप प्रश्नकाल, के बाद ही, जो मुद्दे उठाना चाहते हैं, उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री के. एच. मुनियप्पा (कोलार) : महोदय, यह संविधान से संबंधित मामला है। केन्द्रीय सरकार भी चिंतित है ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अध्यक्ष, महोदय ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, उन्हें क्यों अनुमति मिली है ? ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मैं शिव सेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की सुरक्षा के प्रति सदस्यों की चिंता में उनके साथ हूं। मैं इस मामले को माननीय गृह मंत्री के पास उठाऊंगा और महाराष्ट्र की राज्य सरकार से भी इस बात की जांच पड़ताल करूंगा कि असलियत में क्या हुआ था। पर हम चाहते हैं कि श्री बाला साहेब को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसके बाद अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, श्री प्रमोद महाजन, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो अभी वक्तव्य दिया और हमें आश्वासन दिया कि वे इस बारे में गृह मंत्री महोदय से बात करेंगे और शिव सेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी के सुरक्षा के मामले को उनके ध्यान में लाएंगे, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बारे में जल्दी बात करें और हमें भी बताएं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री माधवराव सिंधिया, आपका निवेदन क्या है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री सिंधिया को अनुमति दी है। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदय, यह मामला हमारे संविधान की मूल भावना पर चोट करता है और ये हमारे संसदीय लोकतंत्र की जड़ पर प्रहार करता है। हमने इसे स्थगन प्रस्ताव के द्वारा उठाया था। महोदय, आपने अपनी समझ से इसकी अनुमति नहीं दी। ...*(व्यवधान)* सरकार की ओर से निवेदन किया गया और आपने हमसे सहयोग का निवेदन किया। हमने सहयोग दिया। हमने यह सुनिश्चित किया कि रेलवे बजट में कोई बाधा न पहुंचे। हमने यह सुनिश्चित किया कि आम बजट में कोई बाधा न पहुंचे। परन्तु प्रत्येक बार हमने अपना वादा पूरा किया। उसके पश्चात् हमें किनारे धकेल दिया गया। आपने हमारे स्थगन प्रस्ताव को भी अनुमति नहीं दी। हमने उसे स्वीकार किया। अब हमने नियम 184 के अधीन चर्चा के लिए निवेदन किया है ...*(व्यवधान)* सरकार को नियम 184 के अधीन चर्चा के दौरान इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है ...*(व्यवधान)* यह मामला इतना मूलभूत है कि हम चाहते हैं कि भारत के सौ करोड़ लोगों को पता हो कि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक पार्टी का इस विशेष मामले में संसद में क्या सिद्धांत है। और यह केवल वोट द्वारा ही हो सकता

है न कि महत्त्वहीन–काल्पनिक भावणों या सभा में व्यक्त घिसी–पिटी बातों से। वोट द्वारा, भारत की जनता को पता चले कि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक पार्टी का सिद्धांत क्या है। यह वोट के मज़बूत सबूत के द्वारा ही होना चाहिए ...*(व्यवधान)* सरकार को कोई भी खतरा नहीं है। नियम 184 के अधीन, सरकार को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। ...*(व्यवधान)* लेकिन वे पीछे क्यों हट रहे हैं ? ...*(व्यवधान)* प्रत्येक पार्टी की स्थिति भारत के लोगों के समक्ष आनी चाहिए ...*(व्यवधान)* इसलिए, इसे नियम 184 के अधीन चर्चा के लिए लिया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, नियम के अनुसार, आप अपने विवेक से, ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार गोयल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य, संसद का समय जाया कर रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस के माननीय मित्रों के पास इसके अलावा अन्य ऐसा कोई मुद्दा सदन में उठाने हेतु बचा नहीं है। यदि वे इस विषय पर बोलना चाहते हैं, तो नियम 193 में बोल सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब श्री नरसिम्हा राव की सरकार बहुमत में नहीं थी, इसके बावजूद कि सरकार अल्पमत में है चार स्थगन प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था। यदि सरकार स्थगन प्रस्ताव हार जाती है तो, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। इसके बाद भी चार स्थगन प्रस्ताव स्वीकार हुए।

लेकिन अब, आपने इसे अमान्य कर दिया। हमने उसे स्वीकार किया। लेकिन आपको हमारे नियम 184 के अधीन चर्चा के निवेदन को अनुमति देनी चाहिए ताकि भारत के लोग यह जान सकें कि सभा में इस मूलभूत मामले जो हमारे संविधान की मूल भावना पर चोट करता है, के बारे में प्रत्येक राजनैतिक पार्टी की स्थिति क्या है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचंद पाल, आपका निवेदन क्या है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री रूपचंद पाल को अनुमति दी है।

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : हमने नियम 184 के अधीन चर्चा के लिए सूचना दी थी ताकि हम इस रा.स्व.सं के मामले पर यहां चर्चा कर सकें और विभिन्न राजनैतिक दल इस अति संवेदनशील और महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय मामले में अपने दृष्टिकोण को व्यक्त कर सकें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री रूपचंद पाल को अनुमति देता हूं।

श्री रूपचंद पाल : महोदय, नियम पुस्तिका में इस नियम 184 का प्रावधान है जिसके अधीन केवल ऐसे मामले पर ही चर्चा हो सकती है क्योंकि यह संवेदनशील और महत्त्वपूर्ण मामला है और संपूर्ण देश उत्सुकता से सभी राजनैतिक पार्टी और विभिन्न प्रतिनिधियों के जिनको उन्होंने इस पवित्र सभा में भेजा है उनके विचार जानने के लिए इंतजार कर रहे हैं।

महोदय, हमने अपने कार्य को संपन्न कर दिया। इस सरकार के बजट प्रस्तुतीकरण संबंधी निवेदन की प्रतिक्रिया के लिए हम ही जिम्मेदार हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : आम नागरिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है।...*(व्यवधान)* आम नागरिक का सवाल आर.एस.एस. का नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री रूपचंद पाल : हमने रेलवे बजट और केंद्र के सामान्य बजट के प्रस्तुतीकरण में सहयोग दिया। हमने इस सरकार और अध्यक्षपीठ के इस निवेदन को कि उन्हें सहयोग दिया जाए को पूर्ण किया। सरकार सभा के कार्यवाही संचालन के लिए हमारा सहयोग नहीं चाहती है। सरकार इस सभा के विपक्ष को इस तरह दर–किनार नहीं कर सकती ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रकाश परांजपे : अध्यक्ष महोदय, यह इन लोगों का ड्रामा है। ...*(व्यवधान)* इनका पेपर में नाम आ जायेगा। ...*(व्यवधान)* हमें भी कुछ पूछना है। ...*(व्यवधान)* बजट के ऊपर बात करनी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको नहीं उन्हें अनुमति दी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रूपचंद पाल : सरकार इस सभा के विपक्ष को इस प्रकार

दर–किनार नहीं कर सकती। संपूर्ण विपक्ष यहां उपस्थित है और नियम 184 के अधीन चर्चा पर जोर दे रहे हैं। महोदय, हमने सूचनाएं दी थीं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, आर.एस.एस. के बारे में भी श्री माधव राव सिंधिया का पहला प्रश्न था। ...*(व्यवधान)* सरकार उसका जवाब दे सकती थी। ...*(व्यवधान)* लेकिन छः तारीख को इनका मेला है इसलिए राजनीति कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। माननीय सदस्यो, अपना–अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल : हम नियम 184 के अधीन इस पर चर्चा की अनुमति का व्यग्रता से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार यह सभा चलने नहीं देना चाहती है और आपको सहयोग नहीं देना चाहती, महोदय ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, सरकार निरंतर अपना निर्णय बता रही है कि हम कोई भी मामला और प्रत्येक मामले पर यहां चर्चा करने के लिए तैयार हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय मंत्रीजी को अनुमति दी है। पहले, उन्हें सुनिए तो सही, कृपया उन्हें पूरा करने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है। उन्हें पूरा करने दीजिए।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, वे बोलना चाहते हैं, परन्तु उनमें मुझे सुनने का साहस नहीं है। ...*(व्यवधान)* महोदय, ये उनकी समस्या है। ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, लोगों को विभिन्न दलों द्वारा लिए गए निर्णय का पता होना चाहिए, अतः हम नियम 184 के अधीन चर्चा चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, यदि वे विभिन्न दलों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका किसी भी चर्चा के अधीन पता लगाया जा सकता है। महोदय, आपने नियम 193 के अधीन चर्चा की अनुमति दी है। चर्चा आरम्भ की जा चुकी है और इसे जारी रखा जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, सरकार के हठ के चलते हाउस नहीं चल रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इतनी जोर से मत बोलिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय ...

[हिन्दी]

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : अध्यक्ष महोदय, ये लोग आर.एस.एस. के नाम पर नाटक कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय ....

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, जब प्रमोद महाजन जी बोल रहे थे तब उन्हें किसी ने भी नहीं बोलने दिया। ...*(व्यवधान)* जब यह बोलते हैं तो सब बैठ जायें, यह अपेक्षा की जाती है। ...*(व्यवधान)* आप हमारे मैम्बर को भी बोलने दीजिए ...*(व्यवधान)* उन्हें अपनी बात कहने दीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : पहले आप बोलिये, उसके बाद बोलेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, पिछली ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अल्वी (अमरोहा) : यह अपनी ही सुना रहे हैं, हमारी नहीं सुन रहे। ...*(व्यवधान)* आप हमारी बात भी सुनिये। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, एक दिन जब यह मुद्दा स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत उठाया गया था तो आपने अपने विवेक से नियम 56 के अधीन स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी थी।

तब विपक्ष ने निर्णय लिया था कि इस पर नियम 184 के अधीन चर्चा की जाए और सरकार ने निर्णय लिया था कि केन्द्र सरकार की गुजरात सरकार द्वारा लिये गए निर्णय में कोई भूमिका नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुंशी कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंअर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : गुजरात सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने की इजाजत दी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री प्रमोद महाजन : भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से बार बार कहा है कि जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है हम भारत सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। जहां तक भारत सरकार की भूमिका का सम्बन्ध है हमने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है।

श्री माधवराव सिंधिया : यदि यह इस मुद्दे को आरम्भ कर रहे हैं तो हमारे तर्क भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित करने होंगे। सरकार की ओर से वे जानना चाहते हैं कि हम नियम 184 के अधीन यह चर्चा क्यों चाहते हैं। हमने उन्हें बताया कि हम नियम 184 के अधीन इस पर चर्चा की मांग क्यों कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : ये बार–बार उसी बात को कह रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : अनुच्छेद 256 और 257 के अधीन सरकार संबंधित राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। इस पर उच्चतम न्यायालय का विनिर्णय भी है।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मैं इसके गुणों पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि सरकार ने निर्णय लिया है और उसके पश्चात महोदय, आपने अपने विवेक से इसी सदन में नियम 184 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा को अस्वीकृत किया है ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, यह समय का दुरुपयोग कर रहे हैं हम भी अपनी राय दे सकते हैं कि हम नियम 184 के अधीन चर्चा क्यों चाहते हैं बात यह नहीं है आप उन्हें बता सकते हैं हमको उनसे अधिक संविधान के बारे में पता है।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, भा.क.पा. मार्क्सवादी दल और समाजवादी दल के नियम के अधीन चर्चा के लिए सूचनाएं दी थीं और आपने नियम 193 के अधीन चर्चा की अनुमति दी। चर्चा इस सदन में आरंभ भी हो चुकी है और श्री किरीट सौमैया का भाषण अधूरा है। फिर भी, विपक्ष सदन की कार्यवाही में बाधा करके सभा का कीमती समय बेकार में खर्च कर रहा है। मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि नियम 193 के अधीन चर्चा जो सभा में पहले ही आरम्भ हो चुकी है इसको नियम 184 के अधीन बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता है .. .*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री के हस्तक्षेप ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, ऐसे कैसे पार्लियामेंट चलेगी। जब सोमनाथ बाबू बोलेंगे तो सब चुप हो जाएंगे ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए कि वह वरिष्ठ सदस्य हैं। यह क्या है ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने तो आपकी बात सुनी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए कि मैंने उन्हें अनुमति दी है। वह एक वरिष्ठ सदस्य हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह वरिष्ठ सदस्य है और मैंने उन्हें अनुमति दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सदस्यो कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री सोमनाथ चटर्जी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मि. विजय गोयल, आप बैठ जाइए प्लीज।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से डरे हुए हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : हाउस का टाइम खराब किया जा रहा है। इनके पास कोई नया इश्यू नहीं है, कोई नया आर्गूमेंट नहीं है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय गोयल, मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को अनुमति दी है। वह वरिष्ठ सदस्य है कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, यह अच्छा नहीं है। आप बैठ जाइए, प्लीज।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश परांजपे : ये लोग शोर मचाने के अलावा कुछ भी नहीं करते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : हाऊस तो बोलना चाहता है बोलने के लिए हम उचित अवसर चाहते हैं ...*(व्यवधान)* क्या यह हमारा अपराध है ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधव : उड़ीसा और बिहार में आर.एस.एस. के ऊपर नतीजा आ गया है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह वरिष्ठ सदस्य हैं कृपया उनका सम्मान कीजिए। यह क्या है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मुझे खेद है कि मैं उनके ऊंचे स्वर का मुकाबला नहीं कर सकता। ...*(व्यवधान)* महोदय, चूंकि आपने मेरा नाम पुकारा है। मैं अपना अधिकार नहीं छोड़ूंगा ...*(व्यवधान)* हर चीज की सीमा होती है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आशा करता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री ने अपने समर्थकों को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : मैं उन्हें किस प्रकार नियंत्रित कर सकता हूं ...*(व्यवधान)* क्या आप वह नियंत्रण चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : आप उन पर नियंत्रण क्यों नहीं रखते हैं ...*(व्यवधान)*

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : आप अपने लोगों को नियंत्रित क्यों नहीं करते ? ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसका अर्थ है हम विपक्ष को बोलने तक का अवसर नहीं दें ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : इस प्रकार से नहीं चल सकता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.22 बजे

(इस समय श्री अनिल बसु, श्री तरित बरण तोपदार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

अध्यक्ष महोदय : यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापस चले जाइए।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

इंडियन एअरलाइन्स की आय

*** 101. श्रीमती शीला गौतम :**

श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998–99 और 1999–2000 के दौरान इंडियन एअरलाइन्स की अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों से देश में कुल कितने यात्री आए और कितना सामान लाया गया;

(ख) इंडियन एअरलाइन्स को कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ;

(ग) क्या इंडियन एअरलाइन्स अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एअरलाइनों से संतोषजनक ढंग से प्रतिस्पर्धा कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स की अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों से लाये गये यात्रियों की कुल संख्या और सामान की मात्रा (निःशुल्क तथा अधिक सामान) तथा इस पर अर्जित राजस्व के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

	वर्ष	1998–99	1999–2000 जनवरी 2000 तक
1.	यात्रियों की संख्या (मिलियन में)	0.577	0.523
2.	सामान की मात्रा (निःशुल्क और अधिक सामान) (टनों में)	15,504	13,506
3.	कुल अर्जित राजस्व (करोड़ रुपयों में)	436.20	418.44

(ग) और (घ) जी, हां। उन मार्गों पर जहां इंडियन एयरलाइन्स अन्तर्राष्ट्रीय सेवाएं प्रचालित करती है, वाहित यात्रियों की मार्किट हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है जो 1998–99 के दौरान 23.1 प्रतिशत से बढ़कर 1999–2000 (31 दिसम्बर, 1999 तक) 26.1 प्रतिशत हो गयी है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

सामान की चोरी

*** 102. श्री राम टहल चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों और विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर प्रायः सामान की चोरी की घटनाएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष जोन–वार कितना मुआवजा दिया गया;

(ग) इस संबंध में जोन–वार कितने रेल अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार के अपराधों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, हां। बहरहाल, पुलिस व्यवस्था करने का विषय एक राज्य विषय होने के नाते चलती गाड़ियों और रेलवे परिसरों में यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा करना संबंधित राज्य सरकार का सांविधिक दायित्व है जिसका निर्वाह वे अपनी राजकीय रेलवे पुलिस (रा.रे.पु.) के माध्यम से करती हैं। रेलों पर होने वाले अपराधों की सूचना राजकीय रेलवे पुलिस को दी जाती है और उनके द्वारा इन्हें दर्ज किया जाता है तथा इनकी छानबीन की जाती है।

(ख) क्षेत्रीय रेलों के मुख्य सुरक्षा आयुक्तों/रेल सुरक्षा बल (रे.सु.ब.) के माध्यम से संबंधित राजकीय रेलवे पुलिस प्राधिकारियों से एकत्रित की गई सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। यात्री के बिना बुक किए गए सामान की चोरी होने पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है, चाहे यह स्टेशन पर हुई हो या गाड़ी में। बहरहाल, रेलवे कर्मचारी यात्रियों के चोरी गए सामान को बरामद करवाने में राजकीय रेलवे पुलिस के साथ सहयोग करते हैं और कई मामलों में चोरी गए सामान के असली मालिकों को उनका सामान लौटाया भी गया है।

(ग) हालांकि, यात्रियों द्वारा स्वयं अपने साथ ले जाए जाने वाले सामान की चोरी होने से रोकने अथवा उसे ढूंढ निकालने की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकार की होती है फिर भी, यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा के समग्र हितों को ध्यान में रखते हुए उन रेल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है जिनके विरुद्ध अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने के विशिष्ट आरोप पाए जाते हैं। ऐसी की गई कार्रवाई का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों के अलावा रेल प्रशासन राजकीय रेलवे पुलिस की सहायता करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहा है :

1. हाल ही में रेल मंत्री द्वारा राज्यों के प्रमुख सचिवों और महानिदेशकों की बैठक आयोजित की गई थी। गाड़ियों और रेल परिसरों में अपराधों की रोकथाम में राजकीय रेलवे पुलिस और रेल सुरक्षा बल की कारगरता को बेहतर बनाने के लिए उपाय सुझाने हेतु रेलवे और राज्य सरकारों के पदाधिकारियों की एक उच्च स्तरीय संयुक्त समिति का गठन किया गया है।

2. रेल सुरक्षा बल द्वारा रेल परिसरों और गाड़ियों से असामाजिक तत्त्वों को हटाया जा रहा है।

3. सवारी डिब्बा परिचरों/चल टिकट जांच परीक्षकों द्वारा सवारी डिब्बों में प्रवेश करने /उतरने वाले यात्रियों पर उपयुक्त निगरानी रखी जा रही है और सवारी डिब्बों को उनके चालन के दौरान विशेषकर रात्रि में सही तरीके से बंद रखा जाता है।

4. यात्रियों को उनकी शिकायत तत्काल दर्ज कराने के काम को आसान बनाने के लिए गाड़ी के गार्डों/स्टेशन मास्टरों/रेल सुरक्षा बल को प्रथम सूचना रिपोर्ट के फॉर्म उपलब्ध कराए जाते हैं।

5. रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस के बीच सभी स्तरों पर विशेष आसूचना और अपराध सूचना का आदान–प्रदान किया जा रहा है।

6. यात्रियों को उनके सामान की चोरी न होने देने हेतु सतर्क करने के लिए महत्त्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर जन उद्घोषणा प्रणाली और क्लोज्ड सर्किट टी. वी. के माध्यम से उद्घोषणा की जाती है।

7. यात्रियों को राजकीय रेलवे पुलिस आदि के पास उनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में सहायता करने के लिए महत्त्वपूर्ण स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल सहायता चौकियां स्थापित की गई हैं।

8. उपयुक्त निवारक उपाय करने की दृष्टि से रेलों पर अपराध की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस के साथ आवधिक उच्च स्तरीय समन्वय बैठकें की जा रही हैं।

9. यदि राज्य सरकार चलती गाड़ियों में चल चौकियां स्थापित करना चाहती हैं तो उसे स्थान आदि जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती हैं।

विवरण

(रेलवे जोन–वार)

रेलवे	अवधि के दौरान मामलों की संख्या	
	1998	1999
मध्य	1633	1964
पूर्व	961	1302
उत्तर	4367	3266
पूर्वोत्तर	122	186
पूर्वोत्तर सीमा	113	117
दक्षिण	487	303
दक्षिण मध्य	661	676
दक्षिण पूर्व	965	786
पश्चिम	3570	1462
जोड़	12879	12978

[*अनुवाद*]

आयुध कारखानों का उत्पादन

*** 103. श्रीमती रानी नरह :**

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारगिल संकट के दौरान उत्पादन दोगुना करने के लिए आयुध कारखानों ने अधिक समय तक काम किया था;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कारखाने का सामान्य उत्पादन कितना है और इसमें किस सीमा तक बढ़ोत्तरी की गई;

(ग) क्या इन आयुध कारखानों ने कारगिल संघर्ष के दौरान उपयोग किए गए हथियारों और गोलाबारूद की कमी को पूरा करने के लिए निरंतर काम करना शुरू कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो आयुध कारखानों ने हथियारों और

गोलाबारूद के उत्पादन की पहले जैसी मूल स्थिति को किस सीमा तक बहाल कर दिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़) : (क) से (घ) रक्षा सेनाओं ने कारगिल संक्रिया के दौरान आयुध निर्माणियों के समक्ष गोलाबारूद, केबलों और कपड़ों की चुनिंदा मदों की बढ़ी हुई आवश्यकता प्रस्तुत की थी। इस बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए संबंधित आयुध निर्माणियों ने समयोपरि कार्य किया और कार्य–बल का पुनः नियोजन भी किया। तत्पश्चात् वर्ष 1999–2000 में इन मदों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई और इसके वर्ष 1998–99 में गोलाबारूद की मदों के उत्पादन की तुलना में 33% से 900%, कपड़ों की मदों के लिए 20% से 108% और केबलों की मदों के लिए 76% से 233% तक अधिक होने की आशा है।

इसके परिणामस्वरूप, रक्षा सेवाओं को आयुध निर्माणियों द्वारा जारी निर्मित मदों की समग्र कीमत में वर्ष 1998–99 की तुलना में वर्ष 1999–2000 में 35.65% की वृद्धि होने की संभावना है।

वर्ष 1999–2000 के दौरान आयुध निर्माणियों ने जितना उत्पादन किया है उसका लगभग उतना ही स्तर आगामी वित्त वर्ष में भी बनाए रखा जाएगा ताकि रक्षा सेनाओं की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

हवाई अड्डों के आस-पास सुरक्षा संबंधी समिति

*** 104. श्री जी.एस. बसवराज :**

श्री नरेश पुगलिया :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एअरलाइन्स के वायुयान का अपहरण और वायुयान में सवार यात्रियों को 48 घंटे से अधिक समय तक बंधक बनाए रखने के बाद वर्ष 1984 में गठित समिति ने संवेदनशील पाए गए हवाई अड्डों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव दिए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक सिफारिश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां। सीमा सुरक्षा बल के तत्कालीन महानिदेशक, श्री एम.सी. मिश्र की अध्यक्षता में 1985 में एक समिति का गठन किया गया था।

(ख) समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार है:–

1. हवाई अड्डों पर सुरक्षा और अपहरण–विरोधी कार्यकलापों का निर्वाह करने के लिए एक केन्द्रीय विमानन सुरक्षा पुलिस की स्थापना;

2. नागर विमानन सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों पर कार्यवाही करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय के अधीन एक केन्द्रीय विमानन सुरक्षा निदेशालय की स्थापना;

3. अंतर्राष्ट्रीय और अन्य संवेदनशील हवाई अड्डों पर बम खोजी और निपटान दस्ते की स्थापना;

4. हवाई अड्डों पर कार्यरत हवाई अड्डा सुरक्षा कार्मिक, एयरलाइन स्टाफ और अन्य एजेंसियों को बुनियादी और पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ग) समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया था और उन पर निम्न कार्रवाई की गई है :

(i) वित्तीय कठिनाइयों के कारण केन्द्रीय विमानन सुरक्षा पुलिस की स्थापना सम्भव नहीं हो पायी है। लेकिन आईसी–814 के अपहरण की घटना के बाद यह निर्णय किया गया है कि प्रथम चरण में सभी प्रचालनात्मक अंतर्देशीय हवाई अड्डों पर सुरक्षा ड्यूटी से राज्य पुलिस के स्थान पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को तैनात किया जाए। सीआईएसएफ ने जयपुर, गुवाहाटी, बडोदरा और पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डों पर सुरक्षा डयूटी को पहले ही सम्भाल लिया है।

(ii) नागर विमानन मंत्रालय के अधीन नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो नामक एक अलग सम्बद्ध कार्य की स्थापना की गई है।

(iii) दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, चैन्नई तथा श्रीनगर हवाई अड्डों पर बम खोजी तथा निपटान दस्तों की स्थापना की गई है।

(iv) हवाई अड्डा सुरक्षा कार्मिकों, एयरलाइन स्टाफ आदि के प्रशिक्षण के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

[हिन्दी]

इंडियन एअरलाइन्स और एअर इंडिया में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

*** 105. श्री पी. आर. खूंटे:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एअरलाइन्स और एअर इंडिया अपने

कर्मचारियों को लम्बी छुट्टी पर जाने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए दबाव डाल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में तैयार की गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एअरलाइन्स और एअर इंडिया की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु कोई ठोस कदम उठाए गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) एअर इंडिया ने अपने वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं;

(1) अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए मार्केटिंग प्रयासों को तेज किया गया है, (2) मार्ग लाभप्रदत्ता पर जोर देते हुए नेटवर्क युक्तिकरण तथा समेकन करना, (3) देश के भीतर ही अधिकांश मरम्मत कार्य करते हुए विदेशों में विमानों की मरम्मत पर किए जा रहे व्यय में कमी करना, (4) विदेशों में स्थित भारतीय अधिकारियों के कुछ पदों को समाप्त कर दिया गया है, (5) गैर प्रचालनात्मक श्रेणियों की बाहरी भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाना, (6) दो स्वैच्छिक योजनाएं अधिसूचित की गई हैं यथा छोटा कार्य सप्ताह दो वर्षों के लिए तथा बिना वेतन/भत्ते की छुट्टी जिसे पांच वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, (7) सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से पुनः 58 वर्ष करना, (8) आटोमेटिड राजस्व उपलब्धि प्रबन्ध प्रणाली लागू करना तथा विज्ञापन और प्रचार बजट में कमी लाना।

अपनी वित्तीय स्थिति में और आगे सुधार लाने के लिए इंडियन एयरलाइन्स ने विभिन्न उपाय किये हैं जैसे विमान की बढ़ी हुई उपयोगिता, आर्थिक तथा यातायात मांग के मापदंड के आधार पर क्षमता को लगाना मार्केटिंग पहल, उपभोक्ता सेवाओं में सुधार तथा पूंजीगत व्यय इत्यादि पर रोक जैसे व्यय को कम करने के लिए लागत कटौती के विभिन्न उपाय करना।

[*अनुवाद*]

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

*** 106. श्री कोडीयुनील सुरेश** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन और समुचित निगरानी के लिए राज्य सरकारों को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों और समवर्ती मूल्यांकन के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) विभिन्न कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों, जिनमें पुनर्गठित कार्यक्रमों जैसे स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के लिए वर्ष 1999-2000 के दौरान जारी किए गए दिशा-निर्देश भी शामिल हैं, में कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए प्रावधान किए गए थे। इनमें आवधिक रिपोर्टों, खण्ड/जिला/राज्य स्तरीय स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समितियों के रूप में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए समन्वय प्रणाली और कार्यों के निरीक्षण के लिए कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया है। इनके अलावा इस मंत्रालय ने राज्य, जिला और खण्ड स्तरों पर सतर्कता और निगरानी समितियां गठित करने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसकी विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए समय-समय पर बैठकें होती हैं।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान इस मंत्रालय ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इन्दिरा आवास योजना और दस लाख कुओं की योजना का समवर्ती मूल्यांकन किया है और 9 प्रभावी मूल्यांकन अध्ययन भी किए हैं। यद्यपि इन्दिरा आवास योजना और दस लाख कुओं की योजना के समवर्ती मूल्यांकन की रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों के मुख्य निष्कर्ष संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1995-96 के दौरान कराए गए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन के मुख्य निष्कर्ष :

1. प्राथमिक क्षेत्र में 72.80 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र में 78.81 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र में 71.82 प्रतिशत लाभार्थियों (नए और पुराने दोनों) ने बताया कि परिसम्पत्तिगों की खरीद के लिए सहायता (सब्सिडी और ऋण) पर्याप्त है।

2. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की परिसम्पत्तियों से पुराने लाभार्थियों की औसत शुद्ध आय सभी क्षेत्रों को मिलाकर 2498 रुपए बताई गई थी और यह तृतीयक क्षेत्र के लिए 3328 रुपए और प्राथमिक क्षेत्र के लिए 1903 रुपए थी।

3. 94.47 प्रतिशत पुराने लाभार्थियों, जो परिसम्पत्तियों का उत्पादक उपयोग कर रहे थे, ने बताया कि उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी या अच्छी है।

4. 87.38 प्रतिशत नए लाभार्थियों ने बताया कि परिसम्पत्तियों का उत्पादक उपयोग किया जा रहा है।

5. 84.96 प्रतिशत पुराने लाभार्थियों ने 6400 रुपए की पूर्ववर्ती गरीबी रेखा पार कर ली जबकि उनके 46.34 प्रतिशत ने 11000 रुपए की संशोधित गरीबी रेखा पार की।

6. 82.85 प्रतिशत अनुसूचित जाति के पुराने लाभार्थियों ने 6400 रुपए की पूर्ववर्ती गरीबी रेखा पार की जबकि उनके 39.12 प्रतिशत ने 11000 रुपए की संशोधित गरीबी रेखा पार की।

7. 83.06 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के पुराने लाभार्थियों ने 6400 रुपए की पूर्ववर्ती गरीबी रेखा पार की जबकि उनके 33.65 प्रतिशत ने 11000 रुपए की संशोधित गरीबी रेखा पार की।

8. बी.पी.एल. सर्वेक्षण में गरीबी रेखा से नीचे के पहचाने गए लगभग 40 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति (22.35 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजाति (17.37 प्रतिशत) वर्गों से हैं।

9. केवल 26.36 प्रतिशत लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया गया था जबकि 55.74 प्रतिशत लाभार्थी ग्राम/खण्ड अधिकारियों द्वारा चुने गए थे।

10. 21.64 प्रतिशत पुराने और नए परिवारों ने बताया कि स्कूल जाने की उम्र वाले बच्चे परिवार को राहारा देने के लिए काम कर रहे हैं।

प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन

प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों के मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं :

1. परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए सहायता प्राप्त करने वाले अधिकांश लोग योजना से लाभप्रद आय प्राप्त कर रहे थे।

2. रोजगार के दिनों और आय में वृद्धि के परिणामस्वरूप भोजन की मात्रा में वृद्धि हुई है।

3. कार्मिकों और संसाधनों की कमी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में एक प्रमुख बाधा है।

4. लक्षित समूह गांवों में बेहतर जीवन स्तर का लाभ उठा रहा है जिससे पता चलता है कि गरीब लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में इन कार्यक्रमों का प्रभाव विगत समय में अच्छा रहा है।

5. लाभार्थियों के चयन, रिकार्डों के रखरखाव और आंकड़ा आधारों के रखरखाव में पारदर्शिता में सुधार की आवश्यकता है।

6. अनेक समस्याओं के बावजूद गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा। सभी ने बताया कि थोड़ा–थोड़ा करके ही सही लेकिन पिछले तीन वर्षों में गांवों में निश्चित रूप से प्रगति हुई है, विशेष रूप से सड़कों, जल स्रोतों, विद्यालय जैसे आवश्यक भवनों, आदि जैसी सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन होने के कारण। मूलभूत आवश्यकताओं और अन्य घरेलू खर्चों को वहन करने की क्षमता में वृद्धि होने की रिपोर्ट भी मिली थी। अधिकांश मामलों में अतिरिक्त आय का उपयोग बच्चों की शिक्षा पर किया गया था। दस लाख कुओं की योजना के लाभार्थियों ने बताया कि फसल उत्पादकता में वृद्धि हुई है और कृषि आय में बढ़ोत्तरी हुई है।

7. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अधिकांश लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ। 43 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं थी। योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत लाभार्थियों ने कहा कि पेंशन का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया जाता है।

8. लाभप्रद परियोजनाओं चाहे वे लाभार्थियों के लिए हों या गांव के लिए, की पहचान के लिए व्यावसायिक और वास्तविक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

9. लाभार्थी विशेष रूप से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और डवाकरा के अंतर्गत लाभार्थियों को अपने उत्पादों की बिक्री करने में बहुत कठिनाई होती है। यह निर्मित उत्पादों के गुणवत्तापूर्ण न होने के कारण है। ग्रामीण उद्यमियों के अनुरूप उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाने और गुणवत्ता बनाए रखने के महत्त्व के बारे में लाभार्थियों में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।

10. विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत चुनी गई अधिकांश परियोजनाओं को अवैज्ञानिक तरीके से परियोजना लागत निर्धारित करने के कारण नुकसान होता है।

अपहरणकर्ताओं से निपटने हेतु विमान चालकों और चालक दल के सदस्यों को प्रशिक्षण देना

*** 107. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानों के अपहरण को ध्यान में रखते हुए विमान चालकों और चालक दल के अन्य सदस्यों को विशेष प्रशिक्षण देने पर सरकार ने कोई गम्भीर विचार किया है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में सेवानिवृत्त विमान चालकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं अथवा कोई उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो विमानों के अपहरण की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। तथापि, सरकार खुले दिल से इस संबंध में प्राप्त होने वाले सभी सुझावों का स्वागत करती है।

(ग) विमान यात्रियों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) पहले चरण में सभी चालू घरेलू हवाई अड्डों पर सुरक्षा ड्यूटियों के संबंध में राज्य पुलिस के स्थान पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) कार्मिकों की तैनाती। सीआईएसएफ ने पहले ही जयपुर, गुवाहाटी, बड़ोदरा तथा पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डों पर सुरक्षा ड्यूटियां संभाल ली हैं।

(ii) प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश के समय, यात्रियों तथा हैंड बैगेज की जांच–पड़ताल को और कड़ा कर दिया गया है। लेडर प्वाइंट पर दूसरी बार की जांच लागू कर दी गई है।

(iii) फोटो पहचान–पत्रों की व्यापक पुनरीक्षा तथा पास होल्डरों की संख्या प्रतिबंधित करने से हवाई अड्डों की पहुंच पर कठोर नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा रहा है तथा 31.3.2000 तक आगंतुकों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जा रहा है।

(iv) अतिरिक्त सुरक्षा सावधानी के बतौर यादृच्छिक रूप से उड़ानों में स्काई मार्शलों की तैनाती।

(v) सभी चालू हवाई अड्डों पर निर्धारित ऊंचाई तक चारदीवारी को ऊंचा उठाना।

(vi) पुरानी एक्सरे मशीनों को बदलना तथा जहां कहीं आवश्यक हो नई रंगीन एक्सरे मशीनों की संस्थापना करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कम–से–कम दो एक्सरे मशीनें प्रत्येक प्वाइंट पर उपलब्ध हैं।

(vii) हवाई अड्डों की सुरक्षा से सम्बद्ध तकनीकी ढांचे का चरणबद्ध ढंग से आधुनिकीकरण तथा स्तरोन्नयन कार्य किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर राज्यों में विमानपत्तनों का विकास

*** 108. श्री भीम दाहाल :** क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में विमानन सुविधाओं की स्थिति अत्यंत खराब है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में मौजूदा विमानपत्तनों का विकास करने और नए विमानपत्तन स्थापित करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(च) इन परियोजनाओं पर कुल कितना व्यय आएगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (च) हवाई अड्डों पर सुविधाओं का स्तरोन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है जिसे अनुसूचित एयरलाइनों की मांग और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 379 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अगरतला, डिब्रूगढ़, दीमापुर, गुवाहाटी, इम्फाल, जोरहाट, लीलाबाड़ी, सिल्चर, शिलांग (बारापानी), तेजपुर हवाई अड्डों के स्तरोन्नयन का कार्य हाथ में लिया है।

50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर के निकट एक हवाई अड्डे के निर्माण का एक प्रस्ताव है जो 50 सीटों वाले विमानों के प्रचालन के लिए उपयुक्त होगा। राज्य सरकार से परामर्श करके स्थल को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

20 सीटों वाले विमानों के प्रचालन के लिए मेघालय में तूरा पर 12.21 करोड़ रुपए की लागत से एक हवाई अड्डे का निर्माण चल रहा है। इसके पूरा होने की संभावित तारीख दिसम्बर, 2000 है।

97.50 करौड़ रुपए की अनुमानित लागत से लेंगपुई में एक नये हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है और इसे दिसम्बर, 1998 में चालू कर दिया गया है। टर्मिनल भवन के दिसम्बर, 2000 तक पूरा हो जाने की आशा है।

रक्षा भण्डागारों में अतिरिक्त कलपुर्जों का जमा होना

*** 109. प्रो. आर. आर. प्रमाणिक :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा भाण्डागारों में करोड़ों रुपये के अतिरिक्त कलपुर्जे जमा हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अतिरिक्त कलपुर्जों, उनके मूल्य और स्रोत का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अतिरिक्त कलपुर्जों की बिक्री से कितनी राशि प्राप्त हुई; और

(घ) नये माल का क्रयादेश देने से पूर्व इन अतिरिक्त कलपुर्जों के उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़): (क) से (घ) सशस्त्र बलों, आयुध निर्माणियों और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के पास हिस्से–पुर्जों और उपस्करों की वृहद मालसूची है जिसमें विविध किस्म के उपस्करों, हथियारों और हथियार–प्रणालियों की कई लाख श्रेणियां हैं। हालांकि उपस्करों के रख–रखाव और उनकी मरम्मत तथा ओवरहाल से जुड़ी सशस्त्र बलों की जरूरतें पूरी करने के लिए हिस्से–पुर्जों के ये भंडार आवश्यक हैं, फिर भी काफी संख्या में हिस्से पुर्जे भंडार में सुरक्षित कल–पुर्जों के रूप मे भी रहते हैं। उनकी संकल्पना से ही गियर बाक्स, प्रणोदक और शाफ्ट जैसे ये सुरक्षित हिस्से–पुर्जे प्लेटफार्म/पोत विशेष के लिए होते हैं और यदि इनके सेवाकाल के दौरान उनके खराब होने की स्थिति नहीं आती है तो ये हिस्से–पुर्जे स्वतः फालतू हो जाएंगे। सशस्त्र सेनाओं के पास रखे हिस्से–पुर्जों की मालसूची, आवश्यकता पर आधारित है क्योंकि सशस्त्र सेनाओं के लिए हिस्से पुर्जों की आवश्यकता निर्माताओं की सिफारिशों, हिस्से–पुर्जों की खपत/परिवहन पद्धति, मौजूदा भंडारण, आने वाले माल तथा अन्य संगत बातों पर विचार करने के बाद वार्षिक संभारिकी पुनरीक्षाओं के जरिए वैज्ञानिक तरीके से तैयार की जाती है। तथापि, खपत प्रणाली में मामूली–सा अंतर होने से अत्यंत वैज्ञानिक संभारिकी प्रक्रिया के अनुपालन के बावजूद भंडारों के कम अथवा अधिक प्रावधान किए जाने की संभावना बनी रहती है। खपत प्रणाली के ऐसे अंतरों पर अगली भंडारण पुनरीक्षाओं में विचार किया जाता है। तथापि, कुछ ऐसे हिस्से–पुर्जे, जो कुल माल सूची का एक छोटा हिस्सा है, को उनके शेल्फ/तकनीकी प्रयोग अवधि के समाप्त हो जाने के बाद अथवा प्रौद्योगिकी के पुराने पड़ जाने के कारण सेनाओं की आवश्यकताओं के लिए फालतू घोषित कर दिया जाता है और तद्नुसार उनका निपटान कर दिया जाता है।

सेना ने मालसूची को कंप्यूटरीकृत करने के लिए एक "कंप्यूटरीकृत मालसूची नियंत्रण परियोजना" आरंभ की है जो ऑनलाइन मालसूची प्रणाली के लिए एक पायलट परियोजना है। नौसेना ने व्यापक क्षेत्र वाले एक नेटवर्क–एकीकृत संभारिकी प्रबंधन प्रणाली का सृजन करके अपनी संपूर्ण क्रय–प्रक्रिया को स्वचालित कर दिया है। इसी प्रकार भारतीय वायुसेना ने "मालसूची सामग्री प्रबंधन ऑनलाइन" परियोजना शुरू की है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर रक्षा सेनाएं किफायत और कार्यकुशलता के साथ हिस्से–पुर्जों की समस्त मालसूची को कंप्यूटरीकृत कर चुकेंगी।

खन्ना समिति की सिफारिशें

*** 110. श्री वैको :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायमूर्ति खन्ना समिति ने रेलवे संरक्षा संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने सिगनलों, दूरसंचार और पटरियों के अनुरक्षण संबंधी कार्य का उन्नयन किये जाने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो संरक्षा मानदंडों को पूरा करने हेतु कितनी धनराशि अपेक्षित है;

(घ) यह धनराशि किस प्रकार जुटाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) खन्ना समिति की सिफारिशों के अनुसार संरक्षा मानदंडों को लागू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, हां। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना की अध्यक्षता में गठित रेल संरक्षा समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट का भाग–I प्रस्तुत कर दिया है। उनकी रिपोर्ट का भाग–II अभी प्राप्त नहीं हुआ है। रिपोर्ट का भाग–I (का अंग्रेजी और हिंदी पाठ) वर्तमान सत्र में संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) से (घ) समिति ने रिपोर्ट के भाग–I में रेलवे की कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर 150 सिफारिशें की हैं। समिति ने 2727

करोड़ रुपए की लागत पर तकनीकी उपकरणों को लगाए जाने तथा 15,000 करोड़ रुपए की लागत पर परिसंपत्तियों के नवीकरण की सिफारिश की है। इसके अलावा, समिति ने और भी सिफारिशें की हैं जिनके कोई वित्तीय फलितार्थ नहीं दर्शाए गए हैं। तकनीकी उपकरणों की व्यवस्था तथा परिसंपत्तियों के नवीकरण में सिगनलिंग, दूरसंचार तथा रेलपथ अनुरक्षण शामिल हैं।

समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे को 15,000 करोड़ रुपए के एकमुश्त अनुदान की व्यवस्था करे ताकि महत्त्वपूर्ण संरक्षा उपस्कर के बकाया नवीकरण के कार्य को निर्धारित समय–सीमा के भीतर पूरा किया जा सके। संरक्षा उपस्करों/प्रणालियों की व्यवस्था निधियों की उपलब्धता, केन्द्रीय सरकार से अनुदान के जरिए अथवा रेलवे द्वारा संसाधनों के आंतरिक सृजन पर निर्भर करेगी।

(ङ) यद्यपि, भारतीय रेलों को रेल संरक्षा समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर कोई विशिष्ट अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है तथापि उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत आगामी वर्षों के बजट में संरक्षा से संबंधित मदों के परिव्यय को उपयुक्त रूप से बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं।

25 फरवरी को लोक सभा में प्रस्तुत किए गए 2000–2001 के बजट प्रस्तावों में रेलपथ नवीकरण के लिए 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है, जो कि चालू वर्ष के दौरान संशोधित परिव्यय की तुलना में लगभग 27% अधिक है इसी प्रकार, सिगनल और दूरसंचार जो कि संरक्षा संबंधी एक अन्य मद है, के लिए उस परिव्यय का प्रस्ताव है जो चालू वर्ष के संशोधित परिव्यय की तुलना में लगभग 26% अधिक है। संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए यथोचित प्राथमिकता के आधार पर रेल संरक्षा समीक्षा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर कार्रवाई जारी रहेगी।

एअर इंडिया का अनुमानित लाभ

*** 111. श्री माधवराव सिंधिया :**

श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000–2001 हेतु एअर इंडिया की विमान यातायात, यात्रियों की संख्या और कार्गो में अनुमानतः कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान एअर इंडिया ने विमान यातायात में कितनी वास्तविक और वित्तीय उपलब्धि प्राप्त की है;

(ग) अनुमानतः संभावित वृद्धि प्राप्त करने के लिए कौन–से उपाय किये जा रहे हैं; और

(घ) वर्ष 1999–2000 के दौरान एअर इंडिया को अनुमानतः कितना लाभ/हानि होगी और 2000–2001 के लिये प्रत्याशित लाभ और अन्य लक्ष्य क्या हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) वर्ष 2000–2001 में इसके प्रचालनों में सुधार और युक्तिकरण, बेहतर दक्षता बनाने और समग्र भार गुणक में वृद्धि पर जोर दिया गया है।

(ख) अप्रैल/नवम्बर, 1999 की अवधि के दौरान, एअर इंडिया ने 68.8 प्रतिशत का यात्रा भार गुणक प्राप्त किया और समग्र भार गुणक का 63.8 प्रतिशत प्राप्त किया। इसे 44.93 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(ग) प्रक्षेपित संवृद्धि प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :

अधिक लाभकारी मार्गों पर क्षमता को पुनः लगाना। इकॉनॉमी श्रेणी में और अधिक सीटों को जोड़कर बी747–400 विमान की सीट क्षमता में वृद्धि की गई है।

सेवानिवृत्ति की आयु घटाकर 58 वर्ष करके भारत और विदेशों में स्टाफ की संख्या में कमी करना तथा छोटे कार्य सप्ताह, बिना वेतन छुट्टी, प्रचालनात्मक क्षेत्रों इत्यादि में स्टाफ को पुनः लगाने जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन।

पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी भरतीय होटल निगम लि. में इसकी धारिता का विनिवेश।

– इसके फालतू तथा पुराने बी747–200 विमानों को बेचना।

स्वचालित राजस्व प्रबंधन प्रणाली (एआरएमएस) शुरू करना और विज्ञापन तथा प्रचार–प्रसार बजट में कटौती।

(घ) वर्ष 1999–2000 के लिए संशोधित बजट अनुमान के अनुसार, एअर इंडिया को 146.18 करोड़ रुपए (अनंतिम) का निवल घाटा होने का अनुमान है। वर्ष 2000–2001 के लिए बजटीय अनुमान को एअर इंडिया प्रबंधन द्वारा अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

सुरक्षा उपायों का क्रियान्वयन

*** 112. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने यह कहा है कि सुरक्षा उपायों से संबंधित प्रस्ताव केवल कागजों में ही रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी टिप्पणी के अनुसार पिछले बीस वर्षों में विभिन्न समितियों द्वारा चिन्हित चार महत्त्वपूर्ण सुरक्षा उपायों को अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(घ) इन चार महत्त्वपूर्ण सुरक्षा उपायों को लागू न करने के लिए कौन–से अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है; और

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है ?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) हालांकि, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 1999 की अपनी रिपोर्ट सं. 9 में यह उल्लेख किया है कि संरक्षा से संबंधित 4 महत्त्वपूर्ण उपायों को पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं कहा है कि संरक्षा उपाय केवल कागजों में ही रहते हैं।

(ग) से (ङ) संरक्षा उपकरणों को लगाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। सर्वप्रथम, परीक्षण के आधार पर सीमित मात्रा में त्रुटिहीन, चुराई न जा सकने वाली तथा समय की कसौटी पर खरी उतरी प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया जाता है। फील्ड में परीक्षणों में सफल पाए जाने के बाद उपकरणों/टैक्नोलॉजी को कार्यान्वित करने के लिए स्वीकृति दी जाती है। धनराशि की उपलब्धता तथा सापेक्ष प्राथमिकता के आधार पर इन परियोजनाओं को उत्तरोत्तर कार्यान्वित किया जाता है। बहरहाल, रेलपथ परिपथन, सहायक चेतावनी प्रणाली, गाड़ी ऐक्चुएटिड चेतावनी उपकरणों तथा गाड़ी रेडियो संचार आदि पर विशेष बल दिया गया है। गाड़ी परिचालनों से जुड़े सभी घटक विभागों द्वारा किए गए सामूहिक प्रयासों से ही अन्ततः संरक्षा स्थापित होती है। संरक्षा उपकरणों को स्थापित करने में होने वाले विलंब के लिए किसी व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

अधूरी पड़ी रेल परियोजनाएं

*** 113. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**

श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो निर्धारित समयावधि में पूरी नहीं की जा सकी हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) अपनी निर्धारित समय–सीमा से पिछड़ने के कारण इन परियोजनाओं की मूल लागत में परियोजना–वार कितनी वृद्धि हुई; और

(ग) उक्त परियोजनाओं की परियोजना–वार वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (ग) रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लक्ष्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। चालू वर्ष (1999–2000) में पूरी की जाने वाली लक्ष्यबद्ध परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :

परियोजना का नाम	मौजूदा स्थिति
1	2
नई लाइन	
काशीनगर–काकद्वीप नई लाइन	भूमि अधिग्रहण म विलंब के कारण जून, 2000 तक पूरा होने की संभावना है।
बोंगांव–पेट्रापोल नई लाइन	पूरी हो गई है।
गोलपाड़ा–कामाख्या नई लाइन	पूरी हो गई है।
पेद्दापल्ली–करीमनगर नई लाइन	31.3.2000 तक पूरा होने की संभावना है।
जरूरी–बांसपानी नई लाईन	भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण जून, 2000 तक पूरा होने की संभावना है।
कपड़वंज–मोडासा नई लाइन	जून, 2000 तक पूरी हो जाएगी। पटरियों की अनुपलब्धता के कारण विलंब।

1	2
आमान परिवर्तन	
पंढरपुर–कुर्डुवाडि	31.3.2000 तक पूरा होने की संभावना है।
नोनेरा–सियोनी	31.3.2000 तक पूरा होने की संभादना है।
काशीपुर–लालकुआं	31.5.2000 तक पूरा होने की संभावना है। कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याओं के कारण विलंब।
मुदखेड़–आदिलाबाद	इस परियोजना में विलंब हो गया है। यह कार्य बोल्ट के अंतर्गत किया जा रहा है और केवल वित्तपोषण की समस्याओं के कारण जिन्हें अब निपटाया जा चुका है। मार्च, 2001 तक पूरा होने की आशा है।
अरक्कोण्णम–चेंगलपट्टू	पूरी हो गई है।
येलहंका–यशवंतपुर	पूरी हो गई है।
मैसूर–हसन लाइन पर लक्ष्मणतीर्थ पुल का मार्ग परिवर्तन	इस परियोजना में संविदात्मक समस्याओं के कारण विलंब हो गया है और अब लगभग एक वर्ष के बाद पूरा होने की संभावना है।
मोरबी से मलिया मियाना और देहसाणा से नवलाखी	पूरी हो गई है।
धांगध्रा–कुडा	इस परियोजना में सह–भागीदारों से धन उपलब्ध न होने के कारण विलंब हुआ है। अब दिसंम्बर, 2000 तक पूरा होने की संभावना है।
गांधीधाम–भुज	इस परियोजना में पटरियों की अनुपलब्धता के कारण विलंब हुआ है। अब इसके जून, 2000 तक पूरा होने की संभावना है।

ये सभी परियोजनाएं मार्च, 2000 तक पूरा किए जाने के लिए निर्धारित थीं, लेकिन इनमें से कुछ परियोजनाओं में केवल कुछ महीनों का विलंब हो गया है। चूंकि सारी सामग्री की व्यवस्था की जा चुकी थी और संविदाएं पहले से ही बरकरार थीं, इसलिए इस वजह से लागत में कोई वृद्धि नहीं होगी।

[अनुवाद]

काठमांडू हवाई अड्डे पर सुरक्षा अधिकारी

*** 114. श्री एम.पी. चन्द्रशेखर मूर्ति**

श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाल सरकार से काठमांडू में अपने विमानों की उड़ान संबंधी व्यवस्थाओं आदि के पर्यवेक्षण हेतु इंडियन एअरलाइन्स को एक सुरक्षा अधिकारी तैनात करने की अनुमति दिए जाने का आग्रह करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में नेपाल सरकार से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नेपाल के महामहिम सरकार ने भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि वे प्राथमिकता के आधार पर त्रिभुवन विमानपत्तन पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है।

उन्नत जेट प्रशिक्षण विमान की खरीद

*** 115. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जनवरी, 2000 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एम. पीज" क्राई फाउल ओवर प्रोपोज्ड ए.जे. टी. डील" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कुछ संसद सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (जॉर्ज फर्नान्डीज़) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने कुछ संसद सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया है। उन्नत जेट प्रशिक्षण विमान को शामिल करने संबंधी कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति से रक्षा संबंधी स्थाई समिति को अवगत कराया गया है। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है कि भारतीय वायुसेना ने विभिन्न प्रकार के उपलब्ध उन्नत जेट प्रशिक्षण विमानों का तकनीकी मूल्यांकन किया है और भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यूनाइटिड किंगडम के हॉक और फ्रांस के अल्फा जेट को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प पाया है।

धन जुटाया जाना

*** 116. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई सहस्त्राब्दि के अवसर पर नीति संबंधी अनेक प्रमुख निर्णयों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या वित्तीय प्रभाव हैं; और

(ग) वित्तीय कमी के कारण धीमी गति से कार्यान्वित विभिन्न चालू प्रमुख परियोजनाओं से कितनी आय होती है और इस संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरा सभा पटल पर रखे गए बजट प्रलेखों में उपलब्ध है।

(ग) रेलों पर दो प्रकार की परियोजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। पहली तो वे हैं जो रेलों की वाणिज्यिक संभावनाएं बढ़ाने के लिए अपेक्षित हैं और दूसरी वे परियोजनाएं जो देश के सामाजिक और आर्थिक हित में वांछनीय हैं। पहली कोटि की परियोजनाओं के मामले में प्रतिफल की दर अकसर अधिक होती है, जबकि दूसरी कोटि में प्रतिफल की दर बहुत कम या ऋणात्मक होती है। भारतीय रेलें पूरी तरह से वाणिज्यिक आधार पर नहीं चलती हैं अत: कम या ऋणात्मक प्रतिफल की दर वाली परियोजनाओं को भी समायोजित करना पड़ता है जिन्हें ग्रामीण, दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के हित में वर्ष–दर–वर्ष आधार पर संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार चरणों में निष्पादित किया जाता है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की बाधाओं के भीतर रेलें सभी चालू परियोजनाओं की प्रगति के लिए यथासंभव भरपूर प्रयास करती है। बहरहाल, विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति धन की तंगी सहित विभिन्न तकनीकी गैर–तकनीकी और संभारतंत्र कारकों पर निर्भर करती हैं।

रेल पटरियों के साथ-साथ बाड़ लगाना

*** 117. श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादी हमलों को रोकने/उनका सामना करने के लिये जम्मू से पंजाब, राजस्थान और असम जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली रेल पटरियों के साथ–साथ कंटीले तारों की बाड़ लगाने का काम शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने सुरक्षा कारणों से रेलों को जम्मू से घगवाल तक रेलवे लाइन के दोनों ओर बाड़ लगाने की संभावना की जांच करने के लिए कहा था। 12.90 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर यह बाड़ लगाने का प्रस्ताव जम्मू और कश्मीर सरकार को उनकी स्वीकृति के लिए भेजा गया है। जहां तक पंजाब, राजस्थान और असम में रेलवे लाइनों के साथ–साथ बाड़ लगाने का संबंध है, इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जम्मू से घगवाल तक का कार्य जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने तथा उनके द्वारा आवश्यक धन मुहैया कराए जाने के बाद आरंभ किया जाएगा।

[हिन्दी]

विदेश स्थित पर्यटन कार्यालय

*** 118. श्री अरूण कुमार** :

श्री नवल किशोर राय :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित पर्यटन कार्यालयों के कर्मचारियों को वेतन, भत्तों आदि का भुगतान करने के लिये कितनी राशि खर्च की गई और उन कार्यालयों पर कितना विविध व्यय हुआ; और

(ख) इन कार्यालयों पर हुए व्यय की तुलना में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में उनका कार्य-निष्पादन कैसा रहा ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) वित्तीय वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान विदेश स्थित भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों पर वेतन आदि पर हुआ व्यय नीचे दिए गए अनुसार है :

वर्ष	वेतन	अन्य स्थापना खर्चे
	(रु. करोड़ों में)	
1997-98	4.78	6.10
1998-99	6.37	6.91

(ख) भारत में पर्यटन के संवर्धन में विदेश स्थित कार्यालयों की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका है। 1991 में पर्यटक आगमन, 16,77,508 था जो कि 1999 में बढ़कर 24,81,928 हो गया। वर्ष 1999 में वृद्धि, वर्ष 1998 के मुकाबले 5.2 प्रतिशत अधिक है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्/सलाहकार बोर्ड की सिफारिशें

***119. श्री कमलनाथ :**

डॉ. वी. सरोजा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् और इसके सलाहकार बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके क्या कृत्य हैं तथा इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ख) क्या बोर्ड ने देश के रक्षा बजट में वृद्धि करने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक वृद्धि करने की सिफारिश की गई है और उसे स्वीकार किया गया है;

(घ) परिषद् और बोर्ड द्वारा इनके गठन से लेकर अब तक कितनी बैठकें बुलाई गईं;

(ङ) उनमें दिए गए सुझावों की पृथक विस्तृत रूपरेखा क्या है; और

(च) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़) : (क) से (च) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का औपचारिक गठन 16 अप्रैल, 1999 को किया गया था। प्रधान मंत्री इसके अध्यक्ष और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सरकार को बाह्य सुरक्षा परिवेश तथा खतरे के परिदृश्य; परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष व उच्च प्रौद्योगिकी संबंधी सुरक्षा खतरों; विश्व अर्थव्यवस्था के रुझानों और ऊर्जा, विदेश व्यापार, खाद्य, वित्त तथा पारिस्थितिकी के क्षेत्रों में आर्थिक सुरक्षा संबंधी खतरों; प्रति-विद्रोह, प्रति-उग्रवाद तथा प्रति-आसूचना सहित आंतरिक सुरक्षा; देश में विशेषकर सामाजिक, साम्प्रदायिक अथवा क्षेत्रीयता के आयाम को लेकर उभरते झुकाव; सीमा पार से शस्त्रों, नशीली दवाओं व नारकोटिक्स की तस्करी जैसे अपराधों से उत्पन्न सुरक्षा संबंधी खतरों; और खुफिया सूचनाएं एकत्र करने के कार्य में समन्वय तथा खुफिया एजेंसियों को इस प्रकार से कार्य सौंपने के संबंध में परामर्श देती है ताकि राष्ट्र के लिए चिन्ता वाले क्षेत्रों में खुफिया तंत्र को केन्द्रित किया जा सके।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के एक संयोजक है तथा इसमें विदेशी मामलों, बाह्य सुरक्षा, रक्षा व सशस्त्र सेनाओं, सामरिक विश्लेषण, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आंतरिक सुरक्षा और संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त गैर सरकारी-विद्वान सम्मिलित हैं। बोर्ड, परिषद् को राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित ऐसे मामलों में सलाह देता है जो परिषद् द्वारा उसे सौंपे जाते हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों ने प्रधान मंत्री के साथ 8.6.1999 को हुई बैठक में उनसे विचार-विमर्श किया। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् और सामरिक नीति समूह के सदस्य भी उपस्थित थे। राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड ने तेरह पूर्ण अधिवेशन किए तथा उसके तहत कार्यरत उपसमूहों ने लगभग अस्सी बैठकें की। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड ने अलग से हुई विभिन्न बैठकों में कई विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा भारत का परमाणु सिद्धांत और सामरिक रक्षा समीक्षा के लिए प्रारूप पेपर संबंधी दो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् और इसके तहत कार्यरत उप समूह राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों और प्रयोजनों को सुरक्षित रखने और उनमें वृद्धि करने के लिए समन्वित सोच और देश के राजनीतिक, सैन्य, राजनयिक, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक संसाधनों के सुव्यवस्थित इस्तेमाल के लिए

प्रभावी माध्यम उपलब्ध कराते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड ने सामरिक रक्षा समीक्षा के एक भाग के रूप में रक्षा खर्च को अर्थव्यवस्था की सामर्थ्य सीमा तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया है।

सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियां बनाते समय और रक्षा के लिए बजट आबंटित करते समय अंतर मंत्रालयीय सहयोग और सरकारी तथा गैर सरकारी विशेषज्ञों के दृष्टिकोणों के समन्वय के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् और इसके तहत कार्यरत उप–समूहों के माध्यम से संकलित सूचनाओं को ध्यान में रखा जाता है।

होटलों की अधिभोग दर

*** 120. श्री सुबोध मोहिते :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) के होटलों में लगातार तीसरे वर्ष भी अधिभोग दर कम दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आई.टी.डी.सी. का अपने कुछ होटलों को गैर–सरकारी क्षेत्र को बेचने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस विषय में गैर–सरकारी क्षेत्र से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में अधिभोगिता वर्ष 1996–97 में 49 प्रतिशत से घट कर वर्ष 1998–99 में 37 प्रतिशत रह गयी। इसका मुख्य कारण था :

(1) व्यावसायिक पर्यटक आवागमन में कमी।

(2) सुदूर–पूर्व के देशों में मुद्रा का अवमूल्यन, जिसके कारण वहां की यात्रा अपेक्षाकृत सस्ती रही।

(3) निजी क्षेत्र द्वारा कीमतों में कमी।

(ग) से (ङ) विनिवेश आयोग की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(1) दिल्ली और बंगलौर जैसे प्रमुख स्थानों पर स्थित होटलों को एक स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से स्थापित होटल शृंखलाओं को सौंप दिया जाना चाहिए ताकि इन होटलों का संचालन पट्टा–सह–प्रबन्धन आधार पर किए गए दीर्घावधि करार पर किया जा सके।

(2) अन्य होटलों को पृथक निगमित इकाइयों में आमेलित कर दिया जाना चाहिए तथा नई कम्पनियों में विनिवेश उन कम्पनियों में शत–प्रतिशत सरकारी शेयरधारिता की बिक्री के माध्यम से किया जाएगा।

सरकार ने आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।

विनिर्माताओं के सामान की खरीद

1117. श्री रामसागर रावत : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री 23 दिसम्बर, 1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3586 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों और खरीद संबंधी वर्तमान प्रक्रिया की समीक्षा के उनके आश्वासन के बावजूद एन.सी.सी.एल द्वारा प्रसिद्ध विनिर्माताओं से खरीद न कर पाने के क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ एक स्वायत्तशासी सहकारी संगठन है और व्यापारिक एवं प्रशासनिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए इसका अपना निदेशक मंडल है। भारत सरकार इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। तथापि, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि वे विनिर्माताओं/वितरकों से अधिकांश ब्रांडयुक्त वस्तुओं की खरीद करते हैं। जिन वस्तुओं की खरीद के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ का विनिर्माताओं/वितरकों के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है, केवल उनकी खरीद उनकी दरों और गुणवत्ता के संबंध में निश्चय करने के बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ में पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से की जाती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने यह भी सूचित किया है कि उनके द्वारा की गई आपूर्ति संबंधी व्यवस्थाओं की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और जहां आवश्यक हो अच्छी किस्म की वस्तुओं की प्रतियोगी मूल्यों पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

नए सैनिक वाहनों के आवहन के ठेके

1118. श्रीमती जयश्री बनर्जी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए सैनिक वाहनों के आवहन हेतु ठेके दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुबंध–राशि पर कितना व्यय किया गया;

(ग) क्या सेना में वाहन चालकों की कमी है जिससे कि आवहन के लिए ठेके देने पड़े; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़) : (क) से (घ) सेना वाहन तीन स्रोतों अर्थात् आयुध निर्माणी बोर्ड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और ट्रेड (निजी क्षेत्र) से खरीदे जा रहे हैं। सभी स्रोतों से वाहनों को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा परेषिती डिपो में भेजना होता है।

निजी विक्रेताओं से वाहन संविदा की निबंधनों और शर्तों के अनुसार उनकी अपनी व्यवस्थाओं के अंतर्गत परेषिती डिपो तक भेजे जाते हैं।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड से वाहन रेल द्वारा सेना क्रेडिट नोट पर परेषिती डिपो तक भेजे जाते हैं। आयुध निर्माणी बोर्ड के मामले में अधिकांश वाहन सेना क्रेडिट नोट पर रेलवे द्वारा भेजे जाते हैं, तथापि कुछ वाहन आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा अपनी व्यवस्था के अंतर्गत सड़क द्वारा भी भेजे जाते हैं।

उक्त को ध्यान में रखते हुए इस उद्देश्य के लिए सेना चालकों का प्रयोग नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था का स्तर

1119. श्री ए. नरेन्द्र : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था विकसित देशों के हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था के समान है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विकसित देशों के हवाई अड्डों के समकक्ष सुरक्षा व्यवस्था करने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) भारत में विमानपत्तनों पर सुरक्षा प्रबन्ध अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन (शिकागो) 1944 के अभिसमय के अनुबन्ध 17 तथा अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन सुरक्षा मैनुअल में निर्धारित मानकों और सिफारिश की गई प्रक्रिया के अनुसार किये जाते हैं।

आयातित डीजल इंजन

1120. श्री मोहन रावले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आयातित डीजल इंजन को भारतीय रेल की शृंखला में शामिल कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संख्या क्या है और प्रत्येक इंजन की कीमत क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रति इंजन 1894170.00 (8.10 करोड़ रुपए) अमरीकी डालर की औसत पोत पर्यंत निशुल्क लागत पर मै. जनरल मोटर्स/यू एस ए से 21 अदद डीज़ल रेल इंजन (13 पूर्णतया असेम्बल किए गए और 8 अंशतः खुले हुए) आयात किए गए थे।

चंडीगढ़ में पर्यटन का विकास

1121. श्री पवन कुमार बंसल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ के एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) पर्यटक महत्त्व के स्थलों में पर्यटन का विकास मुख्यतया राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, उनसे विचार–विमर्श करके प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं/योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करवाकर उनके प्रयासों को सुदृढ़ बनाता है। तदनुसार, वर्ष 1999–2000 के लिए, 282.00 लाख रुपए की 8 परियोजनाएं/योजनाएं, चंडीगढ़ में पर्यटन के विकास के लिए अभिनिर्धारित की गई हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

1122. डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार से ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1999–2000 के लिए कितने प्रस्तावों की मंजूरी दी गई है; और

(घ) बिहार में क्रियान्वित किए जा रहे ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के कार्यान्वयन के लिए बिहार सरकार से 1999–2000 के दौरान वैशाली और धनबाद जिलों के लिए दो परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। परियोजनाओं में वैयक्तिक घरेलू शौचालयों का निर्माण, महिलाओं के लिए स्वच्छता परिसर और विद्यालय स्वच्छता आदि शामिल हैं। वैशाली और धनबाद जिलों के लिए क्रमशः 22.38 करोड़ रुपये और 14.27 करोड़ रुपये की कुल लागत के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं।

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विमानों की आंतरिक सज्जा में सुधार

1123. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने अपने विमानों को नया रूप देने के लिए उनकी आंतरिक सज्जा में परिवर्तन करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कुल कितना व्यय होगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) केबिन के भीत्तर सुखद और साफ परिवेश की व्यवस्था करने के लिए इंडियन एयरलाइन्स ने अपने ए 300 और बी 737 विमान बेड़े को सुसज्जित करने का कार्य पूरा कर लिया है।

(ग) इन विमानों को सुसज्जित करने में लगभग 3.5 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

[अनुवाद]

नैमित्तिक श्रमिकों का नियमितीकरण

1124. श्री एम. के. सुब्बा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा में वैधानिक अवरोध वाले दो वर्षों से अधिक से उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे में कितने ठेका श्रमिक कार्य कर रहे हैं; और

(ख) उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे में गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसे कितने श्रमिकों को नियमित किया गया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में कोई ठेका श्रमिक नहीं है बहरहाल, 30.4.1996 को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में 2975 नैमित्तिक श्रमिक थे, जो अब सभी नियमित कर दिए गए हैं। विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान नियमित किए गए ऐसे नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या के संबंध में वर्षवार आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

रोजगार आश्वासन योजना के अन्तर्गत रोजगार

1125. श्री टी. गोविन्दन: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रोजगार आश्वासन योजना के माध्यम से रोजगार पाने वाले बेराजगारों की राज्य–वार संख्या क्या है; और

(ख) 2000–2001 के दौरान इससे लाभान्वित होने वाले लोगों की अनुमानित संख्या क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत सृजित रोजगार के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 2000–2001 के दौरान लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि सुनिश्चित रोजगार योजना के लिए कितना आबंटन अनुमोदित किया जाता है।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सृजित रोजगार (लाख श्रमदिन)		
		96–97	97–98	98–99
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	437.35	488.26	370.67
2.	अरुणाचल प्रदेश	39.05	43.66	38.29
3.	असम	162.38	207.76	147.40

1 2	3	4	5
4. बिहार	324.49	420.45	400.89
5. गोआ	0.00	2.92	2.66
6. गुजरात	122.98	92.71	63.07
7. हरियाणा	24.10	20.18	18.02
8. हिमाचल प्रदेश	13.44	35.65	35.45
9. जम्मू व कश्मीर	91.64	132.17	69.37
10. कर्नाटक	314.18	349.41	292.41
11. केरल	28.76	47.26	55.75
12. मध्य प्रदेश	379.22	447.46	429.43
13. महाराष्ट्र	309.72	363.24	205.62
14. मणिपुर	16.72	15.38	16.97
15. मेघालय	5.90	7.72	10.34
16. मिजोरम	32.26	17.88	19.56
17. नागालैंड	72.65	104.54	51.59
18. उड़ीसा	439.36	382.14	340.14
19. पंजाब	NR	4.55	19.74
20. राजस्थान	212.65	250.06	209.61
21. सिक्किम	4.45	7.41	8.20
22. तमिलनाडु	468.42	558.28	457.09
23. त्रिपुरा	44.73	54.46	40.86
24. उत्तर प्रदेश	319.94	522.76	754.31
25. प. बंगाल	162.76	138.60	105.26
26. अ. व नि. द्वीप समूह	0.32	0.14	0.45
27. दादरा व न. हवेली	0.47	0.72	0.13
28. दमन व दीव	0.02	0.37	0.03
29. लक्षद्वीप	2.06	1.46	1.62
30. पांडिचेरी	NR	0.14	0.38
कुल	4030.02	4717.74	4165.31

[हिन्दी]

खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) आदेश का क्रियान्वयन

1126. श्री तूफानी सरोज : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा खाद्य तेल पेकेजिंग (विनियमन) आदेश का क्रियान्वयन किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनके द्वारा इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार अनेक राज्य सरकारों नामतः दिल्ली, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक और पांडिचेरी की सरकारों ने खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) आदेश, 1998 का पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से कार्यान्वयन आरंभ कर दिया है। आदेश के कार्यान्वयन हेतु राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

हवाई अड्डों पर प्रवेश पास

1127. श्री रामदास आठवले : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 जनवरी, 2000 के "दैनिक जागरण", नई दिल्ली में "हवाई अड्डे पर परिजनों के लिए प्रवेश पत्र बनाने में कायदे कानून की अनदेखी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसकी जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) अपहृत यात्रियों के रिश्तेदारों को अधिक संख्या में प्रवेश पासों को जारी करने से संबंधित समाचार पर जोर डाला गया है जिनमें से कुछ उनके रिश्तेदार नहीं थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अधिभारित माहौल में कुछ अयोग्य व्यक्तियों को प्रवेश

पास जारी किए जाने की संभावना को नगण्य नहीं समझा जा सकता है।

पंचायती राज अधिनियम में संशोधन

1128. प्रो. रासासिंह रावत : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) चूंकि पंचायती राज अधिनियम राज्य विधान हैं इसलिए केन्द्र सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

ए.टी.वी. की खरीद

1129. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "आल टेरेन व्हिकल्स" (ए. टी.वी.) की खरीद कर ली गई है ताकि सेना को लद्दाख क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर कारगर तरीके से पेट्रोलिंग करने में सक्षम बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कारगिल में तैनात सेना की टुकड़ियों को शीघ्र ही में ए.टी.वी. उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़) : (क) से (ग) बर्फ से ढके क्षेत्रों में सैनिकों को संभारिकी मुहैया करवाने के लिए 10 ऑल टैरेन व्हिकल्स (ए.टी.वी) खरीदने हेतु एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें से, अभी तक 3 ए. टी. वी. की सुपुर्दगी दी जा चुकी है और शेष 7 ए. टी. वी. की सुपुर्दगी अप्रैल, 2000 तक कर दिए जाने की आशा है। सुपुर्द किए गए ए. टी. वी. कारगिल में सैनिकों की सहायतार्थ लगाए गए हैं।

[हिन्दी]

मुरैना रेलवे स्टेशन पर मालगोदाम का निर्माण

1130. श्री अशोक अर्गल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य जोन में मुरैना रेलवे स्टेशन स्थित मालगोदाम बहुत छोटा और अपर्याप्त है;

(ख) क्या सिकरोदा स्टेशन पर नया मालगोदाम बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। मुरैना स्टेशन हाफ रेक प्वाइंट गुड्स शेड है और यह इकहरी लाइन जिसकी क्षमता 20 बाक्स मालडिब्बा की है, मालडिब्बामार तथा गाड़ीभार यातायात के लिए खोला गया है। इसके अतिरिक्त 12 बाक्स मालडिब्बा क्षमता ओपन शेड प्लेटफार्म पर उपलब्ध है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मुम्बई और बंगलौर के बीच विमान सेवा

1131. श्री चन्द्राकांत खैरे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुम्बई और बंगलौर के बीच विमान सेवा शुरू करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। मुम्बई और बंगलौर के बीच निम्नलिखित अनुसूचित विमान सेवाएं पहले से ही उपलब्ध हैं :

इंडियन एयरलांइस	4 उड़ानें दैनिक
जेट एयरवेज	2 उड़ानें दैनिक
सहारा एयरलाइंस	2 उड़ानें दैनिक

हिमाचल प्रदेश में रेलवे लाइन का सर्वेक्षण

1132. श्री विकास चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक हिमाचल प्रदेश में सर्वेक्षण की गई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से अब तक कार्यान्वित की जा चुकी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में सर्वेक्षणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं का सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) रेलवे परियोजनाएं जिनका स्वतंत्रता प्राप्ति से हिमाचल प्रदेश में सर्वेक्षण किया गया है, का ब्यौरा निम्न प्रकार हैं :

(1) रोपड़–ऊना

(2) जवांवल शहर–गुलेर (पुनः संरेखण)

(3) नंगल डैम–तलवाड़ा

(4) जगाधरी–पोंटा साहिब–राजबन

(5) कालका–तिपरा

(6) भान्पाली–बिलासपुर–रामपुर–बुशहर

(7) भान्पाली–बिलासपुर–बेरी

(8) कालका–कमली (परवानू)

(9) जोगिन्दर नगर–मण्डी

(ख) (1) रोपड़ से ऊना – अब यातायात के लिए खोल दिया गया है।

(2) नंगल डैम– तलवाड़ा खण्ड के उना–तलवाड़ा भाग पर कार्य प्रगति पर है।

(3) कालका–कमली (परवानू) : अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। भूमि का अधिग्रहण हो जाने और भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।

(ग) और (घ) हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित दो सर्वेक्षण प्रगति पर हैं :

(1) होशियारपुर से ऊना तक नई बड़ी लाइन के लिए दोह इंजीनियरी–एवं–यातायात सर्वेक्षण। सर्वेक्षण 31/3/2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(2) जोगिन्दर नगर से भानूपाली वरास्ता मण्डी विलासपुर बड़ी लाइन के विस्तार सहित पठानकोट–जोगिन्द नगर (कांगड़ा घाटी रेल लाइन) के आमान परिवर्तन का प्रारंभिक इंजीनियरी–एवं–यातायात सर्वेक्षण। सर्वेक्षण 31/1/2001 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

पूर्वोत्तर राज्यों हेतु रेल परियोजनाएं

1133. श्री अमर राय प्रधान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू जलपाईगुड़ी–न्यू बोंगईगांव रेल लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999–2000 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई है और अब तक क्या प्रगति हुई है तथा इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 69 करोड़ रुपये। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। यह परिचालनिक दृष्टि से अपेक्षित परियोजना है जिसे उच्च प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किया जा रहा है। पूरा करने की कोई निश्चित लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में सरकारी कोषागार से भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन

1134. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कोषागार से भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन का भुगतान बंद कर दिया है और विशेषकर उत्तरांचल क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिकों को पिछले चार या पांच महीनों से पेंशन नहीं मिली है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या पेंशन भुगतान की वर्तमान प्रक्रिया से पेंशन के भुगतान में असामान्य रूप से विलंब होता है और भूतपूर्व सैनिकों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले का शीघ्र हल निकालने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़) : (क) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी खजाने से पेंशन देना बंद नहीं किया है। उत्तरांचल क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों का नियमित तौर पर भुगतान किए जा रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खलासी के रिक्त पद

1135. श्री रवि प्रकाश वर्मा :

श्रीमती रीना चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान खीरी (लखीमपुर), लखनऊ, कानपुर, शाहजहांपुर, गोंडा और मनकापुर जंकशनों में खलासी के कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं; और

(ख) उक्त रिक्त पदों को कब तक भर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

यात्री-निवास का निर्माण

1136. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग का देश में और अधिक यात्री निवास खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो स्थल–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रेलों पर पर्यटन की दृष्टि से 100 स्टेशनों को बजट होटलों/रेल यात्री निवासों के निर्माण के लिए चुना गया है। स्थान–वार विवरण संलग्न है। अतिरिक्त यात्री निवास/होटलों की परियोजना निजी भागीदारी के तहत भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम द्वारा तैयार की जाएगी और इसके लिए रेलवे धनराशि नहीं मुहैया करायेगी।

विवरण

रेलवे होटल–प्रस्तावित स्थान

रेलवे	स्थान
1	2
मध्य	आगरा कैंट, मुम्बई, जलगांव, झांसी, लोनावाला, पुणे, सांची, ग्वालियर, भोपाल, वर्धा, मथुरा, मैथरन, नागपुर, सोलापुर
पूर्व	गया, हवड़ा, नालंदा, पटना, बोलपुर
उत्तर	अमृतसर, देहरादून, हरिद्वार, जैसलमेर, जम्मू तवी, लखनऊ, नई दिल्ली, ऋषिकेश, वाराणसी, इलाहाबाद, बीकानेर, चंडीगढ़, दिल्ली (ओखला), जोधपुर, कुरुक्षेत्र, पटियाला, शिमला, सोलन
पूर्वोत्तर	बलरामपुर, गोरखपुर, नौगढ़, राजगीर, रक्सौल, सारनाथ, काठगोदाम
पूर्वोन्तर सीमा	बारपेरा रोड, दार्जिलिंग, गुवाहाटी
दक्षिण	बेंगलूरु, कोचीन, कांचीपुरम, मैसूर, चेन्नई सेंट्रल, चेन्नै एग्मूर, मदुरै, पांडिचेरी, तंजावूर, तिरुच्चिरापल्ली, त्रिवेन्द्रम, रामेश्वरम, उद्गमंडलम, चिदंबरम, कोड्ईकनाल रोड, कोट्टायम, पिच्छावरम
दक्षिण मध्य	औरंगाबाद, बीजापुर, हासपेट, मडगांव, सिकंदराबाद, तालगुप्पा, बादामी, तिरुपति, वारंगल
दक्षिण पूर्व	भुवनेश्वर, पुरी, रांची, कटक
पश्चिम	आबू रोड, आगरा फोर्ट, अहमदाबाद, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, दादर, इंदौर, जयपुर, पालितना, साशीनगीर, उदयपुर, वेरावल, अजमेर, अलवर, भुज, भावनगर, द्वारका, जामनगर, कोटा, सवाई माधोपुर, सूरत, वडोदरा, पोरबंदर

पॉम ऑयल की मांग में कमी

1137. श्री किरीट सोमैया : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1999 और जनवरी, 2000 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु विभिन्न राज्यों से पॉम ऑयल की मांग में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कारण राज्य व्यापार निगम के किए आयातित 'आर.बी.डी. पॉम ऑयल' के भंडारण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण करने के लिए खाद्य तेलों के उठान में पिछले कुछ महीनों में कमी आई है। 24 फरवरी, 2000 को स्थिति के अनुसार राज्य व्यापार निगम के पास 35565

टन स्टाक पड़ा था। यह सरकारी खाते पर रखा है। सरकार देश में खाद्य तेलों के मूल्यों और उपलब्धता की कड़ाई से मानीटरिंग कर रही है जिसके प्रयोजनार्थ राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सरकार द्वारा उनका आयात किया गया है।

[हिन्दी]

नवी मुम्बई (पणवेल) के निकट अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

1138. श्री रामसेठ ठाकुर: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नवी मुम्बई विशेषकर पणवेल क्षेत्र के निकट अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस परियोजना से प्रभावित होने वाले पणवेल क्षेत्र के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ङ) : मुम्बई में दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की आवश्यकता और अवस्थिति (स्थान) की जांच करने के लिए अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अध्यक्षता में नवम्बर, 1997 में एक समिति गठित की गई है। समिति में महाराष्ट्र राज्य सरकार के प्रतिनिधि तथा मुम्बई के गणमान्य व्यक्ति शामिल हैं।

[अनुवाद]

प्रचालन हेतु छोटे हवाई अड्डों को खोला जाना

1139. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में बंद कर दिये गए छोटे हवाई अड्डों को निजी आपरेटरों के लिए प्रचालन और छोटे विमान उड़ाने हेतु खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जब और जैसे ही विमानकम्पनियां विमान सेवाओं के प्रचालन की इच्छा जाहिर करेंगी, विमानपत्तनों को प्रचालनात्मक बना दिया जायेगा।

रुग्ण चीनी मिलें

1140. श्री शिवाजी माने : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में चीनी मिलें रुग्ण हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रुग्ण मिलों के पुनरुद्धार हेतु और इन मिलों में कार्यरत कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) देश में चीनी मिलों को तीन क्षेत्रों में विभक्त किया गया है यथा सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्र। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण चीनी मिलें रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के तहत कवर होती है। बी. आई. एफ. आर. के अनुसार 30.11.1999 तक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की 42 रुग्ण चीनी मिलें उनके साथ पंजीकृत की गई हैं। 42 चीनी मिलों में से 4 चीनी मिलें अलग–अलग समयों में दो बार पंजीकृत की गई थी। इसके मद्देनजर, वास्तव में 38 चीनी मिलें ही बी.आई. एफ.आर. के साथ पंजीकृत हैं।

(ख) सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की 38 रुग्ण चीनी मिलों का राज्य–वार ब्यौरा निम्नलिखित है :

राज्य	पंजीकृत मामलों की संख्या
आंध्र प्रदेश	3
बिहार	3
कर्नाटक	5
मध्य प्रदेश	3
महाराष्ट्र	3
पंजाब	1
राजस्थान	1
तमिलनाडु	3
उत्तर प्रदेश	14
पश्चिम बंगाल	1
केरल	1
कुल	38

(ग) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एस आई सी ए) के अनुसार जब कोई औद्योगिक कम्पनी रुग्ण हो गई हो तो उस कम्पनी के निदेशक मंडल कम्पनी के संदर्भ में अपनाए जाने वाले उपायों के निर्धारण के लिए रुग्ण हुई कम्पनी के लेखा परीक्षित लेखा को अंतिम रूप देने की तिथि से 60 दिनों के भीतर बी.आई.एफ.आर. के सम्पर्क करेगा। जहां तक बी.आई.एफ.आर के साथ पंजीकृत रुग्ण मिलों में काम कर रहे कामगारों के पुनर्स्थापन का संबंध है, बी.आई.एफ.आर. द्वारा तैयार पुनर्स्थापन पैकेज उनके हितों का ध्यान रखता है।

सहकारी चीनी फैक्ट्रियां एस.आई.सी.ए. के अंतर्गत कवर नहीं होती है। सहकारी चीनी मिलों का कार्यकलाप सापेक्ष राज्य सरकार के अंतर्गत है। राज्य सरकारों को इन रुग्ण चीनी इकाइयों के कामगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पुनर्स्थापन स्कीमें तैयार करनी चाहिए।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें

1141. श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं जैसे सब्जियों, दाल, फल, ब्रेड, दूध, खाद्य तेल आदि के दामों में बहुत वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो आवश्यक वस्तुओं के दामों में वृद्धि को रोकने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) गत एक वर्ष के दौरान सब्जियों, दालों, फलों, ब्रेड, दूध और खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कोई असामान्य वृद्धि नहीं दिखाई दी। 12.2.2000 को समाप्त एक वर्ष की अवधि के दौरान इन मदों के थोक मूल्य सूचकांक के रुख, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, से यह पता चलता है कि इनके मूल्यों में या तो कमी हुई है या मामूली वृद्धि हुई है।

वस्तु	गत एक वर्ष के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिशत उतार–चढ़ाव (12.2.2000/13.2.1999)
सब्जी	–9.6
दालें	0.7
फल	–0.9
ब्रेड	5.4
दूध	4.8
खाद्य तेल	–19.0

(ख) सरकार ने देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने और उनकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए हैं। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुछ दीर्घकालिक उपायों के अतिरिक्त दालों जैसी कम आपूर्ति वाली वस्तुओं के आयात को शून्य प्रतिशत आयात शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रख दिया गया है। विभिन्न किस्मों के दालों की एक लाख मी.टन मात्रा का सरकारी खाते पर आयात किया गया है ताकि देश में उनकी उपलब्धता में वृद्धि की जा सके। प्याज के निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगा दिया गया है। चावल, गेहूं, पामोलीन और मिट्टी के तेल जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं की बाजार मूल्य से कम मूल्यों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केंद्रों के माध्यम से भी आपूर्ति की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा जमाखोरों, चोर बाजारियों और अनुचित व्यापारिक व्यवहारों में लिप्त अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जा रही है।

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग को धनराशि

1142. श्री चन्द्र विजय सिंह :

श्री जारबोम गामलिन :

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग को ऐतिहासिक महत्त्व के स्मारकों के रख–रखाव हेतु वार्षिक रूप से कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाती है;

(ख) क्या उक्त धनराशि पर्याप्त है और क्या लक्षित उद्देश्य के लिए इसका उचित उपयोग किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत, पिछले तीन वर्षों के दौरान, संरक्षित घोषित किए गए स्मारकों के रख–रखाव, संरक्षण, परिरक्षण तथा पर्यावरणीय विकास के लिए धनराशि का आबंटन इस प्रकार है :

1996–97 रु. 4888.03 लाख

1997–98 रु. 6465.90 लाख

1998–99 रु. 7440.99 लाख

चालू वर्ष के लिए आबंटन 8988.64 लाख रुपए का है।

(ख) भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण को उपलब्ध कराई गई धनराशि इसके विविध कार्यकलापों तथा उत्तरदायित्वों के अनुपात में नहीं है। उपलब्ध कराए गए आबंटनों का प्रयोग संरक्षित स्मारकों के रख–रखाव, संरक्षण तथा विकास के लिए किया जाता है।

(ग) यूनेस्को, राज्य सरकारों तथा इनके स्वायत्तशासी निकायों जैसी विभिन्न एजेन्सियों को विशेष स्मारकों के संरक्षण तथा विकास के लिए धनराशि प्रदान की गई है। इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय संस्कृति निधि के माध्यम से, कारपोरेट क्षेत्र से भी धनराशि प्राप्त की गई है।

चावल का आयात

1143. श्री राम सागर रावत : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाला चावल 50 प्रतिशत या उससे अधिक टूटा हुआ होता है और जब चावल की यही किस्म पाकिस्तान से आयात की जाती है तो वह व्यापारियों को अधिक सस्ती तथा आकर्षक लगती है जिससे वे देश के कुछ बाजारों को भर देते हैं;

(ख) क्या देश में चावल का भारी उत्पादन होने के बावजूद तटवर्ती राज्यों के व्यापारी निर्बाध रूप से पाकिस्तान से चावल का आयात कर रहे हैं;

(ग) पाकिस्तान से किस मूल्य पर चावल का आयात किया जा रहा है; और

(घ) चावल की वही किस्म किस मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जा रही है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) यह संभव नहीं है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आपूर्ति किए गए चावल की गुणवत्ता और मूल्य की तुलना पाकिस्तान से प्राइवेट व्यापारियों द्वारा आयात किए गए चावल से की जाए क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आपूर्ति किए गए चावल की एक समान विनिर्दिष्टियों में 50 प्रतिशत से कम टोटा चावल होता है।

वर्तमान आयात और निर्यात नीति के अनुसार चावल की साधारण और मोटी किस्में और 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक टोटे वाले चावल का आयात 27.5.1997 से मुक्त रूप से अनुमत है। 1997–98 और 1998–99 के दौरान पाकिस्तान से चावल का कोई आयात नहीं हुआ है। तथापि, 1999–2000 के दौरान अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार 31.1.2000 को स्थिति के अनुसार प्राइवेट व्यापारियों द्वारा पाकिस्तान से 83.75 लाख रुपये कीमत का 1037 टन चावल आयात किया गया है जो औसतन 808 रुपये प्रति क्विंटल बैठता है।

(घ) पाकिस्तान से आयातित चावल और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आपूर्ति किए जा रहे चावल की गुणवत्ता की तुलना नहीं की जा सकती। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आपूर्ति किए गए चावल के मौजूदा केंद्रीय निर्गम मूल्य निम्नानुसार हैं :

लाभभोगियों श्रेणी	चावल की किस्म		निम्न तारीख से लागू
	साधारण प्रति क्विंटल	ग्रेड–ए प्रति क्विंटल	
गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए	गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए जारी नहीं किया जाता	905 रुपये	29.1.1999
जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश उत्तर–पूर्वी राज्यों, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए	700 रुपये	905 रुपये	29.1.1999
	350 रुपये	350 रुपये	1.6.1997

आपदा प्रबन्धन इकाई का विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श

1144. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपदा प्रबन्धन इकाई ने दिसम्बर, 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान आई सी 814 के अपहरण के मामले में किसी सुरक्षा एजेंसी से परामर्श नहीं किया था जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस संकट की घड़ी में इन विशेषज्ञों को उचित महत्त्व न देने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) देश की प्रमुख सुरक्षा और आसूचना एजेंसियों के वरिष्ठतम अधिकारी संकट प्रबंध दल के सदस्य हैं और वे स्थिति से निपटने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

गुणवत्ता और मूल्य संबंधी निगरानी समिति

1145. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री सामग्री सस्ते के मूल्य के बारे में 12 दिसम्बर, 1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2500 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुणवत्ता और मूल्य नियंत्रण को प्रभावी बनाने का और एन.सी.सी.एफ. को प्रचालनात्मक बनाने के लिए निगरानी समिति गठित की गई है; और

(ख) उस समिति के सदस्य कौन–कौन हैं और इसके कार्य क्या हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि उन्होंने सरकारी विभागों को विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था की जांच करने के लिए एक मॉनीटरिंग समिति गठित कर ली है। इस समिति में राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के प्रबंधक (सतर्कता) उप प्रबंधक (लेखा और वित्त) तथा व्यापार प्रभाग के दो अधिकारी शामिल किए गए हैं।

[हिन्दी]

निजी एअरलाइंस द्वारा सुरक्षा मानकों का उल्लंघन

1146. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान निजी एअरलाइन्स कम्पनियों द्वारा सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किये जाने से संबंधित शिकायतें सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन निजी एअरलाइंस कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अरुणाचल प्रदेश में ऐतिहासिक स्मारकें

1147. श्री जारबोम गामलिन : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरुणाचल प्रदेश राज्य में कुल कितने ऐतिहासिक स्मारक हैं;

(ख) इनमें से कितने स्मारक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की देखरेख में हैं; और

(ग) राज्य में इन ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं जिनका बचाव भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा नहीं किया जा रहा है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) अरुणाचल प्रदेश में कुल आठ ऐतिहासिक स्मारक हैं। जिनमें से राष्ट्रीय महत्त्व के पांच स्मारक भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के संरक्षण एंव पर्यवेक्षण में हैं। शेष तीन स्मारकों का संरक्षण अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है।

(ग) राज्य द्वारा संरक्षित स्मारकों के किसी संरक्षण प्रस्ताव पर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा विचार नहीं किया जाता है।

तलचेर-बिमलागढ़ रेल लाइन का निर्माण

1148. श्री अनन्त नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तलचेर से बिमलागढ़ तक एक नई रेल लाइन के निर्माण और इसे उड़ीसा में बांसपानी तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह रेल लाइन कब तक बन जायेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) तालचेर से बिमलगढ़ तक नई लाइन के लिए एक सर्वेक्षण शुरू किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के उपलब्ध हो जाने के बाद परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा। फिलहाल बांसपानी तक इसका विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विशाखापत्तनम में नौसेना के प्रशिक्षण विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

1149. डॉ. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 दिसंबर, 1999 को विशाखापत्तनम शहर के बीचों–बीच घनी आबादी वाले क्षेत्र के ठीक ऊपर नौसेना का एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए नौसेना के ऐसे अन्य प्रशिक्षण विमानों और उनमें गई जानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन दुर्घटनाओं का शिकार बार–बार एक विशिष्ट प्रकार का ही विमान होता है; और

(ङ) यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़) : (क) और (ख) 8 दिसंबर, 1999 को नौसेना का एक 'किरन' वायुयान इंजन में खराबी आ जाने के कारण विशाखापत्तनम स्थित रेल यार्ड में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उससे भारी नुकसान हुआ था। इससे रेलवे की एक बोगी भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। अन्य किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं मिली है।

(ग) से (ङ) विगत तीन वर्षों में नौसेना के 4 वायुयान अर्थात दो किरन, एक सी हैरियर और एक सी किंग दुर्घटनाओं में नष्ट हो चुके हैं, इनमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है।

सभी दुर्घटनाओं की जांच एक जांच बोर्ड द्वारा की जाती है। भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए जांच बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर नौसेना मुख्यालय द्वारा उपचारात्मक उपायों के कार्यान्वयन के वास्ते निर्देश जारी किए जाते हैं।

खान-पान ठेकेदारों से अर्जित लाभ

1150. डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998 तथा 1999 के दौरान विभागीय खान–पान इकाइयों तथा विभिन्न ठेकेदारों से अलग–अलग जोन–वार कुल कितनी आय अर्जित की गई; और

(ख) वर्ष 2000–2001 में विभिन्न खान–पान इकाइयों को ठेके पर दिए जाने का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) यात्रियों की आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रीय रेलों द्वारा खानपान/वेंडिंग सुविधाएं मुहैया करायी जाती हैं।

एक नीतिगत मामले के तहत सभी भावी लाइसेंस निजी परिचालको को सौंपे जाएंगे।

विवरण

क्रम सं.	रेलवे	वर्ष	विभागीय इकाइयां लाभ या हानि (लाख रुपयों में)	निजी लाइसेंस लाइसेंस फीस (लाख रुपयों में)
1	2	3	4	5
1.	मध्य	1997–98	–83.48	74.72
		1998–99	–80.59	89.27
2.	पूर्व	1997–98	–3.81	29.77
		1998–99	–8.25	24.17
3.	उत्तर	1997–98	206.54	211.71
		1998–99	476.00	252.00
4.	पूर्वोत्तर	1997–98	–6.75	26.39
		1998–99	–27.08	29.40
5.	पूर्वोत्तर सीमा	1997–98	–17.46	12.88
		1998–99	7.76	16.11
6.	दक्षिण	1997–98	–131.81	225.20
		1998–99	–302.19	247.37

1	2	3	4	5
7.	दक्षिण	1997–98	73.45	44.42
	मध्य	1998–99	57.62	57.46
8.	दक्षिण	1997–98	152.42	31.15
	पूर्व	1998–99	313.25	37.77
9.	पश्चिम	1997–98	114.82	116.92
		1998–99	195.30	116.13
	जोड़		303.92	773.16
			616.30	869.68

[हिन्दी]

चक्रमाता हवाई अड्डा (मध्य प्रदेश) का विकास

1151. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के बिलासपुर (चक्रमाता) में विमान सेवा को बंद किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस हवाई अड्डे की धावन–पट्टी को चौड़ा करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य को पूरा करने के बाद विमान सेवा कब तक पुनः शुरू कर दिए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) पिछले दो दशकों से बिलासपुर में चक्रमट्ट विमानपत्तन के लिए कोई वाणिज्यिक प्रचालन नहीं किये गये हैं। किसी भी एयरलाइन ने इस विमानपत्तन से प्रचालन की अपनी योजना का उल्लेख नहीं किया है। अतः इस स्थिति में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस विमानपत्तन को उन्नयन करने का विचार नहीं कर रही है।

[अनुवाद]

अतिरिक्त ई.एम.यू. और रेकों की खरीद

1152. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले 17 वर्षों के दौरान तमिलनाडु में मीटर गेज उपनगरीय प्रणाली में कोई अतिरिक्त ई.एम.यू. की खरीद की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो चेन्नई के मीटर गेज उपनगरीय सेवा हेतु उपलब्ध रेकों की संख्या कितनी है;

(ग) वास्तविक स्थिति की तुलना में रेकों की कितनी कमी है;

(घ) क्या सरकार का विचार पुराने रेकों को बदलने और अतिरिक्त नए रेकों को शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोई कमी नहीं है।

(घ) और (ङ) जी, हां। यातायात की आवश्यकताओं के अनुरूप चेन्नई बीच–तांबरम–चेंगलपट्टू खंड के आमान परिवर्तन के कारण इन मी.ला. रेकों को ब. ला. ई. एम. यू. में चरणबद्ध आधार पर बदला जाएगा।

इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के निकट सुरक्षा संबंधी खतरा

1153. श्री के. येरननायडू :

डॉ. मन्दा जगन्नाथ :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 दिसम्बर, 1999 के "द एशियन एज" में "डार्क आउटर रिचेज आफ आई जी आई पोज मेजर सिक्यूरिटी रिस्क" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, हां!

(ग) इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर कुछ चौकियों पर अपर्याप्त बिजली की समस्या है। किन्तु सुधारात्मक कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है और इसके जल्द ही पूरा किए जाने की संभावना है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यों को खाद्यान्नों का आबंटन

1154. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के

अंतर्गत खाद्यान्नों का आबंटन उनकी वर्तमान जनसंख्या के अनुरूप कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जून, 1997 में शुरू की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जनता को जारी करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1995 में अनुमानित जनसंख्या के आधार पर हिसाब लगाए गए परिवारों के लिए प्रति परिवार प्रति माह 10 किलोग्राम की दर पर खाद्यान्न मुहैया किए जाते हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने के समय पिछले 10 वर्षों के औसत वार्षिक उठान में से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की खाद्यान्नों की आवश्यकता को घटाने के बाद बची हुई मात्रा के आधार पर गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का अस्थायी आबंटन भी किया जाता है।

ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजनाएं

1155. श्री दिन्शा पटेल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता के क्षेत्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों की सहायता से सरकार द्वारा अनेक परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो गुजरात में चल रही ऐसी परियोजनाओं का स्थान-वार ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक को अलग-अलग किस सीमा तक सहायता दी गई है;

(ग) क्या गुजरात में कुछ परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) घोघा क्षेत्रीय जल आपूर्ति और स्वच्छता योजना का कार्यान्वयन इण्डो-डच द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत 1997 में शुरू किया गया जिसकी कुल अनुमानित लागत 4643.24 लाख रुपये है। इसमें भावनगर के घोघा और तलाजा तालुकों के 78 गांवों और भावनगर जिले के एक कस्बे (घोघा) को पेयजल की आपूर्ति करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ) "गुजरात-सरदार सरोवर कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट-प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट फार सुरेन्द्रनगर, राजकोट, जामनगर और कच्छ डिस्ट्रिक्ट्स" नामक एक परियोजना प्रस्ताव जो गुजरात सरकार से प्राप्त हुआ है और जिसकी अनुमानित लागत 14229.00 मिलियन रुपये है, संभव सहायता के लिए विश्व बैंक को प्रस्तुत करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग को भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

जमालपुर कारखाने द्वारा अतिरिक्त कलपुर्जों की खरीद

1156. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमालपुर लोकोमोटिव कारखाना (पूर्वी रेलवे) डीजल-इंजनों और माल-डिब्बों की मरम्मत और देखभाल के लिए अतिरिक्त पुर्जों की खरीद करता है;

(ख) यदि हां, तो 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान अभी तक की गई खरीद का विवरण क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जमालपुर कारखाना बड़े पैमाने पर भारी मशीनों की खरीद भी करता है;

(घ) यदि हां, तो उक्तविधि के दौरान खरीदी गई ऐसी मशीनों का विवरण क्या है;

(ङ) क्या इन मशीनों को खरीदने और इन्हें कारखाने में लगाने में तीन वर्ष का समय लगता है;

(च) यदि हां, तो क्या इन मशीनों का कोई उपयोग हो पाने के पहले ही इन्हें स्क्रैप समझकर बेच दिया जाता है;

(छ) क्या सरकार का इस विषय में सी.बी.आई. से कोई जांच कराने का प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) कम कीमत के तत्काल आवश्यकता संबंधित कलपुर्जों, जिन्हें स्थानीय क्रयाधिकार के तहत् जमालपुर में नकद अग्रदाय राशि के जरिए खरीदा जाता है, के अलावा, डीज़ल रेल इंजनों और मालडिब्बों के अनुरक्षण के लिए जमालपुर कारखाने द्वारा कोई अतिरिक्त कलपुर्जे नहीं खरीदे जाते हैं।

(ख) निम्नलिखित के दौरान जमालपुर कारखाने में सीधी स्थानीय खरीद की गई :

1997–98 – 128.43 लाख रुपए

1998–99 – 187.55 लाख रुपए

1999–00 – 106.93 लाख रुपए

(ग) जमालपुर कारखाना भारी मशीनों की सीधी खरीद नहीं करता है।

(घ) से (ज) प्रश्न नहीं उठते।

नई और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों का विस्तार

1157. श्री विजय गोयल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों के विस्तार हेतु सरकार के विचाराधीन कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के विचाराधीन उक्त रेलवे स्टेशनों को दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में ले जाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) एक महान राष्ट्र की राजधानी के अनुकूल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक आधुनिक टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव है। पुरानी दिल्ली स्टेशन के विस्तार का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सड़क ऊपरिपुल का निर्माण

1158. श्री अजय सिंह चौटाला :

श्री पी. कुमारासामी :

डॉ. लक्ष्मीनारायण पान्डेय :

श्री भान सिंह भौरा :

श्री टी. गोविन्दन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों से वर्ष 1999–2000 के दौरान अब तक सड़क ऊपरिपुल के निर्माण हेतु राज्य–वार प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) निर्माणाधीन सड़क ऊपरिपुलों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है तथा इस पर अब तक कितना व्यय किया गया है, तथा इसकी लागत में रेलवे की राज्य वार कितनी हिस्सेदारी है; और

(घ) इन सड़क ऊपरिपुलों का निर्माण कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी सड़क/निचले पुलों के निर्माण के लिए वर्ष 1999–2000 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

राज्य	प्रस्तावों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	08
बिहार	02
कर्नाटक	32
केरल	14
महाराष्ट्र	03
उड़ीसा	03
राजस्थान	02
तमिलनाडु	23
उत्तर प्रदेश	03
पश्चिम बंगाल	07

(ख) वर्ष 2000–2001 के रेलवे बजट में लागत भागीदारी के आधार पर प्राप्त अधिकांश प्रस्तावों को शामिल किया गया है।

(ग) राज्य–वार खर्च का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। ऊपरी सड़क/निचले पुलों संबंधी पहले से स्वीकृत 158 निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत लागत के अनुसार रेलवे का हिस्सा 628.71 करोड़ रुपये हैं। इन कार्यों पर मार्च, 2000 तक 77.8 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की संभावना है।

(घ) इस कार्य को पूरा करने के लिए समय सीमा तय नहीं की जा सकती क्योंकि इस कार्य का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों संबंधी कार्य की प्रगति पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

रक्षा उत्पादन इकाइयां

1159. श्री ए. नरेन्द्र : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रक्षा उत्पादन इकाइयों का स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन इकाइयों में से प्रत्येक का वास्तविक और आर्थिक दृष्टि से निष्पादन कैसा रहा;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसी कितनी इकाइयों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार गैर–लाभकारी इकाइयों को बन्द करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) विवरण–I संलग्न है।

(ख) रक्षा उत्पादन इकाइयों के वित्तीय निष्पादन से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है। वास्तविक निष्पादन के विषय में ब्यौरा जनहित में नहीं होगा।

(ग) नौवीं तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नालंदा, बिहार में एक आयुध निर्माणी स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) फिलहाल एक भी घाटे वाली इकाई नहीं है।

(उत्तर नहीं उठता।

विवरण-I

आयुध निर्माणियों की सूची

क्रम सं.	स्थान	राज्य
1	2	3
1.	काशीपुर	पश्चिम बंगाल (4)
2 और 3	ईशापुर (दो)	
4.	दमदम	
5 से 9 तक	कानपुर (पांच)	उत्तर प्रदेश (10)
10.	शाहजहांपुर	
11.	हजरतपुर	
12.	मुरादनगर	
13. और 14.	देहरादून (दो)	
15.	चंडीगढ़	संघ शासित क्षेत्र (1)
16 और 17	किरकी (दो)	महाराष्ट्र (10)
18 और 19.	अंबरनाथ (दो)	
20.	भंडारा	
21.	बरणगांव	
22.	चंदा	
23.	देहू रोड	
24.	अंबाझड़ी	
25.	भुसावल	
26.	ईटारसी	मध्य प्रदेश (6)
27.	खमरिया	
28. से 30.	जबलपुर (तीन)	
31.	कटनी	
32.	अरूवनकाडु	तमिलनाडु (6)
33. से 35.	आवडी (तीन)	
36. और 37.	तिरूचिरापल्ली (दो)	
38.	मेडक	आंध्र प्रदेश (1)
39.	बोलंगीर	उड़ीसा (1)

रक्षा सॉर्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची

क्रम सं.	उपक्रम का नाम	स्थान
1	2	3
1.	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड	बेंगलूर

1	2	3
		कोरापुट
		लखनऊ
		कोरवा
		हैदराबाद
		नासिक
		कानपुर
		बैरकपुर
2.	भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	बेंगलूर
		पुणे
		तलोजा
		कोटद्वार
		हैदराबाद
		गाजियाबाद
		मछलीपट्टनम
		पंचकुला
		चेन्नई
3.	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	बेंगलूर
		मैसूर
		कोलार गोल्ड फील्ड्स
4.	मांझगांव डाक लिमिटेड	मुंबई
		मेंगलूर
		नावा
5.	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स	कलकत्ता
	एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड	रांची
6.	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	वास्को–दा–गामा
7.	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	हैदराबाद
		भानूर (मेडक–जिला)
8.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	हैदराबाद

विवरण-II

आयुध निर्माणियों/रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों का कार्य निष्पादन उत्पादन–मूल्य

करोड़ रुपए में

आयुध निर्माणियां/ रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1996–97	1997–98	1998–99
1	2	3	4
आयुध निर्माणियां	3945.87	4400.53	5441.14
भारत डायनामिक्स लिमिटेड	269.57	296.13	355.27
भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	1230.45	1255.58	1216.99
भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	1182.07	1285.96	1244.15
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड	304.96	361.89	425.95
गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	177.45	111.32	78.65
हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड	1693.18	1838.13	2089.03
मांझगांव डाक लिमिटेड	648.72	994.59	1701.69
मिश्र धातु निगम लिमिटेड	93.17	91.15	93.82
सकल योग	9545.44	10635.28	12646.69

आमगुरी-तुली रेल लाइन का आमान-परिवर्तन

1160. श्री के. ए. सांगतम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आमगुरी–तुली रेल लाइन का आमान–परिवर्तन कार्य आरम्भ नहीं किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस परियोजना को कम लागत तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व पश्चिम जोन का कार्यकरण

1161. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्व पश्चिम जोन को एक पूर्ण विकसित जोन बनाने में असाधारण विलम्ब हो रहा है;

(ख) क्या उपरोक्त जोनल रेलवे ने अभी तक पूरी तरह से काम करना शुरू नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (घ) भारतीय रेल प्रणाली पर पूर्व–पश्चिम नामक कोई जोन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ग्रामीण विकास में निवेश में कमी

1162. श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

श्री शिवाजी माने :

श्री जी.जे. जावीया :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ग्रामीण विकास रिपोर्ट, 1999 ने राज्य में पिछले वर्षों में ग्रामीण विकास में घटते हुए निवेश की निराशाजनक स्थिति को दर्शाया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक ग्रामीण विकास में केन्द्र सरकार द्वारा किए गए निवेश का वर्ष–वार और राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य–वार कितने प्रतिशत लोग रह रहे हैं और ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा कितना निवेश किया गया है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास में राज्य–वार कितने प्रतिशत निवेश किया गया;

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश के इतने कम प्रतिशत के क्या कारण हैं; और

(च) ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

जेट एयरवेज द्वारा और अधिक विमानों की अधिप्राप्ति

1163. श्री पी. कुमारासामी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेट एयरवेज चार और बोइंग बी–737 विमानों का आयात करने हेतु सरकार की अनुमति की प्रतीक्षा कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी कब तक अनुमति दे दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) सितम्बर 1997 में मैसर्स जेट एयरवेज ने 10 विमान आयात करने की अनुमति के लिए आवेदन किया था जिसमें 8 की अनुमति प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

सहायक टिकट संग्राहकों के लिए टाइमस्केल

1164. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल में 8 घंटे काम करने पर सहायक टिकट संग्राहकों को केवल 8 रुपये प्रतिदिन ही मिलता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तरी और उत्तरपूर्वी सीमान्त रेलवे के सहायक टिकट संग्राहकों को टाइमस्केल दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो रेलवे में चल रही दो तरह की प्रणालियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अन्य रेलवे मंडलों के समकक्षियों के समान पूर्व मध्य रेलवे के सहायक टिकट संग्राहकों को कब तक समयबद्ध वेतनमान दिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) रेलों में सहायक टिकट संग्राहक का कोई पद नहीं है। रेलों पर एक योजना लागू थी जिसमें टिकट जांच कर्मचारियों की सहायता करने के लिए सामाजिक स्वैच्छिक संगठनों की सेवाओं का उपयोग शामिल था तथा स्वयं सेवकों को जेबखर्ची के रूप में 8/– रुपए प्रतिदिन का भुगतान किया जता था। माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर 1.4.1986 से रेलों को यह योजना बंद करने का निदेश दिया था। बहरहाल, माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अंतर्गत उन्हीं दरों पर कुछ स्वयं सेवकों को पुनः नियुक्त किया गया था।

(ख) चूंकि सहायक टिकट संग्राहक का कोई पद नहीं है इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पंचायतों के लिए लेखा-प्रणाली

1165. श्री सुबोध मोहिते : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय लोक लेखा–परीक्षक संस्थान को पंचायतों के लिए लेखा–प्रणाली का अध्ययन करने और उपयुक्त विकल्प सुझाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(ग) इस संस्थान को कब तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों की लेखा प्रणाली और प्रशिक्षण का अध्ययन करने का कार्य भारतीय लोक लेखा परीक्षक संस्थान को सौंपा गया है। यह अध्ययन केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा राज्यों में किया जाएगा। इस अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के लिए उपयुक्त लेखा प्रणाली के लिए सुझाव देना है। आशा है कि वर्ष 2000–2001 में यह अध्ययन पूरा हो जाएगा।

ग्रीष्म ऋतु हेतु विशेष रेलगाड़ियां

1166. श्री राम नायडू दग्गुबाटि :

श्री हरीभाऊ शंकर महाले :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रीष्म ऋतु के दौरान यात्रियों की अत्यधिक भीड़ से निपटने हेतु विशेष रेलगाड़ियों को शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके जोन–वार आगमन और प्रस्थान स्थल कौन–कौन से हैं;

(ग) क्या लंबी दूरी की रेलगाड़ियों विशेषकर दक्षिण रेलगाड़ियों में सभी श्रेणियों की बोगियों को उपलब्ध कराया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सभी लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में खान–पान व्यवस्था सहित पैन्ट्री कारों को उपलब्ध करा दिया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में यात्रियों के लिए वैकल्पिक खान–पान व्यवस्था की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) परिचालनिक व्यावहारिकता के आधार पर विभिन्न किस्म के सवारी डिब्बे यथा द्वितीय श्रेणी स्लीपर, द्वितीय श्रेणी सामान्य, द्वितीय श्रेणी सामान एवं सामान्य, वातानुकूल 3 टियर, वातानुकूल 2 टियर, वातानुकूल प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी सामान्य और रसोई यान विभिन्न ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियों में मुहैया कराए जा रहे हैं।

(ङ) और (च) कुछ ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियों में रसोई यान सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। रेलों को गाड़ियों से भोजन संबंधी संदेशों की सूचना का पर्यवेक्षण करके, आधार रसोई/अल्पाहार गृहों से आदेशों के निष्पादन यात्रियों की त्वरित आपूर्ति; और स्टेशनों पर तथा गाड़ियों में अच्छी गुणवत्ता के किफायती भोजन, जनता खाना,

फास्ट फूड मदें आदि बेचकर, स्थैतिक इकाइयों के लिए मौजूदा खानपान/वेंडिंग व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करके ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियों में खानपान की व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए अनुदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	क्षेत्रीय रेलवे	मार्ग	फेरे
1	2	3	4
1.	मध्य	165/166 मुम्बई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मडगांव एर्णाकुलम	साप्ताहिक
2.	मध्य	141/142 लोकमान्य तिलक (टी)–वाराणसी	प्रतिदिन
3.	मध्य	143/144 लोकमान्य तिलक (टी)–वाराणसी	सप्ताह में दो बार
4.	मध्य	155/156 लोकमान्य तिलक (टी)–पटना–दरभंगा	सप्ताह में दो बार
5.	मध्य	153/154 पुणे–गोरखपुर	साप्ताहिक
6.	मध्य	161/162 पुणे–एर्णाकुलम	साप्ताहिक
7.	मध्य	167/168 दादर–बेंगलूरु	साप्ताहिक
8.	मध्य	पुणे–मंगलौर	साप्ताहिक
9.	पश्चिम	979/980 अजमेर–मुम्बई	सप्ताह में तीन बार
10.	पश्चिम	959/960 मुम्बई–गांधीधाम	सप्ताह में तीन बार
11.	पश्चिम	983/984 मुम्बई–पोरबंदर	साप्ताहिक
12.	पश्चिम	953/954 अहमदाबाद–वाराणसी बरास्ता लखनऊ	साप्ताहिक
13.	पश्चिम	955/956 अहमदाबाद–वाराणसी बरास्ता इलाहाबाद	साप्ताहिक
14.	पश्चिम	973/974 मुम्बई–जयपुर	सप्ताह में दो बाद
15.	पश्चिम	991/992 मुम्बई सेंट्रल–इंदौर	साप्ताहिक
16.	पश्चिम	995/996 मुम्बई सेंट्रल–नई दिल्ली	साप्ताहिक
17.	पश्चिम	997/998 मुम्बई सेंट्रल–जम्मू तवी	साप्ताहिक
18.	पश्चिम	971/972 मुम्बई सेंट्रल–अहमदाबाद	साप्ताहिक
19.	पश्चिम	967/968 अहमदाबाद–दिल्ली–सराय रोहिल्ला	साप्ताहिक
20.	पूर्व	231/232 हवड़ा–नई दिल्ली	सप्ताह में चार दिन

1	2	3	4
21.	पूर्व	233/234 सियालदह–नरकटियागंज	सप्ताह में दो बार
22.	पूर्व	813/814 पटना–हवड़ा	साप्ताहिक
23.	दक्षिण	647/648 चेन्नई–कोल्लम	दैनिक
24.	दक्षिण	649/650 बेंगलूरु–कोट्टायम	सप्ताह में तीन दिन
25.	दक्षिण	657/658 चेन्नै–एगम्बूर–तिरूनेलवेल्ली	दैनिक
26.	दक्षिण	669/70 नागरकोईल–दादर (टी)	साप्ताहिक
27.	दक्षिण	667/668 चेन्नै–कोयम्बटूर	सप्ताह में दो दिन
28.	दक्षिण	660/659 चेन्नै–दादर (टी)	सप्ताह में दो दिन
29.	दक्षिण	275/276 बेंगलूरु–जोधपुर	साप्ताहिक
30.	दक्षिण	625/630 चेन्नै–अहमदाबाद	साप्ताहिक
31.	पूर्वोत्तर	551/552 दरभंगा–नई दिल्ली	सप्ताह में दो दिन
32.	पूर्वोत्तर	521/522 लोकमान्य तिलक–गोरखपुर	दैनिक
33.	उत्तर	407/408 कालका–मुम्बई सेंट्रल	सप्ताह में चार दिन
34.	उत्तर	403/404 निजाममुद्दीन–जम्मू तवी	दैनिक
35.	उत्तर	429/430 नई दिल्ली–दरभंगा	सप्ताह में दो दिन
36.	दक्षिण पूर्व	841/842 हवड़ा–चेन्नै	सप्ताह में दो दिन
37.	दक्षिण पूर्व	859/860 हवड़ा–मुम्बई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस	सप्ताह में दो दिन
38.	दक्षिण पूर्व	857/858 विशाखापत्तनम–चेन्नै	साप्ताहिक
39.	दक्षिण मध्य	751/752 सिकंदराबाद–अहमदाबाद	साप्ताहिक
40.	पूर्वोत्तर सीमा	203/204 दादर (टी)–गुवाहाटी	साप्ताहिक
41.	पूर्वोत्तर सीमा	201/202 गुवाहाटी–नई दिल्ली	साप्ताहिक

स्क्रैप की बिक्री

1167. श्री तेजवीर सिंह चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1999–2000 के दौरान रेलवे के विभिन्न डिवीजनों द्वारा जोन–वार कितनी मात्रा में स्क्रैप की बिक्री की गई; और

(ख) इससे जोन–वार कुल कितनी आय हुई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) अप्रैल, 99 से जनवरी, 2000 तक विभिन्न रेलवे द्वारा एकत्रित स्क्रैप की मात्रा और उससे प्राप्त कुल आमदनी नीचे दी गई है :–

रेलवे/ उत्पादन कारखाने	पटरी स्क्रैप (मीटरिक टन में)	रेलपथ स्क्रैप (मीटरिक टन में)	अन्य लौह स्क्रैप (मीटरिक टन में)	अलौह स्क्रैप	मालडिब्बों की संख्या	सवारी डिब्बों की संख्या	रेल इंजनों की संख्या	कुल आमदनी (करोड़ रुपए में)
मध्य	21584	51553	35929	641	2165	140	29	98.00
पूर्व	18076	23790	18211	603	1802	188	23	67.94
उत्तर	30375	42634	38674	188	1355	152	17	101.08
पूर्वोत्तर	18233	1250	15292	360	862	245	4	31.50
पूर्वोत्तर सीमा	7338	3923	3489	209	582	94	0	14.17
दक्षिण	15008	17169	16817	1909	973	59	0	49.77
दक्षिण मध्य	23123	22689	22579	1136	797	90	38	57.37
दक्षिण पूर्व	41842	57585	38467	277	2039	44	25	105.64
पश्चिम	20627	19483	25817	1412	1048	115	8	64.23
बिरेका	0	0	3041	88	0	0	0	2.14
डीपुका	0	0	3492	204	0	0	0	4.38
डीरेका	0	0	2553	21	0	0	0	1.84
सडिका	0	0	3380	202	0	0	0	4.48
रे.को.फै.	0	0	558	0	0	0	0	0.45
मेट्रो	0	0	3366	42	0	0	0	3.28
पधुका	0	0	5593	14	0	0	0	4.48
जोड़	196206	240076	237258	7306	11623	1127	144	610.75

[हिन्दी]

चालक रहित विमान संबंधी स्थिति

1168. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालक रहित विमान की कोई परीक्षण उड़ान भरी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तारीख में इसकी क्या स्थिति है; और

(ग) इसे भारतीय वायु सेना में कब तक शामिल किया जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़) : (क) जी, हां।

(ख) विकासात्मक परीक्षण उड़ानें सफलतापूर्वक पूरा कर लेने के बाद, चालक रहित लक्ष्य विमान (पी.टी.ए.) 'लक्ष्य' जो शस्त्र सज्जीकरण परीक्षण के लिए पुनः प्रयोज्य हवाई लक्ष्य विमान है, के 15 विमानों का सीमित शृंखला में उत्पादन आरंभ कर दिया गया है ताकि थल सेना, वायु सेना और नौसेना की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें।

(ग) पहले दो चालक रहित विमान सम्बद्ध भू-उपस्करों सहित सितम्बर, 1999 में भारतीय वायु सेना को सौंप दिए गए हैं।

[अनुवाद]

ऊर्जा स्रोतों की परियोजनाएं

1169. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के उत्पादन के लिए शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; परियोजना लागत, अनुमानित विद्युत उत्पादन, केन्द्रीय सहायता और विदेशी निवेश इत्यादि का ब्यौरा क्या है;

(ख) अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के लिए तमिलनाडु में शुरू की गई नई परियोजनाओं को आबंटित राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त राज्य में नगर निगम की नालियों से निकलने वाले ठोस वर्ज्य पदार्थों से विद्युत उत्पादन के लिए और अधिक विद्युत–उत्पादन शुरू करने हेतु संयंत्र लगाने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम कन्नप्पन) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में पवन विद्युत, लघु पन बिजली, बायोमास विद्युत/सहउत्पादन, अपशिष्ट से ऊर्जा, सौर प्रकाशवोल्टीय आदि के अंतर्गत ऊर्जा/विद्युत के उत्पादन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। मंत्रालय द्वारा निधियों का राज्यवार नियतन नहीं किया जाता है। मंत्रालय को राज्य नोडल कार्यान्वयन एजेंसी/संगठन से जब भी परियोजनाएं प्राप्त होती हैं, मंत्रालय उन पर विचार करता है और परियोजना की व्यवहार्यता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तमिलनाडु राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए आरंभ की गई विभिन्न परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय ने तमिलनाडु राज्य में टैपियोका उद्योग बहिसोव का उपयोग करके 0.5 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता की एक परियोजना और मुर्गी फार्मों की बीट का उपयोग करके 1.2 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता वाली एक अन्य परियोजना की स्थापना के लिए प्रस्ताव किया है। इन परियोजनाओं में लगभग 5.0 करोड़ रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता शामिल होगी।

विवरण

तालिका– 1 तमिलनाडु राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए आरंभ की गई विभिन्न परियोजनाओं के ब्यौरे

क्रम सं.	कार्यक्रम/क्षेत्र	क्षमता (सं.)	अनुमानित लागत	अनुमानित विद्युत उत्पादन	केन्द्रीय सहायता	विदेशी निवेश
1.	पवन विद्युत	758 मे.वा.	4.0–5.0 करोड़ रुपए प्रति मे.वा.	4.25 बिलियन यूनिट	परियोजना लागत का 60%	पवन टरबाइन उपकरणों के लिए डानिडा सहायता सहित 10 मे.वा. की परियोजना
2.	लघु पन बिजली	6.45 मे.वा. (4)	23.7 करोड़ रुपए	प्रति वर्ष 20.07 मिलियन यूनिट	4.99 करोड़ रुपए	शून्य
3.	बायोमास विद्युत/ सह–उत्पादन	13.5 मे.वा. (2)	35.84 करोड़ रुपए	53 मिलियन यूनिट	1.86 करोड़ रुपए	शून्य
4.	अपशिष्ट से ऊर्जा	0.03 मे.वा. (1)	1.57 करोड़ रुपए	प्रति वर्ष 0.22 मिलियन यूनिट	0.67 करोड़ रुपए	0.55 करोड़ रुपए की यूएनडीपी सहायता
5.	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत पैक	21 कि.ला. (3)	0.74 करोड़ रुपए	प्रति वर्ष 0.32 मिलियन यूनिट	0.35 करोड़ रुपए	शून्य

यूएनडीपी = संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

डानिडा = डेनिश अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था

विमानपत्तनों पर सुरक्षा पहलू

1170. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर-अनुशासनात्मक दल (इंटर-डिसीपलिनरी ग्रुप) ने वर्ष 1993 में विमानपत्तनों पर सुरक्षा पहलुओं का अध्ययन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त दल की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) समूह ने राज्य पुलिस कार्मिकों तथा विमानपत्तन प्राधिकरण के देख-रेख करने वाले कर्मचारियों को प्रतिस्थापित करने के लिए विमानन सुरक्षा बल (वि.सु.बल) गठित किए जाने की सिफारिश की थी। सचिवों की समिति द्वारा सिफारिश पर विचार किया गया था और सिद्धान्ततः इस पर सहमित हो गयी थी। हाल ही में घटित अपहरण की घटना के अनुसरण में प्रथम चरण में सभी प्रचालनात्मक अन्तर्देशीय विमानपत्तनों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ) को तैनात करने का निर्णय लिया गया है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पटना, जयपुर, गुवाहाटी, वडोदरा और पोर्ट ब्लेयर विमानपत्तनों पर पहले ही सुरक्षा कार्य शुरू कर चुका है।

चार्टर्ड उड़ानें

1171. श्री पी. सी. थामस : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न देशों से भारतीय हवाई अड्डों के लिए चार्टर्ड उड़ानों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों को कोचीन हवाई अड्डे से उड़ान भरने की अनुमति दिए जाने संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) पांच अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन तथा पांच अन्य नामित विमानपत्तनों से आवृत्ति पर बिना किसी प्रतिबंध के पर्यटक चार्टर उड़ानों के प्रचालन की अनुमति दी जाती है किन्तु इन्हें पर्यटक चार्टर मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करना होगा।

(ग) और (घ) केवल एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स कोचीन से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों का प्रचालन कर रही हैं।

बकिंघम नहर की सफाई

1172. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने मैट्रो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के साथ-साथ चेन्नई में बहने वाली बकिंघम नहर से मलबा हटाने का कार्य शुरू किया था; और

(ख) यदि हां, तो नहर की सफाई कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) बकिंघम नहर की साइड में चेपॉक, तिरूवाल्लीकेनी, लाइट हाऊस और तिरूमलाई में चार स्टेशन इमारतों का निर्माण किया गया था। परिणामतः निर्माण का कुछ मलबा नहर में भर गया है। रेलें केवल इन 4 स्टेशनों की साइड से बकिंघम नहर से निर्माण के मलबे को हटाने के लिए सहमत है न कि समग्र नहर से। चेपॉक, लाइट हाऊस और तिरूमलाई स्टेशन से मलवा हटाने का कार्य पूरा हो गया है। चूंकि तिरूवाल्लीकेनी स्टेशन पर नहर में झुग्गी-झोंपड़ी का अतिक्रमण हो रहा है अतः तमिलनाडु स्लम क्लीरेंस बोर्ड से इन्हें हटाने का अनुरोध किया गया है और इस स्टेशन पर निर्माण के मलबे, आदि को साफ करने का कार्य राज्य सरकार, लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है। इस उद्देश्य के लिए 23.7.98 को तमिलनाडु राज्य लोक निर्माण विभाग के पास 11.95 लाख रुपये की राशि जमा करा दी गई है।

[हिन्दी]

अपहरण मामले पर खर्च

1173. श्री माणिकराव होडल्या गावितः क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1999 में अपहृत विमान और इसके यात्रियों को वापस लाने में खर्च राशि का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : अपहृत विमान तथा इसके यात्रियों को वापस लाने के लिए व्यय की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है :

(i) सरकारी/इंडियन एयरलाइन्स के अधिकारियों को कांधार ले जाने तथा अपहृत विमान के यात्रियों को वापस लाने के लिए दो विशेष उड़ानों के प्रचालन पर 2.48 करोड़ रुपये का व्यय।

(ii) अपहृत विमान की अतिरिक्त उड़ान तथा अवरोधन पर 5.45 करोड़ रुपये की लागत।

(iii) यू.ए.ई. में छोड़े गए अपहृत यात्रियों को वापस लाने के लिए दुबई के लिए प्रचालित की गई राहत उड़ान पर 0.42 करोड़ रुपये की लागत।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास हेतु नोडल एजेंसी

1174. श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ग्रामीण विकास हेतु पंचायतों को नोडल एजेंसी के रूप में इस्तेमाल करता है; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजटीय आबंटन का कितने प्रतिशत पंचायतों को सीधे दिया जाता है ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) जी, हां।

(ख) सुनिश्चित रोजगार योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के लिए पंचायती राज संस्थाओं को जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों के जरिए धनराशि जारी की जाती है। प्रतिशत की दृष्टि से यह मंत्रालय के कुल बजट आबंटन का 38.74 प्रतिशत है।

कोचीन हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा

1175. श्री सुरेश कुरूप : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोचीन हवाई अड्डे को अंन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यादि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) यह मुद्दा इन्फ्रास्टक्चर संबंधी कृतक बल के विचाराधीन है।

जबलपुर आयुध कारखाने का कार्य निष्पादन

1176. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आयुध कारखाना, जबलपुर में उन्नत वाहन बनाने की क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष वास्तविक और वित्तीय रूप से इसका कार्य निष्पादन कितना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) वाहन निर्माणी, जबलपुर के पास सेना की अद्यतन जनरल स्टॉफ गुणात्मक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वाहन उत्पादक क्षमता है।

वाहन निर्माणी, जबलपुर ने 2.5 टन एल पी टी ए 713/32 और 5/7.5 टन स्टेलियन एम.के. III जैसे नई पीढ़ी के वाहनों का उत्पादन शुरू कर दिया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सेना को जारी किए गए रक्षा सामानों की संख्या तथा उनका मूल्य इस प्रकार है :

उत्पाद	96–97	97–98	98–99
शक्तिमान जी एस	2500	2307	1578
जोंगा	690	460	शून्य
स्टेलियन एम के III	शून्य	85	1900
एल पी टी ए 713/32	शून्य	223	1873
शक्तिमान अतिरिक्त इंजन	1603	771	1378
वाहन 1 टी, अतिरिक्त इंजन	3200	2141	1614
जोंगा अतिरिक्त इंजन	400	1482	88
जारी सामान का मूल्य (करोड़ रुपए)	304.00	325.00	551.00

विभिन्न रेल परियोजनाओं का निजीकरण

1177. डॉ. संजय पासवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने के लिए विपणन संभावना और निजीकरण संबंधी अध्ययन कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न तीर्थस्थानों और पर्यटक केन्द्रों को मार्केटिंग पैकेज टूर शुरू करने का निश्चय किया है जिसमें यात्रियों को मूल्य संवर्धित यात्रा संबंधी सेवायें उपलब्ध कराना भी शामिल है;

(घ) यदि हां, तो इन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस अध्ययन रिपोर्ट के कब तक मिलने और लागू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) रेल परियोजनाओं में निजी क्षेत्र को शामिल करने हेतु निर्माण, पट्टा, हस्तांतरण (बोल्ट) योजना, माल डिब्बे के मालिक बनें योजना, संचार चैनलों के लिए मार्गाधिकार को पट्टे पर देना, पर्यटक गाड़ियों का निजी स्वामित्व, भूमि तथा ऊपरी स्थान का वाणिज्यिक उपयोग तथा रेल परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु, सार्वनिक एवं निजी साझेदारी नामक कई मौजूदा योजनाएं हैं। रेलवे भूमि का वाणिज्यिक उपयोग जैसे–निजी भागीदारी के संभावित क्षेत्रों के संबंध में निर्धारित कार्यों के निष्पादन से पहले विपणन व्यवहार्यता अध्ययन किए जाएंगे। भारतीय रेल खान–पान तथा पर्यटन निगम का हाल ही में गठन किया गया है जो भविष्य में बाजार पैकेज संबंधी टूअर को प्रतिपादित करेगा।

[हिन्दी]

आतंकवादियों से पकड़े गए हथियार

1178. श्री रामशकल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के प्रत्येक वर्षों के दौरान सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कितने आतंकवादी मारे गये; और

(ग) उनसे किस प्रकार के हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ और उन्हें वे किस प्रकार प्राप्त हुए ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़) : (क) हाल के महीनों के दौरान जम्मू–कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा की गई हिंसक गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेना/राष्ट्रीय राइफल द्वारा संक्रिया के दौरान मारे गए आतंकवादी इस प्रकार हैं :

1997	—	889
1998	—	824
1999	—	1039

(ग) एक विवरण–संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान सेना/राष्ट्रीय राइफल द्वारा आतंकवादियों से पकड़े गए शस्त्रों और गोला बारूद का विवरण नीचे दर्शाया गया है :

	1997	1998	1999
(क) राइफल ए के–47/56	1235	1020	1031
(ख) यूनिवर्सल मशीन गनें/ हलकी मशीन गनें	49	38	20
(ग) राइफलें	46	71	23
(घ) स्टेनगनें	02	01	03
(ङ) पिस्तौलें	535	280	270
(च) एकल बैरल/डबल बैरल गनें	101	90	72
(छ) राकेट प्रणोदक ग्रेनेड/ राकेट लांचर	31	213	124
(ज) प्रक्षेपास्त्र	–	–	08
(झ) विमान भेदी तोपें	–	–	01
(ञ) मोर्टार	–	37	49
(ट) विविध शस्त्र	–	14	39
(ठ) विस्फोटक (कि.ग्रा. में)	2311	.3333	2157
(ड) सुरेंगें	383	490	6623
(ढ) ग्रेनेड	6015	7175	7273
(ण) रेडियो सेट	250	288	311
(त) गोला बारूद (सभी प्रकार के)	215644	172183	166725

इन शस्त्रों और गोला बारूद के निर्माता देशों का पता नहीं चल सकता है क्योंकि अधिकांश मामलों में निशान मिटाए हुए होते हैं।

महाजन समिति की सिफारिशें

1179. श्री राजनारायण पासी :

श्रीमती कान्ति सिंह :

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चीनी उद्योग को नियंत्रित करने वाले नियम एवं विनियमों का अध्ययन करने के लिए गठित की गई उच्चाधिकार प्राप्त महाजन समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं;

(ग) इसकी शेष सिफारिशों को स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) श्री बी.बी. महाजन की अध्यक्षता में उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने चीनी अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर 141 सिफारिशें दी हैं। इस समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :-

(i) मिलों के लिए गन्ना क्षेत्रों का आरक्षण स्थाई आधार पर होना चाहिए।

(ii) औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रावधान जारी रहने चाहिए और दो चीनी मिलों के बीच न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर के पिछले स्तर पर बनी रहनी चाहिए।

(iii) चीनी के मूल्यों का पूर्णतया विनियंत्रण। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी की आपूर्ति दो वर्ष की अवधि समाप्त होने पर रोक दी जाए। यदि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी की आपूर्ति जारी रखना चाहती है तो वह आवश्यक मात्रा उद्योग अथवा व्यापार से खरीद सकती है। मूल्यों के पूर्ण-तया विनियंत्रण के पश्चात् भी निर्मुक्तियों पर नियंत्रण जारी रहना चाहिए।

(iv) गन्ने के मूल्य सांविधिक गन्ना मूल्य निर्धारण बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाएं।

2. इस समिति की उपर्युक्त प्रमुख सिफारिशों में से, सरकार ने अब तक निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :

(i) यद्यपि महाजन समिति ने कुछ सुधारों के साथ लाइसेंसिंग नीति को जारी रखने की सिफारिश की है, परन्तु सरकार महाजन समिति की सिफारिश से सहमत नहीं है और इसने चीनी उद्योग को लाइसेंस-मुक्त करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, सरकार महाजन समिति की इस सिफारिश से भी सहमत नहीं है कि दो चीनी इकाइयों के बीच की दूरी को 25 किलोमीटर तक बढ़ाया जाए तथा यह निर्णय लिया है कि 15 किलोमीटर की वर्तमान दूरी सीमा को जारी रखा जाए।

(ii) चीनी के विनियंत्रण के संबंध में सरकार ने 1.1.2000 से चीनी के घरेलू उत्पादकों पर लेवी की बाध्यता 40 प्रतिशत से कम करके 30 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) समिति की शेष सिफारिशों पर राज्य सरकारों, योजना आयोग और केन्द्र सरकार के अन्य संबंधित विभागों से परामर्श करके कार्रवाई की जा रही है और उन पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्रीलंका एयरलाइन्स द्वारा हैदराबाद हवाई अड्डे से भरने वाली उड़ानें

1180. डॉ. राजेश्वरम्मा वुक्कला : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर लंका एयरलाइन्स ने हैदराबाद हवाई अड्डे से अपनी कुछ उड़ानों को भरने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि हैदराबाद विमानपत्तन को अभी तक अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित नहीं किया गया है, इसलिए इस समय इस विमानपत्तन से विदेशी एयरलाइनों को सेवाएं प्रचालित करने की अनुमति नहीं दी गई है।

[हिन्दी]

चीनी और खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति

1181. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में उपलब्ध चीनी और खाद्य तेलों की आपूर्ति और मांग के बीच कितना अंतर है;

(ख) गत तीन वर्षों यथा 1997-98, 1998-99 और

1999–2000 के दौरान कितनी मात्रा में चीनी और खाद्य तेल आयात किया गया और इनका किस दर पर आयात किया गया और साथ ही उन देशों के नाम क्या हैं जहां से ये मदें आयात की गईं;

(ग) क्या सरकार को विदेश से आयात की गई घटिया किस्म के चीनी और खाद्यान्न तेलों के बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) (i) जहां तक चीनी का संबंध है यह उल्लेखनीय है कि देश में पिछले तीन चीनी मौसम (अक्तूबर–सितम्बर) वर्ष 1996–97 से 1998–99 तक के दौरान चीनी का उत्पादन तथा खपत निम्नवत थी :

(मात्रा लाख टन में)

चीनी मौसम (अक्तू.–सित.)	मौसम के प्रारंभ में पूर्वाशिष्ट	उत्पादन	घरेलू चीनी की घरेलू खपत
1996–97	79.07	129.05	136.75
1997–98	66.01	128.44	139.78
1998–99 (अ)	53.70	155.20	141.45

(अ) – अनंतिम

चीनी मौसम के प्रारंभ में चीनी के पूर्वाशिष्ट स्टॉक से तथा चीनी मौसम के दौरान चीनी के उत्पादन से चीनी की घरेलू खपत की मांग को पूर्णतया पूरा किया गया और देश में चीनी की कोई कमी नहीं हुई।

(ii) जहां तक खाद्य तेल का संबंध है मांग–आपूर्ति के अन्तर की स्थिति निम्नलिखित है :

(आंकडे लाख टन में)

तेल वर्ष	आपूर्ति	मांग	अन्तर
1996–97	70.90	83.72	12.83
1997–98	62.00	80.93	18.93
1998–99	72.61	91.99	35.06 (आयात/कमी) # #

उद्योग के अनुसार 43.94 लाख मी. टन तेल का आयात किया गया है।
(स्रोत वसा, वनस्पति तेल तथा वनस्पति निदेशालय)

(ख) (i) चीनी का आयात, खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल) के तहत विभिन्न निजी पार्टियों द्वारा किया गया है तथा सरकार व्यक्तिगत आयतों के खरीद मूल्यों इत्यादि का रिकार्ड नहीं रखती है। तथापि, वित्तीय वर्ष 1997–98, 1998–99 तथा 1999–2000 (नवम्बर 1999 तक) के दौरान आयात की गई चीनी की मात्रा निम्नलिखित है :–

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	मात्रा (मी. टन में)
1.	1997–98	346905
2.	1998–99	857691
3.	1999–2000 (नवम्बर 1999 तक)	884024

स्रोतः डी.जी.सी.आई.एस.–कलकत्ता।

उन देशों के नाम जहां से चीनी आयात की गई संलग्न विवरण में दिए गए है (डी.जी.सी.आई.एस–कलकत्ता के अनुसार)।

(ii) तेल वर्ष 1997–98, 1998–99 तथा 1999–2000 (नवम्बर–मार्च) के दौरान आयातित खाद्य तेल की मात्रा क्रमशः 20.84 लाख मी. टन, 43.93 लाख मी.टन तथा 9.72 लाख मी. टन है। आयात मुख्यतः मलेशिया, इंडोनिशिया, अर्जेन्टीना तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से किया गया।

(ग) और (घ) (i) जहां तक चीनी का संबंध है घटिया किस्म की चीनी आयात किए जाने के विषय में एक अनिश्चित शिकायत प्राप्त हुई थी। चूंकि यह मामला स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में आता है इसलिए मामले को संबंधित मंत्रालय को प्रेषित किया गया था। इस मंत्रालय ने महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा से भी अनुरोध किया है कि वे राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के संबंधित विभागों को आयातित के संबंध में खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम तथा इसके नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए अनिवार्य निर्देश जारी करें।

(ii) वसा, वनस्पति तेल तथा वनस्पति निदेशालय के कार्यालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रवर्तन मशीनरी को सक्रिय बनाने तथा गुणवत्ता उपायों को तीव्र करने के विषय में लिखा है। उन्होंने इस मामले से संबंधित नियमों तथा शर्तों के सख्त अनुपालन के लिए वनस्पति तेल उद्योग को भी लिखा है।

विवरण

जिन देशों से चीनी आयात की गई उनके नामों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	देश का नाम
1	2
1.	पाकिस्तान
2.	ब्राजील
3.	संयुक्त अरब अमिरात
4.	थाइलैंड
5.	मैक्सिको
6.	फ्रांस
7.	जर्मनी
8.	चीन गणराज्य
9.	सूडान
10.	इंगलैंड
11.	बैल्जियम
12.	सिंगापुर
13.	जापान
14.	मलेशिया
15.	नीदरलैंड
16.	इरान
17.	दक्षिण अफ्रीका
18.	चीन–तेइपी
19.	इंडोनेशिया
20.	कोरिया
21.	नेपाल
22.	कनाडा
23.	म्यन्मार
24.	फिलिपीन्स
25.	सऊदी अरब
26.	संयुक्त राज्य अमेरिका
27.	आस्ट्रेलिया
28.	इक्वेडर
29.	यूक्रेन

(स्रोतः डी.जी.सी.आई.एस.–कलकत्ता)

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में एस.टी.डी. टेलीफोन सुविधायें

1182. श्री रघुनाथ झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन रेलगाड़ियों में एस.टी.डी. टेलीफोन की सुविधायें उपलब्ध करायी गयी हैं;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इन टेलीफोनों में से अधिकांश का संचालन ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या यात्रियों को बेहतर सुविधायें मुहैया कराने के लिए रेलगाड़ियों में एस.टी.डी. की इस सुविधा को निजी कन्ट्रैक्टरों के हाथों में देने की सरकार की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) विवरण-I संलग्न है।

(ख) और (ग) ठीक ढंग से काम न करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बहरहाल, उपस्कर की खराबी की वजह से सेवा मुहैया न हो पाने के कतिपय मामले प्रकाश में आए हैं।

(घ) और (ङ) इस समय विदेश संचार निगम लि. के सहयोग से कुछ गाड़ियों में सेवा मुहैया कराई जा रही है और बाकी गाड़ियों में यह सेवा सेल्यूलर परिचालकों को किराए पर देकर मुहैया कराई जा रही है। जैसा कि संलग्न विवरण-II में दिखाया गया है।

विवरण-I

उन गाड़ियों के नाम जिनमें एस टी डी दूरभाष सुविधा मुहैया कराई गई है :

(i) रेल कर्मचारियों द्वारा संचालित तथा विदेश संचार निगम लि. द्वारा सप्लाई किए गए इनमारसेट दूरभाष का उपयोग करके

1. 2951/2952 नई दिल्ली–मुंबई राजधानी एक्सप्रेस
2. 2953/2954 हज़रत निजामुद्दीन–मुंबई अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस
3. 2301/2302 नई दिल्ली–हवड़ा राजधानी एक्सप्रेस (गया के रास्ते)
4. 2305/2306 नई दिल्ली–हवड़ा राजधानी एक्सप्रेस (पटना के रास्ते)
5. 2309/2310 नई दिल्ली–पटना राजधानी एक्सप्रेस*
6. 2421/2422 नई दिल्ली–भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस
7. 2423/2424 नई दिल्ली–गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस
8. 2427/2428 नई दिल्ली–अहमदाबाद राजधानी एक्सप्रेस*
9. 2435/2436 नई दिल्ली–गुवाहाटी–डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस*

*सी एस एन एल द्वारा इनमारसेट दूरभाष सेटों को बदला जा रहा है

विवरण-II

(ii) सेल्यूलर दूरभाष परिचालकों द्वारा मुहैया एवं संचालित सेल्यूलर दूरभाष का उपयोग करके

1. 2029/2030 नई दिल्ली–अमृतसर–स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस
2. 2017/2018 नई दिल्ली–देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस
3. 2003/2004 नई दिल्ली–लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस
4. 2001/2002 नई दिल्ली–भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस
5. 2005/2006 नई दिल्ली–कालका शताब्दी एक्सप्रेस
6. 2011/2012 नई दिल्ली–चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस
7. 2013/2014 नई दिल्ली–अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस
8. 2421/2422 नई दिल्ली–भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस
9. 2401/2402 नई दिल्ली–पटना श्रमजीवी एक्सप्रेस
10. 2419/2420 नई दिल्ली–लखनऊ गोमती एक्सप्रेस
11. 4257/4258 नई दिल्ली–वाराणसी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस

नए हवाई अड्डों और एयर फील्डों का विकास

1183. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से कुछ एयर फील्डों के विस्तार और कुछ नए हवाई अड्डों के विकास को रोकने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर पहले ही कितनी धनराशि खर्च की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार

1184. श्री मान सिंह पटेल : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुले बाजार में व्यापारियों को खाद्यान्न विक्रय करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियुक्त किए गए विपणन अधिकारियों द्वारा व्यापारियों के साथ मिली–भगत और सांठ–गांठ से गंभीर अनियमितताएं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के विरुद्ध राज्य–वार कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) कितने मामलों को सी.बी.आई. को भेजा गया और कितनों की जांच पूरी की गई हैं तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण को सरल और सुगम बनाने और वहां से भ्रष्टाचार को प्रभावी ढंग से समूल नष्ट करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य

मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) 1996–97 के दौरान गेहूं की खुली बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के प्रचालन के दौरान भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा की गई कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। राज्य पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध दो मामले दर्ज किए गए थे और अन्य के संबंध में भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी। गेहूं की खुली बिक्री (घरेलू) योजना में अनियमितताओं के लिए भारतीय खाद्य निगम के चूककर्ता कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों के सांख्यिकीय आंकड़ों को बताने विवरण संलग्न है।

(ग) 1997 की जनहित याचिका संख्या 915 में पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 25.7.1997 के आदेशों के अनुसरण में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कुल मिलाकर 13 (तेरह) अर्थात् हरियाणा में 6 और पंजाब में 7 मामले दर्ज किए हैं। इनमें से 3 मामले चल रहे हैं, 3 बंद कर दिए गए हैं, जैसा कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा उचित समझा गया है। 3 मामले कार्रवाई हेतु संस्तुत किए गए हैं, एक मामले के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है, पंजाब में एक मामले के लिए चार्जशीट तैयार की गई है, एक मामले में चार्जशीट तैयार करने के लिए हरियाण सरकार से मंजूरी आनी शेष और एक मामले को विभागीय कार्रवाई हेतु संस्तुत किया गया है। जैसा कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा संस्तुत किया गया है, चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

(घ) 1996–97 के पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए गेहूं की खुली बिक्री जनवरी, 1998 से मार्च, 1998 की अवधि के लिए चुनिंदा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के माध्यम से बाजार हस्तक्षेप उपाय के रूप में चलाई गई थी। पुनः नवम्बर, 1998 में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के माध्यम से गेहूं की खुली बाजार बिक्री योजना (घरेलू) चलाई गई थी। तथापि, केन्द्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम और वसूली एजेंसियों द्वारा गेहूं की रिकार्ड वसूली के कारण रोलर फ्लोर मिलों और व्यापारियों सहित सभी उपभोक्ताओं को गेहूं की चल रही खुली बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन गेहूं रिलीज करने का निर्णय लिया गया था। जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम सुनिश्चित करेंगे कि खरीदारों को स्टाक पहले आओ-पहले पाओ आधार पर जारी किया गया है।

विवरण

गेहूं की खुली बाजार बिक्री (घरेलू) योजना में अनियमितताओं के लिए भारतीय खाद्य निगम के चूककर्ता कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों के सांख्यिकीय आंकड़ों को बताने वाला विवरण

राज्य का नाम	वर्ष				
	1996	1997	1998	1999	जोड़
1	2	3	4	5	6
हरियाणा	2*	–	–	–	2
मध्य प्रदेश	1	1	–	–	2
महाराष्ट्र	1	–	–	–	1
गुजरात	1	–	–	–	1
कर्नाटक	1	–	–	–	1
केरल	1	–	–	–	1
तमिलनाडु	–	1	–	–	1
उड़ीसा	1	–	–	–	1
पश्चिम बंगाल	1	–	–	–	1
जोड़	9	2	–	–	11

* एक मामला राज्य पुलिस द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्थानांतरित किया गया था।

मणिपुर में पर्यटन का विकास

1185. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर में पर्यटन क्षेत्र के विकास से संबंधित कई प्रस्ताव सरकार के पास मंजूरी हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) 482.00 लाख रुपयों की प्राथमिकता प्रदत्त 13 परियोजनाओं में से, मणिपुर राज्य से प्राप्त 11 परियोजनाओं में से 224.44 लाख रुपयों की 8 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। यह परियोजनाएं राज्य सरकार के परामर्श से अभिनिर्धारित विभिन्न स्थानों पर, पर्यटक आवास, मार्गस्थ सुविधाओं, पर्यटक परिसरों तथा पर्यटक केन्द्रों से सम्बन्धित हैं।

[अनुवाद]

बिना टिकट यात्री

1186. श्री आर.एल. भाटिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलगाड़ियों में चलने वाले बिना टिकट यात्रियों को लेकर कोई विस्तृत अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा 1998 और 1999 के दौरान मंडल–वार/वर्ष–वार अधिकारियों द्वारा बिना टिकट यात्रा करने वाले कितने यात्रियों को पकड़ा गया और उनसे कितना जुर्माना वसूला गया; और

(ग) सरकार द्वारा बिना टिकट यात्रियों द्वारा की जाने वाली यात्रा पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) बिना टिकट यात्रियों के संबंध में हाल ही में कोई विशिष्ट व्यापक अध्ययन नहीं किया गया है। बहरहाल, टिकट जांच संगठन के कार्य की मासिक आधार पर मंत्रालय स्तर पर निगरानी की जाती है।

(ख) वर्ष 1998 और 1999 के दौरान बिना टिकट/अनियमित यात्रा के मामलों की संख्या और बकाया रेलवे की राशि का मंडल–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा विभिन्न जांचें करने के अलावा, क्षेत्रीय रेलें बिना टिकट यात्रियों की जांच के लिए विशेष और गहन अभियान भी चलाती हैं।

विवरण

रेलवे	मंडल	बिना टिकट यात्रा के मामलों की संख्या जिसमें जुर्माना लगाया गया (आंकड़े लाख में)		वसूल की गई राशि (लाख रुपए में)	
		1998	1999	1998	1999
1	2	3	4	5	6
मध्य					
	मुंबई	7.50	6.47	847.63	788.99
	भुसावल	2.00	1.89	293.94	330.72
	झांसी	4.87	6.65	541.60	726.61
	जबलपुर	1.83	1.63	244.77	235.37
	नागपुर	0.92	0.93	155.34	167.94
	भोपाल	1.31	1.27	148.67	154.63
	सोलापुर	0.74	0.79	109.54	121.75
पूर्व					
	सियालदह	2.69	3.17	239.15	329.50
	हवड़ा	2.56	2.69	215.75	277.30
	आसनसोल	1.01	1.29	109.71	179.50
	धनबाद	0.46	0.64	46.35	57.10
	दानापुर	2.17	2.59	159.43	171.50
	मुगलसराय	1.77	2.07	147.73	169.35
	मालदा	0.89	1.11	68.67	109.50

1	2	3	4	5	6
उत्तर					
	दिल्ली	8.53	12.79	786.88	972.84
	फिरोजपुर	2.12	2.72	274.15	330.97
	इलाहाबाद	5.89	6.05	805.03	948.98
	मुरादाबाद	3.65	3.52	397.18	385.59
	लखनऊ	2.22	2.72	281.18	360.34
	बीकानेर	0.81	0.81	71.39	76.83
	जोधपुर	0.65	0.80	64.98	78.03
	अम्बाला	2.18	2.56	308.81	357.17
पूर्वोत्तर					
	इज्जतनगर	0.83	1.03	67.32	87.28
	लखनऊ जं.	2.15	2.20	300.39	338.65
	वाराणसी	1.44	1.51	168.47	188.26
	समस्तीपुर	0.66	0.90	57.49	84.07
	सोनपुर	2.14	2.29	242.40	260.95
पूर्वोत्तर सीमा					
	कटिहार	0.49	0.50	58.58	70.91
	अलीपुरद्वार	0.54	0.56	64.74	76.34
	लमडिंग	0.41	0.43	46.58	50.70
	तिनसुकिया	0.09	0.10	17.01	16.51
दक्षिण					
	चेन्नई	1.60	1.88	106.67	131.89
	पालघाट	0.57	0.78	33.74	47.04
	त्रिवेन्द्रम	0.42	0.53	22.17	31.70
	तिरुचिरापल्ली	0.34	0.33	19.37	22.99
	मदुरै	0.24	0.29	13.38	16.49
	मैसूर	0.25	0.32	14.09	16.90

1	2	3	4	5	6
	बंगलौर	0.41	0.48	24.50	24.13
दक्षिण मध्य					
	विजयवाड़ा	2.02	2.14	357.00	409.53
	सिकंदराबाद	2.00	2.20	340.83	439.48
	गुंतकल	1.37	1.36	210.82	231.04
	हुबली	0.61	0.62	99.44	108.35
	हैदराबाद	0.89	1.12	126.14	171.52
दक्षिण पूर्व					
	खड़गपुर	1.72	1.73	92.35	93.24
	आद्रा	0.56	0.53	28.47	26.38
	चक्रधरपुर	1.12	1.13	59.62	59.02
	बिलासपुर	1.38	1.49	69.75	74.92
	नागपुर	1.08	1.12	55.82	56.32
	खुर्दा रोड	0.83	0.88	43.07	46.88
	वाल्तेरू	0.45	0.50	23.20	26.15
	संबलपुर	0.09	0.10	3.61	4.64
पश्चिम					
	मुंबई	7.16	6.50	777.81	784.61
	वडोदरा	3.52	3.50	408.67	448.57
	रतलाम	2.08	2.23	202.12	218.74
	कोटा	1.75	1.45	230.05	226.79
	जयपुर	0.93	0.86	98.81	95.40
	अजमेर	0.87	0.85	98.73	102.67
	राजकोट	1.26	1.07	112.85	116.45
	भावनगर	0.42	0.44	30.96	33.54

वैगनों की आपूर्ति

1187. श्री बी.वी.एन.रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत किन–किन स्टेशनों ने वैगनों की मांग की है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक स्टेशन ने कितने वैगनों की मांग और कितने सप्लाई किए गए;

(ग) विजियानगरम और श्रीकाकुलम जैसे कतिपय स्टेशनों को वैगनों की सप्लाई में कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) स्टेशनों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) दक्षिण मध्य रेलवे के सभी स्टेशनों में कुल मिलाकर मांगे गए और सप्लाई किए गए माल डिब्बों की संख्या के ब्यौरे (चौपहियों के हिसाब से) नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	मांगे गए माल डिब्बे		सप्लाई किए गए और भरे माल डिब्बे	
	ब.ला.	मी.ला.	ब.ला.	मी.ला.
1997–98	1832730	12275	1832665	12045
1998–99	1796047	9548	1795800	9490
1999–2000 (जनवरी, 2000 तक)	1763195	9828	1762560	7956

(ग) श्रीकाकुलम रोड में माल डिब्बों की सप्लाई की कोई कमी नहीं थी। विजियानगरम में भी (20.2.2000 को) लंबित मांग पत्र 18 पीस मील डिब्बों (चौपहिए माल डिब्बे अर्थात् 7 बीसीएक्स आठ पहियों वाले माल डिब्बे) जिन्हें पूरी रेक के निर्माण के लिए आवश्यक अतिरिक्त मांग पत्र की प्राप्ति पर डायरेक्शनल रेक से पूरा कर दिया जाएगा।

(घ) माल डिब्बों की मांग को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

क्रम सं.	स्टेशन	क्रम सं.	स्टेशन
1	2	1	2
सिंकदराबाद मंडल		**हैदराबाद मंडल**	
1	चिंताकानी	1	आदिलाबाद
2	चितयाला	2	औरंगाबाद
3	जगायापेट टाउन	3	जालना
4	खानामाम	4	जादेहरला
5	मंचेरियल	5	कांचेगुडा
6	मानिकगढ़	6	कुरनूल टाउन
7	नलगोंडा	7	महबूबनगर
8	न्यू गूड्स काम्प्लेक्स सनतनगर	8	नांदेड़
9	ओल्ड पंढारपवनी	9	आदिलाबाद
10	परली वैजनाथ	10	बासमत
11	पेद्दापल्ली	11	बोधन
12	रचनी रोड	12	कामरेड्डी
13	तांदूर	13	मुदखेड़ दम्प
14	वारंगल	14	निजामाबाद
15	वांगापल्ली	15	शिवानी शिवपुर
हुबली मंडल			
	बड़ी लाइन		
1	बेलगाम	8	कोल्हापुर
2	बीजापुर	9	कुलेम
3	कैसलरोड	10	कालेम
4	देसूर	11	लोनाद
5	गुंजी	12	लोंडा
6	हुबली	13	मिरज
7	करड़	14	मुनीराबाद

1	2	1	2
15	रामगढ़	22	तिपईघाट
16	सांगली	23	व्यासनखेडी
17	सतारा	24	वास्कोडिगामा
18	साश्वद रोड	25	यशवंतनगर
19	स्वामीबल्ली	26	घाटप्रभा
20	सुन्दरम बेन्च साइडिंग		**मीटर लाइन**
	स्टेशन	27	बागलकोट
21	सामवोरदेम	28	बीजापुर
	(कुदाचिक)	29	गदग
विजयवाड़ा मंडल			
1	आकीविडू	16	निड़दवोलू
2	भीमावरम	17	ओंगोल
3	बिक्कावोलू	18	पाडागुपडा
4	चेराला	19	पालाकोलू
5	द्वारापोंडी	20	पोंडूगुला
6	एलूरू	21	राजमुद्री
7	गुडीवडा	22	सिंगरायकोंडा
8	गुंदूर	23	सतकोवापल्ली
9	काकीनाड़ा बंदरगाह	24	ताडेपल्ली गुडेम
10	कृष्णा कैनाल	25	तनुकू
11	मिरियालागुड़ा	26	तेनाली
12	मछलीपट्टनम	27	तंगनतुरू
13	नाडीकुडे	28	विजयवाड़ा
14	नरसारावपेट	29	विशनुपुरम
15	नेल्लोर		

1	2	1	2
गुंतकल मंडल			
	बड़ी लाइन		
1	अडोनी	14	नांदयाल
2	अनन्तपुर	15	पपीनायकानहल्ली
3	बेल्लारी	16	रायचूर
4	बुगनपट्टी	17	रंजीतपुरा
5	बेतमाचेलरा	18	रायलचेरैया
6	बेलारी कैन्ट	19	रेणिगुंटा
7	कुडापल्ली	20	तोर्णागल्लू
8	कुम्बम	21	ताड़िपाणि
9	द्रोणाचेलरी	22	वेंडोडू
10	कसरीगनोटू	23	यादगीर
11	कटनी गन्नूरू	**मीटर लाइन**	
12	कोडूरू	24	अनंतपुर
13	मलकापुरम	25	चित्तूर

मात्र डिब्बा भार यातायात के लिए खोले गए स्टेशनों की संख्या

	सिकंदराबाद मंडल	**गुंतकल मंडल**	
1	बिदार	1	चांदागिरी
2	चित्तपुर	2	गूटी
3	हापिसपेटा	3	गुंतकल (मी.ला.)
4	बिकाराबाद	4	काठपाडि (मी.ला)
5	भद्राचलम रोड	5	मंगलयन रोड
	हैदराबाद मंडल	6	मुद्दामुनि
1	अकोला (मी.ला.)	7	मारकापुर
2	खंडवा (मी.ला.)	8	नलवाड़
3	मौला–अली (मी.ला.)	9	नारायणपेट रोड
4	नागरसोल	10	पकाला
5	पूर्णा जं.	11	येरागुंटला
6	परभनी जं.		
7	वशीम		

1	2
	विजयवाड़ा मंडल
1	अनकापल्ली
2	भीमडोलू
3	चिन्नागंजम
4	कवाली
5	कोव्वूर
6	कोडापल्ली
7	मचेरला
8	नरसापुर
9	निदमानूर
10	सामलकोट
11	तूनी
	सिंकदराबाद मंडल
1	एसोसिएशन सीमेन्ट कंपनी
2	कोठागुडम थर्मल पावर स्टेशन
3	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
4	बेलमपल्ली स्टोर
5	सेन्ट्रल स्क्रीनिंग प्लान कोलरी
6	सीमेन्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
7	फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया
8	फूड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया
9	फूड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया
10	फूड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया
11	फूड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया
12	फूड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया
13	फूड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया
14	फूड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया

1	2
	हुबली मंडल
1	चिकोड़ी रोड
2	देवराज
3	गोकक रोड
4	गदग
5	हगनी बोमन बल्ली
6	कोप्पल
7	रेबाग
8	उगतरैखुंड
9	हगरी (मी.ला.)

1	2
15	गोदावरी नं. 1 कोलरी
16	गोदावरी नं. 6 कोलरी
17	हैदराबाद एस्बेस्ट्स सीमेन्ट प्रोडक्स (हैदराबाद इंडस्ट्रीज)
18	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
19	कल्यान खनी नं. 1 कोलरी
20	कल्यान खनी नं. 3 कोलरी
21	केसोराम सीमेन्ट लि.
22	लार्सन एंड टुबरो लि.
23	लो टेम्परेटायर कैसोनाइजेशन
24	मनिकगस सीमेन्ट लि.
25	महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
26	न्यूक्लियर फ्यूल कांप्लेक्स
27	मद्रास सीमेन्ट लि.
28	नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशल लि.
29	ओरिएंट पेपर इंडस्ट्रीज
30	प्रियदर्शनी सीमेन्ट लि.
31	राजश्री सीमेन्ट लि.
32	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (विशाखापत्तनम स्टील प्लांट परियोजना)
33	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि.
34	शांतीखरी कोलरी
35	रामकृष्णापुरम माइन्स
36	स्टल्ट पिट कोलरी
37	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि.
38	सिरपुर पेपर मिल्स लि.
39	टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लि.
40	थर्मल बी. पावर हाउस

1	2
1	मांचेरियल
2	भद्राचलम रोड
3	लिंगमपल्ली
4	बेलमपल्ली
5	मनुगुरू
6	तांदूर
7	कुरकुंटा
8	रामागुंडम
9	सनाततननगर
10	खम्मम
11	काजीपेट
12	चेरलापल्ली
13	नलगोंडा
14	जम्मीकुंटा

1	2
15	रामागुंडम
16	रामागुंडम
17	सनथ नगर
18	चेरतापत्ती
19	बेलमपल्ली
20	बेलमपल्ली
21	राघनपुरम
22	गदचंदूर
23	मंचरियल
24	गदचंदूर
25	परली वैजनाथ
26	मौला–अली
27	जगैयापेट टाउन
28	रामागुंडम
29	मंदामरी
30	बोनाकालू
31	मलखेड रोड
32	जगैयापेट टाउन
33	कारेपल्ली
34	बेलमपल्ली
35	मौदामारी
36	सिंगरेनी कोलरीज
37	मौला–अली
38	सिरपुर कागजनगर
39	मौला–अली
40	रामागुंडम

1	2	
41	वसवादत्ता सीमेन्ट लि.	सेरम
42	वेस्टर्न कोल फील्स लि. (सस्ती कोल माइन्स)	न्यू पंधार पवनी
43	विष्णु सीमेन्ट लि.	जगैयापेट टाउन
44	आर्डिनेन्स फैक्टरी (डिफेन्स साइडिंग)	शंकरपल्ली
45	त्रिमूलघेरी मिलिट्री साइडिंग (डिफेन्स साइडिंग)	सिंकदराबाद
	आयल ले बाई	सनथनगर
46	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि.	नगारपल्ली
47	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	गंगीवेनी
48	बीपीसी/आईबीपी लि.	चेरलापल्ली
49	चेरापल्ली	
	विजयवाड़ा मंडल	
1	आंध्रा सीमेन्ट कंपनी बी.जी.आई.	विजयवाड़ा
2	ए पी एस ई बी	कोंडापल्ली
3	ए पी एस ई बी	पाडूपाडू
4	ए. पी. गवर्नमेंट पोर्ट	काकीनाड़ा पोर्ट
5	ए.पी गवर्नमेंट पोर्ट (एचएसएल प्रोडक्ट्स)	काकीनाड़ा पोर्ट
6	आंध्रा सुगर्स लि.	तनकू
7	आंध्रा सुगर्स लि.	कोव्वूर
8	ए पी डेरी डेवलपमेंट (संगम डेरी)	तेनाली
9	सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन	शयनपाडु
10	फूड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया	नुजविड
11	फूड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया	समालकेट
12	फूड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया	राजमुंद्री
13	फूड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया	गुलीवड़ा
14	फूड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया	पेररानाडा आगराहरम

1	2	
15	फूड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया	मिरियाल गुंडा
16	गोदावरी फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लि.	काकानाड़ा पोर्ट
17	आईटीसी (आईएलटीडी) लि.	चिराला
18	आईटीसी (आईएलटीडी) लि.	आनापर्ती
19	केसीपी (रामकृष्णा सीमेन्ट्स लि.)	मचेरला
20	नागार्जुन फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लि.	काकीनाड़ा पोर्ट
21	रासी सीमेन्ट लि.	विष्णुपुरम
22	एफसीआईपी	कृष्णा कैनाल
23	पीओएल साइडिंग फार मैसर्स आईओसी/बीपीसी	सरेडीपालेम
24	सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन	नाम्बूरू
	गुंतकल मंडल	
1	एपीएसईबी साइडिंग (आरटीपीपी)	मुडनुरू
2	सीमेन्ट कार्पोरेशन आफ इंडिया	येरागुंटला
3	फूड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया	बेल्लारी छावनी
4	फूड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया	तिमाचेरला
5	फूड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया	जंगलापल्ली
6	इंडिया सीमेन्ट लि.	कालामल्ला
7	जिन्दल विजयनगर स्टील्स लि.	तोरनगल्लू
8	कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लि.	कृष्णा
9	लैनको इंडस्ट्रीज लि.	राछागुनेरी
10	लारसन एंड टूब्रो लि.	जौतुरू
11	मैसूर पेट्रो केमिकल्स लि.	चिकसूगू
12	पानयम सीमेन्ट्स एंड मिनिरल इंडस्ट्रीज लि.	बुगन्नीपल्ली
13	जुवारी सीमेन्ट्स (भूतपूर्व टेकवाको लि.)	येरागुंतला

1	2	1	2
14	पेन्ना सीमेन्ट्स लि.		टाडपटेरी
15	रायचूर पब्लिक आयल साइडिंग		रायचूर
	हुबली मंडल		
1	फौरेन्टो लि.		यशवंत नगर
2	संदूर मैग्नीज एंड आयरन ओर लि.		यशंवत नगर
3	जनरल स्टोर्स डिपो		हुबली
4	सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन		मिरज
5	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.		भिलावाड़ी
6	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन		नवालूर
7	किरलोस्कर ब्रादर्स लि.		किरलोस्करवाडी
8	महाराष्ट्र गवर्नमेंट कजना हाइड्रो पावर कार्पोरेशन		कराड
9	वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स		अंबेवाड़ी
10	जुवारी एग्रो केमिकल्स लि.		संकवल
11	फूड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया		हुबली
12	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.		देसूर
13	गाडीगी मिनिरल माइजिंग लि.		यशवंत नगर
14	मैसूर पावर कार्पोरेशन लि.		अंबेवाड़ी
15	सन्दूर मैग्नीज एंड आयरन ओर लि.		व्यसनकेरे
16	इंडियन एल्युमीनियम		बेलगाम
17	इंडियन आयल कार्पोरेशन		बीजापुर
18	कोडिया इंडस्ट्रीज लि.		बागलकोट

मदुरई हवाई अड्डे का विस्तार

1188. श्री पी. मोहन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरई के व्यापारिक और व्यावसायिक समुदाय की मांग है कि मदुरई हवाई अड्डे का विस्तार किया जाए और इसे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, एक ही समय में 400 यात्रियों को हैंडल करने के लिए एक नये टर्मिनल भवन के निर्माण हेतु तथा विद्यमान धावनपथ को 6000 फुट से बढ़ाकर 7500 फुट तक विस्तार करने की भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की योजनाएं हैं।

गरीबी पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की रिपोर्ट

1189. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एन.आई.आर. डी.) ने देश में गरीबी के स्तर से संबंधित कोई रिपोर्ट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ने व्यापक अध्ययन हेतु किसी विशेष राज्य को लिया है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ने "भारतीय ग्रामीण विकास रिपोर्ट – 1999" प्रकाशित की है जिसमें गरीबी रेखा के नीचे की आबादी का राज्य–वार प्रतिशत (योजना आयोग द्वारा बनाए गए संशोधित विशेषज्ञ समूह के अनुसार) दिया गया है। वर्ष 1993–94 के अनुमानों के अनुसार 37.27 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करती है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ने रिपोर्ट में अध्ययन के लिए किसी विशेष राज्य को नहीं लिया है और गरीबी की स्थिति के विश्लेषण के लिए सभी राज्यों और राज्यों के सभी क्षेत्रों को भी शामिल किया है।

मुंबई रेल विकास निगम

1190. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान मुंबई रेल विकास निगम द्वारा आरंभ की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों के निर्धारण और प्राप्ति संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि कोई कमियां थीं तो उनके क्या कारण थे;

(ग) 2000–2001 हेतु मुंबई रेल विकास निगम ने क्या वित्तीय और वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(घ) आरंभ की गई परियोजनाओं की पूर्ति के लिए वित्तीय आवश्यकताओं का ब्यौरा क्या है और अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से अपेक्षित/प्राप्त/उपयोजित वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मुंबई रेल विकास निगम (मु.रे.वि.नि.) जो रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार का एक संयुक्त उद्यम है, की स्थापना रेल मंत्रालय के अधीन मुंबई शहरी परिवहन परियोजनाओं (एम.यू.टी.पी.) में शामिल रेल परियोजनाओं के निष्पादन करने के लिए की गई है। ऐसी पहचानी गई परियोजनाओं की एक सूची तैयार की गई है और इन्हें दो चरणों में शुरू किया जाना है।

प्रथम चरण की परियोजनाएं निम्न प्रकार हैं :

1. सान्ताक्रुज–बोरीविली 5वीं लाइन
2. कुर्ला थाणे 5वीं और छठी लाइन
3. बोरीविली–भयन्दर चौहरीकरण
4. भयन्दर–विरार–चौहरीकरण
5. पश्चिम रेलवे का अनुकूलन
6. मध्य रेलवे का अनुकूलन
7. डी सी का ए सी में बदलाव
8. ई.एम.यू. का पुनर्निर्माण

चरण–II की परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :

1. पांचवीं लाइन–कुर्ला–छ.शि.ट.
2. छठी लाइन बोरीविली–सांताक्रुज
3. पश्चिम रेलवे पर 12 कार लोकल लाइन
4. बन्दरगाह लाइन का अनुकूलन
5. मध्य रेलवे पर 12 कार लोकल लाइन
6. नई पूर्व–पश्चिम लाइन

परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों (पी.ए.पी.) की पुनर्स्थापना और पुनर्वास के साथ–साथ परियोजनाओं का निष्पादन इन दो चरणों में किया जाएगा। फिलहाल निम्नलिखित चार परियोजनाएं निष्पादनाधीन हैं। इनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

(लागत करोड़ रू. में)

परियोजना	अनुमोदन का वर्ष	लागत	2000–2001 के लिए प्रस्तावित परिव्यय
कुर्ला–थाणे चरण–I	1995–96	97.39	14
कुर्ला–थाणे चरण–II	1997–98	58.30	10
पांचवीं लाइन सांताक्रुज बोरीवली	1995–96	82.42	12
बोरीवली–विरार चौहरीकरण	1995–96	401.66	30

इन परियोजनाओं का वास्तविक लक्ष्य निधियों की उपलब्धता विश्व बैंक ऋण और परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों (पी.ए.पी.) के पुनर्स्थापना और पुनर्वास के पूरा होने पर निर्भर करेगा।

(च) पहचानी गई परियोजनाओं की कुल लागत 5000 करोड़ रुपए है। इनका वित्त पोषण महाराष्ट्र सरकार और भारतीय रेलों द्वारा 50:50 के अनुपात के आधार पर किया जाएगा। रेलवे बोर्ड और महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय सहायता के लिए विश्व बैंक से सम्पर्क किया और इस संबंध में वार्ता जारी है।

गुवाहाटी हवाई अड्डे पर अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था

1191. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी हवाई अड्डे पर हाल की कुछ घटनाओं से वहां पर अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विमानपत्तनों पर सुरक्षा प्रबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(i) पहले चरण में सभी चालू घरेलू हवाई अड्डों पर सुरक्षा ड्यूटियों के संबंध में राज्य पुलिस के स्थान पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) कार्मिकों की तैनाती। सीआईएसएफ ने पहले ही पटना, जयपुर, गुवाहाटी, बड़ोदरा तथा पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डों पर सुरक्षा ड्यूटियां संभाल ली हैं।

(ii) प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश के समय, यात्रियों तथा हैंड बैगेज की जांच–पड़ताल को और कड़ा कर दिया गया है। लेडर प्वाइंट पर दूसरी बार की जांच लागू कर दी गई है।

(iii) फोटो पहचान–पत्रों की व्यापक पुनरीक्षा तथा पास होल्डरों की संख्या प्रतिबंधित करने से हवाई अड्डों की पहुंच पर कठोर नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा रहा है तथा 31.3.2000 तक आगंतुकों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जा रहा है।

(iv) अतिरिक्त सुरक्षा सावधानी के बतौर यादृच्छिक रूप से उड़ानों में स्काई मार्शलों की तैनाती।

(v) सभी चालू हवाई अड्डों पर निर्धारित ऊंचाई तक चारदीवारी को ऊंचा उठाना।

(vi) पुरानी एक्सरे मशीनों को बदलना तथा जहां कहीं आवश्यक हो नई रंगीन एक्सरे मशीनों की संस्थापना करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कम–से–कम दो एक्सरे मशीनें प्रत्येक प्वाइंट पर उपलब्ध हैं।

(vii) हवाई अड्डों की सुरक्षा से सम्बद्ध तकनीकी ढांचे का चरणबद्ध ढंग से आधुनिकीकरण तथा स्तरोन्नयन कार्य किया जा रहा है।

गुप्तचर असफलता संबंधी आंतरिक जांच रिपोर्ट

1192. श्री उत्तम राव ढिकले :

श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ले. जनरल रेड्डी की अध्यक्षता में गठित समिति ने आंतरिक जांच रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें की गई मुख्य टिप्पणियां/सिफारिशें क्या हैं;

(ग) रिपोर्ट में दोषी पाए गए अधिकारियों का विवरण क्या है; और

(घ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज़) : (क) से (घ) जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ, उत्तरी कमान ने अपने चीफ ऑफ स्टॉफ लेफ्टि. जनरल ए. आर. के. रेड्डी को कारगिल संक्रियाओं का समग्र मूल्यांकन का निदेश दिया था। यह कार्य पूरा हो चुका है। यह मूल्यांकन जांच किस्म का नहीं था।

2. ऐसे मूल्यांकन सेना में सुस्थापित प्रक्रिया के हिस्से होते हैं और किसी संक्रिया से भविष्य के लिए सीख लेने के लिए विरचना कमांडर द्वारा कराए जा सकते हैं।

3. इस मूल्यांकन के पश्चात् सेना ने आंतरिक पुनरीक्षा की है।

खाद्यान्नों का आबंटन

1193. श्री सी. श्रीनिवास :

श्री रामानन्द सिंह :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को माह–वार चीनी, गेहूं, चावल तथा मिट्टी के तेल का कितना–कितना कोटा आबंटित किया गया है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): विभिन्न राज्यों को जनवरी, फरवरी और मार्च 2000 के महीनों के लिए आबंटित चीनी, गेहूं, चावल और मिट्टी के तेल का वर्तमान कोटा संलग्न विवरण क्रमशः I, II, और III में दिया गया है।

विवरण-I

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जनवरी–मार्च, 2000 तक चीनी का आबंटन (माह–वार तथा राज्य–वार)

(आंकड़े टन में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनवरी	फरवरी	मार्च
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	28267	28267	28267
2.	अरुणाचल प्रदेश	602	602	602
3.	असम	16411	15687	15687
4.	बिहार	36707	39707	36707
5.	गोवा	508	508	508
6.	गुजरात	17557	17557	17557
7.	हरियाणा	6996	6996	6996
8.	हिमाचल प्रदेश	3619	3619	3619
9.	जम्मू और कश्मीर	5404	5838	5404
10.	कर्नाटक	19117	19117	19117
11.	केरल	12368	12368	12368
12.	मध्य प्रदेश	28127	28127	28127
13.	महाराष्ट्र	33550	33550	33550
14.	मणिपुर	1288	1288	1288
15.	मेघालय	1239	1239	1239
16.	मिजोरम	483	483	483
17.	नागालैंड	847	847	847
18.	उड़ीसा	13456	14456	13456
19.	पंजाब	8619	8619	8619
20.	राजस्थान	18704	18704	18704
21.	सिक्किम	287	287	287
22.	तमिलनाडु	23741	23741	23741

1	2	3	4	5
23.	त्रिपुरा	1932	1932	1932
24.	उत्तर प्रदेश	67090	59122	59122
25.	पश्चिम बंगाल	28934	28934	28934
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	282	282	282
27.	चंडीगढ़	391	391	391
28.	दादरा और नगर हवेली	60	60	60
29.	दमन और दीव	43	43	43
30.	दिल्ली	11973	11973	11973
31.	लक्षद्वीप	81	81	81
32.	पांडिचेरी	472	472	472

विवरण-II

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जनवरी–मार्च, 2000 तक खाद्यान्नों का आबंटन (माह–वार तथा राज्य–वार)

(आंकड़े टन में)

क्रम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनवरी		फरवरी		मार्च	
सं.		चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	191700	13000	191700	13000	191700	13000
2.	अरुणाचल प्रदेश	9100	600	9100	600	9100	600
3.	असम	60000	10300	60000	10300	60000	10300
4.	बिहार	42280	63420	42280	63420	42280	63420
5.	गोवा	6330	2810	6330	2810	6330	2810
6.	गुजरात	26000	61500	26000	61500	4500	65000
7.	हरियाणा	0	13050	0	13050	0	13050
8.	हिमाचल प्रदेश	12230	11870	12230	11870	12230	11870
9.	जम्मू और कश्मीर	40000	30379	40000	30379	32211	30379
10.	कर्नाटक	75000	35000	75000	35000	75000	35000
11.	केरल	145320	37720	145320	37720	145320	37720
12.	मध्य प्रदेश	34350	41990	34350	41990	34350	41990

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	महाराष्ट्र	63540	100680	63540	100680	6000	115840
14.	मणिपुर	10000	1710	10000	1710	10000	1710
15.	मेघालय	17298	1000	17298	1000	17298	1000
16.	मिजोरम	10423	1010	10423	1010	10423	1010
17.	नागालैंड	10400	1730	10400	1730	10400	1730
18.	उड़ीसा	71226	30000	156074	30000	71226	30000
19.	पंजाब	960	5130	960	5130	960	5130
20.	राजस्थान	1030	54130	1030	54130	1030	54130
21.	सिक्किम	7310	100	7310	100	7310	100
22.	तमिलनाडु	165230	30000	165230	30000	165230	30000
23.	त्रिपुरा	16200	1280	16200	1280	16200	1280
24.	उत्तर प्रदेश	62200	127570	62000	127570	62000	127570
25.	पश्चिम बंगाल	42800	88350	42800	88350	42800	88350
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2500	750	2500	750	2500	750
27.	चंडीगढ़	300	1800	300	1800	300	1800
28.	दादरा और नगर हवेली	550	250	550	250	550	250
29.	दमन और दीव	600	200	600	200	600	200
30.	दिल्ली	12890	60400	12890	60400	12890	60400
31.	लक्षद्वीप	525	42	525	42	525	42
32.	पांडिचेरी	2000	750	2000	750	2000	750

विवरण-III

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जनवरी–मार्च, 2000 तक मिट्टी के तेल का आबंटन (माह–वार तथा राज्य–वार)

(आंकड़े टन में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनवरी	फरवरी	मार्च
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	55152	55051	54922
2.	अरुणाचल प्रदेश	858	858	858
3.	असम	22719	22719	22719

1	2	3	4	5
4.	बिहार	72503	72503	72503
5.	गोवा	2340	2340	2340
6.	गुजरात	69369	69369	69369
7.	हरियाणा	14311	14311	14311
8.	हिमाचल प्रदेश	5089	5089	5089
9.	जम्मू और कश्मीर	9192	9192	9192
10.	कर्नाटक	44264	44264	44264
11.	केरल	25173	25173	25173
12.	मध्य प्रदेश	55553	55553	55553
13.	महाराष्ट्र	131496	130008	128934
14.	मणिपुर	1898	1898	1898
15.	मेघालय	1747	1747	1747
16.	मिजोरम	679	679	679
17.	नागालैंड	1190	1190	1190
18.	उड़ीसा	26575	26575	26575
19.	पंजाब	28594	28594	28594
20.	राजस्थान	36939	36939	36850
21.	सिक्किम	658	658	658
22.	तमिलनाडु	60006	60006	60006
23.	त्रिपुरा	2713	2713	2713
24.	उत्तर प्रदेश	116771	116771	116771
25.	पश्चिम बंगाल	67692	67692	67692
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	561	561	561
27.	चंडीगढ़	1284	1284	1284
28.	दादर और नगर हवेली	270	270	270
29.	दमन और दीव	203	203	203
30.	दिल्ली	17056	17056	17056
31.	लक्षद्वीप	77	77	77
32.	पांडिचेरी	1280	1280	1280

ऐतिहासिक स्थलों के विकास के लिए विश्व बैंक की सहायता

1194. श्री आर.एल. जालप्पा : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में ऐतिहासिक स्थलों के सुधार के लिये विश्व बैंक से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक से कितनी राशि की सहायता मांगी गयी है; और

(ग) इस राशि से बेहतर बनाने हेतु प्रस्तावित ऐतिहासिक महत्त्व के स्थलों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्रों हेतु लक्ष्य

1195. श्री सी.के.जाफर शरीफ : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1998 तक सौर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य उन दस 'हाइफोकस एरियाज' में प्राप्त कर लिए गए हैं जिनकी कार्यान्वयन के लिए पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न अनुप्रयोगों/तैनातियों के संबंध में प्राप्त आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) से (ग) इस मंत्रालय ने सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पहली बार वर्ष 1997–98 के दौरान देश में दस क्षेत्रों की उच्च बल दिए जाने वाले क्षेत्र के रूप में पहचान की। कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाली राज्य एजेंसियों को सलाह दी गई कि वे इन उच्च बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में सौर लालटेन, घरेलू रोशनी प्रणालियों और सड़क रोशनी प्रणालियों जैसी सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के लिए उन्हें आबंटित किए गए लक्ष्य में से कम–से–कम 50% लक्ष्य का कार्यान्वयन करें। सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों को इस सलाह के दायरे में नहीं लाया गया है, क्योंकि ये मामला–दर–मामला आधार पर मंजूर किए जाते हैं। इसके अलावा दिसम्बर, 1998 तक प्राप्त किए जाने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। लक्ष्य सम्पूर्ण वर्ष के लिए रखे जाते हैं।

उच्च बल दिए जाने वाले क्षेत्रों वाले राज्यों में वर्ष 1998–99 के दौरान स्थापित किए गए सौर लालटेनों, घरेलू रोशनी प्रणालियों, सड़क रोशनी प्रणालियों और विद्युत संयंत्रों के संबंध में उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उच्च बल दिए जाने वाले क्षेत्रों वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 1998–99 के दौरान उपलब्धियां।

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सौर लालटेन (संख्या)	घरेलू रोशनी प्रणालियां (संख्या)	सड़क रोशनी प्रणालियां (संख्या)
1	अरुणाचल प्रदेश	1,028	152	–
2	असम	125	450	–
3	बिहार	10,085	249	–
4	जम्मू एव कश्मीर	1,800	2,484	–
5	मध्य प्रदेश	513	–	–
6	मणिपुर	500	50	–
7	मेघालय	500	–	–
8	मिजोरम	1,088	249	33
9	नागालैंड	–	–	–
10	उड़ीसा	1,034	579	1,014
11	राजस्थान	261	3,964	426
12	सिक्किम	–	4	–
13	त्रिपुरा	2,224	115	5
14	उत्तर प्रदेश	3,168	6,944	–
15	पश्चिम बंगाल	354	3,585	99
16	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	33	–	–
17	लक्षद्वीप समूह	1,000	–	55

वर्ष 1998–99 के दौरान उच्च बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र भी लगाए गए :

(i) मृत्युंजयनगर, सागर द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में 26 किवा.पा. एस.पी.वी. विद्युत सयंत्र।

(ii) कडमठ द्वीप, लक्षद्वीप समूह में 50 किवा. पा. एस पी वी विद्युत संयंत्र।

(iii) एन आर एस ई भवन, दक्षिण अंडमान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 9 किवा.पा. एस. पी. वी विद्युत संयंत्र।

(iv) नारकोडम, उत्तर अंडमान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 1.7 किवा. पा. एस पी वी विद्युत संयंत्र।

(v) बदाखारी, दक्षिण अंडमान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 10 किवा. पा. एस पी वी विद्युत संयंत्र।

(vi) लक्सी, टेरेसा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 2 × 4.48 किवा.पा. एस पी वी विद्युत संयंत्र।

(vii) एनम, टेरेसा, अंडमान एवं निकोबार, द्वीप समूह में 4.48 किवा.पा. एस पी वी विद्युत संयंत्र।

एयर इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी में कमी

1196. डॉ. नीतिश सेनगुप्ता : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी 50% से कम करने का निर्णय न लेने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस कदम से विदेशी एयरलाइन्स की तुलना में एयर इंडिया की प्रतियोगी क्षमता नहीं बढ़ेगी; और

(ग) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) मामला विचाराधीन है।

[हिन्दी]

रक्षा-प्राधिकारियों द्वारा स्क्रैप बेचना

1197. श्रीमती जयश्री बनर्जी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान रक्षा संबंधी स्क्रैप को बेचने से कितनी राशि प्राप्त हुई;

(ख) क्या स्क्रैप के नाम पर पुराने लेकिन चालू हालत के स्पेयर–पुर्जों को भी बेच देने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबध में गत पांच वर्षों के दौरान की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या स्पेयर–पुर्जों को कुछ ही सालों बाद स्क्रैप के रूप में बेच दिया जाता है, जबकि उनकी मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या स्क्रैप विक्रय को उनकी खरीद भंडार और उपयोगिता के अनुपात में आकलित किया जाता है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज़) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बेचे गए रक्षा संबंधी स्क्रैप का मूल्य इस प्रकार है :

वर्ष	स्क्रैप का मूल्य (लाख रुपए में)
1996–97	6306.46
1997–98	9461.90
1998–99	13837.84

(ख) से (ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) जिन रक्षा सामानों की मरम्मत मितव्ययी नहीं होती है और सेना के लिए जिनकी आगे कोई उपयोगिता नहीं होती है, उन्हीं को स्क्रैप के रूप में घोषित किया जाता है और उनकी बिक्री खुली निविदा/नीलामी के माध्यम से उपस्कर/हिस्से पुर्जे के रूप में ही की जाती है।

[अनुवाद]

भू-स्खलन

1198. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोंकण रेलवे सहित दक्षिण रेलवे में रेल लाइनों के किनारे भू–स्खलन की कुल कितनी घटनाएं हुई;

(ख) किन–किन स्थानों पर भू–स्खलनों के कारण रेल यातायात बाधित हुआ;

(ग) इसके कारण जानमाल की कितनी क्षति हुई;

(घ) भारतीय रेल विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों की मरम्मत करने और उन्हें ठीक करने में कुल कितना व्यय किया गया; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में भू–स्खलन की ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) 125।

(ख) दक्षिण रेलवे में त्रिवेंद्रम–नागरकोइल खंड, मेट्टूप्लयम उदगमंडलम खंड और कोंकण रेलवे के चार स्थानों पर यातायात में बाधा आई थी।

(ग) कुछ नहीं।

(घ) 26.64 करोड़ रुपये।

(ङ) निवारक उपाय स्थान की हालत पर निर्भर करते हैं जो मामला–दर–मामला भिन्न होते हैं और आमतौर पर दोनों रेलों पर भूस्खलन की घटना को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाए किए हैं :

1. कटाव में बगल की ढाल को सपाट करना।
2. कटाव से पानी और सीवेज पाइप लाइनों का बदलाव।
3. किनारे की नालियों कैच वाटर नालियों की मरम्मत, और संवेदनशील भद्दे कटावों में पानी की निकासी का सुधार।
4. जहां कहीं अपेक्षित है वहां पर दीवारों को यथा स्थिति में रखने की व्यवस्था।
5. धंसे हुए नाजुक भागों के लिए पुनर्बलित भूमि गेबियन की व्यवस्था।
6. जहां कहीं अपेक्षित है वहां पर काटना और ढकना।

[हिन्दी]

विद्युत स्टेशनों पर रेलवे की बकाया राशि

1199. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1999 की स्थिति के अनुसार रेलवे का एन. टी.पी.सी. दिल्ली विद्युत बोर्ड और गैर–सरकारी संयंत्रों पर कितनी राशि बकाया है; और

(ख) सरकार ने इस बकाया के भुगतान के लिए क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) 31.12.1999 के अनुसार स्थिति निम्नलिखित है :

विद्युत बोर्ड/विद्युत घर का नाम	31.12.99 की कुल बकाया	म.रे.	पू.रे.	उ.रे.	द.म.रे.	द.पू.रे.	प.रे.
1. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम	1/.3		2.51	13.99	0.47	0.06	
2. दिल्ली विद्युत बोर्ड	111.11			111.11			
3. निजी विद्युत घर साबरमती	0.89						0.89
4. बदरपुर ताप विद्युत घर*	1,001.27	0.05		1,001.22			
जोड़	1,130.3	0.05	2.51	1,126.32	0.47	0.06	0.89

* राष्ट्रीय ताप विद्युत घर के प्रबंधन के अधीन इकाई।

बदरपुर ताप विद्युत घर तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का बकाया अलग से दिखाया गया है क्योंकि बदरपुर ताप विद्युत घर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के प्रबंधन के अधीन एक पृथक इकाई है।

(ख) बकाया की वसूली तथा आगे और बकायों का संचय न हो इसके लिए किए गए कुछेक उपाय निम्नानुसार हैं :

(1) सभी राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत घरों में नए और बकायों में वृद्धि न हो, इसे रोकने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने 13.8.1996 को एक निर्णय लिया था कि कोयले का संचलन केवल "पूर्व भुगतान" के आधार पर किया जाएगा। यह निर्णय सभी राज्य विद्युत बोर्डों/बिजली घरों के लिए 1.10.96 से और बदरपुर ताप विद्युत घर तथा दिल्ली विद्युत बोर्ड के मामले में 01.01.1997 से लागू कर दिया गया था। इस उपाय से कई विद्युत घरों, बदरपुर ताप विद्युत घर जो अपने मासिक माल भाड़ा बिल की पूर्ति करने में असमर्थ था और 31.12.99 को

विद्युत घरों की कुल बकाया देय के 68% के लिए जिम्मेदार था, के बकायों को कम करने में सहायता मिली है।

(2) राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत घरों के प्रति भारी बकाया देयों का मामला मंत्रिमंडल के नोटिस में लाया गया था। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 7.2.1997 को आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया था कि केन्द्रीय योजना सहायता से कुल परिव्यय की 15% की दर से विनियोग द्वारा बकायों को समायोजित किया जाए तथा यथा अनुपात उन केन्द्रीय क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वितरित किया जाए जो विद्युत घरों से धन की लेनदार हैं। इस निर्णय से रेलों को दिसंबर, 1999 तक केन्द्रीय योजना सहायता से 116.93 करोड़ रुपए वसूल पाने में सहायता मिली है। इसमें बदरपुर ताप विद्युत घर के लेखे में 53 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के लेखे में 9 करोड़ रुपए की वसूली शामिल है।

(3) समय-समय पर संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत घरों के अधिकारियों के साथ बैठकें की गई हैं।

(4) रेल मंत्रालय ने विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से रेल मंत्री सहित विभिन्न स्तरों पर संपर्क किया है।

[अनुवाद]

शोलापुर-पकनी रेल लाइन का दोहरीकरण

1200. श्री माधवराव सिंधिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोलापुर रेलवे स्टेशन से यातायात का भार कम करने हेतु शोलापुर से पकनी तक की रेल लाइन के दोहरीकरण संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ग) इस प्रस्ताव की स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। गुलबर्गा से भिगवण तक जिसमें पकनी से सोलापुर तक का खंड शामिल है, की लाइन के दोहरीकरण हेतु एक सर्वेक्षण शुरू किया गया है। परियोजना की लागत तथा इसकी व्यवहार्यता का पता सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद ही चलेगा।

पूर्वोत्तर राज्यों में रेल नेटवर्क का विकास

1201. श्री एम.के.सुब्बा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में महत्त्वपूर्ण स्थानों पर रेल सेवाओं की वृद्धि सहित आवश्यक आमान परिवर्तन, रेल पटरियों का दोहरीकरण और रेलवे के विस्तार हेतु जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर राज्यों में सरकार द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जोगीघोपा से गोलपाड़ा तक नई लाइन पूरी हो गई है और गोलपाड़ा से कामाख्या (गुवाहाटी) तक नई लाइन 31.3.2000 तक पूरी हो जाएगी। हरमुटी से इटानगर दुघनोई से देपा, कुमारघाट से अगरतला, दिफू से करोंग और डिब्रूगढ़ और नार्थ बैंक लाइन के बीच संपर्क लाइन सहित बोगीबिल के समीप ब्रह्मपुत्र नदी पर रेल एवं सड़क पुल स्वीकृत किया गया है।

गुवाहाटी-लमडिंग-डिब्रूगढ़-चापरमुख-हैबरगांव का आमान परिवर्तन पूरा हो गया है। न्यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी-न्यू बोंगाईगांव के लिए आमान परिवर्तन और फकीराग्राम-धुबरी और अलीपुरद्वार-बामनहाट, लमडिंग-सिल्चर और कटखल-मैराबी के लिए शाखा लाइनों का कार्य शुरू कर दिया गया है।

[हिन्दी]

सारंगगढ़ का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

1202. श्री पी.आर. खूंटे : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सारंगगढ़ क्षेत्र को पर्यटन केन्द्र में बदलने का मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) पर्यटक स्थानों का विकास मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय प्रत्येक वर्ष

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के परामर्श से, प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटक परियोजनाओं के लिए, केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से, सारंगगढ़ को पर्यटक केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्राथमिकता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

अनुकम्पा आधार पर रोजगार

1203. श्री टी. गोविन्दन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष से रक्षा मंत्रालय के पास अनुकम्पा के आधार पर रोजगार पाने के कुल कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार ऐसे मामलों में रोजगार प्रदान करने हेतु शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही कर रही है; और

(ग) इन सभी लंबित मामलों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज़) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि का आबंटन

1204. प्रो. रासासिंह रावत : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान राजस्थान राज्य सरकार को राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना, समेकित ग्रामीण विकास योजना, परती भूमि विकास कार्यक्रम और रोजगार आश्वासन योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इन योजनाओं और ऐसी अन्य योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपर्युक्त सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धनराशि प्रदान की है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) वर्ष 1998–99 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान सरकार को जारी की गई राशियों का विवरण इस प्रकार है : (लाख रुपए)

1.	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	11941.63
2.	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	1404.00
3.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2084.00
4.	समन्वित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम	292.55
5.	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	6008.50
6.	सुनिश्चित रोजगार योजना	8935.00

(ख) से (घ) राजस्थान सरकार ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 503.58 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि का अनुरोध किया था जो 1998–99 के दौरान जारी कर दी गई थी।

[अनुवाद]

विदेश के मीडिया-प्रतिनिधि

1205. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन मंत्रालय अपने "आतिथ्य कार्यक्रम" के अंतर्गत देश में पर्यटन के महत्त्व वाले विभिन्न स्थानों की यात्रा कराने के लिए विदेशी मीडिया प्रतिनिधियों को आमंत्रित करता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आमंत्रित किए गए मीडिया प्रतिनिधियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है और उन्हें यात्रार्थ किन राज्यों में ले जाया गया; और

(ग) इससे देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस सीमा तक मदद मिली है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यटन मंत्रालय के आतिथ्य कार्यक्रम के तहत वर्ष 1997, 1998 और 1999 के दौरान भारत आए मीडिया प्रतिनिधियों की संख्या इस प्रकार है :

1997	1998	1999
149	136	147

इन मीडिया प्रतिनिधियों ने जिन राज्यों/संघ राज्यों का दौरा किया उनमें शामिल हैं–दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और

कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश।

(ग) विदेशी मीडिया प्रतिनिधियों के आगमन के फलस्वरूप लेखों, फोटोग्राफों प्रदर्शनियों तथा टी वी फिल्मों /वृत्तचित्रों के माध्यम से, पर्यटक जनक बाजार में भारत की पर्यटन संभावनाओं के प्रति जागरूकता लाने में अधिक सहायता मिली है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन

1206. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 24 दिसम्बर, 1999 को हुई खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रियों की अन्तर्राज्यीय बैठक के दौरान अनिवार्य वस्तु अधिनियम को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने का मुद्दा उठाया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किन मुख्य मुद्दों को उठाया गया था;

(ग) क्या उक्त बैठक केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने बुलाई थी जिसमें मिट्टी के तेल की बिक्री में बड़े पैमाने में अनियमितताओं का पता चला था;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त वार्ता का क्या निष्कर्ष निकला; और

(ङ) मिट्टी के तेल की बिक्री में की जा रही अनियमितताओं को रोकने के लिए कौन–कौन से कदम उठाने का विचार है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी.श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एस.के.ओ. कोटे के आबंटन व उपयोग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल की वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने, मिलावट को रोकने आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 23–24 दिसम्बर, 1999 को नई दिल्ली में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के खाद्य और राज्य नागरिक आपूर्ति मंत्रियों और सचिवों की एक बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान महाराष्ट्र सरकार सहित अधिकांश राज्यों ने आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा उसके तहत जारी किए गए विभिन्न नियंत्रण आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन, मिलावट को रोकने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल के वितरण को सुप्रवाही बनाने आदि जैसे मुद्दे उठाए।

मिट्टी के तेल की बिक्री में अनियमितताओं को रोकने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल को नीला रंग दिया गया है ताकि बाजार में बिकने वाले तेल से वह अलग दिखाई दे।

(ख) राज्य सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्डधारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल का एक समान वितरण करने का निर्णय किया है और जिन उपभोक्ताओं के पास दो गैस सिलेंडर हैं उनको मिट्टी का तेल नहीं दिया जाएगा।

(ग) औचक छापे मारने का एक विशेष अभियान चलाया गया है।

विद्युत रेल इंजनों का क्रय

1207. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड (बी.एच.इ.एल) से विद्युत रेल इंजन खरीद रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1988–89 से 1994–95 तक मैसर्स बी.एच.ई.एल. से 95 अदद बिजली रेल इंजन खरीदे गए हैं और वर्ष 1996–97 से 1999–2000 तक निर्माण स्वामित्व पट्टा और हस्तांतरण (बोल्ट) योजना के अंतर्गत 65 अदद रेल इंजन प्राप्त किए गए हैं। विवरण निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	खरीदे गए/पट्टे पर दिए गए रेल इंजनों की संख्या	
1	2	
1988–89	05	खरीदे गए 95 अदद
1989–90	06	
1990–91	05	
1991–92	19	
1992–93	12	
1993–94	18	

1	2	
1994–95	10	खरीदे गए 95 अदद
1995–96	20	
1996–97	20	पट्टे पर 65 अदद
1997–98	28	
1998–99	05	
1999–2000	12	
जोड़	160	

इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर घूस की घटनाएं

1208. श्री रवि प्रकाश वर्मा :

श्री रामचन्द पासवान :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर हाल ही में क्लोज सर्किट टीवी के माध्यम से हवाई अड्डे के अधिकारियों द्वारा घूस लिए जाने की घटनाओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सामग्री आवश्यक कार्यवाही हेतु दिल्ली पुलिस को भेज दी गई है।

सोया-तेल पर आयात-शुल्क

1209. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोया–तेल पर आयात–शुल्क 60 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या खाद्य तेलों पर आयात–शुल्क में भारी कमी करने से किसानों को हानि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ङ) क्या मध्य प्रदेश सरकार और व्यापार तथा किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य निकायों ने सोया–तेल तथा अन्य खाद्य तेलों पर आयात–शुल्क में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (घ) सोयाबीन तेल सहित खाद्य तेलों पर जो अप्रैल, 1994 में 65 प्रतिशत शुल्क था जिसे घरेलू बाजार में तेलों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण मार्च, 1995 में 30 प्रतिशत, मार्च, 97 में 22 प्रतिशत और जुलाई, 98 में 15 प्रतिशत तक उत्तरोत्तर कम किया गया था। मार्च 1999 में इसे बढ़ाकर 16.5 प्रतिशत कर दिया गया था।

(ङ) से (छ) सरकार को व्यापार और किसानों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए कि वे अत्यधिक आयातित तेल आने से प्रभावित हुए थे। सरकार ने अभ्यावेदनों की जांच की और 30.12.1999 से रिफाइन्ड तेलों पर आयात शुल्क 16.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 27.5 प्रतिशत (अधिभार सहित) कर दिया। यद्यपि कच्चे वनस्पति तेल पर आयात शुल्क 16.5 प्रतिशत तक ही रखा गया है, तथापि, इसे वास्तविक उपभोक्ता शर्त के अधीन रखा गया है ताकि केवल घरेलू प्रसंस्करण उद्योग इस प्रकार का तेल आयात कर सके। शुल्क में वृद्धि किसानों को अपने उत्पादन के लिए अच्छा मूल्य प्राप्त करने में सहायता करने तथा घरेलू तिलहन प्रसंस्करण उद्योग को उनकी उपयोगिता क्षमता में सुधार करने और देश में अधिक मूल्यवर्धिता प्राप्त करने में सहायता करने के उद्देश्य से प्रभावी की गई है।

[हिन्दी]

पेयजल हेतु विदेशी सहायता

1210. श्री राम टहल चौधरी: क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान क्रमशः एशियाई विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने विभिन्न राज्यों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राज्य–वार कितनी वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) इनमें से आज तक कार्यान्वित राज्य–वार परियोजनाओं के नाम क्या–क्या हैं और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए.राजा) : (क) और (ख) विदेशी सहयोग से देश में निम्नलिखित समेकित (ग्रामीण/शहरी) जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजनाएं शुरू की गई हैं/की जा रही हैं :

(1) विश्व बैंक की सहायता से महाराष्ट्र में 10 जिलों के 560 गांवों को कवर करने वाली महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजना 140.8 मिलियन अमरीकी डालर की परियोजना लागत से शुरू की गई थी और यह परियोजना 1991 में शुरू हुई और जून, 1998 में पूरी हुई।

(2) विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश के 19 जिलों के 1000 गांवों को लाभ देने के लिए लक्षित और 71.0 मिलियन अमरीकी डालर की लागत वाली उत्तर प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजना शुरू की गई है। परियोजना का कार्यान्वयन अगस्त, 1996 में शुरू हुआ और मई 2002 तक पूरा होने की आशा है।

(3) विश्व बैंक की सहायता से कर्नाटक के 16 जिलों के 1113 गांवों को कवर करने के लिए 92.0 मिलियन अमरीकी डालर की अनुमानित लागत वाली कर्नाटक समेकित ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजना शुरू की गई है। परियोजना का कार्यान्वयन 1993 में शुरू हुआ और इसके सितम्बर, 2000 तक पूरा होने की आशा है।

(4) विश्व बैंक की सहायता से 657 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की II चेन्नई जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना शुरू की गई है। यह परियोजना 20.11.95 को शुरू हुई और इसके 30.06.2000 तक पूरा होने की संभावना है।

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक से प्राप्त सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

राज्य	परियोजना का नाम	प्राप्त सहायता (मिलियन अमरीकी डालर)		
		1997–98	1998–99	1999–2000*
महाराष्ट्र	महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना	13.024	19.908	
कर्नाटक	कर्नाटक समेकित ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना	8.134	29.119	10.276
उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना	0.703	6.258	0.412
तमिलनाडु	II चेन्नई जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना			34.2 **

* अक्तूबर 1999 तक

** दिसम्बर, 1999 तक संचयी

एशियाई विकास बैंक अथवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किसी भी राज्य को केवल पेयजल मुहैया कराने के लिए किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गयी थी।

[अनुवाद]

लेजर द्वारा चलाए जाने वाले रूसी गोलों की खरीद

1211. श्रीमती रानी नरह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना सरकार पर 150 करोड़ रुपए के लेजर द्वारा चलाए जाने वाले रूसी 155 क्रासनोपोल–एम.के. 1000 गोलों को खरीदने के लिए दबाव डाल रही है,

(ख) यदि हां, तो क्या अधिक ऊंचाई पर गोलाबारी के परीक्षण के दौरान प्रक्षेपक उपयुक्त रूप से काम करने में असफल रहा;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन गोलों की खरीद करने के संबंध में कोई अंतिम निर्णय ले लिया है अथवा वह किसी अन्य विकल्प पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज़) : (क) खरीद करने संबंधी एक प्रस्ताव पर कारवाई की जा रही है।

(ख) से (घ) पर्वतीय परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं। सेना मुख्यालय ने अभी अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है जिसके कारण इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

दीमापुर हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल काम्पलेक्स

1212. श्री भीम दाहाल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीमापुर हवाई अड्डे पर नये टर्मिनल काम्पलेक्स के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक बना दिया जाएगा; और

(ग) इस परियोजना पर कितना खर्च आएगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) दीमापुर विमानपत्तन पर 14.90 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एक नये टर्मिनल भवन से 23.7.97 से कार्य करना आरंभ कर दिया है।

आयातित वस्तुओं की लागत

1213. प्रो. आर. आर. प्रमाणिक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार फ्लैंज–020103502240 हैक्सागोनल स्क्रिव–04050070050, गॉस्केट–21001930180, लॉकिंग प्लेट–02010060580, वाशर 04050040800 और सिलेंड्रीकल स्क्रिव–50420020560 को कितनी–कितनी कीमतों पर खरीद रही है;

(ख) क्या इन वस्तुओं की भारतीय कीमतें आयातित वस्तुओं की कीमतों से भिन्न हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज़) : (क) से (ग) संसद सहित विभिन्न मंचों पर रक्षा सेनाओं के लिए कलपुर्जों की खरीद में अनियमितताओं के हाल के आरोपों के परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया है कि अन्य बातों के साथ–साथ नौसेना की जरूरत के लिए अत्यधिक तथा गलत तरीके से खरीदे गए कलपुर्जों के आरोपों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जांच कराए जाने की जरूरत है। तदनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से विगत में की गई खरीदों की समीक्षा/विशेष लेखा परीक्षा करने का अनुरोध किया गया है। इस समय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय इस मामले से अवगत है।

2. इसके अतिरिक्त, इस प्रश्न की विषय वस्तु का 14.1.2000 को दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिकाओं में भी उल्लेख है, जिसकी सुनवाई 27 अप्रैल, 2000 को होनी है।

रेलवे स्टेशनों का विकास

1214. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

श्री बृजलाल खाबरी :

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

श्री ए. ब्रह्मनैया :

श्री चिंतामन वनगा :

श्री पी. मोहन :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री राजो सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ रेलवे स्टेशनों को मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे रेलवे स्टेशनों का जोन–वार ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित करने के लिए चुने गए स्टेशनों की रेलवे–वार सूची नीचे दी गई है :

रेलवे	स्टेशनों के नाम
1	2
मध्य	आगरा छावनी, भोपाल, भुसावल, फरीदाबाद, जबलपुर, झांसी, मुम्बई छ.शि.ट., नागपुर, पुणे, सोलापुर।
पूर्व	आसनसोल, बंडेल, वर्धमान, धनबाद, गया, हावड़ा, मालदा टाउन, मोकामा, नालन्दा, पटना, सोनारपुर, सियालदह।
उत्तर	इलाहाबाद, अम्बाला छावनी, अलीगढ़, अमृतसर, आनंदपुर साहिब, अयोध्या, बीकानेर, चंडीगढ़, दिल्ली, नई दिल्ली, देहरादून, फिरोजपुर, हरिद्वार, हजरत

1	2
	निजामुद्दीन, जम्मूतवी, जलंधर सिटी, जोधपुर, कालका, कानपुर सेन्ट्रल, लुधियाना, लखनऊ, मुरादाबाद, शिमला, वाराणसी।
पूर्वोत्तर	छपरा, दरभंगा, गोरखपुर, काठगोदाम, मुजफ्फरपुर, बरौनी, सोनपुर।
पूर्वोत्तर सीमा	न्यू अलीपुरद्वार, धर्मनगर, गुवाहाटी, कटिहार, डिब्रूगढ़ टाउन, कोकराझार, न्यू जलपाइगुड़ी, न्यू तिनसुकिया, न्यू बोंगाइगांव, सिल्चर।
दक्षिण	बेंगलूरू, चेन्नै, चेन्नै एग्मूर, कोयम्बतूर, एर्णाकुलम, मेंगलोर, मैसूर, मदुरै, पालघाट, शिमोगा, त्रिचूर, तिरूच्चिरापल्ली, त्रिवेन्द्रम।
दक्षिण मध्य	गुन्टूर, गुन्तकल, हैदराबाद, होसपेट, हुबली, मडगांव, नांदेड, राजमुण्द्री, सिकन्दराबाद, तिरूपति, विजयवाड़ा, वारंगल।
दक्षिण पूर्व	भुवनेश्वर, बालासोर, बेरहमपुर, बिलासपुर, बैरी, बदखंडिता, कटक, धेनकानल, दुर्ग, गोलन्थरा, कपिलस रोड, खड़गपुर, खोरदा रोड़, मिदनापुर, पुरी, रहमा, रांची रायपुर, राउरकेला, सुरला रोड, टाटानगर, विसाखापटनम।
पश्चिम	अजमेर, अहमदाबाद, भावनगर, चित्तौड़गढ़, दादर, इन्दौर, जयपुर, कोटा, राजकोट, सूरत, उदयपुर, बड़ोदरा।

[अनुवाद]

भारत-पाक सीमा पर गोलाबारी

1215. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री अधीर चौधरी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 नवम्बर, 1999 'द स्टेट्समैन' में 'पाक, इंडिया एग्री टू एंड अनप्रोवोकड फायरिंग' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अकारण होने वाली गोलाबारी को पूरी तरह से रोकने के लिए कोई समझौता पाक अधिकारियों के साथ हुआ था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त समझौते के बाद से कितनी बार अकारण गोलाबारी की सूचना प्राप्त हुई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज़) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तानी रेंजरों के बीच नवंबर, 1998 में लाहौर में हुई छमाही बैठक के दौरान जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आस-पास अकारण गोलीबारी को रोकने के लिए एक समझौता किया गया था जिसे 23 नवंबर, 1998 से प्रभावी रूप से कार्यान्वित कर दिया गया था। इसके बाद सीमा के निकट के बहुत से ग्रामवासी, जो अन्य क्षेत्रों में चले गए थे, अपने-अपने गांवों को लौट गए। किंतु पाकिस्तान ने एक बार फिर संभवतः कारगिल संघर्ष के परिणामस्वरूप, अकारण गोलीबारी शुरू कर दी और सीमा सुरक्षा बल तथा पाकिस्तानी रेंजरों के बीच नवंबर, 1999 में लाहौर में हुई छमाही बैठक होने तक उनकी ओर से यह अकारण गोलीबारी जारी रही। इस बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी और इस पर सहमति हुई कि अब अकारण गोलीबारी नहीं होगी।

(घ) पाकिस्तान की ओर से अकारण गोलीबारी जारी है। पाकिस्तानी सैन्य बलों की गोलीबारी का हमारे सैन्य बलों द्वारा प्रभावी व समुचित जवाब दिया जाता है।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा विमानों की खरीद

1216. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जनवरी, 2000 के दि टाइम्स आफ इंडिया में 'हू विल पे फॉर न्यू आई.ए. एयरक्राफ्ट' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, हां। प्रकाशित समाचार में मुख्यतः इस तथ्य पर जोर दिया गया था कि क्या इंडियन एयरलाइंस कंपनी में इक्विटी के 51 प्रतिशत विनिवेश करने संबंधी सरकार के निर्णय के दृष्टिगत 325 करोड़ रुपए की इक्विटी प्राप्त करेगी।

(ग) विमानों के अर्जन/प्रतिस्थापन के लिए उपांत धन के रूप में इंडियन एयरलाइंस में 325 करोड़ रुपए की इक्विटी के लिए सरकार द्वारा लिए गए पूर्व-निर्णय की समीक्षा नहीं की गई थी।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत परियोजना

1217. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में चल रही प्रस्तावित अपारंपरिक ऊर्जा पैदा करने संबंधी परियोजनाओं का क्षमता–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी निजी क्षेत्र की परियोजना को मंजूरी दी गई है/विचारधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) से (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय तमिलनाडु राज्य सहित पूरे देश में, पवन विद्युत, लघु पन बिजली, बायोमास विद्युत/सहउत्पादन, अपशिष्ट से ऊर्जा, सौर प्रकाशवोल्टीय इत्यादि के अंतर्गत ऊर्जा/विद्युत के उत्पादन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। यह मंत्रालय विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा/विद्युत के उत्पादन में निजी क्षेत्रों की भागीदारिता को प्रोत्साहित करता है और पवन विद्युत, बायोमास/सहउत्पादन, लघु पन बिजली, अपशिष्ट से ऊर्जा आदि के अंतर्गत परियोजनाएं अधिकांशतः निजी क्षेत्रों में हैं। तमिलनाडु राज्य में स्थापित और स्थापनाधीन अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन करने वाली परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

तालिका 1 : तमिलनाडु राज्य में स्थापित की गई स्थापनाधीन अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन करने वाली परियोजनाओं के ब्यौरे।

क्रम सं.	कार्यक्रम/क्षेत्र	स्थापित क्षमता (सं.)	स्थापनाधीन क्षमता (सं.)
1.	पवन विद्युत	758 मे.वा.	–
2.	लघु पन बिजली	1.95 मे.वा. (1)	4.5 मे.वा. (3)
3.	बायोमास विद्युत/सह–उत्पादन	13.5 मे.वा. (2)	8 मे.वा. (1)
4.	अपशिष्ट से ऊर्जा	0.03 मे.वा. (1)	1.70 (2)
5.	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत पैक	21 कि.वा.पी. (3)	3.3 कि.वा.पी (3)
6.	बायोमास गैसीफायर प्रणालियां	853 कि.वा. (73)	80 कि.वा. (4)
7.	बायोगैस संयंत्र (पारिवारिक आकार)	1,94,450 सं.	1500 सं.
8.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र	177 सं.	5 सं.
9.	उन्नत चूल्हा	26,26,000 सं.	10000 सं.
10.	सौर प्रकाशवोल्टीय लालटेन	5,205 सं.	1000 सं.
11.	सौर प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी प्रणालियां	21 सं.	200 सं.
12.	सौर प्रकाशवोल्टीय सड़क रोशनी प्रणालियां	2,043 सं.	80 सं.
13.	जल पंपन पवन चक्कियां	39 सं.	10 सं.
14.	लघु एरो जनरेटर	9 कि.वा.पी. (3)	16.5 कि.वा. (4)
15.	सौर प्रकाशवोल्टीय पंप	72 सं.	–

कि.वा.पी. = किलोवॉट पीक

मे.वा. = मैगावाट

कि.वा. = किलोवॉट

विद्युत और डीज़ल इंजन की आर्थिक संभाव्यता

1218. श्री अन्ना साहेब एम.के. पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम लागत के संदर्भ में विद्युत शक्ति और डीज़ल चालित इंजन के तुलनात्मक लाभ क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष रेल द्वारा डीज़ल की कुल कितनी खपत की जाती है;

(ग) क्या डीज़ल चालित इंजन की तुलना में विद्युत चालित इंजन सस्ते पड़ते हैं; और

(घ) यदि हां, तो रेल मार्गों के शीघ्र विद्युतीकरण के लिए और परिचालन लागत को काफी कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है और वर्ष 2000–2001 और अगले पांच वर्षों के लिए बनाई गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ग) किसी कर्षण प्रणाली की लागत सार्थकता विभिन्न कारकों यथा किसी खंड के यातायात घनत्व, ढलान, सापेक्ष ईंधन/ऊर्जा मूल्यों, अंतर्ग्रस्त पूंजी, परिचालनिक तथा अनुरक्षण लागतों आदि पर निर्भर करती है। डीजल तथा बिजली इंजनों की सापेक्ष अर्थक्षमता का आकलन प्रति हजार रुपए सकल टन किलोमीटर के हिसाब से कर्षण विनिर्दिष्ट लाइन हॉल लागतों के रूप में किया जाता है। 1997–98 के लिए अद्यतन आंकड़े निम्नानुसार हैं।

	माल सेवाएं	यात्री सेवाएं
डीजल	80.59	115.18
बिजली	76.61	138.46

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलों द्वारा उच्च गति डीजल तेल की खपत का ब्यौरा मिलियन लीटर में नीचे दिया गया है :

वर्ष	कर्षण प्रयोजन							गैर कर्षण	कुल जोड़
	बड़ी लाइन		मीटर लाइन		छोटी लाइन		जोड़		
	मुख्य लाइन	शंटिंग एंव विभागीय	मुख्य लाइन	शंटिंग एवं विभागीय	मुख्य लाइन	शंटिंग एवं विभागीय			
1996–97	1465.51	155.38	200.43	24.16	7.6	6.34	1859.44	30.46	1889.9
1997–98	1507.15	168.00	158.01	27.24	7.4	6.23	1874.14	30.28	1904.4
1998–99	1541.06	167.64	158.28	20.16	7.4	6.17	1900.80	31.63	1932.4

(घ) स्वीकृति के लिए रेल विद्युतीकरण के कार्य पर विचार वित्तीय मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। जिस मामले में प्रतिफल की आंतरिक दर 14% से अधिक है। कुछ मामलों में यह परिचालनिक कारणों से भी औचित्यपूर्ण होता है। बहरहाल, विद्युतीकरण का निष्पादन धन की उपलब्धता के अध्यधीन होता है। 2000–01 और अनुवर्ती वर्षों के दौरान रेलें 500 मार्ग किलोमीटर की दर से विद्युतीकरण की योजना बना रही हैं, बशर्ते धन उपलब्ध हो।

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम हेतु प्रस्ताव

1219. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता मांगते हुए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस प्रयोजनार्थ वर्तमान आबंटन राशि को बढ़ाने और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए प्रत्येक घर में शौचालय–निर्माण हेतु 2000/– रुपए प्रति इकाई की राज सहायता भी प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक सरकार से 1999–2000 के दौरान बेल्लारी, मैसूर और मंगलूर (दक्षिण कन्नड़) जिलों के लिए तीन परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। परियोजनाओं में वैयक्तिक गरेलू शौचालयों का निर्माण, महिलाओं के लिए स्वच्छता परिसर, विद्यालय स्वच्छता और नाली/कूड़ाघर की सुविधा आदि शामिल हैं। बेल्लारी

जिले के लिए 10.02 करोड़ रुपये, मैसूर जिले के लिए 11.14 करोड़ रुपये और मंगलूर (दक्षिण कन्नड़) जिले के लिए 6.38 करोड़ रुपये की कुल लागत के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के "आबंटन आधारित" घटक के अन्तर्गत राज्य सरकार को लगभग 4.61 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) फिलहाल, वैयक्तिक घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए सब्सिडी दर को बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति यूनिट करने, जैसा अनुरोध किया गया है, का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

सीतापुर-बुढ़वल-गौंडा-गोरखपुर रेल मार्ग की व्यवहार्यता

1220. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे की सीतापुर–बुढ़वल– गौंडा–गोरखपुर खंड पर आवाजाही से लाभ प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस खंड को अधिक व्यवहार्य बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा, रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) लाइन क्षमता की समीक्षा और लाइन संबंधी प्रक्रिया तथा टर्मिनल क्षमता संबंधी कार्य यातायात का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए नियमित उपाय है, जो सभी प्रकार के यातायात की ढुलाई/सम्हलाई सुनिश्चित करते हैं। इस खण्ड पर यातायात के सुगम प्रवाह की सुविधा प्रदान करने के संबंध में बुढ़वल–गोंडा खण्ड का दोहरीकरण प्रारंभ किया गया है। गोंडा–गोरखपुर मीटर गेज लूप का आमान परिवर्तन। गोंडा तथा गोरखपुर के बीच पहले से ही संतृप्त खण्ड को एक वैकल्पिक मार्ग मुहैया कराने हेतु स्वीकृत किया गया है।

खाद्य तथा उपभोक्ता मदों का आयात

1221. श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल :

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 3 वर्षों के दौरान देश में खाद्य तथा अन्य उपभोक्ता मदों का भारी पैमाने पर आयात तथा निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाद्य तथा अन्य उपभोक्ता मदों के आयात पर कमीशन लिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त मदों के आयात के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किए जाने के कोई आदेश दिए गए हैं अथवा दिए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वर्ल्ड हेरिटेज सूची में स्थलों को शामिल करना

1222. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "वर्ल्ड हेरिटेज" ने भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा "वर्ल्ड हेरिटेज" सूची में शामिल किए जाने के लिए सुझाए गए समस्त ग्यारह स्थलों को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इन प्रस्तावों को "वर्ल्ड हेरिटेज ब्यूरो" को फिर से भेजने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) यूनेस्को के विश्वदाय ब्यूरो ने, संशोधित प्रपत्र में, इस प्रस्ताव के पुनः प्रतिपादन का परामर्श दिया है। इस प्रयोजन के लिए यूनेस्को द्वारा प्रारंभिक सहायता उपलब्ध है।

रेलवे में खिलाड़ियों को रोजगार

1223. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में प्राथमिकता के आधार पर खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान करने हेतु क्या मानदंड तथा योजनाएं हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा दिसंबर, 1999 तक खिलाड़ियों से रोजगार हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए और इनमें से कितने खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान किया गया है;

(ग) वर्ष 2000–2001 के दौरान कितने खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) खिलाड़ियों को दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) भारतीय रेलों पर खिलाड़ियों की भर्ती इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाती है। ऐसी भर्ती प्रतिभा खोज और खुले विज्ञापनों के माध्यम से नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार की जाती है।

(i) प्रतिभा खोज योजना के अंतर्गत "ग" पदों में कोटे के 30% तक; और

(ii) खुले विज्ञापन योजना के माध्यम से समूह "ग" में 70% तक और समूह "घ' पदों में 100%

समूह "ग" में भर्ती के मामले में अंतर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और समूह "घ" के लिए राज्य स्तर में सराहनीय योगदान देने वाले खिलाड़ी पात्र हैं।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) खेलकूद कोटे के अंतर्गत समूह "ग" और समूह "घ" के दोनों पदों में प्रत्येक इकाई के लि, निर्धारित सीमाओं के अनुसार लगभग 1180 खिलाड़ियों की वार्षिक भर्ती के लिए व्यवस्था है। बहरहाल, इन पदों के अंतर्गत भर्ती निर्धारित संवर्ग में रिक्तियों की उपलब्धता और वांछित खेल में पर्याप्त दक्ष खिलाड़ियों की उपलब्धता के अध्यधीन है।

(घ) रेलवे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अतंर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उनके उत्कृष्ट निष्पादन के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाते हैं :

(i) बिना बारी के प्रोन्नति

(ii) उच्चतर स्तर पर वेतन का निर्धारण

(iii) अतिरिक्त वेतन वृद्धियां

(iv) रेल खेल रत्न तथा रेल खेल श्री के माध्यम से वृत्ति और

(v) नगद पुरस्कार।

[अनुवाद]

भारतीय ठिकानों पर पाकिस्तान द्वारा हमले

1224. श्री नरेश पुगलिया :

श्री राम जीवन सिंह :

श्री के. येरननायडू :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक उग्रवादियों द्वारा जम्मू–कश्मीर में सेना के शिविरों और ठिकानों पर कितनी बार हमला किया गया;

(ख) इन हमलों में भारतीय सेना के कितने अधिकारी और जवान मारे गए और घायल हुए;

(ग) सेना के शिविरों और ठिकानों पर हमला करने के दौरान सेना द्वारा कितने उग्रवादी मारे गए, घायल हुए और बन्दी बनाए गए; और

(घ) जम्मू–कश्मीर में सेना के शिविरों और सैनिक ठिकानों और चौकियों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़) : (क) से (घ) जम्मू–कश्मीर में स्थित सेना/राष्ट्रीय राइफल के कैम्पों पर आतंकवादियों द्वारा छह बार आक्रमण किए गए हैं। इन आक्रमणों में सम्मिलित सभी 17 आतंकवादी मारे गए।

इन आक्रमणों में तीन अधिकारी, चार जूनियरी कमीशन प्राप्त अधिकारी और 19 अन्य रैंक के कार्मिक मारे गए तथा एक अधिकारी और 35 अन्य रैंक घायल हुए।

इस प्रकार के आक्रमणों को रोकने के लिए समुचित कदम उठाए गए हैं।

कलकत्ता और दिल्ली से दीमापुर के लिए उड़ानें

1225. श्री के. ए. सांगतम : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कलकत्ता–दीमापुर क्षेत्र में रोज उड़ान आरम्भ करने और दिल्ली–दीमापुर उड़ान को विशेषतः व्यस्ततम अवधि, अर्थात् मई से जुलाई और अक्तूबर से दिसम्बर तक हफ्ते में तीन दिन रखने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) इस समय कलकत्ता और दीमापुर के बीच प्रति सप्ताह चार एलायंस एयर की उड़ानों से कलकत्ता होकर दीमापुर को दिल्ली से जोड़ा गया हैं। मार्ग वितरण दिशा–निर्देश जिसमें मार्गों के विशिष्ठ श्रेणियों पर कुछ न्यूनतम प्रचालनों की व्यवस्था की गई है, की अनुपालनों के अध्यधीन प्रचालक अपने वाणिज्यिक विवेक पर किसी भी मार्ग पर प्रचालन हेतु स्वतंत्र है।

बुलेट-प्रूफ जैकेटों में खामियां

1226. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई सैनिकों और अर्ध–सैनिक कर्मियों को हाल ही में बुलेट–प्रूफ जैकिटों में गोली–रोधन क्षमता की खामी की वजह से अस्पताल जाना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सैनिकों के लिए बुलेट–प्रूफ जैकेट खरीदने हेतु निर्धारित प्रतिमान क्या हैं और सरकार ने कारगिल युद्ध के पूर्व और पश्चात् किन प्रतिमानों के बुलेट–प्रूफ जैकेटों का क्रय किया था ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज़) : (क) और (ख) सेना मुख्यालय ने बताया है कि उनके पास यह दर्शाने वाले कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। कि बुलैटप्रूफ जैकटों की गोलीरोधन क्षमता की कमी के कारण सैनिकों को अस्पताल जाना पड़ा गृह मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अर्ध–सैन्य बलों से भी इस तरह के किसी नामले की सूचना नहीं मिली है।

(ग) बुलैट प्रूफ जैकटें खरीदने के लिए निर्धारित विनिर्दिष्टयां संग्लन विवरण में दी गई हैं। कारगिल युद्ध से पहले और बाद बुलैट प्रूफ जैकटों की खरीद निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुसार की गई है।

विवरण

तकनीकी विनिर्दिष्टियां

बुलैट प्रूफ जैकटें भारतीय सेना तकनीकी मानदंडों के अनुरूप होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उपस्कर यू एस–एन आई जे मानदंडों 0101–03 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुरूप होने चाहिए। तथापि, यदि निष्पादन विनिर्दिष्टियां और एन आई जे विनिर्देश में भिन्न–भिन्न मानदंड विनिर्दिष्ट किए गए हों तो उन दोनों में से कड़े मानदंडों पर विचार किया जाएगा।

2. सख्त कवच पट्टियों और नरम कवच जैकट सामग्री से अपेक्षित रक्षण स्तर :

(क) नरम कवच जैकट सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिससे इस अनुबंध के परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न खतरा स्तर तालिका के संदर्भ में रक्षण स्तर 3ए के अंतर्गत तक आने वाले समस्त गोलाबारूद से बचाव हो।

(ख) रक्षण स्तर 3ए से स्तर 3 एस पी तक (ट्रेगुनोव द्वारा प्रस्तुत खतरा स्तर के समान) जो नरम कवच जैकट के साथ इस रेंज में गिरने वाले गोलाबारूद से समग्र बचाव करता है।

3. **आघात प्रभाव** : आघात पैडों में झटका सहने की

व्यवस्था होनी चाहिए। विरूपता गहराई न्यूनतम तक घटाई जानी चाहिए परंतु एन आई जे मानदंडों के अनुसार परीक्षण करने पर 20 डिग्री सी पर प्लास्टीसाइन बाक्स में 20 मि मी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4. वन्योजिंग फ्लैप वेल्क्रो फास्टनर्स होने चाहिए ताकि उन्हें शीघ्र और आसानी से पहना और खोला जा सके।

5. बार–बार के प्रहार का पता लगाने की क्षमता।

एच ए पी के पूरी तरह से बिखर जाने से पहले उसमें सात गोलियां झेलने की क्षमता होनी चाहिए। निशाना चाहे सटीक हो या न हो, इस बात पर ध्यान दिए बिना गोली खप जाने चाहिए न कि प्लेट पर लगकर छिटकनी चाहिए।

6. **उपयोग अवधि :** संचालन और रख–रखाव सरल और सुगम होना चाहिए। बुलैट प्रूफ जैकटों का मौसम की प्रतिकूल स्थितियों में जिनका भंडारण करके उन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जैसाकि आमतौर पर सेनाओं में मिलता है।

7. पहनने में आरामदायक और क्रियात्मकता :

(क) बुलैट प्रूफ जैकट ड्राइंग सं. (पी। 9010000 और पी। 9020000) के अनुरूप होगी जैसा कि इस विवरण के अनुबंध–I में दिया गया है। बी जे पी डिजायन, बनावट, आकार, भार आदि के लिए विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत और प्रयोक्ताओं द्वारा अनुमोदित नमूने के अनुरूप होगी।

(ग) बुलैट जैकट पहनने के लिए सुविधाजनक और आरामदायक होनी चाहिए और इससे पहनकर फील्ड में विभिन्न कार्य करने वाले व्यक्ति की मूवमैंट में रुकावट नहीं आनी चाहिए।

(घ) इसमें पर्याप्त संवातन होना चाहिए ताकि इसे लंबे समय तक पहनने से शरीर पर बुरा प्रभाव न पड़े।

(ङ) बुलैट जैकटें शीघ्र पहनने वाली होनी चाहिए जिनमें इस तरह डिजायन किया हुआ उरुमूल पैड लगा हो जिससे वह आसानी से फोल्ड हो जाए और कस जाए या जैकेट के अगले हिस्से पर उरुमूल पैड आ जाए। एच ए पी की जांच/हटाना शीघ्र और आसान होना चाहिए।

(च) दोनों कंधे वेल्क्रों के जरिए खुलने और आगे–पीछे होने में सक्षम होने चाहिए।

8. **बाहरी वस्त्र :** जैकट का रंग ऐसा होना चाहिए कि इसे आसानी से छद्मवेश किया जा सके। जैकेट भारतीय छद्मवेश तरीके पर विघटनकारी होनी चाहिए।

9. जैकटों के सभी क्लोजिंग फ्लैप वेल्क्रो फास्टनर्स होने चाहिए ताकि इन्हें आसानी और शीघ्रता से पहना और उतारा जा सके।

10. **बुलैट ट्रैपिंग :** एच ए पी पूरी तरह से बिखर जाने से पहले उसमें सात गोलियां झेलने की क्षमता होनी चाहिए। निशाना चाहे सटीक हो या न हो, इस बात पर ध्यान दिए बिना गोली खप जानी चाहिए। न कि प्लेट पर लगकर छिटकनी चाहिए।

11. एच ए पी उपयुक्त सामग्री में आवृत्त होना चाहिए जिससे कि वह निशाना सटीक हो या न हो, इस बात पर ध्यान दिए बिना गोली के प्रहार पर सिस्टम के भीतर स्पलिंटरों/फ्रेगमैंटों को पूरी तरह से बांध रखे।

12. बुलैट प्रूफ के विस्तृत निष्पादन विनिर्देश अनुबंध–I में दिए गए हैं।

अनुबंध-I
वैल्क्रो फास्नी
VELCRO FASTENER
350
कालर (स्थिर)
COLLAR (fixed)
एच.ए.पी. के लिए फ्लैप वाली जेब
POCKET WITH FLAP FOR H.A.P
अगली जेबें
FRONT POCKETS
बाहरी कवर (नाइलोन)
OUTER COVER (nylon)
515
780
उरुमूल पैड (स्थिर)
GROIN PAD (fixed)
540
860
सामने वाला हिस्सा
STRIKE FACE
पिछला हिस्सा
REAR FACE
250
300
सख्त कवच
HARD ARMOUR
वेल्क्रो फास्नी
VELCRO FASTENER
NOTE
टिप्पणी :

वेल्क्रो कसनी
पिछला हिस्सा
कालर (स्थिर)
COLLAR
बाहरी कवर (नाइलोन)
वेल्क्रो कसनी
430
560
1210
सामने वाला हिस्सा
515

अनुबंध-II

निष्पादन विनिर्दिष्टयां

बुलैट प्रूफ जैकेटें

भाग-I परिचालन विशेषताएं

सामान्य

1. बुलैट प्रूफ जैकेट पहनने के लिए सुविधाजनक और आरामदायक होनी चाहिए और इसे पहनकर फील्ड में विभिन्न कार्य करने वाले व्यक्ति की मूवमेंट में रुकावट नहीं आनी चाहिए।

जैकेट के हिस्से

2. बुलैट प्रूफ जैकेट के निम्नलिखित हिस्से होंगे :–

   (क) कालर सहित नरम कवच अग्र और पश्च : जैकेट

   (ख) उरू मूल पैड

   (ग) सख्त कवच प्लेट (9 एच ए पी)

   (घ) आघात पैड

3. **जैकेट :** कालर सहित नरम कवच अग्र और पश्च तथा उरुमूल पैड से जैकेट बनेगी।

4. **सख्त कवच प्लेट (एच ए पी) :** एच ए पी अलग से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एच ए पी को जैकेट के आगे जोड़ने का प्रावधान रखा जाता है। जैकेट के पीछे एच ए पी को आवश्यकतानुसार जोड़ने के लिए भी प्रावधान रखा जाए।

5. **आघात क्षीणन के लिए आघात पैड :** आघात पैड की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि झटका सहा जा सके। आघात पैड का आकार एच ए पी के छः के अनुरूप होना चाहिए। विरूपण गहराई न्यूनतम की जानी चाहिए परन्तु 20 डिग्री सी. पर प्लास्टीसाइन ब्लाक में 20 मिमी. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6. **उरुमूल पैड :** बुलैटप्रूफ जैकेटों में अलग किए जाने वाले उरुमूल पैड होने चाहिए। उरुमूल पैड को ऊपर फोल्ड करने और वेल्क्रो फास्टनर के साथ जैकेट के अगले हिस्से पर कसने का प्रावधान किया जाना चाहिए। उरुमूल पैड द्वारा उपलब्ध करा गया रक्षण स्तर वही होना चाहिए जो शेष जैकेट का हो।

7. **कॉलर/गर्दन पैड्स** - जैकेटों पर कॉलर/गर्दन पैड्स मजबूती से लगे हुए (फिक्स) होने चाहिए।

8. **फ्लैप सहित जेबें** : जैकेटों में दो बाहरी जेबें इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें एक–एक 7.62 एम.एम. एल. एम.बी. मैगजीन रखी जा सके और दोनों बाहरी जेबों में एक–एक 36 एच टी ग्रनेड रखी जा सके।

9. **जैकेट का रंग :** जैकेट का रंग ऐसा होना चाहिए जिससे सरलता से छुपा जा सके। जैकेटें भारतीय छद्मावरण नमूने के अनुरूप ही होनी चाहिए।

10. जैकेटों के बंद होने वाले सभी फ्लैपों पर वेल्क्रो फास्टनर लगे होने चाहिए ताकि उन्हें शीघ्र और सरलता से खोला और हटाया जा सके।

संरक्षण

11. एच ए पी यथासंभव इस आकार के हों जो पार 21 में निर्दिष्ट हैं और ये शरीर के महत्त्वपूर्ण अंगों जैसे कि दिल, फेफड़े, लिवर, सप्लीन, पेट और अंतड़ियों को ढांक सके जिनमें चोट लगना घातक हो सकता है।

12. एच ए पी को उपयुक्त सामग्री को इस तरह ढांकना चाहिए ताकि वह किसी भी तरह से गोली लगने पर स्पलिंडरों और ट्रेग्मेंटों को व्यवस्था के अनुरूप पूरी तरह बंद कर सके।

13. एच ए पी को उपयुक्त सामग्री से इस तरह ढांकना चाहिए ताकि वह किसी भी तरह से गोली लगने पर स्पिलिंडरों/ ट्रेग्मेंटों को व्यवस्था के अनुरूप पूरी तरह से बंद कर सकें।

14. गोलीसह जैकेट निम्नलिखित संरक्षण प्रदान करने में सक्षम होनी चाहिए :

   (क) साफ्ट आर्मर से सज्जित एच ए. पी निम्नलिखित को 50 मीटर की दूरी पर रोकने में सर्मथ होना चाहिए।

   (I) हल्के इस्पात से निर्मित 7.62 मि. मी. × 39 मि. मी. की ए के–47 और ए के –56

   (II) 7.62 मि.मी. × 51 मि.मी. की एन ए आई यू बॉल

(III) 5.56 मि.मी. 88–109/एम – 193 लीड कोर का गोलाबारूद

(IV) 7.62 मि.मी. × 51 मि.मी. की इंण्डियन बॉल

(V) ड्रेगुनो राइफल के लिए 7.62 × 51 मि.मी. लीड/माइल्ड स्टील कोर गोलाबारूद

(ख) कॉलर और ग्रॉइन पैड से युक्त सॉफ्ट आर्मर जैकेट निम्नलिखित को 5 मीटर की दूरी पर स्टाक करने में सक्षम होना चाहिए :

(I) एस एम सी से 9 मि.मी. × 19 मि.मी. पाराबेलम (आपूर्तिकर्ता को उन शस्त्रों/गोलाबारूद की किस्म का उल्लेख करना चाहिए जो उपयोग करने पर व्यर्थ न जाएं।)

(II) 9 मि.मी. की पिस्तौल (आपूर्तिकर्ता को उन शस्त्रों/गोलाबारूद की किस्म का उल्लेख करना चाहिए जो उपयोग करने पर व्यर्थ न जाएं)

(III) 12 बोर की शार्ट गन

15. पैरा–2 में यथापरिभाषित समायोजनीय वेलक्रोज की सभी साइजों की जैकटों को कम–से–कम 0.48 मीटर के क्षेत्र की सुरक्षा करनी चाहिए।

जलरोधी पैकिंग

16. बुलेट प्रूफ के सभी हिस्सों को जलरोधी सामग्री से बंद करके रखा जाना चाहिए।

साइज एण्ड शेप

17. बुलेट प्रूफ बड़े तथा मध्यम आकारों में मुहैया कराए जाने चाहिए ताकि वे भारतीय जवानों के लिए उपयुक्त हों।

18. स्नग फिट के लिए एच ए पी लो–प्रोफाइल आकार के होने चाहिए।

19. जैकेटों के भार के वैज्ञानिक वितरण के लिए बेल्ट स्ट्रैपों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि रीढ़ की हड्डी में चोट न लग सके।

भाग-2-जैकेटों की विशेषताएं

20. भार

(क) उपर्युक्त पैरा–3 में यथाउल्लिखित जैकेट का भार 2.5 कि.ग्रा. से अधिक नहीं

(ख) एच ए पी का भार 2.6 कि. ग्रा से अधिक नहीं

(ग) ट्रामा पैड का भार 400 ग्राम से अधिक नहीं

(घ) सकल जैकेट का कुलभार 5.5 कि.ग्रा. से अधिक नहीं

टिप्पणी : यदि एच ए पी में ट्रामापैड लगाया गया है तो एच ए पी तथा ट्रामा पैड का भार 3 कि.ग्रा. से अधिक नहीं होना चाहिए।

21. एच ए पी का आकार 750 वर्ग से.मी. (30 × 25 से. मी.) से अधिक नहीं।

22. उपयोगिता अवधि इसका प्रचालन और अनुरक्षण सरल होना चाहिए। रक्षा सेवाओं में सामान्यतः प्रतिकूल जलवायु संबंधी परिस्थितियों में भंडारण के कारण बुलेटप्रूफ जैकेटों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इनकी उपयोगिता अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

23. तापमान सहक्षमता : 50 डिग्री सेल्सियस से + 50 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस पर 95 प्रतिशत तक की आर्द्रता पर बुलेट प्रूफ जैकेटों के कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

24. जैकेटों का बाहरी जामा धोए जाने योग्य होना चाहिए।

25. जैकेटों के समुचित रख–रखाव के लिए उपयुक्त नियमावली जारी की जानी चाहिए।

भाग-3 विविध

26. उपस्कर को भारतीय सेना परीक्षण मानकों के अनुरूप होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उपस्कर को यू एस–एन आई जे मानक 0101–03 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुरूप होना चाहिए। तथापि, जिस मामले में कार्य–निष्पादन विनिर्दिष्टियों तथा एन आई जे विनिर्दिष्टियों में भिन्न–भिन्न मानक निर्धारित किए

गए हैं, उसमें दोनों में से अधिक कठोर विनिर्दिष्टियों पर विचार किया जाएगा।

27. अतिरिक्त एच ए पी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जैकेट में पिछला पाकेट लगाया जाना। वस्तुओं को आसानी से अंदर रखने/बाहर निकालने के लिए छः पाकेट जलरोधी होनी चाहिए।

28. कमर के हिस्से पर चौड़े इलास्टिक बैंड से बना समायोजनीय बेल्ट दिया जाता है ताकि जैकेट के भार के वितरण को सुविधाजनक बनाया जा सके।

29. वेल्क्रो फाशेनरों सहित जैकेट के कंधे तथा पेट वाले हिस्से के जोड़ों की लंबाई इस प्रकार होनी चाहिए कि व्यक्ति की ऊंचाई तथा शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्ति विशेष के लिए जैकेट बिल्कुल फिट हो।

30. जैकेट की बाह्य सामग्री डोनियर यूरीथेन लेपित नाइलॉन लेपित नाइलॉन / अन्य उपयुक्त सामग्री से निर्मित होनी चाहिए तथा इसे फील्ड में किसी भी तरह से प्रयोग किए जाने पर ये जैकेटें टिकाऊ साबित होनी चाहिए। कपड़े की सामग्री जलरोधी होनी चाहिए।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा आर्थिक लागत पर अध्ययन

1227. श्री सुबोध मोहिते : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नों की खरीद और वितरण में भारतीय खाद्य निगम द्वारा वहन की गयी आर्थिक लागत का अध्ययन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) गेहूं और चावल के संबंध में भारतीय खाद्य निगम की अधिप्राप्ति और वितरण लागत का अध्ययन करने के काम में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलिज आफ इंडिया, हैदराबाद को लगाया गया है ताकि आर्थिक लागत को कम करने की विधियों और तरीकों का पता लगाया जा सके। उक्त एजेंसी से कहा गया है कि वह इस वर्ष जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्धारित समय से पिछड़ रही डी.आर.डी.ओ. परियोजनाएं

1228. श्री प्रभुनाथ सिंह :

श्री शीशराम सिंह रवि :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.आर.डी.ओ कुछ महत्त्वपूर्ण उपकरणों यथा, हल्का लड़ाकू विमान, मल्टी बैरल राकेट लांचर प्रणाली, 'अवाक्स' प्रकार के विमान इत्यादि को विकसित करने में काफी पिछड़ गया है और डी.आर.डी ओ प्रमुख के आश्वासन के बावजूद हल्के लड़ाकू विमान (एल.सी.ए.) शृंखला का प्रथम विमान 1999 में उड़ान नहीं भर सका है;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना को किस तारीख को शुरू किया गया था;

(ग) प्रत्येक मामले में तत्समय अनुमानित धनराशि की मात्रा कितनी थी और अब वह किस सीमा तक बढ़ चुकी है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और प्रत्येक परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़) : (क) अधिकतम प्रयास करने के बावजूद इन परियोजनाओं में देरी होने के पीछे कई कारण हैं जैसे कि : प्रौद्योगिकी की जटिलता, आधारभूत संरचना की सीमितताएं और प्रौद्योगिकी–अंतरालों सहित समय और लागत का कम आकलन।

(ख) हल्के लड़ाकू वायुयान का परियोजना निर्धारण चरण 1983 में और पूरे पैमाने पर इंजीनियरी विकास कार्य 1993 में आरंभ हुआ था। बहु–नाल रॉकेट प्रणाली (पिनाक) के लिए परियोजना दिसंबर, 1986 में आरंभ की गई थी। जहां तक वायुवाहित रेडार चौकसी का संबंध है कुछ उप प्रणालियों से संबंधित प्रौद्योगिकी विकास संबंधी आरंभिक कार्य जुलाई, 1985 में आरंभ कर दिए गए थे।

(ग) 1983 में हल्के लड़ाकू वायुयान के लिए प्रारंभिक स्वीकृति 1982–83 के मूल्य–स्तर पर 560 करोड़ रुपये की थी। 1993 में पूर्ण स्तर पर इंजीनियरी विकास सोपान–1 के लिए 2188 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी। पिनाक की स्वीकृत लागत 26.5 करोड़ रुपये है जिसे संशोधित कर 49 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वायुवाहित चौकसी के क्षेत्र में 49 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

(घ) मौजूदा प्राक्कलनों के अनुसार हल्के लड़ाकू वायुयान की पहली उड़ान सन् 2000 के पूर्वार्द्ध में होने की संभावना है। पिनाक के प्रयोक्ता– एवं–सेना परीक्षण अक्तूबर, 1999 में आयोजित किए गए थे और सेना द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात् इसका उत्पादनीकरण शुरू किया जाएगा। जहां तक अवाक्स का संबध है सरकार विभिन्न विकल्पों के बारे में अध्ययन करने में जुटी हुई है।

[हिन्दी]

सुल्तानगंज-देवघर रेल लाइन का सर्वेक्षण

1229. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुल्तानगंज से अमरपुर बानरू और कतरिया होते हुए देवघर तक रेल लाइन बिछाने संबंधी सर्वेक्षण कार्य को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त लाइन का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सर्वेक्षण पूरा हो गया है। 110 कि.मी लंबी लाइन की लागत 282 करोड़ रुपए है।

(ग) परियोजना को 2000–2001 के बजट में शामिल किया गया है। संसद द्वारा बजट पारित कर दिए जाने के बाद अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रारंभ किया जाएगा। इसे भूमि का अधिग्रहण हो जाने के बाद किया जाएगा। भूमि उपलब्ध हो जाने के पश्चात् वास्तविक कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा उत्खनन

1230. श्री पी.डी.एलानगोवन : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों में पुरातात्त्विक खोजों और उत्खननों को मजबूत बनाने के लिए कोई नए प्रस्तावे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किन पुरातात्त्विक स्थलों का उत्खनन किया गया;

(घ) क्या भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग ने इन राज्यों में उत्खनित स्थलों की उत्खनन–रिपोर्ट प्रकाशित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों (1997–98 से 1999–2000) के दौरान जिन स्थलों पर खुदाई की गई वे इस प्रकार हैं :

तमिलनाडु

शोर मंदिर परिसर, मामल्लापुरम, जिला कांचीपुरम

केरल

वेकल किला, जिला केसरगोड़े

कर्नाटक

कुदलीजी, ज़िला बेल्लारी

हरपनहल्ली, जिला बेल्लारी

हम्पी, ज़िला बेल्लारी

गुड़नापुर, जिला उत्तरी कनारा

कंगना हल्ली, जिला गुलबर्गा

सन्नाती, जिला गुलबर्गा

हासरगनगुड़ी, जिला गुलबर्गा

बंकनाहल्ली, जिला शिमोगा

कोटल, जिला कोप्पल

मीरजान किला, ज़िला उत्तरी कनारा

(घ) से (च) अब तक खुदाई के बारे में प्रकाशित रिपोर्ट संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

तमिलनाडु तथा अन्य दक्षिणी राज्यों में खोदे गए स्थलों की प्रकाशित उत्खनन रिपोर्टों की राज्यवार सूची :–

स्थल/जिला	द्वारा उत्खनित	सन्दर्भ
1	2	3
तमिलनाडु		
पल्लावामेडु/कांचीपुरम	दक्षिण सर्किल भा.पु.स.(मद्रास/चेन्नई)	भारतीय पुरातत्त्व समीक्षा, 1953–54
अमृतमंगलम चिंगलपट	भा.पु.स.(मद्रास/चेन्नई)	आई.ए.आर.–1954–55 तथा प्राचीन सं.22(1966)
कन्नात्तुर/चिंगलपट	भा.पु.स.(मद्रास/चेन्नई)	आई.ए.आर. 1955–56, 1956–57, 1957–58
गुड्डियम/चिंगलपट	प्रागितिहास शाखा, नागपुर, भा.पु.सर्वे.	आई.ए.आर. 1962–63, 1963–64
कांचीपुरम/चिंगलपट	दक्षिण (मद्रास/चेन्नई) सर्किल, भा.पु.सर्वे.	आई.ए.आर. 1962–63, 1963–64
कावेरीपट्टनम/तंजावूर	"	आई.ए.आर.–62–63, 63–64, 64–65, 65–66, 66–67, 70–71, 72–73, 73–74, 77–78 तथा भा.पु.स. की स्मृतियां सं. 90 (नई दिल्ली 1994)
अट्टीरामवक्कम/चिंगलपट	प्रागितिहास शाखा, नागपुर, भा.पु.स.	आई.ए.आर.–64–65
पच्चमपल्ली/नार्थ आरकोट	दक्षिण (मद्रास/चेन्नई) सर्किल तथा उत्खनन शाखा, भा.पु.स.	आई.ए.आर. 1964–65 22–23, 1967–68
पूंडी तथा नेवेल्ली/चिंगलपट	प्रागितिहास शाखा, भा.पु.सर्वे. (नागपुर)	आई.ए.आर. 1965–66
वडा मदुरई/चिंगलपट	प्रागितिहास शाखा, नागपुर भा.पु.स.	आई.ए.आर. 1966–67
कराईकटु/दक्षिण आरकोट	दक्षिण (मद्रास/चेन्नई) सर्किल भा.पु.स.	आई.ए.आर. 1966–67
पेरूर/कोइम्बटूर	दक्षिण (मद्रास/चेन्नई) सर्किल भा.पु.स.	आई.ए.आर. 1970–71
मल्लायमपुटु/नार्थ आरकोट	दक्षिण (मद्रास/चेन्नई) सर्किल भा.पु.स.	आई.ए.आर. 1970–71
उककिरनकोटई/तिरूनेलवेल्ली	दक्षिण (मद्रास/चेन्नई) सर्किल सर्किल भा.पु.स.	आई.ए.आर. 1970–71

1	2	3
नंगनाल्लूर/मद्रास	दक्षिण (मद्रास/चेन्नई) सर्किल भा.पु.स.	आई.ए.आर. 1973–74
जिंजी किला/साउथ आरकोट (विल्लुपुरम्–रामास्वामी पदयाचियर)	दक्षिण (मद्रास/चेन्नई) सर्किल भा.पु.स.	आई.ए.आर. 1973–74, 1993–94, 1994–95
सीतानावासल/पुडुकोटई	मंदिर सर्वेक्षण परियोजना (साउथ) भा.पु.स.	आई.ए.आर.–75–76
टी. कालूपट्टी/मदुरई	दक्षिण (मद्रास/चेन्नई) सर्किल, भा.पु.स.	आई.ए.आर. 1976–77, 1979–80
कंवरमेडु/तंजावुर	दक्षिण (मद्रास/चेन्नई) सर्किल, भा.पु.स.	आई.ए.आर. 1982–83, 1983–84
औरोविल्ले/साउथ आरकोट	दक्षिण (मद्रास/चेन्नई) सर्किल, भा.पु.स.	आई.ए.आर. 1984–85, 1985–86
दारासुरम/तंजावूर	दक्षिण (मद्रास/चेन्नई) सर्किल, भा.पु.स.	आई.ए.आर. 1985–86, 1986–87
मामलापुरम्/चेंगपट्टू एम.जी.आर.	दक्षिण (मद्रास/चेन्नई) सर्किल, भा.पु.स.	आई.ए.आर. 1990–91
सानूर/चिंगलपुट	दक्षिण (मद्रास/चेन्नई) सर्किल, भा.पु.स.	प्राचीन भारत सं. 15(1959)
मोत्तूर/नार्थ आरकोट	दक्षिण (मद्रास/चेन्नई) सर्किल, भा.पु.स.	आई.ए.आर. 1978–79
आन्ध्र प्रदेश		
सालीहन्डम/श्रीकाकुलम	दक्षिण–पूर्वी (हैदराबाद) सर्किल, भा.पु.स.	आई.ए.आर. 1953–54
नागार्जुन कोंडा/गुंटूर	नागार्जुनकोंडा उत्खनन परियोजना (1954) भा.पु.सर्वे.	आई.ए.आर. 1954–55, 55–56, 56–57 58–59, 59–60, 60–61 भा.पु.सर्वे. की स्मृतियां सं. 75 (नई दिल्ली) 1975
अमरावती/गुंटूर	उत्खनन परियोजना, भा.पु.स. दक्षिण–पूर्वी (हैदराबाद) सर्किल, भा.पु.सर्वे.	आई.ए.आर. 1958–59, 73–74, 74–75
केसरापल्ली/कृष्णा	नागार्जुनकोंडा उत्खनन परियोजना भा.पु.सर्वे.	आई.ए.आर. 61–62, प्राचीन भारत सं. 22 (नई दिल्ली) (1966)

1	2	3
मुखलिंगम/श्रीकाकुलम	दक्षिण–पूर्वी (हैदराबाद) सर्किल भा.पु.सर्वे.	आई.ए.आर. 1961–62
धरनीकोटा/गुंटूर	दक्षिण–पूर्वी (हैदराबाद) सर्किल भा.पु.सर्वे.	आई.ए.आर. 62–63, 63–64, 1964–65
वटलावलम/चितूर	प्रागितिहास शाखा, नागपुर भा.पु.सर्वे.	आई.ए.आर. 1968–69
भटीप्रोलू/गुंटूर	दक्षिण–पूर्वी (हैदराबाद) सर्किल, भा.पु.सर्वे.	आई.ए.आर. 69–70,
विल्ला सरगम/करनूल	प्रागितिहास शाखा, नागपुर, भा.पु.सर्वे.	आई.ए.आर. 1970–71
गुड्डीमलाम/चितूर	दक्षिण–पूर्वी (हैदराबाद) भा.पु.सर्वे.	आई.ए.आर. 1973–74
सतनीकोटा/करनूल	उत्खनन शाखा (1), नागपुर, भा.पु.सर्वे.	आई.ए.आर. 1977–78, 78–79, 79–80, भा.पु.सर्वे. की स्मृतियां सं. 82 (नई दिल्ली 1986)
आन्ध्र प्रदेश		
वामुलापड्डू/करनूल	उत्खनन शाखा (1), नागपुर, भा.पु.सर्वे.	आई.ए.आर. 1978–79
कुडावेल्ली/महाववनगर	उत्खनन शाखा (1), नागपुर, भा.पु.सर्वे.	आई.ए.आर. 1978–79, 82–83
कलिंगापट्नम/श्रीकाकुलम	दक्षिण–पूर्वी (हैदराबाद) सर्किल, भा.पु.सर्वे.	आई.ए.आर. 1978–79, 79–80
रामापुरम/करनूल	उत्खनन शाखा (1) नागपुर, भा.पु.स.	आई.ए.आर. 1980–81, 81–82 82–83, 83–84
पापनाशी मंदिर समूह/महाववनगर	दक्षिण–पूर्वी (हैदराबाद) सर्किल, भा.पु.सर्वे.	आई.ए.आर. 1982–83
घंटासाला/कृष्णा	दक्षिण–पूर्वी (हैदराबाद) सर्किल, भा.पु.सर्वे.	आई.ए.आर. 1984–85
अदरू/पूर्वी गोदावरी	हैदराबाद सर्किल, भा.पु.सर्वे.	आई.ए.आर. 85–86
पेडावेगी/पश्चिम गोदावरी	उत्खनन शाखा (1) नागपुर, भा.पु.सर्वे.	आई.ए.आर. 85–86, 86–87
आलमपुर/माहववनगर	हैदराबाद सर्किल, भा.पु.स.	आई.ए.आर. 1986–87
कर्नाटक		
हुनर/बेलगांव	दक्षिण–पश्चिमी (बंगलोर/ धारवाड़) सर्किल, भा.पु.सर्वे.	आई.ए.आर. 1968–69

1	2	3
बुद्धिटिहू/मैसूर	दक्षिण (मद्रास/चेन्नई) सर्किल भा.पु.सर्वे.	आई.ए.आर. 1968–69
नागर/शिमोगा	भा.पु.सर्वे.	आई.ए.आर. 1971–72
बनाहल्ली/कोलार	दक्षिण (मद्रास/चेन्नई) सर्किल, तथा मध्य–दक्षिण (बंगलौर) सर्किल, भा.पु.स.	आई.ए.आर. 1973–74, 83–84 85–86, 86–87
हम्पी/वेल्लारी	दक्षिण (मद्रास/चेन्नई) सर्किल, तथा मध्य दक्षिण (बंगलौर) सर्किल भा.पु.स.	आई.ए.आर. 1975–76, 76–77, 78–79, 79–80, 80–81 81–82, 82–83, 83–84, 84–85, 85–86, 86–87, 87–88, 88–89, 89–90, 90–91, 91–92, 92–93, 93–94, 94–95.
कलयादी/हसन	दक्षिण (मद्रास/चेन्नई) सर्किल, तथा मध्य–दक्षिण (बंगलौर)	आई.ए.आर. 1976–77
चन्द्रावल्ली/चित्रदुर्गा	दक्षिण (मद्रास/चेन्नई) सर्किल, तथा मध्य–दक्षिण (बंगलौर)	आई.ए.आर. 1977–78
होयसलेश्वरा मंदिर परिसर,	मध्य–दक्षिण (बंगलौर) सर्किल	आई.ए.आर. 1984–85
हलेविदु/हसन	भा.पु.सर्वे.	
कर्नाटक		
नागेश्वरा मंदिर परिसर,	बंगलोर सर्किल, भा.पु.सर्वे.	आई.ए.आर. 1985–86, 86–87
सन्नती/गुलबर्ग	हैदराबाद सर्किल भा.पु.सर्वे.	आई.ए.आर. 1986–87, 87–88 88–89, भा.पु.सर्वे. की स्मृतियां सं. (नई दिल्ली 95)
गुदनापुर/उत्तरा कन्नड़	बंगलौर सर्किल भा.पु.सर्वे.	आई.ए.आर. 1988–89, 89–90, 90–91, 1994–95
ब्रह्मगिरी तथा चन्द्रावली/चीतलड्रग	भा.पु.सर्वे.	प्राचीन भारत सं. 4 (जुलाई, 1947–जनवरी 1948)
मस्की/रायचूर	दक्षिण–पश्चिमी (बंगलौर/धारवाड़) सर्किल, भा.पु.सर्वे.	प्राचीन भारत सं. 13 (नई दिल्ली–1957)
बदागा काजेकेरू/दक्षिण कन्नड़	प्रागितिहास शाखा, नागपुर, भा.पु.स.	आई.ए.आर. 1993–94
कोटाटट्टू/दक्षिण कन्नड	प्रागितिहास शाखा, नागपुर, भा.पु.स.	आई.ए.आर. 1993–94
हासरगुंडिगी, सननाती/गुलबर्गा	बंगलौर सर्किल, भा.पु.सर्वे.	आई.ए.आर. 1993–94, 1994–95

1	2	3
कंगनहल्ली/गुलबर्गा	बंगलौर भा.पु.सर्वे.	आई.ए.आर. 1994–95
वनवासी/उत्तरा/कन्नड़	बंगलौर सर्किल भा.पु.सर्वे.	आई.ए.आर. 1994–95
केरल		
चेरामन परमंबू (क्रेनगनूर)/त्रिचूर	दक्षिण (मद्रास/चेन्नई) सर्किल, भा.पु.सर्वे.	आई.ए.आर. 1968–69, 1969–70
फोर्ट कोचीन, कोचीन/ इरनाकुलम	मद्रास/चेन्नई सर्किल भा.पु.सर्वे.	आई.ए.आर. 1986–87
चेरामंगद/त्रिचूर	मद्रास/चेन्नई सर्किल भा.पु.सर्वे.	आई.ए.आर. 1990–91
पोरकालम/त्रिचूर	मद्रास/चेन्नई सर्किल भा.पु.सर्वे.	प्राचीन भारत सं. 8 (नई दिल्ली 1952)
पांडिचेरी		
अरिकामेडू	भा.पु.सर्वे,	प्राचीन भारत सं. 2(1946)

[हिन्दी]

ठाकरे के हेलीकॉप्टर के उतरने के विरुद्ध शिकायत

1231. श्री रामदास आठवले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जनवरी, 2000 के "जनसत्ता" में "ठाकरे के हेलीकॉप्टर उतरने की शिकायत दर्ज कराएगी नौ सेना" शीर्षक के तहत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कोई शिकायत तब से दर्ज की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज़) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 16 जनवरी, 2000 को 1217 बजे श्री बाल ठाकरे को ले जा रहे वी टी–सी के आर पंजीकरण मार्क वाले हेलिकॉप्टर डॉफिन द्वारा नौसेना हेलीपैड, उरान पर अप्राधिकृत रूप से उतरने की घटना हुई थी। घटना की जांच–पड़ताल करने पर यह पाया गया कि पायलट को शिरके में हवाई पट्टी का पता नहीं लग सका था, इसलिए हेलिकॉप्टर नौसेना हैलीपैड, उरान पर उतर गया जो शिरके एयरफील्ड के निकट ही था। यह घटना पायलट की स्वाभाविक चूक के कारण हुई थी तथा इसमें पायलट का कोई गलत इरादा नहीं था। अतः किसी अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी।

[अनुवाद]

रेलवे को अधिक लाभप्रद बनाने हेतु उपाय

1232. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ ने भारतीय रेलवे को और अधिक लाभप्रद व कारगर बनाने के लिए कोई उपाय सुझाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार इन सुझावों से कहां तक सहमत हुई है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राजस्व के गैर परंपरागत स्रोतों से निवेश के प्रवाह को नियोजित करने की दृष्टि से एक कार्य दल गठित किया गया था, जिसका भारतीय उद्योग संघ (सी आई डी) भी एक सदस्य था। कार्य दल ने हाल ही में रिपोर्ट प्रस्तुत की है और भूमि तथा ऊपरी क्षेत्र का

वाणिज्यिक उपयोग, अपने मालडिब्बा के स्वामी बनें योजना, निर्माण स्वामित्व पट्टा हस्तांतरण योजना, वाणिज्यिक विज्ञापन इत्यादि जैसे गैर परंपरागत स्रोतों से निवेश जुटाने की सिफारिश की है। सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही उन पर निर्णय किया जाएगा।

भांडागारों का निर्माण

1233. श्री पवन कुमार बंसल : क्या उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में एक सौ से अधिक व्यक्तियों ने भारतीय खाद्य निगम के लिए लगभग 20 वर्ष पूर्व गारंटी योजना के अंतर्गत भांडागारों का निर्माण किया था;

(ख) यदि हां, तो इन भांडागारों की संख्या कितनी है तथा भारतीय खाद्य निगम के साथ इनकी वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ग) क्या इन भांडागारों के किराये में समय-समय पर संशोधन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्रीय भंडारण नियम तथा खुले प्लिंथ क्षेत्र के लिए कितने किराये का भुगतान किया गया है; और

(ङ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) फिलहाल 1.2.2000 को स्थिति के अनुसार, पंजाब राज्य में ऐसे 165 गोदाम हैं जिनकी कुल क्षमता लगभग 13.50 लाख टन है।

(ग) से (ङ) : कृषि पुनर्वित विकास निगम (ए.आर.डी.सी.) योजना की शर्तों और निबन्धनों के अनुसार ऐसे गोदाम भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराए पर लिए गए हैं जिनके लिए गारंटी की अवधि 5 वर्ष की है और इसमें इस अवधि को उन्हीं शर्तों और निबन्धनों पर एक वर्ष और बढ़ाने का विकल्प है। ऐसे गोदामों के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 40 पैसे और 50 पैसे प्रतिवर्ग फीट प्रति माह के किराए की सीमा निर्धारित की गई थी। इसकी गारंटी अवधि समाप्त होने पर सभी गोदाम सामान्य किराए के अधीन आ गए थे और इनके किराए समय-समय पर मुख्यालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए थे। सामान्य किराया योजना (जनरल हायरिंग स्कीम) के अधीन ढके हुए गोदामों तथा कवर और प्लिंथ (कैप) के लिए किराए की सीमा निम्नानुसार थी :-

अवधि (निम्न तारीख से प्रभावी)	ढके गोदाम	वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक के लिए दर की सीमा केप (प्लिंथ)	
		ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4
24.10.75	33 पैसे	5 पैसे	5 पैसे
4.7.84	60 पैसे	5 पैसे	5 पैसे
11.3.85	60 पैसे	25 पैसे	30 पैसे
25.7.94 से 24.7.96	* 85 पैसे/एक रुपया (ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में) * (अधिक वसूली और कम उठान की दृष्टि में नए गोदाम किराए पर लेने के लिए किराए की सीमा को अस्थायी रूप से दो वर्ष के लिए कर दिया गया है।)		
25.6.99	60 पैसे	35 पैसे	40 पैसे
24.12.99	80 पैसे	45 पैसे	50 पैसे
24.1.2000 (पट्टा समझौता सहित प्रयोग में लाए जा रहे प्राइवेट गोदामों के किराए में संशोधन के लिए)	नई पट्टावधि के प्रथम वर्ष के चक्रवृद्धि रूप में बढ़ाए बिना मौजूदा मूल किराए में वार्षिक रूप से 2.5% की समान वृद्धि।		

तथापि भारतीय खाद्य निगम के आंचलिक प्रबन्धकों को प्राइवेट पार्टियों के ढके हुए गोदामों के निश्चित दरों से अधिक किराए तय करने के लिए सम्पूर्ण शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

केन्द्रीय भंडारण निगम को अदा किए जाने वाले भण्डारण प्रभारों में तुलाई प्रभार, परिरक्षण, स्थापना प्रभार और अन्य सभी प्रचालनों के प्रभार शामिल हैं। अतः इन दरों की तुलना भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राइवेट पार्टियों से किराए पर लिए जा रहे और प्रबन्ध किए जा रहे गोदामों के लिए देय भण्डारण प्रभारों के साथ नहीं की जा सकती। केन्द्रीय भण्डारण निगम के लिए ढके हुए गोदामों हेतु मौजूदा दर 2.10 रुपया प्रति बोरी (95 किलोग्राम) प्रति माह है। कैप भण्डारण के लिए दरें केन्द्रीय भण्डारण निगम और भारतीय खाद्य निगम द्वारा आपस में तय की जाती हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों को पेंशन

1234. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक जिनको बिना किसी पेंशन के सेवानिवृत्त कर दिया गया था की दयनीय स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में सूचना और आंकड़े प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न किया है;

(ग) क्या इन भूतपूर्व सैनिकों को कोई आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़) : (क) से (ङ) द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना में 2 से 6 वर्ष की लघु अवधि के लिए अनेक भारतीयों की भर्ती की गई थी। युद्ध की समाप्ति पर, इन सैनिकों को उनके द्वारा की गई सेवा के लिए पूर्ण प्रति–पूर्ति के रूप में सेवा उपदान के भुगतान के साथ सेवामुक्त कर दिया गया था। वे पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि उन्होंने अपेक्षित अर्हक सेवा नहीं की थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस समय द्वितीय विश्व युद्ध के 99697 भूतपूर्व सैनिक और 61917 विधवाएं जीवित हैं। ऐसे भूतपूर्व सैनिकों और विधवाओं को, जिनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, रक्षा मंत्री के विवेकाधिकार कोष से 1000 रुपये प्रतिमाह तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विभिन्न राज्य सरकारें भी संलग्न विवरण में दिए गए अनुसार जरूरतमंद पूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता देती हैं।

विवरण

द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रुपये प्रतिमाह
1.	आंध्र प्रदेश	100
2.	अरुणाचल प्रदेश	100
3.	बिहार	100
4.	दिल्ली	500
5.	गोवा	500
6.	हरियाणा	200
7.	हिमाचल प्रदेश	100
8.	कर्नाटक	500
9.	केरल	200
10.	मध्य प्रदेश	250
11.	महाराष्ट्र	300
12.	मिजोरम	200
13.	उड़ीसा	100
14.	पंजाब	200
15.	राजस्थान	300
16.	सिक्किम	75
17.	तमिलनाडु	150
18.	त्रिपुरा	300
19.	उत्तर प्रदेश	250
20.	पश्चिम बंगाल	100
21.	चंडीगढ़, संघ राज्य क्षेत्र	150
22.	पांडिचेरी, संघ राज्य क्षेत्र	500

नई पर्यटन नीति

1235. डॉ. वी. सरोजा :

श्री रामशकल :

श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई पर्यटन नीति बना ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई नीति कब तक लागू कर दी जायेगी ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। नई नीति में निम्नलिखित मुख्य मदों पर बल दिया गया है :

(1) पर्यटकों को सूचना, सुविधा तथा सुरक्षा उपलब्ध कराना।

(2) पर्यटन के समाजार्थिक लाभों के प्रति समाज के सभी वर्ग के लोगों में जागरूकता लाना।

(3) पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बल दिया जाना।

(4) पर्यटन उत्पादों का विविधीकरण तथा उसका विकास।

(5) पर्यटन विकास तथा इसके लाभ में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

(6) पर्यटन उद्योग में गतिशील निजी क्षेत्र के विकास को सुगम बनाना।

(7) भारत आगमन को सरल बनाना तथा वहन क्षमता में वृद्धि के साथ–साथ सेवा की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करना।

(8) बजट पर्यटकों के लिए सुख–सुविधाओं को विकसित करके स्वदेशी पर्यटन को सुगम बनाना।

(ग) इन नीति के अनुमोदन के बाद यह आशा है कि सम्बद्ध मंत्रालय अपनी कार्य योजनाएं दो माह की अवधि के भीतर तैयार कर लेंगे।

जमालपुर रेलवे वर्कशाप को हुआ घाटा

1236. श्री रघुनाथ झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमालपुर रेलवे वर्कशाप को पिछले तीन वर्षों से भारी घाटा हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जमालपुर कारखाना अनिवार्यतः एक स्वदेशी सर्विसिंग यूनिट है जहां केवल व्यय होता है। "लागत केंद्र" होने के कारण कोई आमदनी नहीं होती। अतः मौजूदा लेखा–जोखा प्रणाली में लाभ एवं हानि का विवरण नहीं होता है। अतः इस कारखाने में हानि से संबंधित प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई हेतु राज सहायता

1237. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई सुविधाओं हेतु राज सहायता जारी करने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक सरकार से 1999–2000 के दौरान बेल्लारी, मैसूर और मंगलूर (दक्षिण कन्नड़) जिलों के लिए तीन परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। परियोजनाओं में वैयक्तिक घरेलू शौचालयों का निर्माण, महिलाओं के लिए स्वच्छता परिसर, विद्यालय स्वच्छता और नाली/कूड़ाघर की सुविधा आदि शामिल हैं। बेल्लारी जिले के लिए 10.02 करोड़ रुपये, मैसूर जिले के लिए 11.14 करोड़ रुपये और मंगलूर (दक्षिण कन्नड़) जिले के लिए 6.38 करोड़ रुपये की कुल लागत के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए। केन्द्रीय सरकार की 30 प्रतिशत की पहली किस्त जारी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के "आबंटन आधारित" घटक के अन्तर्गत राज्य सरकार को लगभग 4.61 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं।

फील्ड मार्शल के भत्ते

1238. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थलसेना में फील्ड मार्शल का पद और रैंक है;

(ख) यदि हां, तो इस पद पर अभी कौन है;

(ग) क्या सरकार इस पद के पदधारक को निर्धारित नियमों के अनुसार पर्याप्त विशेषाधिकार और गरिमा प्रदान कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़) : (क) जी, हां।

(ख) फील्ड मार्शल के रैंक को धारण करने वाले वर्तमान पदधारक फील्ड मार्शल एस एच एफ जे मानेकशा, एम सी हैं।

(ग) और (घ) मानकों के अनुसार, उन्हें सभी औपचारिक विशेषाधिकार तथा आर्थिक हकदारियां दी गई हैं।

हैल विमानपत्तन

1239. श्री मोहन रावले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थित "हैल" हवाई अड्डा रक्षा विभाग के अन्तर्गत है;

(ख) यदि हां, तो क्या हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है कि कोई चूलनड्र झील से या हवाई अड्डे की दीवार फांदकर भी अन्दर आ सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस हवाई अड्डे की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) यह विमानपत्तन रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड का है और इसका उपयोग रक्षा मंत्रालय के अधीन विभिन्न संगठनों द्वारा तथा सिविल उड़ानों के लिए किया जाता है।

(ख) और (ग) इस विमानपत्तन की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। बेलन्दुर झील के सामने वाले किनारे सहित इस हवाई अड्डे के चारों तरफ 10 फुट ऊंची दीवार खड़ी की गई है तथा उस पर कंटीले तार लगाए गए हैं। तारबाड़ से घेरे गए इस क्षेत्र में दीवार के अंदर की ओर बनी पगडंडी पर सुरक्षा कार्मिक दिन-रात गश्त लगाते हैं। प्रवेश और निकास स्थलों पर सुरक्षा कार्मिक तैनात किए जाते हैं। सिविल वायुयान कार्य-स्थान, विभिन्न टर्मिनल भवनों तथा वायु यातायात नियंत्रण केन्द्रों की भी चौकसी की जाती है।

एन.आई.आर.डी. के कार्यों का विस्तार

1240. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के कार्यों का विस्तार करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पंचायती राज के लिए चुने गए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिये देश के विभिन्न भागों में कोई कैम्प लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं के वर्तमान कार्यकरण की समस्याओं की पहचान करने में एन.आई.आर.डी किस सीमा तक सक्षम है ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों के विस्तार के प्रयास किए हैं और विभिन्न राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों के साथ नेटवर्क बनाने के अलावा विशिष्ट केन्द्रों की स्थापना की है। संस्थान ने लोकल एरिया नेटवर्क और कम्प्यूटरीकृत पुस्तकालय सूचना प्रकोष्ठ की स्थापना कर कम्प्यूटर सुविधाओं में सुधार किया है।

फिलहाल कार्य अनुसंधान परियोजनाएं विभिन्न राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु में चल रही हैं। इसके अलावा ग्रामीण लोगों को जानकारी देने के लिए प्रायोगिक आधार पर सार्वजनिक सूचना कियॉस्क (खोखा) की स्थापना की गई है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को राज्यों के विकास के बारे में जानकारी देने के लिए एक मासिक न्यूज़लेटर "पंचायत उन्नति" शुरू किया गया है और यह देशभर में लगभग 2.3 लाख पंचायती राज संस्थाओं को परिचालित किया जाता है।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ-साथ पंचायती राज संस्थाओं के सरकारी कार्यकर्त्ताओं के लिए राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों में कैम्पस के बाहर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है जो मुख्यालय में आयोजित होने वाले नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा होते हैं।

(ग) देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किए जाने वाले कैम्पस के बाहर के कार्यक्रमों सहित संस्थान हर वर्ष औसतन 120-130 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

(घ) 19 प्रमुख राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज के संबंध में किए गए विस्तृत अध्ययन "ग्रामीण भारत में विकेन्द्रीकृत शासन पद्धति" में विभिन्न राज्यों में पंचायती राज प्रणाली के कामकाज की जांच की गई थी। चूंकि पंचायती राज राज्यों का विषय है इसलिए विभिन्न राज्यों को विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं को कार्य और निधियां सौंपने और विभिन्न प्रकार के विभाग, संस्थान और कार्यकर्ता हस्तांतरित करने के संबंध में स्थान विशेष/राज्य विशेष के अनुसार संचालन संबंधी समस्याएं होती हैं।

कौचेगुडा में रेल दुर्घटना

1241. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 फरवरी, 2000 को कौचेगुडा रेलवे स्टेशन पर एक चलती रेलगाड़ी से हुई दुर्घटना में कई लोग आहत हुए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आहतों को क्या सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसका परिणाम क्या निकला और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी हां, 6.2.2000 को काचीगुडा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नं. 1 से प्लेटफार्म नं. 3 पर जाने के लिए रेलपथ पार करते समय एक उपनगरीय गाड़ी से टकरा जाने से 12 व्यक्ति घायल हुए। 12 घायल व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई तथा 3 अन्य घायलों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। रेलवे डॉक्टरों ने घायलों का उपचार किया तथा प्राथमिक उपचार देकर उन्हें उस्मानिया सरकारी अस्पताल हैदराबाद में शिफ्ट कर दिया गया। घायल व्यक्तियों तथा उनके परिवार के सदस्यों, जो उनके साथ देखभाल के लिए आए थे, को सभी संभव सहायता प्रदान की गई। दक्षिण-मध्य रेलवे के महाप्रबंधक घायलों की समुचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए स्वयं अस्पताल गए। दो घायल व्यक्तियों, जिनका उपचार अभी चल रहा है, की हालत पर निगरानी रखने के लिए रेलवे के डॉक्टर प्रतिदिन अस्पताल का दौरा करते हैं।

(ग) और (घ) जी हां, रेलवे अधिकारियों की एक समिति ने दुर्घटना की जांच की जो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों द्वारा रेलपथ को अप्राधिकृत ढंग से पार करने से यह घटना घटी।

अंडमान और निकोबार में पर्यटन विकास

1242. श्री विजय गोयल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे आकर्षक पर्यटक स्थल के व्यापक सौन्दर्यवर्धन का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इसकी बजट राशि और व्यय की गई राशि कितनी थी ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) पर्यटक स्थलों का विकास मुख्यतया संबंधित राज्य/संघ राज्य द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय हर वर्ष संबंधित राज्य/संघ राज्य के साथ विचार-विमर्श करके पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, विभिन्न परियोजनाओं के लिए 164.50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे और प्रथम किश्त के रूप में, 50.50 लाख रुपये रिलीज किए गए थे।

[हिन्दी]

वैष्णों देवी और बद्रीनाथ (उ.प्र.) हेतु हेलीकॉप्टर सेवा

1243. श्रीमती शीला गौतम :

श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैष्णों देवी (जम्मू) और बद्रीनाथ (उ.प्र.) हेतु हेलीकाप्टर सेवा कब से शुरू किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड की जम्मू-सांजीछत-जम्मू तथाद कटरा सांजीछत-कटरा सैक्टरों पर हेलीकाप्टर सेवाएं प्रचालित करने की योजनाएं हैं। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा विमान सुरक्षा/संरक्षा, इत्यादि के संबंध में आवश्यक क्लीयरेंस जारी कराने के पश्चात् सेवाएं आरंभ की जाएंगी।

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड का रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ-केदारनाथ के लिए हेलीकाप्टर सेवाओं का प्रस्ताव था जिसके लिए पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड ने पट्टे के आधार पर पांच सीटों वाले हेलीकाप्टर की पेशकश की थी। गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

पार्सल-बुकिंग

1244. डॉ. संजय पासवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 जनवरी, 2000 के "जनसत्ता" में "पार्सल बुकिंग लीज पर देने से रेलवे को करोड़ों का नुकसान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में रिपोर्ट किए गए तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी हां, इस खबर में आरोप शामिल थे कि ब्रेक वैनों (एस एल आर) में स्थान पट्टे पर देने की योजना से रेलों को घाटा हो रहा है क्योंकि ठेकेदार अधिक लदान, प्रतिबंधित/निषिद्ध पण्यों की ढुलाई आदि जैसी अनियमितताएं बरत रहे हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पार्सल यातायात की लदान और उससे आमदनी अधिकतम बनाने के अलावा उपभोक्ताओं के लिए गारंटी शुदा निकासी और सेवा की बेहतर गुणवत्ता देने के लिए एस एल आर में स्थान पट्टे पर देने की योजना 1992–93 में आरंभ की गई थी। इस अनुभव के आधार पर यह जाना गया कि पार्सल आमदनी वास्तविक अर्थों में नहीं बढ़ रहीं थी। फरवरी, 1999 के रेलवे बजट में एक संशोधित योजना की घोषणा की गई थी जिसके अनुसार सभी मेल/एक्सप्रेस/सुपरफास्ट/पैसेंजर/शताब्दी/राजधानी गाड़ियों के फ्रंट एस. एल. आर. पट्टे पर दिये जा सकते हैं। निर्धारित गाड़ियों में एस. एल. आर. स्थान पट्टे पर देने के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं तथा रेलों के लिए अधिकतम राजस्व सुनिश्चित करने हेतु उच्चतम बोलीदाता को संविदा दी जाती है। अतः इस योजना की वजह से रेलों को किसी प्रकार की हानि होने का प्रश्न नहीं उठता। यह इस तथ्य से परिचालित होता है कि चालू वर्ष के दौरान अब तक पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में दो क्रमिक पूर्ववर्ती वर्षों में पार्सल आमदनी में क्रमशः केवल 5.2% और 8.8% की तुलना में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है।

पट्टाधारकों द्वारा अनियमितता यथा अधिक लदान, प्रतिबंधित/निषिद्ध/पण्यों की ढुलाई आदि की रोकथाम के उद्देश्य से नियमित अंतरालों पर अचानक जांच की जाती है तथा यथा आवश्यक उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, सामान्य उपभोक्ता को परेशानी से बचाने के उद्देश्य से रियर एस. एल. आर. गार्ड के प्रभार के अधीन सामान्य यातायात की बुकिंग और निकासी के लिए उपलब्ध रखा जाता है।

[अनुवाद]

तटरक्षक द्वारा पकड़ी पाकिस्तानी नौकाएं

1245. श्री दिन्शा पटेल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तटरक्षक गार्ड अथवा नौसेना द्वारा हाल ही में संवेदनशील द्वीप तट पर कुछ पाकिस्तानी नौकाएं पकड़ी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष हुई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है तथा ये किन–किन देशों से संबंधित हैं;

(ग) क्या इन नौकाओं में आई.एस.आई के एजेंट भी सवार थे;

(घ) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा गुजरात सहित तट रेखा पर सर्तकता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़) : (क) और (ख) तटरक्षक ने 12.2.2000 को लक्षद्वीप द्वीपसमूह के अपतटीय क्षेत्र में 49 व्यक्तियों सहित चार पाकिस्तानी जलयान पकड़े हैं। पकड़े गए जलयानों और व्यक्तियों को मारमागाओ बंदरगाह ले जाया गया और उन्हें स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया।

पिछले तीन वर्षों (जनवरी, 1997 से दिसंबर, 1999 तक) में लक्षद्वीप द्वीपसमूह में 64 कर्मीदल सदस्यों सहित 13 नौकाएं पकड़ी गईं। ब्यौरा इस प्रकार है :–

वर्ष	नावों की संख्या	कर्मीदल की संख्या	राष्ट्रिकता
1997	—	—	—
1998	06	28	श्रीलंकाई
1999	07	36	श्रीलंकाई

(ग) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से पुलिस, आसूचना और सुरक्षा अधिकारियों के एक संयुक्त दल द्वारा पूछताछ किए जाने से यह पता नहीं चला है कि ये व्यक्ति आई एस आई के एजेंट हैं।

(घ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय नौसेना तटरक्षक के साथ समुद्र तट और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के द्वीपीय क्षेत्रों की निगरानी नियमित रूप से कार्रवाई करती है। गुजरात के समुद्रतट के साथ–साथ भी अधिक निगरानी रखी जा रही है।

[हिन्दी]

जबलपुर रक्षा संगठनों में रिक्त आरक्षित पद

1246. श्रीमती जयश्री बनर्जी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार जबलपुर रक्षा संगठनों में रिक्त पड़े प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों की श्रेणी–वार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अनिवार्य स्वैच्छिक स्वास्थ्य और अन्य आधारों पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संगठन–वार संख्या क्या है;

(ग) कारगिल संघर्ष के दौरान उक्त रिक्त पदों पर तैनात किए गए कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रकार तैनात किए गए कर्मचारी इन रिक्त पदों के लिए अर्ह थे; और

(ङ) यदि नहीं, तो उन्हें किस आधार पर तैनात किया गया ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

थल सेना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की भर्ती

1247. श्री पी. आर. खूंटे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के बाहुल्य वाले ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को थल सेना में भर्ती के अवसर प्रदान करने हेतु कोई विशेष कार्य योजना को तैयार किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में भेदभाव के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सेना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए कोई निर्धारित रिक्तियां नहीं हैं। सेना में सभी जातियों, वर्गों और समुदायों के लिए भर्ती खुली है और सभी पात्र नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। सेना में भर्ती खुली भर्ती मेलों के जरिए की जाती है, जहां प्रत्येक को निष्पक्ष अवसर दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

वायु रक्षा-पोत बनाना

1248. श्री माधवराव सिंधिया :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री तिरुनावक्करसू :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20,000 टन वाले रक्षा पोत बनाने की योजना छोड़ दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की योजना अब 30,000 टन वाले वायुयान–वाहक को बनाने या खरीदने की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नौ–सेना की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) आई.एन.एस. "विक्रान्त" और "विराट" को हटाने से उत्पन्न रिक्ति को पूरा करने के लिए क्या प्रगति की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़) : (क) से (ङ) सरकार ने 1551.64 करोड़ रुपए की लागत से एक हवाई रक्षा पोत के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। इस पोत का निर्माण मैसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन द्वारा किया जाना है, जिसके वास्ते मई 1999 में एक आशय–पत्र जारी कर दिया गया है। इस पोत की डिजाइन संबंधी विशिष्टियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

भारतीय नौसेना पोत "विराट" को सेवा से नहीं हटाया गया है। केवल भारतीय नौसेना पोत "विक्रांत" को सेवा से हटाया गया है। भा.नौ.पो. "विक्रांत" के प्रतिस्थापन के रूप में एक हवाई रक्षा पोत का निर्माण किए जाने के लिए सरकार द्वारा पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है।

[हिन्दी]

रेल इंजनों का निर्माण और उनका आयात

1249. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999–2000 के दौरान अब तक किस प्रकार के रेल इंजनों का निर्माण और आयात हुआ है;

(ख) क्या वर्ष 2000–2001 के दौरान रेल इंजनों के आयात की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आयातित इंजनों का निष्पादन कैसा है और कितने इंजन निर्माण की त्रुटियों के कारण चल नहीं रहे हैं;

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं; और

(च) रेल इंजनों के निर्माण की प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने वाले हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) 1999–2000 (जनवरी 2000 तक) के दौरान निर्मित इंजनों (रेल इंजनों) की किस्म इस प्रकार है :

डीज़ल रेल इंजन कारखाना डीज़ल रेल इंजन रेल इंजन की किस्म		चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना बिजली रेल इंजन रेल इंजन की किस्म	
डब्ल्यू डी जी 2	86	डब्ल्यू ए जी 7	59
डब्ल्यू डी पी 2	6	डब्ल्यू ए पी 4	42
डब्ल्यू डी जी 4	6	जोड़	101
गैर रेलवे ग्राहकों के लिए रेल इंजन	4		
जोड़	102		

भारतीय रेलों ने 1999–2000 में एक अदद 4000 अश्व शक्ति वाला डीज़ल बिजली माल रेल इंजन आयात किया था। बहरहाल, पहले के 20 उच्च अश्व शक्ति माल डीज़ल रेल इंजन (12 पूर्णतया सुसज्जित और 8 अंशतः खुले) मार्च 1999 के अंतिम सप्ताह में प्राप्त किए गए थे। अंशतः खुले रेल इंजन सुसज्जित किए जा रहे हैं और 1999–2000 के दौरान चालू कर दिए गए हैं।

(ख) और (ग) मै. जनरल मोटर्स कारपोरेशन, यू.एस.ए. को 10 अदद 4000 अश्व शक्ति पाने डीज़ल बिजली यात्री रेल इंजनों के आदेश 20.1.1999 को दे दिए गए हैं। इन रेल इंजनों की सुपुर्दगी मई 2001 तक पूर्ण की जानी है।

(घ) आयातित डीज़ल और बिजली रेल इंजनों का कार्य निष्पादन संतोषजनक है और विनिर्माण में त्रुटि होने के कारण न चल रहे डीज़ल और बिजली रेल इंजनों की संख्या शून्य है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) भारतीय रेलों ने डीज़ल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी में 4000 अश्व शक्ति वाले डीज़ल रेल इंजनों और चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन में 6000 अश्व शक्ति वाले बिजली रेल इंजनों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की संविदा प्रणाली शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

आकाश में होने वाली संभावित विमान दुर्घटनाओं के मामले

1250. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आकाश में होने वाली संभावित विमान दुर्घटनाओं के कितने मामलों की सूचना है तथा प्रत्येक मामले का क्या कारण है;

(ख) क्या सरकार की प्रत्येक विमान में दुर्घटना के संबंध में चेतावनी देने वाली प्रणाली को अनिवार्य रूप से लगाए जाने संबंधी कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय आकाश में असैनिक टक्कर की कोई दुर्घटना नहीं हुई है।

(ख) और (ग) भारतीय विमान क्षेत्र में प्रचालित होने वाले उन सभी विमानों में, जिनमें 30 से अधिक प्रमाणित सीट क्षमता अथवा 3 टन से अधिक भार गुणक क्षमता है, दिनांक 1 जनवरी, 1999 से वैमानिक टक्कर परिहार प्रणाली (ए.सी.ए.एस.) 2 संस्थापित किए जाने को आवश्यक बनाया गया है। 10 से 30 तक प्रमाणित सीट क्षमता अथवा 1 से 3 टन तक की भार–गुणक क्षमता रखने वाले विमानों में दिनांक 31.12.2003 तक ए.सी.ए.एस.–1 संस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रचार-प्रसार पर व्यय

1251. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा गत वर्ष के दौरान जोन–वार निविदा तथा प्रदर्शनी के प्रचार–प्रसार पर कुल कितना व्यय किया गया;

(ख) क्या यह व्यय अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेलवे द्वारा अनावश्यक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है तथा अत्यधिक व्यय किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) सीमित संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रदर्शन के माध्यम से प्रचार एवं निविदा विज्ञापनों पर खर्च को विनियमित किया जा रहा है। विज्ञापनों के आकार उनके सन्निवेश की संख्या तथा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रकाशनों की सीमित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। क्षेत्रीय रेलों को चालू वित्त वर्ष में विज्ञापन खर्च में 30% की कमी करने के निर्देश किए गए हैं।

विवरण

गत वित्त वर्ष 1998–99 के दौरान प्रदर्शनी और निविदा विज्ञापन पर हुए खर्च का ब्यौरा :

क्षेत्रीय रेलवे	विज्ञापन की किस्म	1998–99 (रुपये में)
1	2	3
मध्य	निविदा	2,61,82,525
	प्रदर्शनी	93,93,084
	जोड़	3,55,75,609
पूर्व	निविदा	2,78,14,532
	प्रदर्शनी	31,07,801
	जोड़	3,09,22,333
उत्तर	निविदा	5,94,04,655
	प्रदर्शनी	1,22,82,004
	जोड़	7,16,86,659
पूर्वोत्तर	निविदा	1,72,41,120
	प्रदर्शनी	12,08,737
	जोड़	1,84,49,857
पूर्वोत्तर–सीमा	निविदा	1,02,56,535
	प्रदर्शनी	7,15,495
	जोड़	1,09,72,030
दक्षिण	निविदा	4,73,98,025
	प्रदर्शनी	55,46,292
	जोड़	5,29,44,317
दक्षिण–मध्य	निविदा	2,36,02,000
	प्रदर्शनी	9,53,000
	जोड़	2,45,55,000
दक्षिण–पूर्व	निविदा	2,81,72,271
	प्रदर्शनी	19,60,469
	जोड़	3,01,32,740
पश्चिम	निविदा	3,08,39,654
	प्रदर्शनी	17,97,494
	जोड़	3,26,37,148
सभी क्षेत्रीय रेलों का जोड़	निविदा	27,09,11,317
	प्रदर्शनी	3,69,64,376
सभी क्षेत्रीय रेलें कुल		30,78,75,693

आयातित चीनी पर लेवी लगाना

1252. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयातित चीनी पर लेवी लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार ने चीनी के आयातकों पर 30 प्रतिशत लेवी की बाध्यता लगाने के लिए दिनांक 17.2.2000 को आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं।

इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानपत्तन कर

1253. श्री रविप्रकाश वर्मा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रत्येक बार हर यात्री से 500 रुपये विमानपत्तन कर वसूला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस मद में प्रतिदिन औसतन कितना संग्रह होता है; और

(ग) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नागरिक सुविधाओं के सुधार हेतु संग्रहित राशि में से कितनी राशि खर्च की गई है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां। उतरने वाले प्रत्येक अंतराष्ट्रीय यात्री से 500/– रुपए विदेश यात्रा कर के रूप में लिये जाते हैं।

(ख) 1998–99 के दौरान औसत दैनिक एकत्रित राशि 23.93 लाख रुपए थी।

(ग) इस प्रकार से एकत्रित राशि को भारत के समेकित निधि में डाला जाता है जिसमें से केवल 10 प्रतिशत राशि की आमदनी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को दी जा रही है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर सम्पूर्ण रूप से यात्री सुविधाओं में सुधार करने और अनुरक्षण पर 1998–99 के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 54.50 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

पूर्णा सेटेलाइट डीजल शेड को बदलना

1254. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण–मध्य रेलवे में पूर्णा सेटेलाइट डीजल शेड को डीजल होम शेड में बदलने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पूर्णा में डीजल इंजनों की मरम्मत के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पूर्णा में सेटेलाइट डीज़ल शेड का पूर्णतया डीज़ल शेड में परिवर्तन करने संबंधी मांग पर विचार करना परिचालनिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया क्योंकि डीज़ल शेड की स्थापना यातायात प्रवाह के पैटर्न तथा डीज़ल शेडों के अलावा अन्य परिचालनिक पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है।

[हिन्दी]

चीन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों का उल्लंघन

1255. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन द्वारा भारतीय सीमा पर नियंत्रण रेखा का बार–बार उल्लंघन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए ऐसे उल्लंघनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चीन के साथ युद्ध जैसी स्थिति से मुकाबला करने हेतु कोई सुव्यवस्थित तैयारी करने का विचार किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज़) : (क) से (घ) भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अभी सुलझाया जाना है। इसके अतिरिक्त, सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में दोनों की अवधारणाओं में अंतर है। सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उसके बारे में अपनी–अपनी अवधारणाओं के अनुसार दोनों ओर से गश्त लगाई जाती है। जब कभी वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किए जाने सहित सीमा पर चिंताजनक गतिविधियों के बढ़ने की कार्रवाई देखी जाती है, तो ऐसे मामले को राजनयिक माध्यम तथा सीमा कार्मिक बैठकों/ध्वज बैठकों के जरिए उठाया जाता है। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए समुचित उपाय किए जाते हैं। फिलहाल, भारत–चीन सीमा पर कोई तनाव नहीं है।

दोनों पक्ष सीमा के विवाद पर एक संयुक्त कार्यकारी दल के ढांचे के अंतर्गत बातचीत कर रहे हैं। भारत और चीन दोनों ने वार्ता के जरिए सीमा–विवाद का निष्पक्ष, समुचित तथा दोनों को स्वीकार्य हल ढूंढने की अपनी इच्छा को दोहराया है। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों ने भारत–चीन सीमावर्ती क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और अमन बनाए रखने संबंधी समझौता (1993) और भारत–चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य क्षेत्र में विश्वास उत्पन्न करने वाले उपाय किए जाने संबंधी समझौता (1996), का सम्मान करने की अपनी वचनबद्धता दोहराई है। ये समझौते दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और अमन बनाए रखने के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराते हैं।

सरकार अपनी सीमाओं की निरंतर चौकसी करती है और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रखती है। रक्षा तैयारी सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

गैसल में हुई रेल दुर्घटना के संबंध में न्यायिक जांच

1256. श्री नरेश पुगलिया :

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 अगस्त, 1999 को गैसल में हुई रेल दुर्घटना के संबंध में न्यायिक जांच शुरू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त न्यायिक आयोग की रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो जांच शुरू किए जाने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) न्यायमूर्ति जी. एन. रे की अध्यक्षता वाला न्यायिक आयोग भारत सरकार द्वारा दिनांक 20.01.1999 की अधिसूचना के अंतर्गत गठन किया था। नवंबर, 1999 के दौरान इस आयोग ने दुर्घटना स्थल और निकट स्थित स्टेशनों का दो बार दौरा किया था। मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा संग्रह किए गए ब्यौरे की जांच करने के पश्चात् 16.02.2000 से प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही आरंभ हुई थी।

(ग) इस आयोग के गठन के लिए जारी की गई अधिसूचना में किसी लक्ष्य तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। बहरहाल, त्रासदी के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इस आयोग से यथा संभव कम समय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

(घ) जांच आरंभ करने में कोई विलंब नहीं हुआ है।

रंगिया-तेजपुर-मरकोंग सिलेक रेल मार्ग का आमान परिवर्तन

1257. श्री एम.के. सुब्बा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगिया–तेजपुर मरकोंग सिलेक रेल मार्ग के आमान परिवर्तन हेतु सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा आगे क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) उपरोक्त मार्ग पर आमान परिवर्तन कार्य कब तक शुरू और पूरा कर लिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) रंगिया–मालुकपोंग उपखंड के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और बालीपाड़ा से मुरकोंगसेलक और रंगपाड़ा नार्थ–तेजपुर उपखंडों के लिए सर्वेक्षण कार्य अभी चल रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के उपलब्ध होने के बाद परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

सोलर कुकर और सोलर हीटर

1258. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक समय प्रतिस्थापित सोलर कुकर, सोलर हीटर आदि ने अब काम करना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इन पर कितना धन खर्च किया और इसकी तुलना में कितना लाभ कमाया और कितनी पारंपरिक ऊर्जा की बचत की; और

(घ) वर्ष 1998–99 के दौरान खर्च किए गए धन का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1999–2000 हेतु बजट में इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है ?

अपारंपरिक स्रोत ऊर्जा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) अस्सी के दशक के दौरान लगाए गए काफी सारे सौर कुकर और सौर जल तापक प्रौद्योगिकी के विकासात्मक अवस्था में होने, रखरखाव का अभाव और उपयोगकर्त्ताओं में अभिरुचि की कमी जैसे कारकों की वजह से निष्क्रिय हो गए। तथापि, पिछले कुछ वर्षों के दौरान बेहतर प्रौद्योगिकी, मानकों की शुरुआत, बिक्री–बाद उन्नत सेवा आदि के कारण स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उपभोक्ता समन्वयन परिषद द्वारा बंगलौर में किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि पिछले पांच वर्षों के दौरान लगाए गए 97% सौर जल तापक काम कर रहे हैं।

(ग) सरकार द्वारा खर्च की गई राशि से देश में उत्पादन आधार के विकास, प्रौद्योगिकी और उत्पादों में सुधार, तथा उपभोक्ताओं में विश्वास पैदा करने में सहायता मिली है। स्थानापन्न किए गए ईंधन पर निर्भर हुए एक सौर जल तापक और एक कुकर पर किए गए निवेश

की वसूली क्रमशः 3–6 वर्षों और 3–4 वर्षों में हो जाती है। इन कारणों से इन उत्पादों का वाणिज्यीकरण हो गया है जिससे सरकार इन पर पूंजीगत सब्सिडी बंद करने की स्थिति में आ गई है।

(घ) वर्ष 1998–99 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा सौर कुकरों, सौर जल तापकों और अन्य सौर तापीय युक्तियों के विकास और संवर्धन के लिए 1.45 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वर्ष 1999–2000 के लिए बजट प्रावधान 3.50 करोड़ रुपये है।

भूमि कुप्रबन्धन

1259. श्री प्रभुनाथ सिंह :

श्री रघुनाथ झा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 दिसम्बर, 1999 के "द इंडियन एक्सप्रैस" में "सीएजी स्लेम्स रेल बोर्ड फॉर नाट एडाप्टिंग राइट ट्रैक ऑन लैंड मैनेजमेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर प्रतिक्रिया सहित इसमें प्रकाशित तथ्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रेलवे ने कितने समझौते किए और इनसे कितना राजस्व प्राप्त हुआ; और

(घ) इसमें धीमी प्रगति के क्या कारण हैं और इसमें सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस रिपोर्ट में मुख्यतः निम्नलिखित बातें हैं :

(i) क्षेत्रीय रेलों और रेलवे बोर्ड में केवल भूमि प्रबंधन कार्य के लिए कर्मचारी मुहैया नहीं कराए गए हैं।

(ii) भूमि योजनाओं को प्रमाणन का कार्य पूरा नहीं हुआ, भूमि दस्तावेज आशानुसार नहीं रखा जा रहा है, बड़ी संख्या में अतिक्रमण और अदालती मामले हैं।

(iii) करारों का निष्पादन और लाइसेंस फीस की वसूली ठीक नहीं है।

(iv) खाली भूमि पर वृक्षारोपण से आमदनी बिल्कुल नगण्य है।

(v) उपर्युक्त मुद्दों पर स्थिति नीचे दी गई है :

(i) से (iii) रेलवे में भूमि प्रबंधन संगठन के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पिछले कई वर्षों से महसूस की जा रही थी किंतु पदों पर प्रतिबंध और संसाधनों की तंगी के कारण केवल भूमि प्रबंधन कार्य के लिए कर्मचारी मुहैया नहीं कराए जा सके। इसकी वजह से कर्मचारियों को भूमि प्रबंधन से संबंधित कार्य के अलावा कुछ अन्य कार्य भी देखने पड़ते थे। बहरहाल, भूमि प्रबंधन संगठन से संबंधित कार्य, विशेष रूप से रेलवे भूमि और नये क्षेत्र के वाणिज्यिक दोहन का कार्य रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सौंपा जा रहा है क्योंकि रेलवे कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की स्थिति में नहीं है।

(iv) अभी तक रेलवे भूमि पर वृक्षारोपण मुख्यतः पर्यावरण को बेहतर बनाने एवं रेलवे भूमि को अतिक्रमण से बचाने के उद्देश्य से किया जा रहा था। बहरहाल, भारतीय रेलों पर भूमि प्रबंधन पर बनी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसरण में रेल मंत्रालय ने वाणिज्यिक दृष्टि से भी रेलवे भूमि पर वृक्ष लगाने का विनिश्चय किया है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तमिलनाडु में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

1260. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय तमिलनाडु में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों तथा कार्यालयों की स्थल–वार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तमिलनाडु में चावल, खाद्यान्नों, गेहूं आदि की खरीद, भंडारण और वितरण पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) क्या सरकार ने देश में विशेष रूप से तमिलनाडु में मौजूदा खुले गोदामों में सुधार लाने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम के पास तमिलनाडु राज्य में कुल 42 गोदाम (35 ढके हुए और 7 कवर और प्लिंथ) हैं।

तमिलनाडु में भारतीय खाद्य निगम के स्थल–वार गोदाम और भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम तमिलनाडु में खाद्यान्नों की वसूली

नहीं करता है। यह अन्य राज्यों से प्राप्त खाद्यान्नों का भंडारण करता है और सरकार तथा अन्य उपभोक्ताओं द्वारा दिए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आबंटन के अनुसार इसे जारी करने के लिए तमिलनाडु सरकार को जारी करता है। तमिलनाडु में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी मात्रा की वितरण लागत निम्नानुसार है :

(रुपये प्रति टन/प्रति वर्ष)

वर्ष	गेहूं	चावल
1996–97 (अ.)	1,150	1,582
1997–98 (अ.)	1,793	1,884
1998–99 (अ.)	1,631	1,734
1999–2000 (अ.)	1,377	1,709

अ. : अनन्तिम

(ग) और (घ) तमिलनाडु में चावल की वसूली राज्य एजेन्सियों द्वारा एकाधिकार वसूली योजना के अधीन की जाती है। इस योजना के अधीन वसूली करने के लिए भारतीय खाद्य निगम पर प्रतिबंध है। तदनुसार, राज्य एजेंसियां उनके द्वारा वसूल धान/चावल के लिए गोदाम उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। तमिलनाडु सरकार से गोदाम/भंडारण सुविधा की अपर्याप्तता संबंधी किसी समस्या की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। 1996–97 में 2480 टन अतिरिक्त क्षमता के सृजन के लिए 18 गोदामों का निर्माण करने हेतु तमिलनाडु सरकार को 50 लाख रुपये की राशि दी गई थी। तमिलनाडु सरकार ने अभी तक इन गोदामों का निर्माण नहीं किया है।

तमिलनाडु में भारतीय खाद्य निगम की मौजूदा भंडारण क्षमता (अपनी और किराए की) बफर स्टाक और सार्वजनिक वितरण के लिए पर्याप्त समझी जाती है।

तमिलनाडु और देश में अन्यत्र कैप भंडारण देशभर में भारतीय खाद्य निगम और राज्य/राज्य एजेंसियों द्वारा रखे गए गेहूं के अधिशेष स्टाक का भंडारण करने की अस्थायी आवश्यकता के रूप में समझा जाता है। यह पूर्णतः सुरक्षित और वैज्ञानिक भंडारण है, जिसमें भंडारण लागत कम होती है। तथापि, उन स्थानों पर स्थायी क्षमताएं सृजित की जाएंगी जहां काफी समय से अतिरिक्त क्षमता के सृजन की आवश्यकता रही है। निजी/सरकारी एजेंसियों की भागीदारी से इस क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

विवरण

1.2.2000 को स्थिति के अनुसार तमिलनाडु में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध स्थलवार गोदाम निम्नानुसार हैं :

भारतीय खाद्य निगम जिले का नाम	राजस्व जिले का नाम	केंद्र का नाम
1	2	3
ढके हुए भंडारण गोदाम		
कोयम्बटूर	कोयम्बटूर	कोयम्बटूर
		पीलामेडु
		थिरपुर
		मेट्टुपुलम
		सिद्धापुडुर
	कमारजार	अविनाशी
	पेरियार	इरोड़
	सलेम	सलेम
चेन्नई	चेन्नई	अवाड़ी
		क्रोमपेट
		इग्मोर

1	2		3
जे.एम.(पो.ऑ.)चेन्नई	चेन्नई		हारबर (पत्तन)
तूतीकोरिन		कन्याकुमारी	नागरकोली
		मदुरै	मदुरै
			विरदु नगर
		डिंडीगुल	डिंडीगुल
		त्रिनुवेली	त्रिनुवेली
			पोल्लाटकोटी
		चिदम्बनार	वी.ओ.सी. पत्तन
		तूतीकोरन	तूतीकोरिन, बांडेड
थंजाबूर	दक्षिण अर्कट		चिदम्बरम (साइलो)
			—वही— (एम.आर.एम.)
	थंजाबूर		मन्नारगुडीसांबरनारकोली (साइलो)
			—वही— (एम.आर.एम.)
			थंजाबूर
			एस.ई.पी. (सेंबनारकोई)
	त्रिची		त्रिची
वेल्लूर	उत्तर अर्कट		अर्कोनम सेबूर
कैप (खुले) भंडारण गोदाम			
कोयम्बतूर	कोयम्बतूर		कोयम्बतूर
			पीलामेडु
	सलेम		सलेम
वेल्लूर	उत्तर अर्कट		अर्क्रोनम सेबूर
चेन्नई	चेन्नई		अवाड़ी
तूतीकोरन	तूतीकोरन		तूतीकोरन

तमिलनाडु में भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय

तमिलनाडु में भारतीय खाद्य निगम के कार्यालयों की स्थल–वार स्थिति निम्नानुसार है :

आंचलिक कार्यालय (दक्षिण)	चेन्नई
क्षेत्रीय कार्यालय, तमिलनाडु	चेन्नई
संयुक्त प्रबंधक (पी.ओ.)	चेन्नई
जिला कार्यालय	चेन्नई
जिला कार्यालय	कोयम्बतूर
जिला कार्यालय	तूतीकोरन
जिला कार्यालय	थंजाबूर
जिला कार्यालय	वेल्लूर
जिला कार्यालय	कुड्डालोर

[हिन्दी]

जम्मू हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था

1261. श्री रामदास आठवले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 दिसम्बर, 1999 के 'नवभारत टाइम्स' में "जम्मू हवाई अड्डे पर भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) उक्त समाचार में आरोप लगाया गया है कि जम्मू में लापरवाह सुरक्षा व्यवस्था के कारण ऐसी संभावना है कि कुछ अप्राधिकृत व्यक्ति टूर ऑपरेटर और स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से विमानपत्तन में प्रवेश करने में सक्षम हो सकते हैं।

(ग) जम्मू विमानपत्तन सहित सभी विमानपत्तनों पर सुरक्षा व्यवस्था की विभिन्न स्तर पर लगातार समीक्षा की जाती है। हाल ही में हुई अपहरण की घटना के पश्चात् विमानपत्तनों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) पहले चरण में सभी चालू घरेलू हवाई अड्डों पर सुरक्षा ड्यूटियों के संबंध में राज्य पुलिस के स्थान पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) कार्मिकों की तैनाती। सीआईएसएफ ने पहले ही पटना, जयपुर, गुवाहाटी, बड़ोदरा तथा पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डों पर सुरक्षा ड्यूटियां संभाल ली हैं।

(ii) प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश के समय, यात्रियों तथा हैंड बैगेज की जांच–पड़ताल को और कड़ा कर दिया गया है। लेडर प्वाइंट पर दूसरी बार की जांच लागू कर दी गई है।

(iii) फोटो पहचान–पत्रों की व्यापक पुनरीक्षा तथा पास होल्डरों की संख्या प्रतिबंधित करने से हवाई अड्डों की पहुंच पर कठोर नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा रहा है तथा 31.3.2000 तक आगंतुकों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जा रहा है।

(iv) अतिरिक्त सुरक्षा सावधानी के बतौर याट्टच्छिक रूप से उड़ानों में स्काई मार्शलों की तैनाती।

(v) सभी चालू हवाई अड्डों पर निर्धारित ऊंचाई तक चारदीवारी को ऊंचा उठाना।

(vi) पुरानी एक्सरे मशीनों को बदलना तथा जहां कहीं आवश्यक हो नई रंगीन एक्सरे मशीनों की संस्थापना करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कम–से–कम दो एक्सरे मशीनें प्रत्येक प्वाइंट पर उपलब्ध हैं।

(vii) हवाई अड्डों की सुरक्षा से सम्बद्ध तकनीकी ढांचे का चरणबद्ध ढंग से आधुनिकीकरण तथा स्तरोन्नयन कार्य किया जा रहा है।

[अनुवाद]

भूतपूर्व सैनिकों के लिए नौकरियों में आरक्षण

1262. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए बडी संख्या में आरक्षित रिक्तियों को हेरा फेरी करके भरा नहीं जाता और उनका सामान्य पूल में विलय कर दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि यह कोटा अनुसूचित जाति, जनजाति कोटे की भांति किसी और संवर्ग को हस्तांतरित न किया जाये और न भरी गई रिक्तियों को भविष्य में इसी वर्ग के लिये आरक्षित रखा जाए ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज़) : (क) और (ख) ऐसा कोई दृष्टांत सरकार के ध्यान में नहीं आया है जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को "उपयोग नहीं किया गया" दिखाया गया हो और तब उनका सामान्य पूल में विलय कर दिया गया हो।

हैरीटेज सिटी की घोषणा

1263. श्री मोहन रावले : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रामेश्वरम् को "हैरीटेज सिटी" घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक घोषित कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 में किसी भी शहर की दाय शहर के रूप में घोषणा करने का कोई प्रावधान नहीं है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में रेलवे नेटवर्क

1264. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में रेलवे नेटवर्क अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो 100 वर्ग मील के सर्वेक्षण के आधार पर इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। 31.3.1999 को उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य का अन्य सभी राज्यों में रेलवे मार्ग किलोमीटर में (पहला उत्तर प्रदेश में होने के नाते) दूसरा स्थान है। भारतीय रेलों के कुल 62,809 मार्ग किलोमीटर में से मध्य प्रदेश में 5,922 (9.43 प्रतिशत) किमी. है। इसके अलावा, अखिल भारतीय स्तर पर 7.42 की तुलना में मध्य प्रदेश को सेवित करने वाले मार्ग किलोमीटर प्रति लाख जनसंख्या 8.94 है।

(ग) इस राज्य में रेल अवसंरचना को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से ललितपुर–सतना–रीवा–सिंगरौली, गुना–इटावा, विश्रामपुर–अम्बिकापुर, गोधरा–इंदौर–देवास–मकसी और दल्लीराजहरा–जगदलपुर, रामगंजमंडी–भोपाल से नई लाइनों का निर्माण स्वीकृत हो गया है। जबलपुर–गोंदिया और नीमच–रतलाम खंड का आमान परिवर्तन भी शुरू हो गया है।

[अनुवाद]

पर्यटकों की संख्या में आई कमी के कारण घाटा

1265. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में दिसम्बर, 1999 माह के दौरान पर्यटकों की आवाजाही में कमी आने के कारण भारतीय होटलों को भारी घाटा उठाना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित तथ्य क्या हैं; और

(ग) वर्ष 2000 के दौरान और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) पर्यटन मंत्रालय विदेशी पर्यटक आगमन के आंकड़े मासिक आधार पर इकट्ठे करता है तथा समेकित करता है। दिसम्बर 1999 माह के दौरान पिछले वर्ष की इसी समयावधि की तुलना में पर्यटक आगमन में 2.9 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वर्ष 2000 के दौरान कुछ कार्यक्रम अभिनिर्धारित किए हैं जैसे एक्सप्लोर इंडिया इन द मिलेनियम ईयर, खजुराहो सहस्राब्दि समारोह, ग्रीष्म और मानसून अवधि के दौरान भारत संवर्धन हेतु विशेष यात्रा और अनिवासी भारतीयों तथा "भारतीय मूल" के लोगों को आकर्षित करने के लिए विशेष अभियान।

भूमिहीन ग्रामीणों को भूमि का आबंटन

1266. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ग्रामीण भूमि बैंक" के गठन द्वारा भूमि खरीदकर भूमिहीन गरीब ग्रामीणों को भूमि आबंटित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या गरीबी उपशमन कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि खरीदकर गरीबों को आबंटित करने के लिए प्रायोगिक परियोजना शुरू करने हेतु किसी नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के गोदामों में खाद्यान्नों का भंडारण

1267. श्री रघुनाथ झा : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 फरवरी, 2000 के 'दी इंडियन एक्सप्रेस' में "फाइन्ड्स अलार्मिंग शार्टेज ऑफ ग्रेन्स, एस.सी.आई. डज नॉट एक्सेप्ट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा रखे जा रहे केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न–स्टाक के आंकड़ों और भारतीय खाद्य निगम के आंकड़ों में विसंगतियां रही हैं। मंत्रिमंडल की मूल्य समिति के निदेशानुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा रखे जा रहे खाद्यान्नों के स्टाक की विशेष लेखापरीक्षा की थी और उन्होंने 31.3.97 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम की बहियों के अनुसार खाद्यान्नों के स्टाक और उक्त तारीख को नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सर्वेक्षकों द्वारा गणना किए गए स्टाक में (–) 4.74 लाख टन के अंतर का उल्लेख किया है। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा विशेष लेखापरीक्षा में अपनाई गई अलग विधि अर्थात् अनुमापी (वॉल्यूमेट्रिक) विधि के कारण भारतीय खाद्य निगम ने नियंत्रक तथा महा लेखापरीक्षक द्वारा अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इंगित खाद्यान्न स्टाक के अंतर को स्वीकार नहीं किया है।

(ग) इस मंत्रालय ने नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट और उस पर भारतीय खाद्य निगम की आपत्तियों की जांच की है और भारतीय खाद्य निगम से कहा है कि वह उन गोदामों में कमियों के कारणों की जांच करें जहां नियंत्रक तथा महा लेखापरीक्षक ने कमियों का उल्लेख किया है।

[हिन्दी]

जबलपुर वाहन फैक्टरी द्वारा सेना के वाहनों का निर्माण

1268. श्रीमती जयश्री बनर्जी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर वाहन फैक्टरी के पास अपनी क्षमता के अनुसार सेना के वाहनों के निर्माण हेतु आदेश नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सेना ने वर्ष 1999 में कुछ वाहनों की आपूर्ति हेतु कोई तत्काल आदेश दिया था; और

(घ) यदि हां, तो किन कारणों के चलते यह आदेश अशोक लेलेण्ड और टाटा उद्योग को दे दिया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (घ) वाहन निर्माणी, जबलपुर को 1999–2000 के दौरान 2.5 टन के एल पी टी ए 713 और 5/7.5 के स्टैलियन एम के III वाहनों की 5862 अदद के लिए आर्डर दिए गए हैं। ये नए उत्पाद हैं, जिनकी विनिर्माण प्रौद्योगिकी क्रमिक रूप से आत्मसात की जा रही है। इन वाहनों के लिए उत्पादन क्षमता को लगभग 3 वर्ष में निर्धारित किया जाएगा। उपर्युक्त आर्डरों में से कोई भी अंश वाहन निर्माणी, जबलपुर से अशोक लेलेण्ड या टेल्को को अंतरित नहीं किया गया है।

2. चूंकि सेना के पास 2.5 और 5/7.5 टन श्रेणी के वाहनों की बहुत कमी है इसलिए उन्होंने इस कमी को दूर किए जाने के लिए मार्च 1999 में टेल्को और मैसर्स अशोक लेलेण्ड में से प्रत्येक को एक–एक हजार वाहनों के लिए सीधे ही क्रयादेश दे दिये।

सोयाबीन का आयात

1269. श्री माधव राव सिंधिया : क्या उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान पूर्व में सोयाबीन के सस्ते आयात से बुरी तरह प्रभावित हुए सोयाबीन के उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या निर्णय लिया गया है और सोयाबीन की फसलों को विशेष कर मध्य प्रदेश में भारी वर्षा से कितना नुकसान हुआ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान सोयाबीन और सोयाबीन के तेल का कुल कितना आयात किया गया और उनके आयात पर कितनी लागत आई; और

(ग) देश में राज्य–वार इन वस्तुओं का कितना उत्पादन होता है और इनकी वार्षिक खपत और आवश्यकता कितनी है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) पिछले तीन वर्षों में सोयाबीन के बीजों का कोई आयात नहीं हुआ है। फिर भी सरकार ने सोयाबीन के उत्पादकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :

(i) तिलहनों के आयात पर शुल्क, जिसमें सोयाबीन के बीज भी शामिल हैं, को 40 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर रखा गया है।

(ii) वर्तमान वर्ष में सोयाबीन (पीली) के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 795 रुपए प्रति क्विंटल (1998–99 के दौरान)

से बढ़ाकर 845 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है।

(iii) 30.12.1999 से रिफाइन्ड तेलों पर आयात शुल्क 16.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 27.5 प्रतिशत कर दिया गया है। यद्यपि कच्चे सोयाबीन के तेल पर आयात शुल्क 16.5% पर बना रहा तथापि इसका आयात "वास्तविक उपभोक्ता" शर्त के अधीन होगा। इसका एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है कि किसानों को उनके उत्पादन की अच्छी प्राप्ति हो।

(iv) जब कभी परिस्थिति उत्पन्न हो, "नेफेड" को बाजार समर्थन प्रचालनों को चलाने के लिए सचेत कर दिया गया है।

(ख) जैसा कि पहले भी दर्शाया गया है कि वर्तमान वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों में सोयाबीन का कोई आयात नहीं किया गया है। वर्तमान वर्ष (नवम्बर, 99 से जनवरी 2000) में खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयातित सोयाबीन के तेल की कुल मात्रा और मूल्य लगभग 1.18 लाख टन और 1.90 करोड़ रुपये रहा है।

(ग) 1999–2000 में सोयाबीन के बीज और सोयाबीन के तेल का उत्पादन क्रमशः 65.2 लाख टन और 10.4 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है। सम्पूर्ण उत्पादन का देश में ही उपयोग होता है। राज्य–वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

पर्यटन के विकास के लिए क्षेत्रों की पहचान

1270. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

श्री रामपाल सिंह :

डॉ. अशोक पटेल :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन के नए क्षेत्रों के विकास और उन्नयन के लिए कोई सकारात्मक कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो देश के प्रत्येक राज्य में कौन–कौन से क्षेत्रों की पहचान की गई है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) पर्यटन का विकास मुख्यतया राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि उनके प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय प्रत्येक वर्ष उनसे परामर्श करके प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं/स्कीमों के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 1999–2000 के दौरान, राज्य/संघराज्य सरकारों के परामर्श से 600 से अधिक परियोजनाओं को पर्यटन के विकास हेतु प्राथमिकता प्रदान की गई। देश के विभिन्न भागों में विकास हेतु 21 यात्रा परिपथों, 12 गंतव्य स्थलों तथा 5 विशेष पर्यटन क्षेत्रों को अभिनिर्धारित किया गया है।

[अनुवाद]

बंजरभूमि विकास परियोजनाएं

1271. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अग्रेषित प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है;

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत कुल कितने क्षेत्रों को राज्य–वार शामिल किया जाएगा;

(घ) केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित राज्य–वार समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना के लिए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति मिल जाएगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, 15.2.2000 तक, विभिन्न राज्यों से समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के तहत चार सौ बासठ परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान 15.2.2000 तक, एक सौ उनचास परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया है।

(ग) इन स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल किये जाने वाले संभावित कुल क्षेत्र को राज्य–वार संलग्न विवरण–I में दर्शाया गया है।

(घ) और (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग ने राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृति देने हेतु समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना प्रस्तावों की (राज्य–वार) प्राथमिकता सूचियां तैयार की हैं। विभाग के पास स्वीकृति हेतु लंबित पड़े प्राथमिकता प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृति उनकी जीवनक्षमता, वाटरशेड विकास के मार्गदर्शी सिद्धांतों के साथ उनकी अनुरूपता और योजना के लिए निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इस प्रकार प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए कोई निश्चित तारीख बना पाना कठिन है।

विवरण-I

क्रम सं.	राज्य का नाम	शामिल किये जाने वाला कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में),
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1,77,604.00
2.	असम	25,279.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	1,500.00
4.	गुजरात	1,30,119.00
5.	हिमाचल प्रदेश	91,156.00
6.	हरियाणा	11,972.00
7.	जम्मू और कश्मीर	26,880.00
8.	कर्नाटक	1,23,609.96
9.	महाराष्ट्र	91,408.00
10.	मणिपुर	53,968.00
11.	मध्य प्रदेश	99,562.50
12.	नागालैंड	49,000.00
13.	उड़ीसा	1,08,374.27
14.	पंजाब	550.00
15.	राजस्थान	48,158.00
16.	सिक्किम	55,329.00
17.	तमिलनाडु	29,889.00
18.	उत्तर प्रदेश	3,21,015.52
	योग	14,45,374.25

विवरण-II

क्रम संख्या	राज्य का नाम	स्वीकृति हेतु लंबित पड़े प्राथमिकता प्राप्त प्रस्तावों की कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	8
2.	असम	13
3.	बिहार	7
4.	गुजरात	4
5.	कर्नाटक	9
6.	महाराष्ट्र	6
7.	मेघालय	7
8.	मणिपुर	9
9.	मध्य प्रदेश	9
10.	मिजोरम	1
11.	नागालैंड	6
12.	उड़ीसा	6
13.	राजस्थान	11
14.	तमिलनाडु	9
15.	उत्तर प्रदेश	12
	योग	117

भारत दर्शन थीम पार्क

1272. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत की सांस्कृतिक विरासतों और वैज्ञानिक प्रगति दर्शाने हेतु "भारत दर्शन थीम पार्क" को बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये थीम पार्क बनाए जाएंगे ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) गणतंत्र की स्वर्ण जयंती संबंधी समारोहों का एक महत्त्वपूर्ण पहलू परिसंपत्तियों का सृजन करना तथा हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रोन्नयन व प्रसार करना है। इस लक्ष्य को दृष्टिगत करते हुए,

हमारी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने, विज्ञान शिक्षा को प्रोन्नत करने तथा हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियों को परिलक्षित करने के उद्देश्य से सरकार ने "भारत दर्शन" विज्ञान/संस्कृति पार्क स्थापित करने का सिद्धांततः निर्णय लिया है। संकल्पना तैयार की जा रही है।

रेलगाड़ियों के लिए ब्लैक बॉक्स

1273. श्री नरेश पुगलिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विपदाकारी रेल दुर्घटनाओं के कारणों का निर्धारिण करने हेतु रेलवे के लिए कोई "ब्लैक बाक्स" तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रणाली को कब तक रेलगाड़ियों में लगा दिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं। रेलवे में एयरलाइन्स के पैटर्न पर ब्लैक बॉक्स डिवाइस मौजूद नहीं है।

हवाई परिवहन में, हवाई जहाज के पायलट को हवाई यातायात नियंत्रक द्वारा मौखिक आदेश दिए जाते हैं। अतः दुर्घटना के मामले दुर्घटना के कारण पता लगाने के लिए ऐसी सूचना को रिकार्ड करना उपयोगी होता है।

रेलवे में गाड़ी के ड्राइवर को निर्देशन मार्ग में पड़ने वाले सिगनल संकेतों तथा उसे दिए जाने वाले अन्य प्रलेखों द्वारा किया जाता है न कि किसी मौखिक आदेश द्वारा। इसके अलावा, रेल इंजन में लगा स्पीड रिकार्डो ग्राफ दुर्घटना होने पर गाड़ी की गति के बारे में संकेत देता। इसके मद्देनजर गाड़ियों में ब्लैक बॉक्स लगाना लाभदायक नहीं समझा जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण

1274. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश के पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिये क्या कदम उठाये हैं;

(ख) वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अन्तर्गत कितने सर्किल हैं और प्रत्येक सर्किल के अधीक्षक पुरातत्ववेत्ताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक सर्किल द्वारा कराये गये पुरातात्विक उत्खननों का ब्यौरा क्या है;

(घ) आज की तारीख के अनुसार प्रत्येक सर्किल में मंदिर स्मारकों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त के जीर्णोद्धारा, पुनः नवीनीकरण और संरक्षण पर कितना वार्षिक खर्च हुआ है;

(ङ) क्या भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण का तमिलनाडु के हयूमास हीरो स्टोन का अभिलेख तैयार करने, उनका संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिये कोई विशेष योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने 3602 स्मारकों तथा स्थलों को केन्द्र द्वारा संरक्षित घोषित किया है। इन स्मारकों का उनकी निर्धारित अपेक्षाओं के मुताबिक पुरातत्त्वीय मानकों के अनुसार संरक्षण किया जाता है।

(ख) भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के 18 मंडल तथा 2 लघु मंडल हैं जिनके प्रमुख क्रमशः अधीक्षण पुरातत्त्वविद तथा उप अधीक्षण पुरातत्त्वविद हैं।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) प्रत्येक मंडल के अन्तर्गत आने वाले केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों/स्थलों के ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्मारकों का जीर्णोद्धार, नवीनीकरण तथा परिरक्षण करने पर किया गया व्यय निम्न प्रकार है :

1996–97	1740.17 लाख रुपये
1997–98	2339.30 लाख रुपये
1998–99	2437.34 लाख रुपये

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों – 1996–97, 1997–98 तथा 1998–99 के दौरान भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के प्रत्येक मंडल द्वारा हाल में किए गए पुरातत्त्वीय उत्खनन

1. **आगरा मंडल, आगरा, उत्तर प्रदेश**

   1. मेहताब बाग, जिला आगरा, उ.प्र.

   2. फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा, उ.प्र.

2. **औरंगाबाद मंडल, औरंगाबाद, महाराष्ट्र**
   1. पैठन, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र
3. **बंगलौर मंडल, बंगलौर, कर्नाटक**
   1. कुदलीगी तथा हरपानाहल्ली, जिला बेल्लारी, कर्नाटक
   2. सन्नाती, जिला गुलबर्गा, कर्नाटक
   3. हम्पी, जिला बेल्लारी, कर्नाटक
   4. बानकाना हल्ली, जिला शिमोगा, कर्नाटक
   5. गुदनापुर, जिला उत्तर कन्नड़, कर्नाटक
   6. हसारगनगुड़ी, जिला गुलबर्गा, कर्नाटक
   7. मीरजान किला, जिला उत्तर कनारा, कर्नाटक
4. **भोपाल मंडल, भोपाल, मध्य प्रदेश**
   1. बरौनी खुर्द, जिला दतिया, म.प्र.
   2. सांची, जिला रायसेन, म.प्र.
   3. सतधारा, जिला रायसेन, म.प्र.
   4. कोटवार, जिला मुरैना, म.प्र.
   5. उंडासा गांव, जिला उज्जैन, म.प्र.
   6. खजुराहो के आस–पास टीला, जिला छतरपुर, म.प्र.
   7. बारहाट, जिला रीवा, म.प्र.
   8. मांधाता, जिला खंडवा, म.प्र.
5. **भुवनेश्वर मंडल, भुवनेश्वर, उड़ीसा**
   1. आरागढ़, जिला पुरी, उड़ीसा
   2. बाराबती किला, जिला कटक, उड़ीसा
6. **चंड़ीगढ़ मंडल, हिमाचल प्रदेश**
   1. चैतरू स्थित भीम–का–टीला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
7. **चेन्नई मंडल, तमिलनाडु**
   1. मामल्लपुरम, शोर मंदिर परिसर, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु
8. **गुवाहाटी मंडल, असम**
   1. श्री श्रीसूर्यपहाड़, जिला गोलपाड़ा, असम
   2. श्याम सुन्दर टीला, जिला दक्षिण त्रिपुरा, असम
   3. ठकुरानी टीला, पश्चिम पिलाक, जिला दक्षिण त्रिपुरा, असम
9. **गोआ लघु मंडल, गोआ**
   1. संत अगस्ताइन चर्च, जिला उत्तर गोआ, गोआ
10. **लखनऊ मंडल, उत्तर प्रदेश**
    1. भीटा, जिला इलाहाबाद, उ.प्र.
    2. ओंहा, जिला कानपुर, उ.प्र.
11. **पटना मंडल, बिहार**
    1. अशोक का स्तम्भ, कल्हुआ, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार
    2. केसरिया, जिला पूर्व चंपारन, बिहार
    3. चौखंडी स्तूप, सारनाथ, जिला वाराणसी, उ.प्र.
    4. सीतागढ़ पहाड़ी, जिला हजारीबाग, बिहार
12. **श्रीनगर मंडल, जम्मू एवं कश्मीर**
    1. कांसीपुर, जिला बारामूला, जम्मू एवं कश्मीर
    2. जफर चाक, जिला जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर
    3. गुरूबाबा–का–टीला, जम्मू एवं कश्मीर
13. **जयपुर मंडल, राजस्थान**
    1. लछूरा, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान
    2. ओजेना, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान
14. **त्रिसूर मंडल, केरल**
    1. बेकल किला, जिला कासरगोडे, केरल

विवरण-II

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के अधीन आने वाले केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की सूची

क्रम सं.	मंडल का नाम	स्मारकों की संख्या	आवृत राज्य (यों) का नाम
1	2	3	4
1.	आगरा मण्डल	308	उत्तर प्रदेश

1	2	3	4
2.	औरंगाबाद मण्डल	309	महाराष्ट्र : 288
			गोआ : 21
3.	बंगलौर मण्डल	205	कर्नाटक
4.	भोपाल मण्डल	282	मध्य–प्रदेश
5.	भुवनेश्वर मण्डल	120	उड़ीसा : 72
			मध्य प्रदेश : 48
6.	कलकत्तामण्डल	117	पश्चिम बंगाल : 114 और
			सिक्किम : 03
7.	चंडीगढ़ मण्डल	156	पंजाब : 30, हरियाणा : 87
			और हिमाचल प्रदेश : 39
8.	चेन्नई मण्डल	411	तमिलनाडु : 404
			पांडिचेरी सं.रा.क्षेत्र : 7
9.	धारवाड़ मण्डल	298	कर्नाटक
10.	दिल्ली मण्डल	165	दिल्ली
11.	गुवाहाटी मण्डल	72	असम : 49, त्रिपुरा : 5
			अरुणाचल प्रदेश : 5, मनिपुर : 1
			नागालैंड : 4, मेघालय : 8
12.	हैदराबाद मण्डल	136	आन्ध्र प्रदेश
13.	जयपुर मण्डल	153	राजस्थान
14.	लखनऊ मण्डल	365	उत्तर प्रदेश
15.	पटना मण्डल	188	बिहार : 76, उ.प्र. : 112
16.	श्रीनगर मण्डल	69	जम्मू और कश्मीर
17.	त्रिसूर मण्डल	35	केरल : 26, तमिलनाडु : 9
18.	बड़ोदरा मण्डल	213	गुजरात : 201, दमन : 7, द्वीव : 5

भारत फ्रांस रक्षा सहयोग

1275. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत–फ्रांस की सामरिक महत्त्व की वार्ता का तीसरा दौर 29 जुलाई, 1999 को किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) फ्रांस द्वारा किन–किन परियोजनाओं में सहयोग करने तथा वित्त प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस सहयोग से देश में रक्षा उत्पादनों को किस हद तक बढ़ावा मिलने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़) : (क) और (ख) भारत और फ्रांस के मध्य सामरिक वार्ता का तीसरा दौर 28–29 जुलाई, 1999 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस वार्ता के दौरान परिचर्चा, एशिया और यूरोप में क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी मसलों तथा भारत–फ्रांस द्विपक्षीय संबंधों पर केन्द्रित रही।

(ग) और (घ) भारत तथा फ्रांस के मध्य रक्षा संबंधी क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों से सहयोग जारी है। विभिन्न उच्च स्तरीय वार्ताओं के दौरान भारत और फ्रांस दोनों ही तरफ से यह इच्छा जाहिर की गई है कि रक्षा संबंधी सहयोग के सभी क्षेत्रों, जिनमें रक्षा आपूर्ति, रक्षा अनुसंधान तथा विकास एवं उत्पादन तथा प्रशिक्षण शामिल हैं, में और अधिक सहयोग किया जाए। उक्त सहयोग संबंधी विशिष्ट ब्यौरा देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

उपनगरीय रेल सेवा

1276. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा कौन–कौन सी मुख्य उपनगरीय और भूमिगत रेल सेवाएं चलाई जा रही हैं; और

(ख) वर्ष 1998–99 में उपनगरीय सेवाओं से रेलवे ने कितना लाभ अर्जित किया और कितना घाटा उठाया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) उपनगरीय सेवाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :

मुंबई :	मध्य रेलवे–1079
	पश्चिम रेलवे–961
कलकत्ता :	पूर्व रेलवे–938
	दक्षिण पूर्व रेलवे–153
चेन्नई :	बड़ी लाइन–256
	मीटर लाइन–345

कलकत्ता में 142 भूमिगत गाड़ी सेवाएं हैं।

(ख) 1998–99 में उपनगरीय सेवाओं से अर्जित लाभ और हानि नीचे दी गई है :

	लाभ (+)/हानि(–) (आंकड़े करोड़ रुपयों में)
मुंबई :	मध्य रेलवे (+) 45.24
	पश्चिम रेलवे (+) 70.73
कलकत्ता :	पूर्व रेलवे (–) 305.35
	दक्षिण पूर्व रेलवे (–) 103.76
चेन्नई :	दक्षिण रेलवे
	बड़ी लाइन (–) 54.34
	मीटर लाइन (–) 25.85

रक्षा संबंधी सौदों में बिचौलिये

1277. श्री रघुनाथ झा :

श्री रामजी मांझी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 फरवरी, 2000 के "टाइम्स आफ इंडिया" में मिडिलमैन स्टिल वील्ड क्लाउट आफ डिफैंस डील्ज" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) कारगिल की लड़ाई के बाद सेना ने रेडारों का पता लगाने के लिए शस्त्रों की तुत्काल खरीद करने के लिए जोर दिया है क्योंकि पाकिस्तान के पास भारतीय तोपखानों का सही ढंग से पता लगाने के लिए अमरीका द्वारा निर्मित कई डब्ल्यू. एल. आर. हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और मूल्यांकन दल की जर्मनी यात्रा को रद्द करने का क्या कारण है; और

(घ) रक्षा संबंधी मदों की खरीद करने के सौदे में एजेंटों/बिचौलियों को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज़) : (क) से (घ) सेना के लिए शस्त्र खोजी रेडारों की खरीद से संबंधित प्रस्ताव कारगिल संघर्ष से पहले का है। प्रस्ताव के ऐसे कई पहलू हैं, जिन पर इस समय विचार किया जा रहा है। कन्सोर्टियम के सदस्य एक जर्मन आपूर्तिकर्त्ता से मिली इस सूचना के आधार पर कि शस्त्र खोजी रेडार प्रणाली अनुरक्षण के अधीन होने के कारण तकनीकी दल द्वारा मूल्यांकन किए जाने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगी, तकनीकी दल की यात्रा स्थगित कर दी गई थी। हाल ही में, आपूर्तिकर्त्ता ने सूचित किया है कि उनकी प्रणाली मूल्यांकन के लिए अब जर्मनी में उपलब्ध है।

सरकार द्वारा वर्ष 1989 में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार शस्त्र प्रणालियों/शस्त्रास्त्रों की खरीद में एजेंटों/बिचौलियों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस संबंध में, संविदाओं में एक विशेष शर्त शामिल की गई है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि आपूर्तिकर्त्ता

द्वारा कोई भी एजेंट नहीं रखा जा सकता है तथा उसके द्वारा किसी भी रूप में एजेंसी दलाली का भुगतान नहीं किया जा सकता है। इस शर्त में अन्य बातों के साथ–साथ यह भी प्रावधान है कि यदि बाद में कभी भी यह पता चलता है कि आपूर्तिकर्ता ने कोई एजेंट रखा था तो उस संविदा को रद्द कर दिया जाएगा और रक्षा मंत्रालय के साथ किसी प्रकार के कारोबार के लिए उस फर्म पर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

[हिन्दी]

जबलपुर-गोंडा रेल लाईन का आमान परिवर्तन

1278. श्रीमती जयश्री बनर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर–गोंडा रेल लाईन के आमान परिवर्तन में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) अब तक कितनी राशि आबंटित की गयी है और इस पर कितना खर्च हुआ है; और

(ग) आमान परिवर्तन कार्य कब तक पूरे हो जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) गोंदिया से बालाघाट तक अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण (एफ एल एस) पूरा हो गया है और बालाघाट से जबलपुर तक अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। गोंदिया–बालाघाट खंड पर गिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

(ख) वर्ष–वार आबंटित निधियां इस प्रकार हैं :

1996–97	–	0.01 करोड़ रुपये
1997–98	–	1.00 करोड़ रुपये
1998–99	–	20.00 करोड़ रुपये
1999–2000	–	22.00 करोड़ रुपये

परियोजना पर अब तक हुआ कुल खर्च लगभग 9.32 करोड़ रुपये है।

(ग) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में कार्य में प्रगति की जाएगी तथा पूरा किया जाएगा।

उड़ीसा के लिए पैकेज

1279. श्री माधवराव सिंधिया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उड़ीसा में हाल ही में आए महाविनाशकारी चक्रवात से उड़ीसा की चरमरा गई अर्थ–व्यवस्था को पुनर्जीवित और फिर से बहाल करने के लिए 860 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) सरकार ने सिद्धान्त रूप में उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित जिलों में राहत तथा पुनर्वास की वर्तमान गतिविधियों में तेजी लाने/युक्तिसंगत बनाने के उपायों का अनुमोदन कर दिया है तथा उनको कार्यान्वित कर रही है तथा यह बताया है कि निधियों की कमी के कारण पुनर्वास कार्यों में, जिसमें चक्रवात प्रभावित जिलों में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम, गरीबी रेखा से नीचे की कीमत पर अनाज की आपूर्ति 2 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से खाद्यान्नों की आपूर्ति तथा इन्दिरा आवास योजना तथा ऋण सह–सबसिडी योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त आवासों का निर्माण शामिल हैं, बाधा नहीं आनी चाहिए।

कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोलने हेतु मानक

1280. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोलने के संबंध में वर्तमान नियम क्या हैं;

(ख) देश में जोन–वार किन–किन स्थानों पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा उपलब्ध है;

(ग) क्या वर्ष 1999–2000 के दौरान संसद सदस्यों से पूर्वी रेलवे के अन्तर्गत स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोलने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) वर्तमान नीति के अनुसार कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा उन सभी स्टेशनों पर दी जाती है जिन स्टेशनों पर आरक्षण संबंधी कार्यभार प्रतिदिन 200 होता है।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें 28.2.2000 तक की स्थिति मौजूद है।

(ग) जी, हां।

(घ) विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	संसद सदस्य का नाम	कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र	टिप्पणी
1.	श्री अब्दुल हस्नत खान, संसद सदस्य	न्यू फरक्का रेलवे स्टेशन	कार्य प्रगति पर है
2.	श्री आनंद मोहन विस्वास, संसद सदस्य	रानाघाट रेलवे स्टेशन	अपर्याप्त कार्यभार के कारण औचित्यपूर्ण नहीं है
3.	श्री मोइनूल हसन, संसद सदस्य	मुर्शीराबाद रेलवे स्टेशन	—वही—
4.	श्री जयंत राय, संसद सदस्य	मुर्शीराबाद रेलवे स्टेशन	—वही—
5.	श्री वीरेन्द्र कुमार, संसद सदस्य	प्रशांत रेलवे स्टेशन	—वही—
6.	श्री अकबर अली खानोकर, संसद सदस्य	दानकुनी रेलवे स्टेशन	2000–2001 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल
7.	श्री रूपचंद पाल, संसद सदस्य	चिनसुराह रेलवे स्टेशन	अपर्याप्त कार्यभार के कारण औचित्यपूर्ण नहीं है।

विवरण

देश में निम्नलिखित 524 स्थानों पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं :

क्र.सं.	स्थान
1	2
1.	**मध्य रेलवे**
1.	मुंबई छ.शि.ट.
2.	भोपाल
3.	हबीबगंज
4.	कल्याण
5.	थाणे
6.	आगरा छावनी
7.	नागपुर
8.	ग्वालियर
9.	कुर्ला टर्मिनस
10.	शोलापुर
11.	संथरा मार्केट
12.	बेलापुर सी बी ओ
13.	जबलपुर
14.	गुलबर्गा
15.	भुसावल
16.	नासिक
17.	जलगांव
18.	खंडवा
19.	इटारसी
20.	अमरावती
21.	अकोला
22.	सतना
23.	कटनी

1	2	1	2
24.	मनमाड़	51.	धुले
25.	झांसी	52.	चन्द्रपुर
26.	मुरैना	53.	बल्लारशाह
27.	मथुरा जंक्शन	54.	खजुराहो
28.	लोनावला	55.	मुलुण्ड
29.	दकन जिमखाना	56.	पनवेल
30.	फरीदाबाद	57.	डोम्बीविली
31.	रविवारपेट	58.	चेम्बूर
32.	खडकी	59.	रत्नागिरी
33.	मदनमहल	60.	चिपलून
34.	राजा की मंडी	61.	कुदाल
35.	नासिक सी बी ओ	62.	मड़वा
36.	पुणे छावनी	63.	पणजी
37.	शंकर सेठ	64.	सिरडी
38.	सौगोर	65.	पुणे
39.	अजनी	**2. पूर्व रेलवे**	
40.	वारधा	1.	न्यू कोयलाघाट
41.	अहमदनगर	2.	हवड़ा
42.	बीना	3.	सियालदह
43.	घाटकोपर	4.	फेयरली प्लेस (एसएटी हवड़ा)
44.	चिंछवाड	5.	धनबाद
45.	रीवा	6.	डमडम जंक्शन
46.	बांदा	7.	विधाननगर (एसएटी हवड़ा)
47.	वाशी	8.	मजेरहाट (एसएटी हवड़ा)
48.	अंबरनाथ	9.	टालीगंज
49.	दामोह	10.	बैली
50.	देवलाली	11.	बालीगंज

1	2
12.	पटना
13.	आसनसोल
14.	महेन्द्रूघाट (एसएटी पीएनबीई)
15.	पटना साउथ
16.	मालदा टाउन
17.	रानीगंज
18.	बोलपुर
19.	भागलपुर
20.	मुगलसराय
21.	दुर्गापुर
22.	दानापुर
23.	जमालपुर
24.	गया
25.	पोर्ट ब्लेयर
26.	बाग बाजार
27.	सोनारपुर
28.	जादवपुर
29.	सेवड़ाफुली
30.	साल्टलेक
31.	चौरंगी
32.	चितरंजन
33.	पटना साहिब
34.	बर्दवान
35.	नैहाटी
36.	कल्याणी
37.	कृष्णानगर
38.	बहारमपुर कोर्ट
39.	पटन असेम
40.	बारासत
41.	बंडल
42.	मोकामा
43.	बक्सर
44.	कोडरमा
45.	साहिबगंज
46.	सासाराम
47.	देहरी आन सोन
48.	बरकाकाना
49.	भुली
50.	जसीडीह
51.	गिरीडीह
52.	बेलूर मठ
3. पूर्वोत्तर रेलवे	
1.	गोरखपुर
2.	बादशाहनगर
3.	मऊ
4.	सिवान
5.	छपरा
6.	समस्तीपुर
7.	गोंडा
8.	बरौनी
9.	देवरिया सदर
10.	मुजफ्फरपुर
11.	काठगोदाम
12.	बस्ती

1	2
13.	रावतपुर
14.	मंडुवाडीह
15.	इलाहाबाद सिटी
16.	इज्जतनगर
17.	हाजीपुर
18.	दरभंगा
19.	खगड़िया
20.	सहरसा
21.	लखनऊ सिटी
22.	सोनपुर
23.	वाराणसी सिटी
24.	लालकुआं
25.	आजमगढ़
26.	नैनीताल
27.	पीलीभीत
28.	रक्सौल
29.	बलिया
30.	बहराइच
31.	फर्रूखाबाद
32.	सीतापुर
33.	लहरिया सराय
34.	गाजीपुर
35.	जयनगर
36.	मोतिहारी
37.	नौतनवा
38.	गोमतीनगर

1	2
4. पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	
1.	गुवाहाटी
2.	न्यू जलपाईगुड़ी
3.	सिलीगुड़ी
4.	कटिहार
5.	तिनसुकिया
6.	डिब्रूगढ़ टाउन
7.	दीमापुर
8.	न्यू कूचबिहार
9.	अलीपुरद्वार
10.	सिलचर
11.	शिलांग
12.	पांडु
13.	इम्फाल
14.	अगरतला
15.	ईटानगर
16.	कोहिमा
17.	ऐजवाल
18.	गंगटोक
19.	किशनगंज
20.	तेजपुर
21.	न्यू जलपाईगुड़ी दूसरा स्थान
5. उत्तर रेलवे	
1.	आईआरसीए
2.	दिल्ली
3.	संसद भवन

1	2
4.	निजामुद्दीन
5.	सरोजिनी नगर
6.	कीर्ति नगर
7.	दिल्ली शाहदरा
8.	नई दिल्ली
9.	अमृतसर
10.	बड़ौदा हाउस
11.	रेलवे बोर्ड
12.	कड़कड़डूमा
13.	लखनऊ
14.	कानपुर
15.	जम्मू तवी
16.	नोएडा
17.	इलाहाबाद
18.	जोधपुर
19.	अम्बाला
20.	बीकानेर
21.	वाराणसी
22.	गाजियाबाद
23.	लुधियाना
24.	कालका
25.	चंडीगढ़ (बस स्टैंड) सीडीजी
26.	शिमला
27.	न्यू आजाजपुर
28.	दिल्ली कैंट
29.	देहरादून
30.	बीईएएस
31.	जालंधर
32.	एएलडी दूसरा द्वार
33.	मेरूत सिटी
34.	आई.टी.बी
35.	चंडीगढ़ स्टेशन
36.	श्रीगंगानगर
37.	भटिंडा
38.	सहारनपुर
39.	फैजाबाद
40.	नई दिल्ली (ओखला) (सैट)
41.	हिसार
42.	अलीगढ़
43.	रायबरेली
44.	पठानकोट
45.	हरिद्वार
46.	भिवानी
47.	फिरोजपुर
48.	मुरादाबाद
49.	बरेली
50.	सीएनबी दूसरा द्वार
51.	श्रीनगर (जी.पी.ओ.)
52.	अंबाला सिटी
53.	हापुड़
54.	मसूरी
55.	जैसलमेर
56.	प्रयाग
57.	पटियाला

1	2
58.	देवबंध
59.	नई दिल्ली (सुप्रीम कोर्ट)
60.	नई दिल्ली (आई.जी.आई. एयर पोर्ट)
61.	नई दिल्ली (लाजपत नगर)
62.	पानीपत
63.	डीएलडब्ल्यू वाराणसी
64.	महामंदिर
65.	ऋषिकेष
66.	गुड़गांव
67.	आरडीएससो (लखनऊ)
68.	आरसीएफ कपूरथला
69.	दिल्ली सराय रोहिल्ला
70.	मोदीनगर
71.	डीसीडब्ल्यू पीटीए
72.	अमूर
73.	लखनऊ दूसरा द्वार
74.	अमृतसर स्वर्ण मंदिर
75.	श्रीनगर कैंट
76.	हाशियारपुर
77.	मंडी
78.	रुड़की विश्वविद्यालय
79.	बहादुरगढ़
80.	मुजफ्फरनगर
81.	कोटद्वार
82.	सोनीपत
83.	मिर्जापुर
84.	प्रेस क्लब ऑफ इंडिया
85.	रुड़की रेलवे स्टेशन
86.	रेवाड़ी
87.	चांदसुई
88.	सुल्तानपुर
89.	शाहजहांपुर
90.	प्रतापगढ़
91.	हनुमानगढ़
92.	नैनी
93.	अमेठी
94.	कटरा
95.	पालमपुर हिमाचल
96.	डीटीडीसी
97.	रामपुर
98.	अंबाला सिटी
99.	हापुड़
100.	नांगल धाम
101.	रोहतक
6. दक्षिण मध्य रेलवे	
1.	सिकंदराबाद
2.	हैदराबाद
3.	काचीगुडा
4.	रेल निलयम
5.	विजयवाड़ा
6.	तिरुपति
7.	भोईगुडा
8.	दारुलसफा
9.	अमीरपेठ

1	2
10.	कुक्कुटपल्ली
11.	ए.एस. राव नगर (एसएटी) एससी
12.	तिरुमाला हिल्स
13.	सरूर नगर
14.	गुंदूर
15.	गुंतकल
16.	रायचूर
17.	हुबली
18.	राजामदुरै
19.	कार्किडा टाउन
20.	बेल्लारी
21.	नांदेड़
22.	जालना
23.	औरंगाबाद
24.	परभानी
25.	वारांगल
26.	खाम्माम
27.	काजीपेठ
28.	नरसापुर
29.	भीमावरम टाउन
30.	तेनाली
31.	वास्को
32.	ऑनगोल
33.	मडगांव
34.	नेल्लोर
35.	इलुरू
36.	कोल्हापुर
37.	मिरज
38.	सांगली
39.	धरमावरम
40.	पुत्तापारथी
41.	बेलगाम
42.	अनंतपुर
43.	पणजी
44.	रेणिगुंटा
45.	ए.पी.एल. असेम्बली
46.	बेंज सर्कल
47.	चुड्डापाह
48.	चिराला
49.	सामलकोटा
50.	हौजपेठ
51.	निदादवल्लू
52.	आकाप्पले
53.	पालकोलू
54.	मचिलीपट्टनम
55.	गुडिवाडा
56.	तानुकु
57.	गडग
58.	गुडूर
59.	धारवाड़
60.	रामागुंदम
61.	बिदर

7. दक्षिण पूर्व रेलवे

1.	पुराना कोइलघाट

1	2
2.	रबिन्द्र सदन
3.	भुवनेश्वर
4.	कटक
5.	पुरी
6.	विशाखापटनम
7.	टाटा
8.	रांची
9.	बिलासपुर
10.	रायपुर
11.	चरागपुर
12.	राउरकेला
13.	पुरुलिया
14.	गोरखपुर
15.	दुर्ग
16.	बोकारो स्टील सिटी
17.	संबलपुर
18.	बेहरामपुर
19.	इतवारी
20.	एमवीपी कालोनी
21.	गाजूवाका
22.	नवल बेस
23.	गार्डेन रीच
24.	शालीमार
25.	गोंदिया
26.	चन्द्रशेखरपुर
27.	आईआईटी/केजीपी
28.	मिदनापुर
29.	आद्रा
30.	बांकुरा
31.	राउरकेला (सैट)
32.	बोकारो सीबीओ
33.	विजिनाग्राम
34.	जगदंबा सिटी बीओ, वीएसकेपी
35.	झारसुगुडा
36.	बालासोर
37.	बीबीएस असेम्बली
38.	सिम्हाचलम
39.	संबलपुर रोड
40.	पुरी सिटी बुकिंग ऑफिस
41.	खुर्दा रोड
42.	कोरबा
43.	हटिया
44.	हल्दिया
45.	रायगढ़
8.	**दक्षिण रेलवे**
1.	मूरी मार्केट कॉम्पलेक्स
2.	बंगलौर सिटी
3.	मद्रास बीच
4.	मद्रास इगमोर
5.	त्रिवेन्द्रम सेंट्रल
6.	माम्बालम
7.	तिरुचिरापल्ली
8.	कोयम्बटूर
9.	मदुरै

1	2
10.	एर्णाकुलम
11.	मंगलौर
12.	चेन्नौर
13.	तांबरम
14.	सलेम
15.	इरोड
16.	मैसूर
17.	कालीकट
18.	त्रिचूर
19.	पालघाट
20.	पालघाट टाउन
21.	कोयम्बटूर नार्थ
22.	बंगलौर कैंट
23.	तिरुनेरवल्ली
24.	टूटीकोरिन
25.	क्वैलान
26.	थंजावूर
27.	पांडिचेरी
28.	तिरुपपुर
29.	रामेश्वरम
30.	कुंबाकोणम
31.	मायिल्दुथुआरी
32.	चिदम्बरम
33.	नागापट्टनम
34.	नागौर
35.	दिंडीगुल
36.	विरुद्धनगर

1	2
37.	तेल्लिचेरी
38.	अल्वे
39.	चेनगुन्नूर
40.	कोट्टयम
41.	काटपाडि
42.	अवादि (चेन्नई)
43.	सलेम टाउन
44.	कोचिन हार्बर
45.	मद्रास एयरपोर्ट
46.	गुरुवयूर
47.	बंगलौर इंदिरानगर
48.	एलेप्पी
49.	अन्ना नगर (चेन्नई)
50.	पेरम्बूर
51.	बसंत नगर (चेन्नई)
52.	थाल्लाकुल्लम (एमडीयू)
53.	यशवंतपुर
54.	मालेश्वरम
55.	तेनकासी
56.	सेनगोट्टई
57.	पेट्टुपालयम
58.	नागरकोइल
59.	कन्याकुमारी
60.	कोरामंगला (एसबीसी)
61.	बानसंगरी (एसबीसी)
62.	कारावत्ती (लक्षद्वीप)
63.	शिवकाशी

1	2
64.	तिरूर
65.	तिरुवल्ला
66.	हसन
67.	सिमोगा
68.	दाबंगरी
69.	मिनिकोय (लक्षद्वीप)
70.	बांगरपेठ
71.	करैक्कुड्डी
72.	गांधीपुरम (एसएटी–सीबीई)
73.	आंद्रोठ (लक्षद्वीप)
74.	पैट्टम (एसएटी फार टीवीसी)
75.	येल्लाहंका
76.	तिरुमायल्ली
77.	तिरुचिरापल्ली फोर्ट
78.	कासरगोड
79.	शोरानूर
80.	चेंगनाचेरी
81.	राजापलायम
82.	रामानाथपुरम
83.	तिरुवारूर
84.	पुदूकोट्टि
85.	संत थामस माउंट
86.	करूर
87.	कानकानदी
88.	तिरुपत्तूर
9.	**पश्चिम रेलवे**
1.	मुंबई सेंट्रल
2.	चर्चगेट
3.	अहमदाबाद
4.	जयपुर
5.	गांधीग्राम
6.	बोरिवली
7.	गांधीनगर
8.	सूरत
9.	वडोदरा
10.	पद्मावती कांप्लेक्स
11.	अंधेरी
12.	आगरा फोर्ट
13.	मानीनगर
14.	प्रतापनगर
15.	राजकोट
16.	इंदौर
17.	अजमेर
18.	भावनगर
19.	आनंद
20.	उज्जैन
21.	कोटा
22.	रतलाम
23.	आबू रोड
24.	गांधीधाम
25.	न्यू भुज
26.	जामनगर
27.	अलवर
28.	फलना

1	2
29.	उदयपुर
30.	गांधीनगर (जेपी)
31.	भारूच
32.	नाडियाड
33.	सहारा एयरपोर्ट मुंबई
34.	वेरावल
35.	सीकर
36.	साबरमती
37.	नवसारी
38.	वलसाड़
39.	विरार
40.	पोरबंदर
41.	सुरेन्द्रनगर
42.	भायंदर
43.	महू
44.	वाशी रोड
45.	पालनपुर
46.	मलाड़
47.	भीलवाड़ा
48.	वापी
49.	पालघर
50.	झुनझुन
51.	बांद्रा टर्मिनस
52.	जूनागढ़
53.	द्वारका

खराब चावल

[अनुवाद]

1281. श्री नरेश पुगलिया : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग 35 लाख टन चावल खरीदारों के अभाव में सरकारी भांडागारों में खराब हो रहे हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने इस चावल को केन्द्र सरकार से प्राप्त करने से मना कर दिया है क्योंकि यह मानव उपभोग के योग्य नहीं है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या जिम्मेवारी निर्धारित की गई है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, कुछ राज्य सरकारों ने 1997–98 और 1998–99 के दौरान पंजाब में बेमौसमी वर्षा के कारण छूट प्राप्त विनिर्दिष्टियों के अधीन वसूल किए गए चावल को स्वीकार करने में आपत्ति व्यक्त की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निर्धारित उड़ानों के लिए आपातकालीन योजना

1282. श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री वाई. एस. विवेकानंद रेड्डी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्धारित उड़ानों के लिए मौजूदा प्रणाली के विफल हो जाने की स्थिति में उनका सुचारु यातायात सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत आपातकालीन योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है और इसके लिए किन–किन क्षेत्रों को शामिल किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने यात्री और माल यातायात में वृद्धि से संबंधित अल्पकालिक और दीर्घकालिक अनुमानों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय वायुसेना (आई.ए.एफ.) तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सेवा निवृत्त विमान यातायात प्रचालकों को शामिल करके जून शक्ति बढ़ाकर विमान यातायात नियंत्रक सेवाओं को हैंडिल करने के लिए उड़ानों के सुरक्षित प्रचालन हेतु एक विस्तृत आकस्मिक योजना बनाई गई है। योजना के प्रथम चरण में भारतीय विमानक्षेत्र से होकर दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कलकत्ता से अन्तर्राष्ट्रीय तथा अन्तर्देशीय

उड़ानों के प्रचालन की व्यवस्था की जाएगी। चरण–2 में, अन्तर्देशीय विमानपत्तनों से प्रचालित होने वाली उड़ानों की व्यवस्था की जाएगी।

(ग) से (ङ) जी, हां। नागर विमानन महानिदेशालय, इंडियन एयरलाइन्स तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी समिति ने दिसम्बर, 1999 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

एन.सी.सी.एफ.

1283. श्री रामजी मांझी : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता फेडरेशन में उपलब्ध वस्तुओं की दरें केंद्रीय भंडार में उपलब्ध वस्तुओं की तुलना में अधिक हैं जबकि उनकी गुणवत्ता एक समान है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार एन.सी.सी.एफ. और केंद्रीय भंडार में समान गुणवत्ता वाली वस्तुओं की दरें एक समान करने का है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और केंद्रीय भंडार की मूल्य निर्धारण नीतियां भिन्न–भिन्न हैं जो भिन्न–भिन्न व्यापारिक कारकों पर निर्भर करती है। इस कारण इन दोनों संगठनों में अनेक वस्तुओं की दरें भिन्न–भिन्न हो सकती हैं।

(ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पालम तथा आई.जी.आई. हवाई अड्डे पर विमानों को न उतरने दिया जाना

1284. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन महीनों के दौरान कोहरे के कारण दिल्ली के पालम हवाई अड्डे तथा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अनेक विमानों को उतरने नहीं दिया गया तथा अनेक उड़ानें भी रद्द कर दी गईं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कारण विभिन्न एयरलाइनों तथा विमानपत्तन प्राधिकरणों को कितना घाटा हुआ ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रेल दुर्घटना

1285. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की गैसल रेल दुर्घटना की पुनरावृत्ति उस समय होते होते टल गयी जब चालक ने गुवाहाटी जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस के नई दिल्ली जाने वाली खड़ी अवध असम एक्सप्रेस से लगभग सौ–एक गज दूर जाकर ब्रेक लगाये;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके लिए जिम्मेदार पाये जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं। दुर्घटना की वास्तविकता यह है कि 24/01/2000 को कुमेदपुर स्टेशन से रवाना हुई 2436 अप राजधानी एक्सप्रेस के ड्राइवर ने देखा कि उसकी गाड़ी डाउन लाइन की ओर जा रही है। जिस पर उसे नहीं जाना था, उसने स्टेशन खण्ड के अंदर ही गाड़ी को तत्काल रोक दिया, उस समय कुमेदपुर से 7 किमी. से अधिक की दूरी पर खुरियाल स्टेशन पर इंजन फेल हो जाने के कारण 5609 डाउन अवध–असम एक्सप्रेस खड़ी थी।

(ख) और (ग) जी, हां। उपर्युक्त घटना की जांच के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की अध्यक्षता में एक विभागीय जांच की गई है। जांच समिति इस नतीजे पर पहुंची कि यह दुर्घटना कर्मचारियों की विफलता एवं सिगनल के अंतपार्शन की विफलता से हुई। अंतपार्शन की विफलता में किसी बाहरी हस्तक्षेप की संभावना की जांच सिविल पुलिस द्वारा की जा रही है।

(घ) जिन कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उपर्युक्त घटना हुई, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

डिक्लेरेशन आफ हिट-किल, रन वार बाई पाक

1286. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जनवरी, 2000 के "एशियन एज" में "पाकिस्तान डिक्लेयर्स हिट, किल, रन वार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जम्मू–कश्मीर में योजनाबद्ध ढंग से हमला बोलने वाले आतंकवादी ऊंचे स्थानों पर लड़ने के लिए प्रशिक्षित हैं और उनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं;

(ग) क्या श्रीनगर आतंकवादियों का मुख्य निशाना है और आतंकवादी सफलतापूर्वक लक्ष्य भेदने पर नकद राशि पाते हैं और मारे जाने पर उनके परिवारों को मुआवजा मिलता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम प्रस्तावित हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़) : (क) से (घ) सरकार को प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित खबर की जानकारी है।

2. यह अच्छी तरह ज्ञात है कि आतंकवादियों के पास ए के राइफल, मशीनगन, राकेट लांचर, प्रक्षेपास्त्र, मोर्टार आदि जैसे परिष्कृत हथियार हैं। इस आशय की खबरें भी हैं कि आतंकवादियों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अत्यंत ठंडे मौसम में जिंदा रहने, कमांडो तकनीकियों तथा युद्ध करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आतंकवादियों को जम्मू तथा कश्मीर में तोड़–फोड़ की उनकी कार्रवाइयों के लिए कथित रूप से पुरस्कृत किया जाता है। खबरों में यह भी संकेत मिलता है कि मारे गए आतंकवादियों के परिवारों को मुआवजा दिया जाता है।

3. आंतकवादी जम्मू–कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय हैं। श्रीनगर जाड़े के महीनों में आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बन गया था। तथापि, सुरक्षा बलों के हमलों के सामने आतंकवादियों की पहलशक्ति स्पष्ट रूप से समाप्त हो गई है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आंतकवादियों एवं उनके समर्थकों तथा उनको बढ़ावा देने वालों के कुटिल इरादों को विफल करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं।

ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत निधि का दुरुपयोग

1287. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों का उल्लंघन कर बिहार में रोजगार आश्वासन योजना, जवाहर रोजगार योजना तथा जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना के तहत परियोजनाओं के चयन में अनियमितताएं बरती गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) से (ग) वर्ष 1998–99 और 1999–2000 के दौरान बिहार में सुनिश्चित रोजगार योजना और जवाहर रोजगार योजना (अब जवाहर ग्राम समृद्धि योजना) के अंतर्गत परियोजनाओं के चयन में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में इस मंत्रालय को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, मंत्रालय ने एक व्यापक निगरानी प्रणाली बनाई है। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य, जिला और ब्लाक स्तर पर सतर्कता और निगरानी समितियां बनाई गई हैं।

[हिन्दी]

चीनी निर्यात

1288. श्री अजय सिंह चौटाला :

श्री टी.टी.वी.दिनाकरन :

क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चीनी निर्यात के संबंध में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो निर्यातित चीनी की मात्रा और दर का देश–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चीनी उत्पादन वाले क्षेत्रों में चीनी उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार ने क्या योजनाएं/कार्यक्रम तैयार किए हैं और 2000–2001 के दौरान इस हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों के स्तर कम होने के कारण चीनी का निर्यात आर्थिक तौर पर व्यवहार्य नहीं है। तथापि, यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के तरजीही कोटे के प्रति चीनी का निर्यात तथा भारत–नेपाल द्विपक्षीय व्यापार संधि के तहत नेपाल को अल्प मात्रा में चीनी का निर्यात किया जा रहा है।

(ग) भारत सरकार चीनी मिलों को उनके गन्ना विकास तथा आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि (ची.वि.नि.) से आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। 31.12.1999 को स्थिति के अनुसार चीनी विकास निधि द्वारा गन्ना विकास के लिए 611 मामलों में 414.33 करोड़ रुपये तथा 206 मामलों में मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 889.93 करोड़ रुपये की राशि को वितरित किया गया है।

चीनी विकास निधि

1289. श्री नवल किशोर राय :

श्री सुखदेव पासवान :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1999 तक चीनी विकास निधि में 820 करोड़ रुपये जमा कराए गए थे;

(ख) क्या इस निधि में से अनुदान हेतु किसी चीनी मिल ने आवेदन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चीनी मिलों के लिए राज्यवार और मिल-वार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई; और

(घ) बाकी चीनी मिलों के लिए धनराशि कब तक स्वीकृत की जाएगी और इसे जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) 1982-83 से 1999-2000 (30.9.99 तक) तक की अवधि के दौरान चीनी विकास निधि को 2366.00 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई है और ऋण के वितरण/पुनर्भुगतान के बाद 30.9.99 को स्थिति के अनुसार निधि में 982.78 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध थी।

(ख) से (घ) चीनी विकास निधि को शासित करने वाली नियमावली में (i) आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए चीनी यूनिटों को ऋण (ii) गन्ना विकास के लिए ऋण (iii) बफर राजसहायता के भुगतान (iv) चीन उद्योग के किसी पहलू के संवर्द्धन और विकास पर केन्द्रित अनुसंधान कार्य के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं को सहायता-अनुदान के रूप में सहायता देने और (v) चीनी उद्योग के विकास के लिए अन्य खर्चों का भुगतान करने की व्यवस्था है। चीनी विकास निधि के आरम्भ से 31.12.99 तक चीनी यूनिटों को मंजूर और वितरित किए गए ऋण, अनुदान और बफर राजसहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण पर दिए गए हैं। अभी तक चीनी फैक्ट्रियों में से जिन्होंने सहायता अनुदान के लिए आवेदन किया और जिन्हें राशि मंजूर की गई, वे इस प्रकार हैं :

(1) मै. सिम्भोली शुगर मिल्स लिमिटेड, सिम्भोली, जिला-गाजियाबाद (उ.प्र.) को "मैनेजमेन्ट ऑफ शुगरकेन बोरर्स" नामक योजना लागू करने के लिए। चीनी मिल को जुलाई, 98 में 45.48 लाख रुपये मंजूर किए गए थे, और

(2) मै. सिरपुर शेतकारी एस.एस.के. लिमिटेड, शिरपुर, जिला-धुले (महाराष्ट्र) को "एस्टेब्लिसमेंट ऑफ ए पायलट प्लान्ट फार फॉरटिफिकेशन ऑफ विटामिन ए" नामक योजना लागू करने के लिए। चीनी मिल को अगस्त, 99 में 43.50 लाख रुपये मंजूर किए गए थे।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	गन्ना विकास			आधुनिकीकरण			सहायता अनुदान			बफर सब्सिडी	कुलजोड़	
	मामलों की संख्या	स्वीकृत धनराशि	वितरित धनराशि	मामलों की संख्या	स्वीकृत धनराशि	वितरित धनराशि	मामलों की सं	स्वीकृत धनराशि	वितरित धनराशि	वितरित धनराशि	स्वीकृत धनराशि	वितरित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1983-84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.00		8.00
1984-85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.52	—	36.52
1985-86	—	—	—	2	1.79	1.79	—	—	—	16.53	1.79	18.32
1986-87	37	45.89	21.42	5	4.46	4.46	—	—	—	10.65	50.35	36.53
1987-88	64	70.1	27.87	8	5.89	5.89	—	—	—	0.86	75.99	34.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1988–89	63	77.34	27.66	24	48.09	37.17	1	0.45	0.12		0.38	125.88	65.33
1989–90	82	84.9	64.67	25	62.25	57.89	4	23.6	2.11		0.02	170.75	124.69
1990–91	21	26.54	46.2	18	54.42	50.38	1	6.05	5.55		—	87.01	102.13
1991–92	21	31.00	10.4	29	133.57	39.13	—	—	0.08		—	164.57	49.61
1992–93	17	36.16	17.07	15	69.19	92.78	—	—	4.52		—	105.35	114.37
1993–94	22	50.71	37.78	11	55.19	77.50	—	—	0.16		1.21	105.9	116.65
1994–95	6	16.06	13.26	6	34.88	50.27	1	0.1	1.47		1.46	51.04	66.46
1995–96	—	—	9.01	10	49.74	46.06	—	—	0.28		7.72	49.74	63.07
1996–97	13	28.03	13.71	10	83.98	54.29	—	—	2.25		69.98	112.01	140.23
1997–98	128	109.04	14.8	19	157.70	78.84	9	2.54	—		177.49	269.28	271.13
1998–99	136	81.66	99.9	16	154.19	153.55	2	0.46	2.43		130.86	236.31	386.74
1999–2000 31.12.99	1	3	10.58	8	85.27	139.93	3	0.91	0.33		5.05	89.18	155.89
जोड़	611	660.43	414.33	206	1000.61	889.93	21	34.11	19.3	0	466.73	1695.15	1790.29

चीनी मिलों पर बकाया धन राशि

1290. डॉ. संजय पासवान :

श्री राजनारायण पासी :

श्री सुरेश चन्देल :

क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीनी मिल मालिकों पर गन्ने की काफी धनराशि बकाया पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में चीनी–मिलवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसानों को शीघ्र भुगतान कराने हेतु सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) 01.1.2000 (आरम्भिक) को स्थिति के अनुसार चीनी मिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार चीनी मौसम 1999–2000 (अक्टू–सित.) के लिए गन्ना उत्पादकों का चीनी मिलों पर 707.39 करोड़ रुपये की कुल बकाया राशि थी। चीनी–मिल–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 01 जनवरी (आरम्भिक) की स्थिति के अनुसार चालू मौसम 1999–2000 बनाम गत दो मौसमों के लिए गन्ना मूल्य बकाये की स्थिति निम्नवत् है :

(रुपये लाख में)

मौसम	को स्थिति	निवल देय मूल्य	भुगतान किया गया निवल मूल्य	बकाया	देय मूल्य पर बकाया %
1999–2000	01.1.2000	2115.68	1408.29	707.39	33.4
1998–1999	01.1.1999	2006.48	1321.91	684.57	34.1
1997–1998	01.1.1998	1762.54	1170.63	591.91	33.6

अतः चालू पेराई मौसम के दौरान बकाया असामान्य नहीं है।

(ग) चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ना मूल्य बकायों के समय पर भुगतान को सुनिश्चित कराने का दायित्व राज्य सरकारों का है जिनके पास ऐसे भुगतानों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक शक्तियां तथा क्षेत्र में कार्य करने वाली एजेंसियां हैं। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को, गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 के उपबंधों जिसमें 15 दिनों से अधिक विलम्ब होने की स्थिति में ब्याज का भुगतान भी शामिल है की ओर ध्यान दिलाया गया है तथा गन्ना मूल्य बकायों के तीव्रता से निपटान किए जाने के लिए समय-समय पर उनको उच्च स्तर पर सलाह दी जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा घरेलू बाजार में खुली बिक्री चीनी कोटा के विवेकपूर्ण रिलीज के माध्य से चीनी मूल्यों के स्थायित्व और उचित स्तर को प्रोत्साहित करने के लिए नीति का भी पालन किया गया है ताकि चीनी फैक्ट्रियां, किसानों को गन्ना मूल्य बकायों का निपटान कर सके।

विवरण

चीनी मौसम 1999-2000 (अक्टू-सित.) के लिए चीनी मिलों पर गन्ने उत्पादकों की कुल बकाया धन राशि

मौसम : 1999-2000 चालू तिथि : 28/02/2000 (आरम्भिक) 01/01/2000 की स्थिति अनुसार

(आंकड़े लाख रुपये में)

क्रम सं.	प्लांट कोड	फैक्ट्री का नाम	खरीदा गया गन्ना (लाख क्विंटल)	देय मूल्य	भुगतान किया गया मूल्य	शेष बकाया मूल्य	शेष प्रतिशतता	दर/ क्विंटल (रुपये में)	शेष बकाया 1998-99	शेष बकाया 1997 एवं आरंभिक (लाख रुपये में)	पुरानी तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पंजाब तथा सार्वजनिक											
1.	00101	गुरदासपुर	9.96	943.47	644.09	299.38	31.73	94.73	0.00	0.00	
2.	00102	जीरा	3.51	329.25	73.63	255.62	77.64	93.80	0.00	0.00	
3.	34201	मुकैरिया	3.23	661.95	661.95	0.00	0.00	50.03	0.00	0.00	
4.	36001	बाबा बाकलला	20.64	1954.65	1892.63	62.02	3.17	94.70	0.00	0.00	
उप योग सार्वजनिक			47.34	3889.32	3272.30	617.02	15.86	82.16	0.00	0.00	
पंजाब तथा सहकारी											
1.	00201	बटाला	6.51	616.64	449.12	167.52	27.17	94.72	0.00	0.00	
2.	00301	फाजिल्का	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
3.	00401	मोरिन्डा	14.96	1416.00	009.58	406.45	28.70	94.65	0.00	0.00	
4.	00501	भोगपुर	5.11	485.87	395.78	90.09	18.54	95.08	327.90	0.00	
5.	00601	नवाशहर	19.44	1810.69	1314.81	495.88	27.39	93.14	0.00	0.00	
6.	00701	पटियाला	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
7.	00801	बढ़वाल	6.38	599.87	513.59	86.28	14.38	94.02	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	31601	सेंरोन	4.24	401.72	144.69	57.03	63.98	94.75	0.00	0.00	
9.	31901	नकोदर	5.21	491.45	276.98	214.47	43.64	94.33	0.00	0.00	
10.	33201	जगराव	5.05	475.80	263.83	211.97	44.55	94.22	0.00	0.00	
11.	33301	बुढलाडा	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
12.	33501	अजनाला	4.52	424.57	188.68	235.89	55.56	93.93	133.27	56.08	
13.	33701	फरीदकोट	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
14.	42001	दसुया	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	192.99	
उप योग सहकारी			71.42	6722.64	4557.06	165.58	32.21	94.13	461.17	249.07	
पंजाब तथा निजी											
1.	00901	धुरी	6.55	616.84	595.86	20.98	3.40	94.17	15.61	0.00	
2.	01001	फगवाड़ा	4.57	432.03	432.03	0.00	0.00	94.54	0.00	0.00	
3.	42201	पटरान	6.79	668.46	668.46	0.00	0.00	98.45	0.00	0.00	
4.	42301	अमलोह	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	132.74	1450.04	
उप योग निजी			17.91	1717.33	1696.35	20.98	1.22	95.89	148.35	1450.04	
कुल पंजाब			136.67	1232.29	9525.71	2803.58	22.74	90.21	609.52	699.11	
हरियाणा तथा सहकारी											
1.	01101	रोहतक	8.84	880.52	313.66	566.86	64.38	99.61	0.00	0.00	
2.	01201	पानीपत	7.84	826.89	489.45	337.44	40.81	105.5	0.00	0.00	
3.	01301	करनाल	11.64	1255.32	907.56	347.76	27.70	107.8	0.00	0.00	
4.	01401	सोनीपत	6.95	729.75	284.85	444.90	60.97	105.0	0.00	0.00	
5.	01501	शाहबाद	18.56	1974.13	1532.02	442.11	22.40	106.4	0.00	0.00	
6.	01601	पलवल	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
7.	01701	जीन्द	9.34	999.43	638.59	360.84	36.10	107.0	0.00	0.00	
8.	33801	कैथल	11.21	1177.73	731.55	446.18	37.88	105.1	0.00	0.00	
9.	33901	महम	7.52	796.70	210.00	586.70	73.64	105.9	0.00	0.00	
10.	34101	भूना	7.39	775.22	284.25	490.97	63.33	104.9	0.00	0.00	
उप योग सहकारी			89.29	9415.69	5391.93	4023.76	42.73	105.5	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
हरियाणा तथा निजी											
1.	01801	यमुनानगर	41.37	4235.38	1787.83	2447.55	57.79	102.4	0.00	0.00	
2.	37701	नारायणगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
3.	42202	बडसोन	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	505.85	0.00	
उप योग निजी			41.37	4235.38	1787.83	2447.55	57.79	102.4	505.85	0.00	
कुल हरियाणा			130.66	13651.07	7179.76	6471.31	47.41	104.5	505.85	0.00	
राजस्थान तथा सार्वजनिक											
1.	01901	श्री गंगानगर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.20	0.89	
कुल योग सार्वजनिक			—	—	—	—	****	****	0.20	0.89	
राजस्थान तथा सहकारी											
1.	02001	केशोरायपाटन	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	15.12.1999
उप योग सहकारी			—	—	—	—	****	****	0.00	0.00	
राजस्थान तथा निजी											
1.	02101	भूपालसागर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	168.80	
उप योग निजी			—	—	—	—	****	****	0.00	168.80	
कुल राजस्थान			—	—	—	—	****	#####	0.20	169.69	
पश्चिमी उ.प्र. तथा सार्वजनिक											
1.	02201	मोहियद्दीपुर	10.77	926.39	658.33	268.06	28.94	86.02	223.83	1.04	
2.	02202	सखोती टांडा	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	111.05	0.00	
3.	02203	मेरठ	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	432.79	408.35	
4.	02204	बुलंदशहर	8.91	745.83	496.50	249.33	33.43	83.71	0.00	0.00	
5.	02205	सहारनपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
6.	02206	सेहाना कला	5.99	521.15	165.00	356.15	68.34	87.00	0.00	0.00	
7.	02207	डोईवाला	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	105.20	0.00	
8.	30602	मालकपुर	13.85	1180.07	0.00	1180.07	100.0	85.20	0.00	0.00	
उप योग सार्वजनिक			39.52	3373.44	1319.83	2053.61	60.88	85.36	872.87	409.39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पश्चिमी उ.प्र. तथा सहकारी											
1.	02301	बागपत	11.60	969.52	240.13	729.39	75.23	83.58	0.00	0.00	
2.	02401	रमाला	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
3.	02501	अनुपशहर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	687.57	
4.	02601	सरसावा	9.05	786.42	0.00	786.42	100.0	86.90	0.00	0.00	15.12.99
5.	02701	ननौता	11.34	979.64	775.68	203.96	20.82	86.39	0.00	0.00	
6.	02801	मोरना	12.61	1075.81	740.97	334.84	31.12	85.31	0.00	0.00	
उप योग सहकारी			44.60	3811.39	1756.78	2054.61	53.91	85.46	0.00	687.57	
पश्चिमी उ.प्र. तथा निजी											
1.	02901	दौराला	41.86	2823.00	823.00	0.00	0.00	67.44	0.00	0.00	
2.	02902	मवाना	36.79	100.00	100.00	0.00	0.00	2.72	0.00	0.00	15.12.1999
3.	03001	देवबंद	51.80	3436.74	3436.74	0.00	0.00	66.35	0.00	0.00	
4.	03101	इकबालपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
5.	03201	लक्सर	29.35	1965.68	1725.00	240.68	12.24	66.97	0.00	0.00	
6.	03301	खतौली	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
7.	03401	मनसुरपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	132.62	0.00	
8.	03501	शामली	34.71	2356.04	356.04	0.00	0.00	67.88	0.00	0.00	
9.	03601	मोदीनगर	23.86	2061.16	537.00	1524.16	73.95	86.39	0.00	0.00	
10.	03701	सिम्भावली	35.46	2320.00	320.00	0.00	0.00	65.43	0.00	0.00	
11.	35201	तितावी	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	833.30	
12.	36301	अगौता	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	22.00	0.00	
13.	47701	टोडापुर	15.07	1275.64	864.23	411.41	32.25	84.65	0.00	0.00	
14.	48701	उना	14.48	252.78	826.94	425.84	33.99	86.52	0.00	0.00	
उप योग निजी			283.38	17591.04	14988.95	2602.09	14.79	62.08	154.62	833.30	
कुल पश्चिमी उ.प्र.			367.50	24775.87	1806.56	6710.31	27.08	67.42	1027.49	1930.26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मध्य उ.प्र. तथा सार्वजनिक											
1.	02208	बिजनौर	7.53	633.36	268.38	364.98	57.63	84.11	0.00	0.00	15.12.99
2.	02209	अमरोहा	7.51	630.43	166.81	463.62	73.54	83.95	0.00	0.00	
3.	02210	रामपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
4.	02211	बरेली	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
5.	02212	माहोली	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	168.18	
6.	02213	हरदोई	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	77.90	319.75	
7.	03801	छाता	1.62	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	59.19	0.00	30.11.99
8.	03901	चांदपुर	10.44	872.86	591.01	281.85	32.29	83.61	0.00	0.00	
9.	04001	किछा	12.56	1057.84	701.90	355.94	33.65	84.22	0.00	0.00	
10.	04101	एक्सपैरीमेन्टल	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
	उप योग	सार्वजनिक	39.66	3194.49	1728.10	1466.39	45.90	80.55	137.09	487.93	
मध्य उ.प्र. तथा सहकारी											
1.	04201	गजरौला	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
2.	04301	बिलासपुर	6.91	593.53	247.36	346.17	58.32	85.89	0.00	0.00	
3.	04401	बाजपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
4.	04501	नादेही	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	474.06	0.00	
5.	04601	सितारगंज	9.17	775.03	481.65	293.38	37.85	84.52	0.00	0.00	
6.	04701	गदरपुर	9.13	775.42	503.00	272.42	35.13	84.93	0.00	0.00	
7.	04801	हरदुआगंज	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	46.83	234.08	
8.	04901	बिसलपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	710.08	451.12	
9.	05001	मझोला	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	200.39	0.00	
10.	05101	पूरनपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	607.14	518.03	
11.	05201	कायमगंज	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	240.82	
12.	05301	बदायुं	5.24	440.41	31.94	408.47	92.75	84.05	0.00	0.00	
13.	05401	तिलहर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	335.66	
14.	05501	बेलराया	6.07	518.54	195.01	323.53	62.39	85.43	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	05601	सम्पूर्णनगर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
16.	05701	सेमीखेड़ा	7.94	662.99	153.64	509.35	76.83	83.50	0.00	0.00	
17.	31701	पोवाया	2.38	201.00	0.00	201.00	100.0	84.45	0.00	0.00	15.12.99
18.	32901	नजीबाबाद	9.57	797.16	420.11	377.05	47.30	83.30	0.00	0.00	15.12.99
उप योग सहकारी			56.41	4764.08	2032.71	2731.37	57.33	84.45	2038.50	1779.71	
मध्य उ.प्र. तथा निजी											
1.	05801	धामपुर	37.29	3106.47	1895.04	1211.43	39.00	83.31	0.00	0.00	
2.	05803	असमोली	15.81	1308.59	337.88	970.71	74.18	82.77	0.00	0.00	
3.	05901	सेवहारा	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
4.	06001	राजाका सहासपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	790.83	
5.	06101	काशीपुर	15.20	1288.05	926.92	361.13	28.04	84.74	0.00	0.00	
6.	06102	पीलीभीत	17.17	1427.81	1095.42	332.39	23.28	83.16	0.00	0.00	
7.	06201	रोजा	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	914.66	0.00	
8.	06301	गोला	31.70	2722.66	1919.24	803.42	29.51	85.89	0.00	0.00	
9.	06401	ऐरा	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	93.73	0.00	
10.	06501	पलियाकलां	21.78	1816.94	1176.89	640.05	35.23	83.42	0.00	0.00	
11.	06601	बहेडी	17.50	1476.62	494.28	982.34	66.53	84.38	0.00	0.00	
12.	06701	नियोली	6.72	376.32	31.80	344.52	91.55	56.00	0.00	0.00	
13.	06801	हरगांव	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	449.10	
14.	31801	घाटमपुर	2.60	218.41	32.00	186.41	85.35	84.00	0.00	0.00	
15.	34501	धनौरा	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	396.79	
16.	36101	विनस	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	435.27	
17.	47501	जेकेशुगर	12.82	1068.02	335.28	732.74	68.61	83.31	0.00	0.00	
18.	47801	बुदकी	19.48	1626.26	1626.26	0.00	0.00	83.48	0.00	0.00	
19.	48301	जे.बी.गंज	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	48501	रूपापुर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	15.12.99
उप योग निजी			198.07	16436.15	9871.01	6565.14	39.94	82.98	1008.39	2071.99	
कुल मध्य उ.प्र.			294.14	24394.72	13631.82	10762.90	44.12	82.94	3183.98	4339.63	
पूर्वी उ.प्र. तथा सार्वजनिक											
1.	02214	बाराबंकी	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	220.53	
2.	02215	बुरवल	0.06	5.79	0.00	5.79	100.0	96.50	0.00	0.00	15.12.99
3.	02216	जरवाल	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	144.23	342.70	
4.	02217	पिपराइच	1.96	166.19	0.00	166.19	100.0	84.79	26.33	0.00	
5.	02218	घुघली	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	218.89	0.00	
6.	02219	सिस्वाबाजार	8.38	703.99	0.00	703.99	100.0	84.01	0.00	0.00	
7.	02220	खड्डा	19.94	1579.56	1579.56	0.00	0.00	79.22	0.00	0.00	
8.	02221	लक्ष्मीगंज	2.13	181.56	0.00	181.56	100.0	85.24	71.85	0.00	
9.	02222	रामकोला (कोरप.)	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
10.	02223	भटनी	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	86.26	0.00	
11.	02224	छितोनी	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	86.29	0.00	
12.	02225	मुन्डेरवा	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	78.66	0.00	
13.	06901	नंदगंज	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	222.18	
14.	06902	दरियापुर	4.36	364.64	0.00	364.64	100.0	83.63	0.00	0.00	
15.	37301	गदौरा	6.29	529.25	111.74	417.51	78.89	84.14	0.00	0.00	
उप योग सार्वजनिक			43.12	3530.98	1691.30	1839.68	52.10	81.89	708.91	785.41	
पूर्वी उ.प्र. तथा सहकारी											
1.	07001	नानापारा	5.30	439.47	0.00	439.47	100.0	82.92	0.00	0.00	
2.	07101	काशी	1.72	143.83	0.00	143.83	100.0	83.62	65.06	0.00	
3.	07201	रसरा	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
4.	07301	सेथिया	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	430.93	
5.	07401	घोसी	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	537.61	0.00	
6.	07501	सुल्तानपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	530.67	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	07601	महमूदाबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
8.	41701	घुरियापुर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	47.76	0.00	
उप योग सहकारी			7.02	583.30	—	583.30	100.0	83.00	1181.10	430.93	
पूर्वी उ.प्र. तथा निजी											
1.	03002	रामकोला	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	0.00	0.00	
2.	03702	चिलवारिया	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	460.48	0.00	
3.	05802	रोजागांव	16.65	1390.05	300.69	1089.36	78.37	83.49	0.00	0.00	
4.	07701	आनंदनगर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	0.00	0.00	
5.	07702	खलीलाबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	0.00	439.88	
6.	07801	सरदारनगर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	0.00	0.00	
7.	07901	कैप्टनगंज	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	0.00	0.00	
8.	08001	पदरौना	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	164.61	0.00	
9.	08002	कठकुंईया	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	272.44	394.08	
10.	08003	गौरीबाजार	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	0.00	235.40	
11.	08101	सिरोही	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	0.00	0.00	
12.	08201	बैतालपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	105.35	0.00	
13.	08301	देवरिया	1.77	149.05	0.00	149.05	100.0	8421	86.69	0.00	
14.	08401	प्रतापपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	12.53	28.54	
15.	08501	वाल्टरगंज	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	0.00	0.00	
16.	08502	बस्ती	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	0.00	0.00	
17.	08601	बिस्वान	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	0.00	0.00	
18.	08701	रतना	1.47	125.61	0.00	125.61	100.0	85.45	86.01	0.00	
19.	08801	के.एम.शुगर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	0.00	0.00	
20.	08901	बलरामपुर	46.51	2100.00	2100.00	0.00	0.00	45.15	0.00	0.00	
21.	09001	तुलसीपुर	18.30	1522.03	967.53	554.50	36.43	83.17	0.00	0.00	
22.	09101	नवाबगंज	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	168.83	460.94	
23.	09201	बभनान	29.16	1880.76	1613.84	266.92	14.19	64.50	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	41901	रामगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	0.00	0.00	
25.	47601	ओसवाल ओवरसीज	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	0.00	0.00	
26.	48001	मेजापुर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	0.00	0.00	
उप योग निजी			113.86	7167.50	4982.06	2185.44	30.49	62.95	1356.94	1558.84	
कुल पूर्वी उ.प्र.			164.00	11281.78	6673.36	4608.42	40.85	68.79	3246.95	2775.18	
मध्य प्रदेश तथा सहकारी											
1.	09301	मोरना	3.81	1.31	1.31	0.00	0.00	0.34	5.61	1.38	
2.	09401	बरलाई	0.35	28.79	0.00	28.79	100.0	82.26	0.00	0.00	
3.	09501	नवलनगर	6.52	665.02	665.02	0.00	0.00	102.0	0.00	0.00	
उप योग सहकारी			10.68	695.12	666.33	28.79	4.14	65.09	5.61	1.38	
मध्य प्रदेश तथा निजी											
1.	09601	डबरा	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	0.00	0.00	
2.	09701	दलौदा	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	0.00	0.00	
3.	09801	मेहीदपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
4.	09901	सिंहोर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#######	241.86	0.00	
5.	10001	जौरा	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	121.15	
6.	37201	खलबूजूरग	3.94	309.35	309.35		0.00	78.52	0.00	0.00	
उप योग निजी			3.94	309.35	309.35	0.00	0.00	78.52	241.86	121.15	
कुल मध्य प्रदेश			14.62	1004.47	975.68	28.79	2.87	68.71	247.47	122.53	
दक्षिण गुजरात तथा सहकारी											
1.	10101	बाददोली	63.63	3018.14	3018.14	0.00	0.00	47.43	0.00	0.00	
2.	10201	माढ़ी	43.19	1986.80	1986.80	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	
3.	10301	चालथान	39.57	2018.14	2018.14	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	
4.	10401	सायन	27.14	867.16	867.16	0.00	0.00	31.95	0.00	0.00	15.12.99
5.	10501	महवा	23.54	1678.07	499.84	1178.23	70.21	71.29	11.45	0.00	
6.	10601	पनियारी	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	234.20	
7.	10701	गणदेवी	38.09	1943.00	1943.00	0.00	0.00	51.01	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	10801	मरोली	7.24	123.18	123.18	0.00	0.00	17.01	1.87	0.00	30.11.99
9.	10901	वलसाड	13.84	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	0.00	0.00	
10.	11101	कामरेज	19.27	876.93	671.88	205.05	23.38	45.51	0.00	0.00	
11.	32101	वटारिया	1.64	279.82	279.82	0.00	0.00	170.6	297.93	0.00	15.12.99
12.	35701	अमोड	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
13.	40901	धारीखेड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
14.	41101	कोसाम्बा	16.73	393.01	0.00	393.01	100.0	23.49	0.00	0.00	
15.	41201	वीरपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
कुल दक्षिण गुजरात			293.88	13184.25	11407.96	1776.29	13.47	44.86	311.25	234.20	
सौराष्ट्र तथा सहकारी											
1.	11001	कोडीनार	18.56	1552.63	373.41	1179.22	75.95	83.65	0.00	0.00	
2.	11201	ऊना	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	95.87	0.17	
3.	11301	तलाला	10.29	411.90	255.92	155.98	37.87	40.03	0.00	0.00	
4.	11401	तलाजा	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
5.	11501	पलाज	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
6.	11601	धोराजी	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
कुल सौराष्ट्र			28.85	1964.53	629.33	335.20	67.97	68.09	95.87	0.17	
दक्षिण महाराष्ट्र तथा सहकारी											
1.	14801	श्रीराम	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
2.	14901	कृष्णा	35.48	1987.00	1413.00	574.00	28.89	56.00	0.00	0.00	
3.	15001	भुंज	2.02	1407.75	975.59	432.16	30.70	696.9	2.40	2.18	
4.	15101	मराली	10.85	620.27	620.27	0.00	0.00	57.17	0.00	0.00	
5.	15201	सहयाद्री	34.37	2234.18	2234.18	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	
6.	15301	शेन्द्रे	16.88	945.54	945.54	0.00	0.00	56.02	0.00	0.00	
7.	15401	सांगली	14.91	805.17	805.17	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	15.12.99
8.	15501	वाल्वा	27.78	1528.11	1528.11	0.00	0.00	55.01	0.00	0.00	
9.	15601	विश्वास	9.49	512.80	356.69	156.11	30.44	54.04	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	15701	हुतात्मा	13.70	767.34	557.63	209.71	27.33	56.01	0.00	0.00	
11.	15801	अटपाडी	7.27	248.57	248.57	0.00	0.00	34.19	0.00	0.00	
12.	15901	नागेवाडी	8.79	492.25	307.82	184.43	37.47	56.00	0.00	0.00	
13.	16001	महाकाली	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
14.	16101	यारना	9.99	539.99	539.99	0.00	0.00	54.05	0.00	0.00	
15.	16201	आईचलकरंजी	22.62	1357.23	1357.23	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
16.	16301	कुम्भीकेसरी	21.22	1485.99	1079.38	406.61	27.36	70.03	0.00	0.00	
17.	16401	बिदरी	26.06	1456.26	1456.26	0.00	0.00	55.88	0.00	0.00	
18.	16501	भोगावती	19.26	1078.79	659.96	418.83	38.82	56.01	0.00	0.00	
19.	16601	शिरोल	23.67	1491.60	1491.60	0.00	0.00	63.02	0.00	0.00	
20.	16701	दौलत	11.75	658.35	658.35	0.00	0.00	56.03	0.00	0.00	
21.	16801	गांधीगलज	13.19	738.86	505.68	233.18	31.56	56.02	0.00	0.00	
22.	16901	कागल	15.75	882.30	609.90	272.40	30.87	56.02	0.00	0.00	
23.	17001	असरूले	11.77	659.00	659.00	0.00	0.00	55.99	0.00	0.00	
24.	17201	हुपरी	20.91	1171.08	850 33	320.75	27.39	56.01	0.00	0.00	
25.	17202	लक्ष्मीवाडी	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
26.	17501	तिलकनगर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
27.	17601	वालचन्द नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	######	####	0.00	0.00	
28.	33601	तसगांव	9.07	508.22	346.54	161.68	31.81	56.03	0.00	0.00	
29.	35901	जेयर	12.84	719.36	441.96	277.40	38.56	56.02	0.00	0.00	
30.	38101	सुकाले	0.00	0.00	0.00 139.12	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
31.	38401	अजरा	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	62.67	
32.	39401	तिफाली	2.48	139.12	139.12	0.00	0.00	56.10	0.00	0.00	30.11.99
उप योग सहकारी			724.85	39583.91	32825.16	6758.75	17.07	54.61	409.52	299.22	
दक्षिण महाराष्ट्र तथा निजी											
1.	17901	फाल्टन	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	40.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	18001	कोल्हापुर	18.13	1269.24	1269.24	0.00	0.00	70.01	0.00	0.00	
उप योग निजी			18.13	1269.24	1269.24	-	0.00		40.00	0.00	
कुल दक्षिण महाराष्ट्र			420.25	25704.37	22057.11	3647.26	14.19	638	42.40	64.85	
उत्तर महाराष्ट्र तथा सहकारी											
1.	18101	गंगापुर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	0.00	143.39	
2.	18201	सिल्लौड	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	0.00	0.00	
3.	18301	कन्नड़	4.82	269.93	91.79	178.14	65.99	56.00	0.00	0.00	
4.	18401	फरसौदा	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	0.00	186.59	
5.	18501	पैथन	0.07	44.54	44.54	0.00	0.00	636.3	0.00	0.00	30.11.99
6.	18601	टेरना	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	0.00	111.36	
7.	18701	नालदुर्ग	8.11	454.35	454.35	0.00	0.00	56.02	0.00	121.87	
8.	18801	कालम्बर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	0.00	0.00	
9.	18901	शंकर नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	0.00	0.00	
10.	19001	पंजाराखान	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	0.00	0.00	
11.	19101	सतपुडा	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	0.00	0.00	
12.	19201	जीजामाता	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	36.48	0.00	
13.	19301	पुसाद	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	258.24	0.00	
14.	19401	डोन्गरकाडा	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	0.00	5.96	
15.	19501	पथरी	8.55	478.80	478.80	0.00	0.00	56.00	147.06	0.00	15.12.99
16.	19601	बारमथनगर	6.83	382.77	0.00	382.77	100.0	560.04	0.00	0.00	
17.	19701	अम्बाजोगाई	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	165.08	161.20	
18.	19801	गेवराय	2.95	165.20	0.00	165.20	100.0	56.04	0.00	0.00	30.11.99
19.	19901	कडा	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	0.00	91.10	
20.	20001	गजानन	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	0.00	0.00	15.12.99
21.	20101	कासोदा	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	0.00	56.69	
22.	20201	फैजपुर	11.48	642.97	212.59	430.38	66.94	560.1	0.49	0.98	
23.	20301	भोरस	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	20401	राजय	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	0.00	0.00	
25.	20501	शिरपुर	2.86	160.46	0.00	160.46	100.0	56.10	0.00	0.00	30.11.99
26.	20601	समर्थ	18.11	1014.34	750.08	264.26	26.05	56.01	0.00	0.00	
27.	20701	जालना	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
28.	20801	नालेगांव	6.10	341.96	176.18	165.78	48.48	56.06	0.00	0.00	
29.	20901	मंजारा	13.35	748.14	473.44	274.70	36.72	56.04	0.42	0.00	
30.	21001	किल्लारी	5.28	295.84	124.01	171.83	58.08	56.03	0.00	0.00	
31.	21101	धमनगांव	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	30.39	
32.	21201	मौदा	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	94.69	
33.	21301	जामानी	6.45	361.36	247.77	113.59	31.43	56.02	0.00	0.00	
34.	32001	वै गंगा	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	####	0.00	0.46	
35.	32201	बालाजी	0.39	21.84	0.00	21.84	100.0	56.00	0.00	0.00	
36.	32301	गोलेगांव	3.51	196.74	0.00	196.74	100.0	56.05	0.00	6.46	
37.	35101	फुलआबरी	8.29	464.68	217.13	247.55	53.27	56.05	0.00	0.00	
38.	35601	मजालगांव	18.52	1037.33	747.85	289.48	27.91	56.01	0.00	0.00	
39.	35801	बोदेगांव	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	27.01	
40.	36201	मांगरूल	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	.0.00	
41.	36501	चोपड़ा	11.84	663.09	437.60	225.49	34.01	56.00	0.00	0.00	
42.	36901	संत मुक्तबई	3.21	180.27	180.27	0.00	0.00	56.16	0.00	0.00	15.12.99
43.	37501	शमशेरपुर	2.58	58.27	258.27	0.00	0.00	100.1	0.00	0.00	30.11.99
44.	38301	सिधखेड़ा	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
45.	38501	अम्बुल्गा	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
46.	38901	हिंगाघाट	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
47.	39201	लोहगांव	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
48.	39801	चिकाली	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
49.	39901	अकालकोट	10.95	613.60	421.64	191.96	31.28	56.04	0.00	0.00	
50.	40101	मुडखेड	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	195.46	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.	49601	भलवानी	4.67	62.08	262.08	0.00	0.00	56.12	0.00	0.00	15.12.99
52.	50101	पैगरी	9.49	531.93	531.93	0.00	0.00	56.05	0.00	0.00	
कुल उत्तर महाराष्ट्र			168.41	9590.49	6110.32	3480.17	36.29	56.95	803.23	1038.15	
मध्य महाराष्ट्र तथा सहकारी											
1.	11701	गिरना	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	74.85	
2.	11801	निफड़	25.69	1387.61	964.04	423.57	30.53	54.01	0.00	0.00	
3.	11901	कर्मवीर	7.78	435.93	296.02	139.91	32.09	56.03	0.00	0.00	
4.	12001	मेटेरवाडी	9.97	558.47	398.80	159.67	28.59	56.02	0.00	0.00	
5.	12101	पालसे	7.63	427.49	282.10	145.39	34.01	56.03	28.52	0.00	
6.	12201	विठेवाड़ी	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
7.	12301	संजीवनी	15.72	826.09	826.09	0.00	0.00	52.55	0.00	0.00	
8.	12401	कोपेरगांव	16.42	1265.09	1265.09	0.00	0.00	77.05	0.00	0.00	
9.	12501	गणेशनगर	10.37	581.07	581.07	0.00	0.00	56.03	0.00	0.00	
10.	12601	अशोकनगर	14.12	1062.38	1016.64	45.74	4.31	75.24	0.00	0.00	
11.	12701	परवारानगर	25.16	1975.56	1975.56	0.00	0.00	78.52	0.00	0.00	
12.	12801	राहुरी	19.37	1101.90	398.79	703.11	63.81	56.89	0.00	0.00	
13.	12901	श्रीगौड़ा	3.84	215.08	0.00	215.08	100.0	56.01	0.00	0.00	
14.	13001	संगमनेर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
15.	13101	भेन्डे	17.20	823.94	823.94	0.00	0.00	47.90	0.00	0.00	15.12.99
16.	13201	विरट्टेश्वर	9.65	540.67	376.24	164.43	30.41	56.03	0.00	0.00	
17.	13301	जगदम्बा	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
18.	13401	सोनाय	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
19.	13501	पारनेर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
20.	13601	नीरा	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	113.84	
21.	13701	मालेगांव	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
22.	13801	भवानीनगर	19.31	1062.44	782.93	279.51	26.31	55.02	0.00	0.00	
23.	13901	सेदूर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	14001	पाटस	26.97	1510.86	1092.37	418.49	27.70	56.02	0.00	0.00	
25.	14101	जन्नार	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
26.	14201	अकलुज	22.99	1621.28	1621.28	0.00	0.00	70.52	0.00	0.00	15.12.99
27.	14301	सदाशिवनगर	16.19	907.18	678.61	228.57	25.20	56.03	0.00	0.00	
28.	14401	कमाठे	18.62	919.62	919.62	0.00	0.00	49.39	0.00	0.00	
29.	14501	गुरसाले	22.85	1589.75	1122.89	466.86	29.37	69.57	0.00	0.00	
30.	14601	विराग	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	227.40	260.41	
31.	14701	भीमा	6.96	389.98	155.77	234.21	60.06	56.03	0.00	0.00	30.12.99
32.	33101	इन्दापुर	4.85	45.68	0.00	45.68	100.0	9.42	0.00	0.00	15.12.99
33.	34001	राजगढ़	8.95	501.47	501.47	0.00	0.00	56.03	0.00	0.00	
34.	35301	अगस्ती	14.94	836.76	836.76	0.00	0.00	56.01	0.00	0.00	
35.	35501	सन्तधामजी	7.57	424.24	270.39	153.85	36.26	56.04	0.00	0.00	15.12.99
36.	39001	केदारेश्वर	14.72	467.63	467.63	0.00	0.00	31.77	0.00	0.00	
37.	39501	सन्ततुकाराम	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
38.	40001	शिरूर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
39.	40201	परतूर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	86.29	0.00	
उप योग सहकारी			536.25	31068.66	23764.42	7304.24	23.51	57.94	1145.44	1487.25	
मध्य महाराष्ट्र तथा निजी											
1.	17101	रावलगांव	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
2.	17301	चांगदेव	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
3.	17401	बेलापुर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
4.	17701	मालेनगर	18.21	1256.85	957.52	299.33	23.82	69.02	0.00	0.00	
5.	17801	पांडुरंग	1.39	781.28	482.84	298.44	38.20	562.1	0.00	0.00	15.12.99
उप योग निजी			19.60	2038.13	1440.36	597.77	29.33	104.0	0.00	0.00	
कुल मध्य महाराष्ट्र			387.44	23516.30	19094.46	4421.84	18.80	60.70	342.21	449.10	
उत्तर बिहार तथा सार्वजनिक											
1.	21401	गरौल	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	9.78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	21402	रयाम	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	7.99	
3.	21403	लोहाट	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	161.09	
4.	21404	साकरी	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	237.09	
5.	21405	समस्तीपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	55.85	
6.	21406	बनमंखी	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	135.35	
7.	21407	लौरिया	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	646.95	
8.	21408	सुगौली	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	328.59	
9.	21409	मोतीपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	188.55	
10.	21410	मीरगंज	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	554.40	
11.	21411	सिवान	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	11.10	
12.	21412	नया सावन	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	2.42	
उप योग तथा सार्वजनिक			—	—	—	—	****	****	0.00	2339.16	
उत्तरी बिहार तथा निजी											
1.	08004	मरहोरा	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	419.96	
2.	21501	हसनपुर	4.60	144.67	36.31	108.36	74.90	31.45	1.49	0.65	
3.	21601	बमाह	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
4.	21701	हरीनगर	20.50	1568.76	439.64	1129.12	71.98	76.52	4.96	13.96	
5.	21801	नरकटियागंज	11.24	645.18	116.51	528.67	81.94	57.40	9.88	3.52	
6.	21901	मझौलिया	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	1506.69	
7.	22001	चनपतिया	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	94.74	35.80	
8.	22002	बाराचकिया	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
9.	22101	मोतीहारी	4.67	382.86	16.20	366.66	95.77	81.98	199.51	111.32	
10.	22201	सासामुसा	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	397.73	0.11	
11.	22301	गोपालगंज	12.36	693.56	214.51	479.05	69.07	56.11	0.24	0.00	
12.	22401	सिदवालिया	6.93	561.06	183.43	377.63	67.31	80.96	35.14	0.00	
13.	22501	रिगा	6.77	401.53	39.08	362.45	90.27	59.31	0.88	0.82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	22601	पचरूकी	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
उप योग निजी			67.07	4397.62	1045.68	3351.94	76.22	65.57	744.57	2092.83	
कुल उत्तरी बिहार			67.07	4397.62	1045.68	3351.94	76.22	65.57	744.57	4431.99	
दक्षिण बिहार तथा सार्वजनिक											
1.	21413	भीता	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
2.	21414	वरीसालीगंज	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.63	
3.	21415	गरूर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	###.##	0.00	0.00	
	कुल दक्षिण बिहार		—	—	—	—	****	#####	0.00	0.63	
असम तथा सार्वजनिक											
1.	22701	चारगोला	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
उप योग सार्वजनिक			—	—	—	—	****	****	0.00	0.00	
असम तथा सहकारी											
1.	22801	बारूआबामनगांव	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	10.48	
2.	22901	नागांग	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
उप योगी सहकारी			—	—	—	—	****	****	0.00	10.48	
कुल असम			—	—	—	—	****	#####	0.00	10.48	
आन्ध्र प्रदेश तथा सार्वजनिक											
1.	23601	शकरनगर	10.12	647.89	174.01	473.88	73.14	64.02	0.00	0.00	
2.	23602	जहीराबाद	11.44	740.26	169.27	570.99	77.13	64.71	0.03	0.00	
3.	23603	मिरयालगुडा	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
4.	23604	हिन्दपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	96.99	
5.	23605	मेटापाली	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
6.	23606	सीतहानगरम	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
7.	23607	बोबली	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
8.	23608	मेडक	9.14	591.60	93.93	497.67	84.12	64.73	0.00	0.00	
9.	23609	लशुचापटिया	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
10.	42601	नींदरा	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	417.10	0.00	
उप योग सार्वजनिक				30.70	1979.75	437.21	542.54	77.92	64.49	417.13	96.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आंध्र प्रदेश तथा सहकारी											
1.	23701	निजामाबाद	4.78	286.89	237.11	49.78	17.35	60.02	0.00	0.00	
2.	23801	अगडनलावासा	2.63	157.83	0.00	157.83	100.0	60.01	0.00	0.00	
3.	23901	चोदावारम	0.00	0.00	0.00	0.00	## ###	#####	0.00	0.00	
4.	24001	अनाकापाली	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
5.	24101	इथीकोपका	4.22	300.00	300.00	0.00	0.00	71.09	0.00	0.00	
6.	24201	तनदेवा	3.83	256.79	256.79	0.00	0.00	67.05	0.00	0.00	
7.	24301	विजयाराम	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
8.	24401	पलाकोल	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
9.	24501	भीमाडोली	7.46	416.72	332.01	84.71	20.33	55.86	0.00	0.00	
10.	24601	हनुमान	4.02	238.88	238.88	0.00	0.00	59.42	0.00	0.00	
11.	24701	पालेयर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	75.00	0.00	
12.	24801	कुड्डपाह	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
13.	24901	ननदयाल	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	30.72	
14.	25001	नागार्जुना	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
15.	25101	तैनली	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
16.	25201	कोवर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
17.	25301	चितूर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
18.	25401	तिरूपति	5.10	357.42	177.73	179.69	50.27	70.08	0.00	0.00	
कुल योग सहकारी			32.04	2014.53	1542.52	472.01	23.43	62.88	75.00	30.72	
आन्ध्र प्रदेश तथा निजी											
1.	25501	चागलू	30.68	2268.60	1052.95	1215.65	53.59	73.94	0.00	0.00	
2.	25601	तनखू	13.31	1005.03	649.93	355.10	35.33	75.51	0.00	0.00	
3.	25602	तड़ावी	11.72	821.70	552.82	268.88	32.72	70.11	0.00	0.00	
4.	25701	किरलामपुड़ी	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
5.	25801	सामलकोट	5.94	377.81	104.68	273.13	72.29	63.60	0.00	0.00	15.12.99
6.	25901	चिलरू	19.39	1471.25	1188.64	282.61	19.21	75.88	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	26001	वयूरी	12.18	836.21	244.51	591.70	70.76	68.65	0.00	0.00	
8.	26101	लक्ष्मीपुरम	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
9.	34301	कोलूर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
10.	34401	नेयडपैटा	4.80	340.07	1.34	338.73	99.61	70.85	4.65	0.32	
11.	34901	कुमारतनम	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
12.	43601	मयूर नगर	5.24	427.83	247.28	180.55	42.20	81.65	0.00	0.00	
13.	44601	एनसीएस गायत्री	15.73	1316.06	426.96	889.10	67.56	83.67	0.00	0.00	
14.	44701	संगराडी	15.71	1264.57	704.21	560.36	44.31	80.49	0.00	0.00	
15.	44901	वारालक्ष्मी	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
उप योग निजी			134.70	10129.13	5173.32	4955.81	48.93	75.20	4.65	0.32	
कुल आन्ध्र प्रदेश			197.44	14123.41	7153.05	6970.36	49.35	71.53	496.78	128.03	
कर्नाटक तथा सार्वजनिक											
1.	26201	मांडीया	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	4.84	
2.	26301	गंगावती	9.53	781.96	781.96	0.00	0.00	82.05	0.00	0.00	15.12.99
3.	26401	भद्रावती	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
उप योग सार्वजनिक			9.53	781.96	781.96	—	0.00	82.05	0.00	4.84	
कर्नाटक तथा सहकारी											
1.	26501	पांडवपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	495.79	0.00	
2.	26601	निपानी	5.47	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	104.33	0.00	
3.	26701	संकेश्वर	26.34	1580.89	1176.21	404.68	25.60	60.02	0.00	0.00	
4.	26801	मालप्रभा	16.63	998.30	998.30	0.00	0.00	60.03	0.00	0.00	
5.	26901	चिकोदी	21.44	1243.75	0.00	1243.75	100.0	58.01	0.00	0.00	
6.	27001	रायबाग	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
7.	27101	गोकक	10.57	634.58	159.67	474.91	74.84	60.04	0.00	0.00	
8.	27201	संडारी	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
9.	27301	गौरीबिदनौर	4.59	347.98	76.13	271.85	78.12	75.81	0.00	0.00	
10.	27401	बिदर	7.84	470.61	162.69	307.92	65.43	60.03	0.00	128.20	30.11.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	27501	वैनीविलासा	26.48	253.15	30.36	222.79	88.01	9.56	7.28	0.00	
12.	27601	भादरा	12.54	1003.90	319.33	684.57	68.19	80.06	0.00	0.00	
13.	27701	के आर नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
14.	27801	हावेरी	7.72	231.88	113.15	118.73	51.20	30.04	134.57	0.00	
15.	27901	हेमावती	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
16.	28001	बारम्वार	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
17.	32501	अलन्द	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	2.94	
18.	35401	बीजापुर	15.25	915.48	409.14	506.34	55.31	60.03	0.00	0.00	
19.	40601	कुपतगिरी	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
उप योग सहकारी			154.87	7680.52	3444.98	4235.54	55.15	49.59	741.97	131.14	
कर्नाटक तथा निजी											
1.	17203	समीरवाडी	19.35	689.43	68.44	620.99	90.07	35.63	0.00	0.00	
2.	28101	चमुंडेश्वरी	26.65	1759.43	638.84	1120.59	63.69	66.02	508.91	0.30	
3.	28201	मुनीराबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
4.	28301	शिमोगा	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
5.	28401	उगारखुर्द	49.09	2749.46	1433.09	1316.37	47.88	56.01	0.00	13.48	
6.	28501	हास्पेट	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
7.	28601	सिरूगुप्पा	13.01	1062.10	984.27	77.83	7.33	81.64	0.00	0.00	
8.	28701	देवनगिरी	14.69	1189.91	597.63	592.28	49.78	81.00	0.00	0.00	
9.	28801	कोलेगल	6.43	338.90	131.71	207.19	61.15	52.71	138.70	0.00	30.11.99
10.	30902	बास	23.69	1483.75	1162.13	321.62	21.68	62.63	0.00	0.00	
उप योग निजी			152.91	9272.98	5016.11	4256.87	45.91	60.64	647.61	13.78	
कुल कर्नाटक			317.31	17735.46	9243.05	8492.41	47.88	55.89	1389.58	149.76	
तमिलनाडु तथा सार्वजनिक											
1.	28901	तंजावुर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	126.42	0.00	
2.	28902	पैरम्बालूर	1.67	104.41	0.00	104.41	100.0	62.52	0.00	0.00	
3.	28903	मदुरै	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	282.92	0.00	
उप योग सार्वजनिक			1.67	104.41	—	104.41	100.0	62.52	409.34	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
तमिलनाडु तथा सहकारी											
1.	29001	मयालादूतौरी	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	30.11.99
2.	29101	अम्बूर	3.04	175.79	0.00	175.79	100.0	57.83	0.00	0.00	
3.	29201	वैलोर	3.25	184.22	0.00	184.22	100.0	56.68	0.00	0.00	
4.	29301	तिरीपतूर	5.05	336.96	147.37	189.59	56.26	66.72	0.00	0.00	
5.	29401	कलाकुरिची	2.97	221.53	84.19	137.34	62.00	74.59	0.00	0.00	
6.	29402	कच्चरियापालम	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
7.	29501	उलाउपेट	4.34	243.69	0.00	243.69	100.0	56.15	0.00	0.00	
8.	29601	मदुरीनटकम	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.21	
9.	29701	तिरतानी	0.04	2.19	0.00	2.19	100.0	54.75	0.00	0.00	15.12.99
10.	29801	सलम	11.53	829.70	483.30	346.40	41.75	71.96	0.00	0.00	
11.	29901	धरमापुरी	5.07	348.38	217.99	130.39	37.43	68.71	0.00	0.00	
12.	30001	अमरावती	21.32	1295.50	1295.50	0.00	0.00	60.76	0.00	0.00	
13.	30101	अलंगनुर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
14.	33001	सेतीयाथोप	2.41	142.09	0.00	142.09	100.0	58.96	0.00	0.00	
15.	33401	चीयार	3.82	214.66	83.52	131.14	61.09	56.19	0.00	0.00	
16.	35001	अलापुरम	2.96	201.66	0.00	201.66	100.0	68.13	0.00	0.00	
उप योग सहकारी			65.80	4196.37	2311.87	1884.50	44.91	63.77	0.00	0.21	
तमिलनाडु तथा निजी											
1.	25802	पुगलूर	1.74	101.71	101.71	0.00	0.00	58.45	273.94	0.00	30.11.99
2.	28602	लालगुडी	3.16	192.46	18.50	173.96	90.39	60.91	0.00	0.00	
3.	30201	तिरूएरोन	0.41	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	0.00	0.00	
4.	30202	तिरिमकोंडी	4.49	23.75	23.75	0.00	0.00	5.29	0.00	0.00	
5.	30301	कवेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	248.18	9.20	
6.	30401	नीलकप्पम	20.49	1180.50	824.14	356.36	30.19	57.61	0.00	0.00	
7.	30501	वेलिपुरम	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	1475.61	0.00	
8.	30601	अम्बिका	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	30602	कोटटूर	2.03	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	0.00	0.00	
10.	30701	पोनी	18.04	1237.32	686.63	550.69	44.51	68.59	0.00	0.00	
11.	30801	शक्ति	45.95	3063.31	1452.32	1610.99	52.59	66.67	0.00	0.00	
12.	30802	शिवगंगा	4.70	298.23	12.08	286.15	95.95	63.45	0.00	0.00	
13.	30901	बानरी–अमन	20.40	1353.43	1021.44	331.99	24.53	66.34	0.00	0.00	
14.	32601	धारनी	4.71	254.42	0.00	254.42	100.0	54.02	127.10	0.00	
15.	32603	पोलूर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	626.43	
16.	32801	राजश्री	16.71	922.34	922.34	0.00	0.00	55.20	0.00	0.00	
17.	43501	पालीयाआश्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
उप योग निजी			142.83	8627.47	5062.91	3564.56	41.32	60.40	2160.83	635.63	
कुल तमिलनाडु			210.30	12928.25	7374.78	5553.47	42.96	61.48	2570.17	635.84	
केरल तथा सहकारी											
1.	31201	मन्नाम	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
2.	31301	चितूर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.02	
उप योग सहकारी			—	—	—	—	****	****	0.00	0.02	
केरल तथा निजी											
1.	31401	तिरूवला	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
उप योग निजी			—	—	—	—	****	****	0.00	0.00	
कुल करेल			—	—	—	—	****	#####	0.00	0.02	
उड़ीसा तथा सहकारी											
1.	23001	अस्का	0.21	17.50	0.00	17.50	100.0	83.33	0.00	0.51	
2.	23101	बरगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
3.	32401	नयागढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
4.	32701	बडाम्बा	2.33	141.98	141.98	0.00	0.00	60.94	0.00	0.00	
उप योग सहकारी			2.54	159.48	141.98	17.50	10.97	62.79	0.00	0.51	
उड़ीसा तथा निजी											
1.	23201	रायगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	30702	देवगांव	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
3.	30803	देंकानल	3.34	187.38	111.25	76.13	40.63	56.10	0.00	0.00	
4.	36401	धरमगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	51.77	
उप योग निजी			3.34	187.38	111.25	76.13	40.63	56.10	0.00	51.77	
कुल उड़ीसा			5.88	346.86	253.23	93.63	26.99	58.99	0.00	52.28	
पश्चिम बंगाल तथा सार्वजनिक											
1.	23301	अहमेदपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	2.83	0.00	
उपयोग सार्वजनिक			—	—	—	—	****	****	2.83	0.00	
पश्चिम बंगाल तथा निजी											
1.	23401	पलासी	2.10	140.89	97.53	43.36	30.78	67.09	0.00	0.00	
उप योग निजी			2.10	140.89	97.53	43.36	30.78	67.09	0.00	0.00	
कुल पश्चिम बंगाल			2.10	140.89	97.53	43.36	30.78	67.09	2.83	0.00	
नागालैंड तथा सार्वजनिक											
1.	23501	दीमापुर	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	#####	0.00	0.00	
उपयोग सार्वजनिक			—	—	—	—	****	****	0.00	0.00	
कुल नागालैंड			—	—	—	—	****	#####	0.00	0.00	
पांडिचेरी तथा सहकारी											
1.		पांडिचेरी	4.25	238.83	238.83	0.00	0.00	56.20	0.00	0.00	
उपयोगी			4.25	238.83	238.83	0.00	0.00	56.20	0.00	0.00	
पांडिचेरी तथा निजी											
1.	31101	न्यू होरीजन	1.04	58.78	3.70	55.08	93.71	56.52	0.00	0.00	15.12.99
उप योग निजी			1.04	58.78	3.70	55.08	93.71	56.52	0.00	0.00	
कुल पांडिचेरी			5.29	297.61	242.53	55.08	18.51	56.26	0.00	0.00	
गोवा तथा सहकारी											
1.	31501	तिस्का	3.89	201.12	68.43	132.69	65.98	51.70	0.00	0.00	
समस्त भारत कुल योग			3215.70	211568.36	140829.35	70739.01	33.44	65.79	1562035	18231.90	

[अनुवाद]

भारत होकर सिंगापुर और यूरोप के बीच रेल मार्ग का विकास

1291. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत होकर सिंगापुर और यूरोप के बीच रेल मार्ग के विकास की संभावना की जांच कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य हेतु किसी समिति का गठन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में पड़ोसी देशों से संपर्क किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर इन देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) भारत होकर यूरोप/सी आई एस देशों और सिंगापुर/दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को जोड़ने के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज (यू आई सी), पेरिस और यू.एन.–ईएससीएपी, बैन्कॉक के तत्त्वावधान में एक रेलवे गलियारे का विकास करने संबंधी प्रस्ताव का अनुसरण किया जा रहा है। चीन/बैंकॉक में कुनमिंग से थाइलैंड में कपिकुले (बुल्गारिया)/सी आई एस देशों तक ट्रांस एशियन रेलवे के दक्षिणी गलियारों के लिए नेटवर्क की पहचान तथा अन्य संबद्ध मामलों पर यू एन–ई एस सी ए पी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सदस्य देशों द्वारा इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

सिंगापुर से तुर्की/सी आई एस देशों तक बरास्ता भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया–पश्चिम एशिया रेल गलियारे की शीघ्र स्थापना करने के लिए यू आई सी के अंतर्गत अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, भारत की अध्यक्षता में एक गलियारा कार्य दल का गठन किया गया है। यू आई सी और यूएन–ईएससीएपी के साथ इस परियोजना पर सकारात्मक रूप अपनाने के लिए प्रयास तेज करने तथा संसाधन प्राप्त करने का रेल मंत्रालय प्रयास कर रहा है।

पड़ोसी देश, मई 99 में ढाका में यूएन–ईएससीएपी की विशेषज्ञ दल की बैठक और यू आई सी के गलियारा कार्य दल द्वारा किए जा रहे पहले दोनों के बहुपक्षीय मामलों में शामिल है। उन्होंने सैद्धांतिक रूप में इस पहल का समर्थन किया है और यू एन–ई एस सी ए पी तथा यू आई सी द्वारा क्रमशः संरेखण तथा अन्य तकनीकी मामलों पर ठोस विचारों को समन्वित किया जा रहा है।

खुले बाजार में चीनी को भेजा जाना

1292. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने विभिन्न चीनी मिलों में पड़े 450 करोड़ रुपये मूल्य के चीनी के स्टाक को खुले बाजार में भेजने की केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है ?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने राज्य में स्थित कई चीनी फैक्ट्रियों के पक्ष में चीनी का अतिरिक्त कोटा रिलीज करने की सिफ़ारिश की है। कर्नाटक राज्य की चीनी फैक्ट्रियों को निर्धारित मार्ग–निर्देशों के अनुसार समय–समय पर अतिरिक्त खुली बिक्री कोटा का आबंटन किया गया है।

आवश्यक वस्तुओं के परिवहन हेतु मुआवजा

1293. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में रियायती दरों पर माल परिवहन और आवश्यक वस्तुओं को कम दरों पर परिवहन के एवज में किसी मुआवजे की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्राकलन क्या है; और

(ग) उसके कारण रेल विभाग को प्रतिवर्ष कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। कतिपय आवश्यक पण्यों को परिचालन की लागत से कम दर पर ढोने के लिए क्षतिपूर्ति की मांग की गई है। ऐसे पण्यों में नमक, फल एवं सब्जी परचून इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कम दरों पर मालभाड़ा यातायात के एक स्थान से दूसरे स्थान तक के संचलन के लिए भी क्षतिपूर्ति की मांग की जा रही है।

क्षतिपूर्ति की धनराशि वास्तविक आधार पर आंकी गई है। इस संबंध में पिछले तीन वर्ष के आंकड़े नीचे दर्शाये गये हैं :

(करोड़ रुपयों में)

	1996–97	1997–98	1998–99
रियायती दरों पर कतिपय आवश्यक और अन्य पण्यों के ढोने पर हुआ घाटा।	71.55	93.95	110.17
रियायती दरों पर पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल को ढोने पर हुए घाटे के लिए क्षतिपूर्ति।	27.44	34.66	46.25 (लगभग)

पुरातात्त्विक महत्त्व की वस्तुएं

1294. डॉ. चरणदास महंत : क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राचीन सिक्कों और स्थानों अथवा पुरातात्त्विक महत्त्व की वस्तुओं के बारे में आम आदमी को प्रमाणिक सूचना प्रदान करने की कोई प्रक्रिया है;

(ख) केन्द्र सरकार की जानकारी में पुरातात्त्विक महत्व के ऐसे कितने स्थान हैं जिनका अभी तक पुरातात्त्विक अध्ययन नहीं कराया गया है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कितने स्थानों का पुरातात्त्विक अध्ययन कराया गया है और अंग्रेजी के अलावा वे अन्य भाषाएं कौन–सी हैं जिनमें ऐसे मामलों के बारे में सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण प्राचीन सिक्कों तथा स्थानों या पुरातात्त्विक महत्व की वस्तुओं के बारे में आम व्यक्ति को प्रमाणित सूचना अपने विभिन्न प्रकाशनों, प्रदर्शनियों, शैक्षिक तथा सार्वजनिक व्याख्यानों और अपने पुरातत्त्वविदों तथा पुरालेखविदों द्वारा विभिन्न अनुसंधान पत्रिकाओं, बुलेटिनों में प्रकाशित अनुसंधान पेपरों तथा गोष्ठियों तथा सम्मेलनों के कार्य विवरणों द्वारा प्रदान करता है।

(ख) भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के अन्तर्गत किसी स्मारक या स्थल को संरक्षण प्रदान करने का आधार उसकी पुरातात्त्विक, वास्तुकलात्मक तथा ऐतिहासिक योग्यता का अध्ययन करना है। इस प्रकार का अध्ययन तथा स्मारकों और स्थलों का संरक्षण के लिए चयन करना एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों (1997–98 से 1999–2000) के दौरान भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने 55 स्थलों पर खुदाई का कार्य किया है। इनके बारे में सूचना अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में प्रकाशित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, 9 स्थानों पर पुरातात्त्विक अध्ययनों का कार्य किया गया है। इनमें से एक अर्थात् मत्तनचेरी पैलेस, जिला एर्णाकुलम, केरल के बारे में सूचना मलयालम भाषा में प्रकाशित की गई है। पुरालेखीय सर्वेक्षण तथा अध्ययन 23 स्थानों पर किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.23 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

[अनुवाद]

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री वसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए)*

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया अपने–अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंअर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मामले में अपने गुप्त एजेंडे को लागू करना चाहती है। केन्द्रीय सरकार के इशारे पर गुजरात की सरकार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए, राजेश जी को इजाजत दी है।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : सभापति महोदय, जैसा मेरे साथी, माधव जी, ने आज सुबह बात कही, आज देश की ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, हमने भी 34 माननीय सदस्यों के सिगनेचर्स लेकर निवेदन किया है कि हमारी भी बात सुनी जाए।

सभापति महोदय : आप बैठिए, राजेश जी को बोलने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

कुंअर अखिलेश सिंह : महोदय, राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबंधन के लोगों में मतभेद है। इसीलिए नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा कराने से सरकार कतरा रही है ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : महोदय, आज सुबह दुख उस वक्त हुआ, जब सत्ता पक्ष के भाइयों और खासकर हमारे मंत्री महोदय को ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने राजेश जी को बोलने के लिए इजाजत दी है। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट : सभापति महोदय, प्रजातन्त्र में पक्ष और विपक्ष की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। ... *(व्यवधान)*

कुमारी उमा भारती (भोपाल) : महोदय, मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है। ... *(व्यवधान)*

अपराह्न 2.04 बजे

इस समय कुंअर अखिलेश सिंह, श्री रामदास आठवले, और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, सभा पटल पर पत्रों को रखा जाएगा।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.04½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : मैं कुमारी ममता बनर्जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 835(अ) जो 30 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें रेल दावा अधिकरण, अधिनियम, 1987 के अंतर्गत 10 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 96 (अ) का शुद्धि–पत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल. टी. 1357/2000]

(2) रेल यात्री (टिकट का रद्दकरण और किराया वापसी) संशोधन नियम, 2000 जो रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत 1 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल. टी. 1358/2000]

(3) रेलवे सुरक्षा समीक्षा समिति, 1998 (भाग–एक) के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल. टी. 1359/2000]

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : महोदय, मैं शांता कुमार जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 832(अ) जो 29 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत चीनी के आयातकों को चीनी के घरेलू उत्पादकों के समान ही चीनी नियंत्रण आदेश 1966 के क्षेत्राधिकार में लाने के लिए चीनी की बिक्री आदि को निर्बंधित अथवा विनियमित करने संबंधी आदेश अंतर्विष्ट है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) तथा उसका एक शुद्धि पत्र (केवल हिन्दी संस्करण) जो 12 जनवरी, 2000 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 35(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल. टी. 1360/2000]

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप पहले पेपर ले होने दीजिए, उसके बाद बोलिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अभी राजेश जी बोल रहे हैं, आपको भी मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : सभापति जी, प्रजातंत्र में सत्तापक्ष की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको जो बोलना है वह आप अपनी सीट पर जाकर बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, श्री शरद यादव, की ओर से मैं रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेल दुर्घटनाओं की सांविधिक जांच नियम, 1998, जो क्रमशः 26 दिसम्बर, 1998 और 6 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 257 और 63 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल. टी. 1361/2000]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, श्रीमती वसुन्धरा राजे की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1999, जो 13 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 372 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1999 जो 13 नवम्बर 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 373 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 1999 जो 13 नवंबर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 374 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1998 जो 13 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 375 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 1999 जो 4 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 754(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 1999 जो 4 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 755(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 1335/2000]

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) (पहला संशोधन) विनियम, 1999, जो 30 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ईपी. 5(1)/99 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल. टी. 1362/2000]

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : मैं श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद की तरफ से

बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय विधिक माप पद्धति संस्थान (संशोधन) नियम, 2000 जो 22 जनवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 30 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल. टी. 1363/2000]

[अनुवाद]

अपराह्न 2.07 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

राजघाट समाधि समिति

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 की धारा 4(1) (घ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख से आरंभ होने वाले कार्यकाल के लिए राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 की धारा 4(1) (घ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख से आरंभ होने वाले कार्यकाल के लिए राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.09 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 3 मार्च, 2000/13 फाल्गुन, 1921 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
गुरुवार, 2 मार्च, 2000/12 फाल्गुन, 1921 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
5	15	श्री विजय कुमार गोयल	श्री विजय गोयल
33	9	(जॉर्ज फर्नान्डीज)	(श्री जॉर्ज फर्नान्डीज)
67	नीचे से 8	(	(ठ·
115	नीचे से 5	(घ)	(घ)

पी० एल० एस० — 48/4/7/2000 (एन०)
280

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत
प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।